Drishti IAS

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

सितंबर भाग-1

2022

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 4

- मिखाइल गोर्बाचेव और शीत युद्ध 4
- G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 5
- भारत-दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय बैठक 8
- भारत-बांग्लादेश के मध्य समझौते 9
- भारत-चीन के मध्य सीमा विवाद पर शांति बहाली 10
- दसवाँ अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन 12
- हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचा 13
- भारत-कतर GI उत्पाद बैठक 14
- श्रीलंका में तमिलों का मुद्दा 16
- भारत-जापान रक्षा संबंध 20
- भारत-मेक्सिको संबंध 21
- यूक्रेन का जवाबी हमला 23

एथिक्स 25

- भारत में पुलिसिंग और नैतिकता 25
- सिविल सेवक और डिजिटल साक्षरता 26
- बच्चों की नैतिकता और मूल्यों पर इंटरनेट का प्रभाव 27
- सिविल सेवा में भ्रष्टाचार 28
- वर्दीधारी बल और मानसिक स्वास्थ्य 30
- अवैध शराब की आपूर्ति पर रोक 32

जैवविविधता और पर्यावरण 33

- क्लाउड सीडिंग 33
- सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन मानदंडों का विस्तार 34
- जलवायु क्षतिपूर्ति 35
- भारत की जलवायु प्रतिज्ञा 36
- इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई 37
- रेड इयर्ड स्लाइडर टर्टल्स 38
- हाइड्रोजन फ्यूल सेल 40
- पश्चिमी घाट पर याचिका 41

भारतीय अर्थव्यवस्था 43

- कर्नाटक में लौह अयस्क खनन 43
- भारत और स्टार्टअप 45
- भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था 47
- गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूला की समीक्षा 47
- भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र 49
- वैश्विक तेल कीमतों में गिरावट 50
- टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध 52
- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात 54
- विंडफॉल टैक्स 56

भारतीय इतिहास 57

- वल्लियप्पन उलगनाथन चिदंबरम पिल्लई 57
- मोहनजोदड़ो: यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल 58
- चोल राजवंश 59
- आचार्य विनोबा भावे 60

दृष्टि The Vision

नोट :

भारतीय राजनीति **63**

- मुस्लिम पर्सनल लॉ केस 63
- महिलाओं के लिये जमानत संबंधी प्रावधान 64
- क्षेत्रीय भाषा का महत्त्व 66

भूगोल **68**

- मोटे अनाजों को बढ़ावा 68
- विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 69
- प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में गिरावट 70

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी **73**

- भारत और क्वांटम कंप्यूटिंग 73
- सिकल सेल एनीमिया के लिये CRISPR-Cas9 74

शासन व्यवस्था **76**

- एंटी रेडिएशन पिल्स 76
- HIV दवाओं की कमी 77
- विश्व में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की स्थिति 79
- राजद्रोह कानून 80
- केरल लोकायुक्त की शक्तियों में कमी 82
- पीएम श्री स्कूल 83
- निवारक निरोध कानून के उपयोग में वृद्धि 84
- भारत में सामाजिक सुरक्षा की स्थिति 85
- मूलभूत शिक्षण सर्वेक्षण 86
- विकिपीडिया कॉन्टेंट मॉडरेशन 87
- शहरी रोज़गार गारंटी 88
- प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान 90

सामाजिक न्याय **92**

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 93
- LGBTQIA हेतु 'कन्वर्जन थेरेपी' पर प्रतिबंध 94
- जेंडर स्नैपशॉट 2022 95
- शराब की बोतलों को चूड़ियों में बदलेगा बिहार 96
- ऑपरेशन 'गियर बॉक्स' 97

प्रिलिम्स फैक्ट्स **99**

- साइबर सुरक्षा अभ्यास 99
- अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस 99
- भारतीय नौसेना ध्वज 101
- वोस्तोक अभ्यास 2022 102
- क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर 103
- स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज़ 103
- उइगर अधिकारों का हनन 104
- एकीकृत मेट्रो कानून की आवश्यकता 105
- लद्दाख में डार्क स्काई रिज़र्व 106
- हैदराबाद मुक्ति दिवस 106
- इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलेरेटर: ISRO 107
- साइबर सुरक्षित भारत 107
- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की नई शाखाएँ 108
- लीजियोनेयर्स रोग 108
- मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 109
- यूएस स्टार्ट-अप सेतु 111
- कर्त्तव्य पथ 111
- गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय 114
- प्रोजेक्ट 17A और आईएनएस तारागिरि 114
- हिंदी दिवस 115
- समुद्री कछुए का अवैध शिकार 115
- नौसेना अभ्यास काकाडू 116

रैपिड फायर **118**

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

मिखाइल गोर्बाचेव और शीत युद्ध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सोवियत संघ के अंतिम नेता मिखाइल गोर्बाचेव का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

मिखाइल गोर्बाचेव का योगदान:

- **परिचय:**
  - एक युवानेता के रूप में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए, और स्टालिन की मृत्यु के बाद वे निकिता ख्रुश्चेव के स्टालिन के द्वारा लागू नीतियों में सुधार के प्रबल समर्थक बन गए।
  - उन्हें वर्ष 1970 में स्टावरोपोल क्षेत्रीय समिति के प्रथम पार्टी सचिव के रूप में चुना गया था।
  - वर्ष 1985 में उन्हें सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में, दूसरे शब्दों में सरकार के वास्तविक शासक के रूप में चुना गया था।
- **उपलब्धियाँ:**
  - **प्रमुख सुधार:**
    - इन्होंने "ग्लासनोस्त" और "पेरेस्त्रोइका" की नीतियों की शुरुआत की, जिसने भाषण तथा प्रेस की स्वतंत्रता और अर्थव्यवस्था के आर्थिक विस्तार में मदद की।
    - पेरेस्त्रोइका का अर्थ है "पुनर्गठन", विशेष रूप से साम्यवादी अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था का सोवियत अर्थव्यवस्था में बाज़ार अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताओं को शामिल करके। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय निर्णय लेने में विकेंद्रीकरण भी हुआ।
    - ग्लासनोस्त का अर्थ है- "खुलापन", विशेष रूप से सूचनाओं के संदर्भ में पारदर्शिता, इसी क्रम में सोवियत संघ का लोकतंत्रीकरण शुरू हुआ।
  - **शस्त्रों में कमी पर ज़ोर:**
    - उन्होंने दो विश्व युद्ध के बाद से यूरोप को विभाजित करने मुद्दों का समाधान करने और जर्मनी के एकीकरण के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हथियारों में कमी के लिये समझौते कर पश्चिमी शक्तियों के साथ साझेदारी की।
    - द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ द्वारा स्वयं और उसके आश्रित पूर्वी एवं मध्य यूरोपीय सहयोगियों को पश्चिम और अन्य गैर-कम्युनिस्ट देशों के साथ मुक्त संपर्क का अभाव ही प्रमुख राजनीतिक, सैन्य और वैचारिक अवरोध था।
  - **शीत युद्ध की समाप्ति:**
    - शीत युद्ध को समाप्त करने का श्रेय गोर्बाचेव को दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अलग-अलग देशों के रूप में सोवियत संघ का विघटन हुआ।
  - **नोबेल शांति पुरुस्कार:**
    - अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य शीत युद्ध को समाप्त करने के उनके प्रयासों के लिये उन्हें वर्ष 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- **भारत के साथ तत्कालीन संबंध:**
  - गोर्बाचेव दो बार वर्ष 1986 और वर्ष 1988 में भारत आए थे।
  - उनका उद्देश्य यूरोप में अपने निरस्त्रीकरण की पहल को एशिया तक विस्तारित करना और भारतीय सहयोग को सुनिश्चित करना था।
  - सोवियत संघ के नेता के रूप में पदभार संभालने के बाद गोर्बाचेव की गैर-वारसा संधि वाले देश की यह पहली यात्रा थी।
  - तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गोर्बाचेव को "शांति के धर्मयोद्धा" (Crusader for peace) की उपाधि से सम्मानित किया किया था।
  - यात्रा के दौरान भारत की संसद में उनके संबोधन को भारतीय और सोवियत मीडिया में अतिशयोक्तिपूर्ण कवरेज मिला और इसे भारतीय कूटनीति के एक उच्च बिंदु के रूप में देखा गया।

शीत युद्ध:

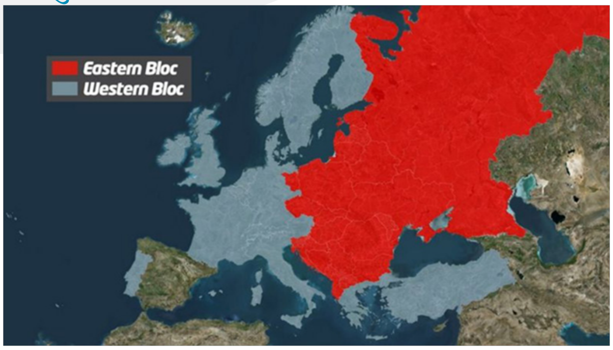

- **परिचय:**
  - शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एवं उसके आश्रित देशों (पूर्वी यूरोपीय देश) और संयुक्त राज्य अमेरिका एवं उसके सहयोगी देशों (पश्चिमी यूरोपीय देश) के बीच भू-राजनीतिक तनाव की अवधि (1945-1991) को कहा जाता है।

- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो महाशक्तियों – सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व वाले दो शक्ति समूहों में विभाजित हो गया था।
  - यह पूंजीवादी संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध था जिसमें दोनों महाशक्तियाँ अपने-अपने समूह के देशों के साथ संलग्न थीं।
- "शीत" (Cold) शब्द का उपयोग इसलिये किया जाता है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच प्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर कोई युद्ध नहीं हुआ था।
- इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल अंग्रेज़ी लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने वर्ष 1945 में प्रकाशित अपने एक लेख में किया था।
- शीत युद्ध सहयोगी देशों (Allied Countries), जिसमें अमेरिका के नेतृत्व में यू.के., फ्राँस आदि शामिल थे और सोवियत संघ एवं उसके आश्रित देशों (Satellite States) के बीच शुरू हुआ था।

- **भारत की भूमिका:**
  - **गुटनिरपेक्ष आंदोलन:**
    - गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नीति ने औपचारिक रूप से खुद को संयुक्त राज्य या सोवियत संघ के साथ संरेखित करने की कोशिश नहीं की बल्कि स्वतंत्र या तटस्थ रहने की मांग की।
    - गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) की मूल अवधारणा वर्ष 1955 में इंडोनेशिया में आयोजित एशिया-अफ्रीका बांडुंग सम्मेलन में उत्पन्न हुई थी।
    - पहला NAM शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में हुआ था।
    - **उद्देश्य:**
    - साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव-उपनिवेशवाद, नस्लवाद और विदेशी अधीनता के सभी रूपों के खिलाफ उनके संघर्ष में "गुटनिरपेक्ष देशों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता एवं सुरक्षा" सुनिश्चित करने के लिये वर्ष 1979 के हवाना घोषणा पत्र में संगठन का उद्देश्य तय किया गया था।
    - शीत युद्ध के दौर में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने विश्व व्यवस्था को स्थिर करने और शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - **तटस्थ कदम:**
    - भारत महाशक्तियों के हितों की सेवा करने के बजाय अपने स्वयं के हितों की सेवा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने और रुख अपनाने में सक्षम था।

G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में शिक्षा मंत्री ने बाली, इंडोनेशिया में G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया।

- थीम: पुनर्प्राप्ति, पुनर्कल्पना और सशक्त पुनर्निर्माण (Recovery, Re-imagine and Rebuild Stronger)।

प्रमुख बिंदु

- पारस्परिक अनुभवों को साझा करने और नए विश्व के निर्माण के लिये मिलकर काम करने के महत्त्व पर ज़ोर दिया, जिसमें शिक्षा आम चुनौतियों का सामना करने हेतु प्रयास प्रमुख बिंदु रहे।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, (NEP) पहुँच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है, जो आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने और G20 के साझा दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिये भारत का मार्गदर्शक है।
- NEP, 2020 के कार्यान्वयन के माध्यम से अधिक लचीला और समावेशी शिक्षा एवं कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण तथा प्रत्येक शिक्षार्थी की रचनात्मक क्षमता को साकार करने की दिशा में भारत की तीव्र प्रगति पर प्रकाश डाला गया।
- भारत ने प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा को औपचारिक रूप देने, दिव्यांग बच्चों का समर्थन करने, डिजिटल एवं मल्टी-मोडल सीखने को बढ़ावा देने, लचीले प्रवेश-निकास मार्ग, कौशल के साथ शिक्षा को एकीकृत करने पर विशेष ज़ोर दे रहा है, जो सीखने के परिणामों में सुधार की कुंजी हैं।

G20 समूह:

- **परिचय:**
  - यह 19 देशों और यूरोपीय संघ (EU) का एक अनौपचारिक समूह है, जिसकी स्थापना वर्ष 1999 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ हुई थी।
    - G20 के सदस्य देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्राँस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
    - नाइजीरिया इसका 20वाँ सदस्य बनने वाला था लेकिन उस समय की राजनीतिक समस्याओं के कारण अंतिम समय में उसे इस विचार को त्यागना पड़ा।

- G20 समूह में विश्व की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल हैं जो दुनिया की आबादी का लगभग दो-तिहाई हिस्सा है।

- **G20 की कार्यप्रणाली:**
  - जी-20 का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है और सचिवालय प्रत्येक वर्ष समूह की मेज़बानी करने वाले या अध्यक्षता करने वाले देशों के बीच रोटेट होता है।
  - सदस्यों को पाँच समूहों में बाँटा गया है (रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की के साथ भारत समूह 2 में है)।
  - G20 एजेंडा जो अभी भी वित्तमंत्रियों और केंद्रीय राज्यपालों के मार्गदर्शन पर बहुत अधिक निर्भर करता है, को 'शेरपा' की निर्धारित प्रणाली द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है, जो G20 नेताओं के विशेष दूत होते हैं।
    - वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री भारत के मौजूदा "G20 शेरपा" हैं।
  - G20 की एक अन्य विशेषता 'ट्रोइका' बैठकें हैं, जिसमें पिछले वर्ष, वर्तमान वर्ष और अगले वर्ष में G20 की अध्यक्षता करने वाले देश शामिल हैं। वर्तमान में ट्रोइका में इटली, इंडोनेशिया और भारत शामिल हैं।

विगत वर्षों में G20 का विकास-क्रम:

- वैश्विक वित्तीय संकट (2007-08) ने प्रमुख संकट प्रबंधन और समन्वय निकाय के रूप में G20 की प्रतिष्ठा को मज़बूत किया।
- अमेरिका, जिसने 2008 में G20 की अध्यक्षता की थी, ने वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक को राष्ट्राध्यक्षों तक बढ़ा दिया, जिसके परिणामस्वरूप पहला G20 शिखर सम्मेलन हुआ।
- वाशिंगटन डीसी, लंदन और पिट्सबर्ग में आयोजित शिखर सम्मेलनों ने कुछ सबसे टिकाऊ वैश्विक सुधारों हेतु परिदृश्य तैयार किया:
  - इसमें कर चोरी और परिहार से निपटने के प्रयास में राज्यों को ब्लैक लिस्ट करना, हेज़ फण्ड और रेटिंग एजेंसियों पर सख्त नियंत्रण का प्रावधान करना, वित्तीय स्थिरता बोर्ड को वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिये एक प्रभावी पर्यवेक्षी और निगरानी निकाय बनाना, असफल बैंकों के लिये सख्त नियमों का प्रस्ताव करना, सदस्यों को व्यापार आदि में नए अवरोध लगाने से रोकना आदि शामिल हैं।
- कोविड-19 की दस्तक तक G20 अपने मूल मिशन से भटक चुका था तथा G20 के मूल लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाया।
  - G20 ने जलवायु परिवर्तन, नौकरियों और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों, असमानता, कृषि, प्रवास, भ्रष्टाचार, आतंकवाद के वित्तपोषण, मादक पदार्थों की तस्करी, खाद्य सुरक्षा और पोषण, विघटनकारी प्रौद्योगिकियों जैसे मुद्दों को शामिल करने और सतत् विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिये अपने एजेंडे को विस्तृत करके खुद को फिर से स्थापित किया।
- हाल के दिनों में G20 के सदस्यों ने महामारी के बाद सभी प्रतिबद्धताएँ पूरी की हैं, लेकिन यह बहुत कम है।
  - अक्तूबर 2020 में रियाद शिखर सम्मेलन में उन्होंने चार स्तंभों- महामारी से लड़ाई, वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवधानों को संबोधित करने और वैश्विक सहयोग बढ़ाने को प्राथमिकता दी।
  - वर्ष 2021 में इटली ने कोविड-19 का मुकाबला करने, वैश्विक अर्थव्यवस्था में रिकवरी को तीव्र करने और अफ्रीका में सतत् विकास को बढ़ावा देने जैसे विषयों के लिये G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की।

श्रीलंका को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा बेलआउट पैकेज़

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF) ने श्रीलंका के साथ चार वर्ष की अवधि के लिये 2.9 बिलियन अमेरीकी डॉलर के बेलआउट पैकेज़ पर एक प्रारंभिक समझौते को मंज़ूरी दी, जिसका उद्देश्य संकटग्रस्त दक्षिण एशियाई राष्ट्र के लिये आर्थिक स्थिरता और ऋण स्थिरता को बहाल करना है।

श्रीलंका को प्रदान बेलआउट पैकेज़:

- **आवश्यकता:**
  - 51 बिलियन अमेरीकी डॉलर के ऋण के साथ श्रीलंका का आर्थिक संकट के निम्नलिखित कारण हैं:
    - कोलंबो के चर्चों में अप्रैल 2019 के ईस्टर बम विस्फोट।
    - किसानों के लिये निम्नतम कर दर और व्यापक सब्सिडी की सरकार की नीति।

- वर्ष 2020 में कोविड -19 महामारी जिसने श्रीलंका में चाय, रबर, मसाले, वस्त्र और पर्यटन क्षेत्र के निर्यात को प्रभावित किया।

- **परिचय:**
  - IMF पैकेज़ का भुगतान अगले चार वर्षों में किश्तों में किया जाना है, जो कि भारत द्वारा श्रीलंका को चार महीनों में प्रदान किये गए पैकेज़ से कम है।
  - पैकेज़ को IMF के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
    - अनुमोदन श्रीलंका के अंतर्राष्ट्रीय लेनदारों पर निर्भर है - वाणिज्यिक ऋणदाता जैसे बैंक और परिसंपत्ति प्रबंधक, बहुपक्षीय एजेंसियाँ, साथ ही चीन, जापान और भारत सहित द्विपक्षीय लेनदारों ने अपने ऋण के पुनर्गठन के लिये सहमति व्यक्त की है।
- **संभावित लाभ:**
  - **क्रेडिट रेटिंग में सुधार:**
    - यह पैकेज़ को प्राप्त करने वाले देश की क्रेडिट रेटिंग को बढ़ा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय लेनदारों और निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा दे सकता है जो कि किश्तों के मध्य अंतराल को बंद करने के लिये ब्रिज़ वित्तपोषण प्रदान करने के लिये निवेदन कर सकते हैं।
- **उद्देश्य:**
  - कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2024 तक सकल घरेलू उत्पाद के 2.3% के प्राथमिक अधिशेष का लक्ष्य प्राप्त करना है।

श्रीलंका द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु प्रयास:

- **राजस्व में वृद्धि:**
  - देश के बजट का उद्देश्य सार्वजनिक ऋण को कम करके राजस्व को वर्ष 2021 के अंत में 8.2% से बढ़ाकर वर्ष 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद का 15% करना है।
- **सेवानिवृत्ति की आयु कम की गई:**
  - सरकारी और अर्द्ध-सरकारी संगठनों में सेवानिवृत्ति की आयु क्रमशः 65 और 62 से घटाकर 60 वर्ष कर दी गई है।
- **बैंकिंग क्षेत्र:**
  - आर्थिक मंदी के कारण ऋणों की अदायगी न करने से उत्पन्न पुनर्पूंजीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्मचारियों और जमाकर्त्ताओं को स्टेट बैंकों में 20% शेयरधारिता की पेशकश की गई है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF):

- **परिचय:**
  - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करता है और गरीबी को कम करने का प्रयास करता है।
- **IMF द्वारा निर्धारित शर्तें:**
  - **परिचय:**
    - जब कोई देश IMF से उधार लेता है, तो उसकी सरकार उन समस्याओं को दूर करने के लिए अपनी आर्थिक नीतियों को समायोजित करने के लिये सहमत होती है जिसके कारण उसे वित्तीय सहायता लेनी पड़ी।
    - ये नीतिगत समायोजन IMF ऋणों के लिये शर्तें हैं और यह सुनिश्चित करता है कि देश IMF को ऋण चुकाने में सक्षम होगा।
    - सशर्तता की यह ऋण प्रणाली मज़बूत और प्रभावी नीतियों के राष्ट्रीय स्वामित्त्व को बढ़ावा देने के लिये डिज़ाइन की गई है।
    - सशर्तता देशों को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय हानिकारक उपकरणों का सहारा लिये बिना भुगतान संतुलन की समस्याओं को हल करने में मदद करती है।
  - देश के प्राधिकारियों के साथ सहमत नीतिगत प्रतिबद्धताएँ निम्नलिखित रूप ले सकती हैं:
    - **पूर्व प्रतिक्रिया:**
    - आईएमएफ द्वारा वित्तपोषण की मंज़ूरी मिलने या समीक्षा पूरी होने से पहले ये ऐसे कदम हैं जिन्हें कोई देश मानने के लिये सहमत होता है।
    - वे सुनिश्चित करते हैं कि एक कार्यक्रम में सफलता के लिये आवश्यक आधार होगा।
    - **मात्रात्मक प्रदर्शन मानदंड (QPCs):**
    - IMF ऋण देने के लिये में व्यापक आर्थिक चर से संबंधित विशिष्ट, स्वीकार योग्य शर्तें हमेशा अपने नियंत्रण में रखता है।
    - इस तरह के चर में मौद्रिक और क्रेडिट समुच्चय, अंतर्राष्ट्रीय भंडार, राजकोषीय शेष तथा बाह्य उधार शामिल हैं।
    - **सांकेतिक लक्ष्य (IT):**
    - QPC के अलावा कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने में प्रगति का आकलन करने के लिये मात्रात्मक संकेतकों हेतु सांकेतिक लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है।
    - **संरचनात्मक बेंचमार्क (Structural bench-marks-SB):**
    - ये सुधार के उपाय हैं जो अक्सर गैर-मात्रात्मक होते हैं लेकिन कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये महत्त्वपूर्ण होते हैं और कार्यक्रम कार्यान्वयन का आकलन करने हेतु बेंचमार्क के रूप में अभिप्रेत होते हैं

नोट :

भारत-दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और दक्षिण अफ्रीका, उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) एवं कौशल संस्थानों के मध्य गठजोड़ के लिये संस्थागत तंत्र विकसित करने पर सहमत हुए।

बैठक के मुख्य बिंदु:

- **परिचय:**
  - यह द्विपक्षीय बैठक इंडोनेशिया के बाली में संपन्न हुई।
  - इस दौरान शैक्षिक गठजोड़ के लिये संस्थागत तंत्र विकसित करने का निर्णय लिया गया
  - साथ ही, दोनों देशों के मध्य शिक्षा पर एक संयुक्त कार्यदल गठित करने पर भी सहमति बनी।
- **महत्त्व:**
  - इससे उस सहयोग का और विस्तार होगा जो पहले से मौजूद है तथा शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग की पूरी क्षमता का दोहन किया जा सकेगा।
  - राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy-NEP) की शुरूआत ने पहले ही भारतीय शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के संबंध घनिष्ठ तथा मैत्रीपूर्ण हैं और साझा मूल्यों और हितों में निहित हैं।
    - शैक्षिक गठजोड़ के लिये संस्थागत तंत्र अकादमिक और कौशल विकास साझेदारी और द्विपक्षीय शिक्षा सहयोग को मज़बूत करेगा।
    - इसके अलावा, यह कौशल विकास में कौशल योग्यता और क्षमता निर्माण की पारस्परिक मान्यता में सहायक होगा।

भारत-दक्षिण अफ्रीका संबंध:

- **पृष्ठभूमि:**
  - दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता और न्याय के लिये संघर्ष के समय से भारत के संबंध उसके साथ हैं, जब महात्मा गांधी ने एक सदी पहले दक्षिण अफ्रीका में अपना सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था।
  - भारत, दक्षिण अफ्रीका में हुए रंगभेद विरोधी आंदोलन के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सबसे आगे था। यह वहाँ की रंगभेदी सरकार के साथ व्यापार संबंधों को तोड़ने (वर्ष 1946 में) वाला पहला देश था और बाद में इसने इस सरकार पर पूर्ण राजनयिक, वाणिज्यिक, सांस्कृतिक तथा खेल प्रतिबंध भी लगाए।
  - दक्षिण अफ्रीका ने अपनी रंगभेद नीति को समाप्त करने के चार दशकों के बाद वर्ष 1993 में भारत से व्यापार और व्यावसायिक संबंधों को फिर से स्थापित किया।
    - दोनों देशों के मध्य नवंबर 1993 में राजनयिक और वाणिज्यिक संबंध बहाल हुए।
- **राजनीतिक संबंध:**
  - वर्ष 1994 में दक्षिण अफ्रीका ने लोकतंत्र की प्राप्ति के बाद मार्च 1997 में भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य सामरिक साझेदारी पर लाल किला घोषणा (Red Fort Declaration on Strategic Partnership) पर हस्ताक्षर किये, जिसने पुन: संबंध की स्थापना में नए मानदंड निर्धारित किये।
  - दोनों देशों के मध्य सामरिक साझेदारी की त्स्वाने घोषणा (Tshwane Declaration- अक्तूबर 2006) द्वारा पुन: पुष्टि की गई।
    - ये दोनों घोषणाएँ महत्त्वपूर्ण रही हैं जिन्होंने अतीत में दक्षिण अफ्रीका और भारत दोनों को अपने-अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने में योगदान दिया है।
  - भारत और दक्षिण अफ्रीका का वैश्विक शासन/बहुपक्षीय मंचों पर अपने विचारों तथा प्रयासों को समन्वित कर एक साथ काम करने का एक लंबा इतिहास रहा है।
    - उदाहरण के लिये: ब्रिक्स (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका), IBSA (भारत, ब्राज़ील तथा दक्षिण अफ्रीका),G20, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (Indian Ocean Rim Association-IORA) एवं विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization-WTO)।
- **आर्थिक**
  - भारत, दक्षिण अफ्रीका का पाँचवाँ सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है और चौथा सबसे बड़ा आयात मूल देश है तथा एशिया में दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
    - दोनों देश आने वाले वर्षों में व्यापार बढ़ाने के लिये काम कर रहे हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में 10 अरब अमेरिकी डॉलर का है।
  - वर्ष 2016 में दोनों देश रक्षा क्षेत्र में विशेष रूप से 'मेक इन इंडिया' पहल, ऊर्जा क्षेत्र, कृषि-प्रसंस्करण, मानव संसाधन विकास और बुनियादी ढाँचे के विकास के तहत दक्षिण अफ्रीकी निजी क्षेत्र हेतु उपलब्ध अवसरों के संदर्भ में सहयोग के लिये सहमत हुए।
- **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:**
  - दोनों देशों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने विशेष रूप से 'स्क्वायर किलोमीटर एरे' (SKA) परियोजना में सहयोग किया है।

नोट :

- **संस्कृति:**
  - भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICAR) की मदद से पूरे दक्षिण अफ्रीका में सांस्कृतिक आदान-प्रदान का एक गहन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों के लिये छात्रवृत्ति प्रदान करना भी शामिल है।
  - 9वाँ विश्व हिंदी सम्मेलन सितंबर 2012 में जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था
  - रंगभेद विरोधी आंदोलन के समर्थन में भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अग्रणी था।
- **भारतीय समुदाय:**
  - भारतीय मूल के समुदाय का बड़ा हिस्सा वर्ष 1860 के बाद से दक्षिण अफ्रीका में कृषि श्रमिकों के रूप में चीनी और अन्य कृषि बागानों में तथा मिल संचालकों के रूप में काम करने के लिये आया था।
  - अफ्रीकी महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका सर्वाधिक भारतीय डायस्पोरा का घर है, जिसकी कुल संख्या 1,218,000 है, जो दक्षिण अफ्रीका की कुल आबादी का 3% है।
  - वर्ष 2003 के बाद से भारत प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाता है (जिस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे)।

आगे की राह

- संस्कृत भाषा, दर्शनशास्त्र, आयुर्वेद और योग के क्षेत्र में अकादमिक सहयोग तथा छात्र विनिमय कार्यक्रम शुरू किये जाने चाहिये।
- यह हिंदू धर्म और साझा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों की समझ को व्यापक बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- कौशल क्षेत्र में सहयोग की व्यवस्था की जानी चाहिये।
- यह पर्यटन उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा, यात्रा, पर्यटन, आतिथ्य और व्यवसाय के उभरते क्षेत्रों में क्षमता निर्माण में मदद करेगा साथ ही लोगों से लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देगा।

भारत-बांग्लादेश के मध्य समझौते

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया है और भारतीय प्रधानमंत्री के साथ वार्ता की है।

- भारत और बांग्लादेश ने नदी जल के बँटवारे से लेकर अंतरिक्ष तक के क्षेत्रों में सहयोग के लिये सात समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं और नई कनेक्टिविटी तथा ऊर्जा पहल का अनावरण किया है।

बैठक की मुख्य विशेषताएँ:

- दोनों पक्षों ने सात समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किये, जिसमें शामिल हैं:
  - सीमा पार से कुशियारा नदी से जल की निकासी।
    - समझौते से भारत में दक्षिणी असम और बांग्लादेश के सिलहट क्षेत्र को लाभ होगा।
  - अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोग।
  - माल ढुलाई जैसे क्षेत्रों में रेलवे द्वारा उपयोग की जाने वाली सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों पर सहयोग।
  - विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग।
  - भारत में बांग्लादेश रेलवेकर्मियों और बांग्लादेशी न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण।प्रसार भारती और बांग्लादेश टेलीविजन के मध्य प्रसारण में सहयोग।
- **थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट:**
  - दोनों देशों ने भारत से रियायती वित्त पोषण के साथ बांग्लादेश के खुलना डिवीज़न में बनाई जा रही मैत्री सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट की पहले यूनिट का अनावरण किया।
  - यूनिट को अगस्त 2022 में बांग्लादेश के पॉवर ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज़ गया था और पूर्ण होने पर यह परियोजना 1,320 MW विद्युत् उत्पन्न करेगी।
- **रुश्पा रेल ब्रिज:**
  - 5.13 किलोमीटर के रूपशा रेल पुल का भी उद्घाटन किया गया, जो 64.7 किलोमीटर के खुलना-मोंगला बंदरगाह ब्रॉड गेज रेलवे परियोजना का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।
  - पुल का निर्माण 389 मिलियन डॉलर के भारतीय ऋण (लाइन ऑफ क्रेडिट) के साथ किया गया था।
  - यह बांग्लादेश के दूसरे सबसे बड़े बंदरगाह मोंगला के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा।
- **ऋण और अग्रिम:**
  - भारत ने बांग्लादेश में विकास परियोजनाओं के लिये 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रियायती ऋण प्रदान किया है, जिसमें शामिल हैं:
    - खुलना और ढाका, चिलाहाटी और राजशाही के बीच रेल संपर्क।
    - 312 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से मोंगला बंदरगाह को दर्शन-गेज से जोड़ना।
    - ईंधन के परिवहन की सुविधा के लिये पार्बतीपुर-कौनिया रेल परियोजना 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से बनाई जा रही है।

- बांग्लादेश के सड़क नेटवर्क की मरम्मत और रखरखाव के लिये 41 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के सड़क निर्माण उपकरण और मशीनरी की आपूर्ति।

- **रक्षा खरीद:**
  - वर्ष 2018 में भारत ने बांग्लादेश को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रक्षा ऋण (LOC) प्रदान किया है।
  - मई 2018 में कोलकाता के रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने युद्धपोतों के डिज़ाइन और निर्माण में सहायता एवं जानकारी प्रदान करने के लिये बांग्लादेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे।
  - ढाका ने सैन्य प्लेटफार्मों और प्रणालियों की एक इच्छा सूची साझा की है जिसे उसके सशस्त्र बल भारत से खरीदना चाहेंगे।
    - बांग्लादेश सेना ने तीन वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी है:
    - 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर 5 ब्रिज लेयर टैंक (बीएलटी -72)
    - 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर 7 पोर्टेबल स्टील ब्रिज (बेली)
    - 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर 1 माइन सुरक्षात्मक वाहन
    - अन्य प्रस्तावित खरीद में शामिल हैं:
    - ऑफ-रोड व्हीकल्स, भारी रिकवरी वाहन, आर्मर्ड इंजीनियर परिक्षण वाहन और बुलेट प्रूफ हेलमेट।
    - बांग्लादेश मशीन टूल्स फैक्ट्री के लिये ऑटोमोबाइल असेंबलिंग यूनिट का आधुनिकीकरण और विस्तार, विस्फोटकों, कच्चे माल और उपकरणों की आपूर्ति
    - बांग्लादेश नौसेना ने एक लॉजिस्टिक जहाज़, फ्लोटिंग डॉक, तेल टैंकर और एक महासागर जाने वाले टग (Tug) की खरीद का प्रस्ताव दिया है।

बांग्लादेश के साथ CEPA पर भारत का दृष्टिकोण:

- **परिचय:**
  - भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत और बांग्लादेश जल्द ही एक द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) पर बातचीत शुरू करेंगे।
  - CEPA द्वारा वस्तुओं, सेवाओं और निवेश में व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है, जिसका एक प्रमुख उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार अंतर को कम करना है।
  - बांग्लादेश वर्ष 2026 तक एक विकासशील राष्ट्र बनने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद यह अब व्यापार लाभों के लिये अर्हता प्राप्त नहीं कर सकता है, जो वर्तमान में कम-से-कम विकसित देश के रूप में प्राप्त है; वह एक वर्ष के भीतर CEPA प्राप्त करने का इच्छुक है।
- **भारत-बांग्लादेश व्यापार संबंध:**
  - वित्त वर्ष 2021-22 में बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत के लिये सबसे बड़ा व्यापार भागीदार तथा विश्व भर में भारतीय निर्यात के लिये चौथा सबसे बड़ा गंतव्य के रूप में उभरा है।
  - वित्त वर्ष 2020-21 में बांग्लादेश का निर्यात 66% से अधिक 9.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
  - कोविड-19 से संबंधित व्यवधानों के बावजूद, द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2020-21 में 10.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 44% बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 18.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
  - **बांग्लादेश को भारत का निर्यात:**
    - कच्चा कपास, गैर-खुदरा शुद्ध सूती धागा और बिजली
  - **बांग्लादेश से भारत का आयात:**
    - शुद्ध वनस्पति तेल, बिना बुने हुए पुरुषों के सूट और कपड़ा स्क्रैप।

मुद्दे जिनका समाधान दोनों देशों को करना चाहिये:

- पानी के बँटवारे, बंगाल की खाड़ी में महाद्वीपीय शेल्फ जैसे मुद्दों को हल करने, सीमा विवाद की घटनाओं को शून्य पर लाने और मीडिया को प्रबंधित करने से संबंधित लंबित मुद्दों को हल करने के प्रयास होने चाहिये।
  - बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि दोनों देश तीस्ता नदी के पानी के बँटवारे के मुद्दे को सुलझा लेंगे, इस मामले पर एक समझौता वर्ष 2011 से लंबित है।
- बांग्लादेश ने पहले ही असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लागू करने पर चिंता जताई है, जो असम में रहने वाले वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करने और अवैध बांग्लादेशियों को बाहर निकालने के लिये एक अभ्यास है।
- वर्तमान में, बांग्लादेश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का एक सक्रिय भागीदार है, जिस पर दिल्ली ने हस्ताक्षर नहीं किये हैं।
- सुरक्षा क्षेत्र में, बांग्लादेश भी पनडुब्बियों सहित चीनी सैन्य वस्तुसूची का एक प्रमुख प्राप्तकर्ता है।

भारत-चीन के मध्य सीमा विवाद पर शांति बहाली

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय और चीनी सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख के गोगरा-हॉटस्प्रिंग क्षेत्र में पेट्रोलिंग पिलर-15 (PP-15) से हटना शुरू कर दिया है।

- दोनों देशों की सेनाएँ अप्रैल 2020 से इलाके में टकराव की स्थिति में थीं।
- यह कदम उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation-SCO) शिखर सम्मेलन से पहले आया है।

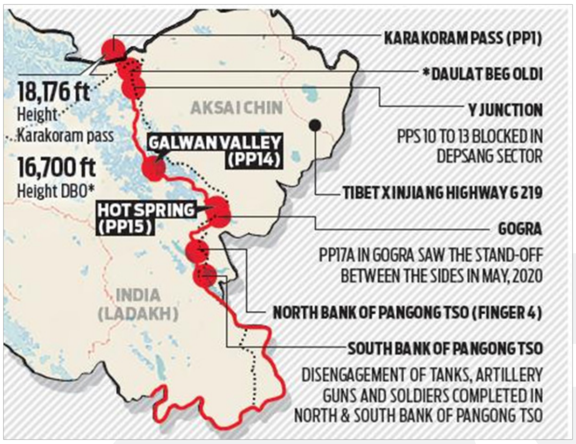

वर्तमान शांति समाधान की मुख्य विशेषताएँ:

- मई 2020 से चल रहे गतिरोध को समाप्त करने के लिये एक कदम आगे बढ़ते हुए, भारतीय और चीनी सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख के गोगरा-हॉटस्प्रिंग्स क्षेत्र में पेट्रोलिंग पॉइंट -15 से हटना शुरू कर दिया है।
    - PP-15 लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के साथ 65 पेट्रोलिंग पॉइंट बिंदुओं में से एक है।
- यह शांति समाधान समन्वित और नियोजित तरीके से शुरू हुआ है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता के लिये अत्यंत आवश्यक है।
- शांति समाधान पर पहले से हुई वार्त्ता के अनुसार दोनों पक्षों द्वारा सैनिकों को वापस लेने के बाद संघर्ष बिंदुओं पर एक बफर ज़ोन बनाया जाना है और पूरी तरह से शांति समाधान के बाद नए पेट्रोलिंग मानदंडों पर कार्य किया जाएगा।
- भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक के 16वें दौर में शांति समाधान के बारे में सहमति बनी।
    - 16वें दौर की वार्त्ता 17 जुलाई, 2022 को भारत की ओर चुशुल सीमा कर्मियों के बैठक स्थल पर संपन्न हुई।
    - मई 2020 में गतिरोध शुरू होने के बाद से दोनों पक्षों ने अब तक पैंगोंग त्सो के दोनों पक्षों की ओर से किये गए शांति समाधान के साथ 16 दौर की वार्त्ता की है।
- PP -15 से सैनिकों के पीछे हटने के साथ ही दोनों देशों की सेनाएँ क्षेत्र में टकराव वाले सभी बिंदुओं से पीछे हट गई हैं जिनमें पैंगोंग त्सो, PP-14, PP-15 और PP-17A के उत्तर और दक्षिण तट शामिल हैं।
    - 12वीं कॉर्प कमांडर स्तर की बैठक के बाद अगस्त 2021 में दोनों देशों की सेनाओं के बीच PP-17A में सीमा पर तनाव कम करने हेतु सहमत हुए।
- वे डेमचोक और डेपसांग हैं, जिन्हें चीन ने लगातार यह कहते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया है कि वे मौजूदा गतिरोध का हिस्सा नहीं हैं।

हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पोस्ट

- **अवस्थिति:**
    - हॉट स्प्रिंग्स चांग चेन्मो नदी के उत्तर में है और गोगरा पोस्ट उस बिंदु के पूर्व में है जहाँ नदी गलवान घाटी से दक्षिण-पूर्व में आने और दक्षिण-पश्चिम की ओर मुड़ते हुए हेयरपिन मोड़ लेती है।
    - यह क्षेत्र पहाड़ों की काराकोरम रेंज के उत्तर में है, जो पैंगोंग त्सो झील के उत्तर में और गलवान घाटी के दक्षिण पूर्व में स्थित है।
- **महत्त्व:**
    - यह क्षेत्र कोंगका दर्रे के करीब स्थित है, जो मुख्य दर्रों में से एक है, चीन के अनुसार, यह दर्रा भारत और चीन के बीच की सीमा को चिह्नित करता है।
    - अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत का दावा काफी हद तक पूर्व में है, क्योंकि इसमें पूरा अक्साई चिन क्षेत्र भी शामिल है।
    - हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पोस्ट, चीन के ऐतिहासिक रूप से दो सबसे अशांत प्रांतों (शिनजियांग और तिब्बत) के बीच की सीमा के करीब हैं।

आगे की राह

- भारत को टकराव वाले सभी क्षेत्रों से तनाव कम करने के लये दबाव जारी रखना चाहिये।
- साथ ही कोर कमांडर स्तर की वार्त्ता जारी रखनी चाहिये क्योंकि जब तक गतिरोध की स्थिति बनी रहती है तब तक संबंध सामान्य नहीं हो सकते।
- भारत को यथास्थिति की बहाली और LAC के साथ बहाली पर अपना रुख अडिग रखना चाहिये।

पूरी तरह से सौर ऊर्जा चालित चीन का सेमी-सैटेलाइट ड्रोन:

- **परिचय:**
    - चीन के पहले पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाले मानवरहित हवाई वाहन (UAV) ने अपनी पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिसमें सभी ऑनबोर्ड सिस्टम बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं।
    - ड्रोन एक बड़ी मशीन है जो पूरी तरह से सौर पैनलों द्वारा संचालित होती है जिसमें 164-फीट के पंख लगे हैं।

नोट :

- Qimingxing-50, या मॉर्निंग स्टार-50 नाम का यह ड्रोन 20 किमी की ऊँचाई से ऊपर उड़ता है जहाँ बिना बादलों के स्थिर वायु प्रवाह होता है।
  - उच्च-तुंगता, अधिक- स्थिरता (HALE) के साथ UAV लंबी अवधि तक हवा में रह सकती है।
  - यह विस्तारित अवधि इन ड्रोनों को क्रियाशील रहने हेतु सौर उपकरणों का अधिकतम उपयोग करने में मदद करता है।
- इस ड्रोन को 'हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म स्टेशन' या छद्म उपग्रह भी कहा जाता है।

- **महत्त्व:**
  - यह बिना रुके महीनों, वर्षों तक काम कर सकता है।
  - यह उपग्रह जैसे कार्यों को करने में सक्षम है।
    - यदि उपग्रह सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं उदाहरण के लिये समय-संवेदी संचालन या युद्धकालीन व्यवधान के मामले में, तो निकट-अंतरिक्ष UAV परिचालन अंतराल को भरने के लिये कदम उठा सकते हैं।
    - मॉर्निंग स्टार-50 की अधिक- स्थिरता इसकी क्षमता को लंबी अवधि तक उपलब्ध कराने हेतु एक अतिरिक्त लाभ प्रदान करती है।
  - यह निगरानी मिशन चला सकता है जिसके लिये इसे महीनों तक परिचालन रहकर सीमाओं या महासागरों पर निगरानी रखने की आवश्यकता होती है।
  - इसका उपयोग वनाग्नि निगरानी, संचार और पर्यावरण प्रसार हेतु किया जा सकता है।

दसवाँ अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में न्यूयॉर्क में आयोजित अप्रसार संधि (Non-Proliferation Treaty-NPT) समीक्षा सम्मेलन रूस की आपत्ति के कारण बिना किसी मज़बूत परिणाम के समाप्त हो गया।

परमाणु अप्रसार संधि (NPT):

- **परिचय:**
  - NPT एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना तथा निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है।
  - इस संधि पर वर्ष 1968 में हस्ताक्षर किये गए और यह 1970 में लागू हुई। वर्तमान में इसके 190 सदस्य देशों में लागू है।
    - भारत इसका सदस्य नहीं है।
  - इसके लिये देशों को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग तक पहुँच के बदले में परमाणु हथियार बनाने की किसी भी वर्तमान या भविष्य की योजना को त्यागने की आवश्यकता होती है।
  - यह परमाणु-हथियार वाले राज्यों द्वारा निरस्त्रीकरण के लक्ष्य हेतु एक बहुपक्षीय संधि में एकमात्र बाध्यकारी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है।
  - NPT के तहत 'परमाणु-हथियार वाले पक्षों' को 01 जनवरी, 1967 से पहले परमाणु हथियार या अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरणों का निर्माण एवं विस्फोट करने वाले देशों के रूप में परिभाषित किया गया है।
- **भारत का पक्ष**
  - भारत उन पाँच देशों में से एक है जिन्होंने या तो NPT पर हस्ताक्षर नहीं किये या हस्ताक्षर किये किंतु बाद में अपनी सहमति वापस ले ली, इस सूची में पाकिस्तान, इज़रायल, उत्तर कोरिया और दक्षिण सूडान शामिल हैं।
  - भारत ने हमेशा NPT को भेदभावपूर्ण माना और इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था।
  - भारत ने अप्रसार के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय संधियों का विरोध किया है, क्योंकि वे चुनिंदा रूप से गैर-परमाणु शक्तियों पर लागू होती हैं और पाँच परमाणु हथियार सम्पन्न शक्तियों के एकाधिकार को वैध बनाती हैं।

रूस की असहमति से उत्पन्न चिंताएँ:

- दक्षिण-पूर्वी यूक्रेन में ज़ापोरिज़्ज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र (Zaporizhzhia nuclear power plant) पर नियंत्रण के साथ-साथ चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र का अधिग्रहण (वर्ष 1986) दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु आपदा के दृश्य, एक और परमाणु आपातकाल की वैश्विक आशंकाओं को जन्म देता है।
- शीत युद्ध के दौर और बिगड़ते अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा वातावरण के बाद से आज परमाणु हथियारों के उपयोग का खतरा किसी भी समय की तुलना में अधिक है।
- यह NPT सम्मेलन परमाणु हथियारों की दौड़ और परमाणु हथियारों के उपयोग के बढ़ते खतरों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिये मानदंड और समय-सीमा के साथ एक विशिष्ट कार्य योजना पर सहमत होकर संधि एवं वैश्विक सुरक्षा को मज़बूत करने के एक अवसर का प्रतिनिधित्व करता है।

परमाणु हथियार से संबंधित अन्य संधियाँ और समझौते:

- वायुमंडल में, बाहरी अंतरिक्ष में और पानी के नीचे परमाणु हथियार परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि, जिसे आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि (PTBT) के रूप में भी जाना जाता है।

- **व्यापक परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध संधि (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty-CTBT):** भारत ने CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किया है क्योंकि भारत परमाणु हथियार राष्ट्रों के समयबद्ध निरस्त्रीकरण प्रतिबद्धता का एक मज़बूत समर्थक है।
- **परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons-TPNW):** यह 22 जनवरी, 2021 को लागू हुई और भारत इस संधि का सदस्य नहीं है।
- परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (NSG): भारत NSG का सदस्य नहीं है।
- मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था
- बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार के विरुद्ध हेग आचार संहिता
- वासेनार व्यवस्था

हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने अमेरिका में 'हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचा' (Indo-Pacific Economic Framework-IPEF) मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित किया, जहाँ भारत ने निष्पक्ष और लचीले व्यापार स्तंभ से दूर रहने का फैसला किया।

- भारत चार स्तंभों में से तीन पर सहमत हुआ, जो आपूर्ति शृंखला, कर और भ्रष्टाचार विरोधी और स्वच्छ ऊर्जा हैं।

हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचा (IPEF):

- यह अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल है जिसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में लचीलापन, स्थिरता, समावेशिता, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिये भाग लेने वाले देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मज़बूत करना है।
- IPEF को 12 देशों के प्रारंभिक भागीदारों के साथ लॉन्च किया गया था जो सामूहिक रूप से विश्व सकल घरेलू उत्पाद में 40% की हिस्सेदारी रखते हैं।
- IPEF एक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) नहीं है, लेकिन सदस्यों को उन हिस्सों पर बातचीत करने की अनुमति देता है जो वे चाहते हैं। IPEF के चार स्तंभ हैं:
  - आपूर्ति- शृंखला प्रत्यास्थता/लचीलापन
  - स्वच्छ ऊर्जा, डीकार्बोनाइजेशन और आधारभूत संरचना
  - कराधान और भ्रष्टाचार विरोधी पहल
  - निष्पक्ष और लचीला व्यापार।
- वर्तमान में भारत और प्रशांत महासागर में स्थित 13 देश इसके सदस्य हैं।
  - ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूज़ीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम।

IPEF पर भारत की स्थिति

- जबकि कुछ देशों ने वार्ता में शामिल होने में रुचि व्यक्त की थी, भारत ने कुछ समय के लिये एक निश्चित स्थिति की घोषणा नहीं की क्योंकि इसका मानना है कि सदस्य देशों को क्या लाभ मिलेगा और क्या पर्यावरण जैसे पहलुओं पर कोई शर्त विकासशील देशों के साथ भेदभाव कर सकती है।
- IPEF में प्रस्तावित कुछ क्षेत्र भारत के हित की पूर्ति करते प्रतीत नहीं होते हैं।
  - उदाहरण के लिये, IPEF डिजिटल गवर्नेंस का समर्थन करता है लेकिन IPEF सूत्रीकरण में ऐसे मुद्दे शामिल हैं जो सीधे तौर पर भारत की घोषित स्थिति के साथ टकराव उत्पन्न करते हैं।
- भारत विशेष रूप से गोपनीयता और डेटा के संबंध में अपने स्वयं के डिजिटल ढाँचे और कानूनों को मज़बूत करने की प्रक्रिया में है।
  - अगस्त 2022 में भारत सरकार ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को संसद से यह कहते हुए वापस ले लिया कि वह समग्र इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र, साइबर सुरक्षा आदि को विनियमित करने के लिये "व्यापक कानूनी ढाँचे" पर विचार करेगी।
- अमेरिका ने पहले भारतीय पक्ष द्वारा डेटा स्थानीयकरण या भारत में स्थित सर्वरों में भारतीय उपयोगकर्त्ताओं के डेटा के भंडारण और प्रसंस्करण की मांग की संभावना के बारे में, यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका-आधारित कंपनियों के डेटा के मामले में भी चिंता व्यक्त की है।
  - अमेरिकी रिपोर्ट ने संभावना व्यक्त की है कि भारत की यह नीति डिजिटल व्यापार के लिये महत्त्वपूर्ण बाधा के रूप में काम करेगी और विशेष रूप से छोटी फर्मों के लिये बाज़ार पहुँच बाधा के रूप में कार्य करेगी।

अन्य व्यापार सौदों से अलग:

- IPEF वास्तव में एक व्यापार समझौता नहीं है और कई स्तंभों का प्रावधान प्रतिभागियों के लिये यह चुनने का विकल्प प्रदान करता है कि वे किसका हिस्सा बनना चाहते हैं।
- अधिकांश बहुपक्षीय व्यापार सौदों की तरह यह इसमें शामिल होने या छोड़ने की व्यवस्था नहीं है।
- चूँकि IPEF एक नियमित व्यापार समझौता नहीं है इसलिये सदस्य हस्ताक्षरकर्त्ता होने के बावजूद सभी चार स्तंभों के लिये बाध्य नहीं हैं।
  - इसलिये व्यवस्था के व्यापार भाग से दूर रहते हुए, भारत बहुपक्षीय व्यवस्था के अन्य तीन स्तंभों - आपूर्ति शृंखला, कर और भ्रष्टाचार विरोधी तथा स्वच्छ ऊर्जा में शामिल हो गया है।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर भारत का दृष्टिकोण:

- इस क्षेत्र में भारत का व्यापार तेज़ी से बढ़ रहा है, विदेशी निवेश को पूर्व की ओर निर्देशित किया जा रहा है, उदाहरण के लिये जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते तथा आसियान (दक्षिणपूर्व एशियाई राष्ट्र संघ) एवं थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते।
- भारत एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत का सक्रिय समर्थक रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा आसियान के सदस्यों ने इस क्षेत्र में भारत की बड़ी भूमिका को लेकर समान विचार व्यक्त किया है।
- भारत अपने क्वाड भागीदारों के साथ हिंद-प्रशांत में अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है।
- भारत का विचार हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अन्य समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर काम करना है ताकि नियम-आधारित बहुध्रुवीय क्षेत्रीय व्यवस्था का सहकारी प्रबंधन किया जा सके तथा किसी एक शक्ति को इस क्षेत्र या इसके जलमार्गों पर हावी होने से रोका जा सके।

भारत-कतर GI उत्पाद बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय दूतावास, दोहा और भारतीय व्यापार एवं पेशेवर परिषद (Indian Business and Professionals Council-IBPC) कतर के सहयोग से कृषि तथा खाद्य भौगोलिक संकेतक (GI) उत्पादों के लिये वर्चुअल नेटवर्किंग मीट का आयोजन किया।

- इस बैठक ने भारतीय मूल के कृषि और खाद्य उत्पादों एवं विशिष्ट विशेषताओं वाले उत्पादों के निर्यात में भारत की क्षमता को लेकर कतर और भारत के निर्यातकों तथा आयातकों के बीच बातचीत हेतु मंच प्रदान किया।

भौगोलिक संकेतक (GI) टैग:

- **परिचय:**
  - GI एक संकेतक है, जिसका उपयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली विशेष विशेषताओं वाले सामानों को पहचान प्रदान करने के लिये किया जाता है।
  - 'वस्तुओं का भौगोलिक सूचक' (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण एवं उन्हें बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है।
  - यह विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों (TRIPS) के व्यापार-संबंधित पहलुओं का भी हिस्सा है।
    - पेरिस कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 (2) और 10 के तहत यह निर्णय लिया गया तथा यह भी कहा गया कि औद्योगिक संपत्ति एवं भौगोलिक संकेतक का संरक्षण बौद्धिक संपदा के तत्त्व हैं।
  - यह मुख्य रूप से कृषि, प्राकृतिक या निर्मित उत्पाद (हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान) है।
- **वैधता:**
  - भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्षों की अवधि के लिये वैध होता है। इसे समय-समय पर 10-10 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिये नवीनीकृत किया जा सकता है।
- **भौगोलिक संकेतक का महत्त्व:**
  - एक बार भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्रदान कर दिये जाने के बाद कोई अन्य निर्माता समान उत्पादों के विपणन के लिये इसके नाम का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। यह ग्राहकों को उस उत्पाद की प्रामाणिकता के बारे में भी जानकारी की सुविधा प्रदान करता है।
  - किसी उत्पाद का भौगोलिक संकेतक अन्य पंजीकृत भौगोलिक संकेतक के अनधिकृत उपयोग को रोकता है।
  - यह कानूनी सुरक्षा प्रदान करके भारतीय भौगोलिक संकेतकों के निर्यात को बढ़ावा देता है और विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्य देशों को कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने में भी सक्षम बनाता है।
  - GI टैग उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करता है।
- **GI रजिस्ट्रेशन:**
  - GI उत्पादों के पंजीकरण की उचित प्रक्रिया है जिसमें आवेदन दाखिल करना, प्रारंभिक जाँच और परीक्षा, कारण बताओ नोटिस, भौगोलिक संकेतक पत्रिका में प्रकाशन, पंजीकरण का विरोध और पंजीकरण शामिल है।

- कानून द्वारा या उसके तहत स्थापित व्यक्तियों, उत्पादकों, संगठन या प्राधिकरण का कोई भी संघ आवेदन कर सकता है।
- आवेदक को उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व करना चाहिये।

- **GI टैग उत्पाद:**
  - कुछ प्रसिद्ध वस्तुएँ जिनको यह टैग प्रदान किया गया है उनमें बासमती चावल, दार्जिलिंग चाय, चंदेरी फैब्रिक, मैसूर सिल्क, कुल्लू शॉल, कांगड़ा चाय, तंजावुर पेंटिंग, इलाहाबाद सुरखा, फर्रुखाबाद प्रिंट, लखनऊ जरदोजी, कश्मीर केसर और कश्मीर अखरोट की लकड़ी की नक्काशी शामिल हैं।
- **कृषि GI उत्पाद:**
  - वर्तमान में भारत में 400 से अधिक पंजीकृत भौगोलिक संकेतक हैं, जिनमें से लगभग 150 कृषि और खाद्य उत्पाद GI प्राप्त हैं।
  - 100 से अधिक पंजीकृत GI उत्पाद कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) अनुसूचित उत्पादों (ताजे फल और सब्जियाँ, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, पशु उत्पाद और अनाज) की श्रेणी में आते हैं।

भारत-कतर संबंध:

- **उपराष्ट्रपति की कतर यात्रा 2022 की मुख्य विशेषताएँ:**
- **भारत-कतर स्टार्टअप ब्रिज:**
  - उपराष्ट्रपति ने "भारत-कतर स्टार्टअप ब्रिज" का शुभारंभ किया जिसका उद्देश्य दोनों देशों के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ना है।
    - 70,000 से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप के साथ भारत वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप के लिये तीसरे सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में उभरा है।
    - भारत में 100 यूनिकॉर्न हैं, जिनका कुल मूल्यांकन 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।
- **पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन:**
  - भारत पर्यावरण की सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिये निरंतर प्रयास कर रहा है।
  - उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की स्थापना और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने में भारत के नेतृत्त्वकर्त्ता की भूमिका का भी उल्लेख किया।
  - उन्होंने कतर को अपनी ऊर्जा सुरक्षा में भारत के विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थिरता के लिये इस यात्रा में भागीदार बनने और ISA में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया।
- **व्यापार मंडलों के बीच संयुक्त व्यापार परिषद:**
  - उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत और कतर के व्यापार मंडलों के बीच एक संयुक्त व्यापार परिषद की स्थापना की गई है जो निवेश पर एक संयुक्त कार्यबल के माध्यम से निवेश को बढ़ावा देगा।
  - उन्होंने नए और उभरते अवसरों का दोहन करने के लिये दोनों पक्षों के व्यवसायों को मार्गदर्शन व सहायता हेतु साझेदारी करने के लिये इन्वेस्ट इंडिया एवं कतर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी की भी सराहना की।
- **बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग:**
  - उन्होंने अंतर-संसदीय संघ (IPU), एशियाई संसदीय सभा और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर भारत एवं कतर के बीच अधिक सहयोग का आह्वान किया।
- **व्यापार:**
  - **कतर को भारत से निर्यात:**
    - वर्ष 2020 में भारत ने कतर को 1.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वस्तुओं का निर्यात किया।
    - भारत द्वारा कतर को निर्यात किये जाने वाले मुख्य उत्पाद चावल, आभूषण और सोना हैं।
    - पिछले 25 वर्षों के दौरान कतर को किया गया भारत का निर्यात 16.5% की वार्षिक दर से बढ़ा है, जो 1995 के 29.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2020 में 1.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
  - **कतर से भारत को आयात:**
    - वर्ष 2020 में कतर ने भारत को 7.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वस्तुओं का निर्यात किया। कतर द्वारा भारत को निर्यात किये जाने वाले मुख्य उत्पाद पेट्रोलियम गैस, क्रूड पेट्रोलियम और हलोजनेटेड हाइड्रोकार्बन हैं।
    - पिछले 25 वर्षों के दौरान भारत को कतर द्वारा किया गया निर्यात 19% की वार्षिक दर से बढ़ा है, जो वर्ष 1995 के 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2020 में 7.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
    - भारत के कुल प्राकृतिक गैस आयात में कतर की हिस्सेदारी 41% है।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA):

- **परिचय:**
  - APEDA की स्थापना भारत सरकार द्वारा दिसंबर 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत की गई थी।
  - प्राधिकरण ने प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद (Processed Food Export Promotion Council-PFEPC) को प्रतिस्थापित किया।
  - APEDA, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कृषि निर्यात में लगभग 50% (24.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की हिस्सेदारी के साथ कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

- **कार्य:**
  - वित्तीय सहायता प्रदान करके निर्यात के लिये अनुसूचित उत्पादों से संबंधित उद्योगों का विकास।
  - निर्धारित शुल्क के भुगतान पर अनुसूचित उत्पादों के निर्यातक के रूप में व्यक्तियों का पंजीकरण।
  - निर्यात के प्रयोजन हेतु अनुसूचित उत्पादों के लिये मानकों और विशिष्टताओं का निर्धारण।
  - अनुसूचित उत्पादों की पैकेजिंग में सुधार।
  - भारत के बाहर अनुसूचित उत्पादों के विपणन में सुधार।
  - निर्यातोन्मुख उत्पादन को बढ़ावा देना और अनुसूचित उत्पादों का विकास करना।

श्रीलंका में तमिलों का मुद्दा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने तमिल मुद्दे पर राजनीतिक समाधान तक पहुँचने की अपनी प्रतिबद्धता पर श्रीलंका द्वारा किसी भी निर्णायक कदम पर न पहुँचने पर चिंता व्यक्त की है।

- भारत ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (United Nations Human Rights Council) के 51वें सत्र में अपने बयान में कहा कि उसने हमेशा संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा निर्देशित "मानव अधिकारों के संवर्द्धन और संरक्षण एवं रचनात्मक अंतर्राष्ट्रीय संवाद तथा सहयोग के लिये राज्यों की ज़िम्मेदारी में विश्वास किया है"।

भारत द्वारा उठाए गए मुद्दे:

- श्रीलंका में मौजूदा संकट ने ऋण-संचालित अर्थव्यवस्था की सीमाओं और जीवन स्तर पर इसके प्रभाव को प्रदर्शित किया है।
- यह श्रीलंका के सर्वोत्तम हित में है कि वह अपने नागरिकों की क्षमता का निर्माण करे और उनके सशक्तीकरण की दिशा में काम करे।
- वर्ष 2009 में श्रीलंका के गृहयुद्ध जिसमें हज़ारों नागरिक मारे और लापता हो गए, की समाप्ति के 13 वर्ष बाद बचे हुए लोग युद्ध के समय के अपराधों के लिये न्याय और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं।
- युद्ध के बाद के वर्षों में श्रीलंका के मानवाधिकार रक्षकों ने लगातार सैन्यीकरण, विशेष रूप से तमिल बहुसंख्यक उत्तर और पूर्व में दमन एवं असंतोष के लिये चिंता व्यक्त की है।

तमिल मुद्दा और इसका इतिहास:

- **पृष्ठभूमि:**
  - श्रीलंका में 74.9% सिंहली और 11.2% श्रीलंकाई तमिल हैं। इन दो समूहों के भीतर सिंहली बौद्ध और तमिल हिंदू हैं, जो महत्त्वपूर्ण भाषायी और धार्मिक विभाजन प्रदर्शित करते हैं।
  - ऐसा माना जाता है कि तमिल भारत के चोल साम्राज्य से आक्रमणकारियों और व्यापारियों दोनों के रूप में श्रीलंका पहुँचे।
  - कुछ मूल कहानियों से पता चलता है कि सिंहली और तमिल समुदायों ने शुरू से ही तनाव (सांस्कृतिक असंगति के कारण नहीं बल्कि सत्ता विवादों के कारण) का अनुभव किया है।
- **पूर्व-गृह युद्ध:**
  - ब्रिटिश शासन के दौरान तमिल पक्षपात के प्रतिरूप ने सिंहली लोगों को अलग-थलग और उत्पीड़ित महसूस कराया। वर्ष 1948 में ब्रिटिश कब्ज़े वाले द्वीप छोड़ने के तुरंत बाद तमिल प्रभुत्व के इन प्रतिरूपों में नाटकीय रूप से बदलाव आया।
  - ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के बाद कई बार सिंहलियों ने सत्ता हासिल की और धीरे-धीरे अपने तमिल समकक्षों को प्रभावी ढंग से बेदखल करने वाले कृत्य किये, जिसके कारण वर्ष 1976 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) का उत्पत्ति हुई।
    - LTTE/लिट्टे समझौता न करने वाला समूह था जो चे ग्वेरा और उसकी छापामार युद्ध रणनीति से प्रेरित था।
  - वर्ष 1983 में यह संघर्ष गृहयुद्ध में बदल गया, जिसके कारण कोलंबो में तमिलों को निशाना बनाकर दंगे हुए।
  - यह लड़ाई तीन दशकों तक चली और मई 2009 में समाप्त तब हुई, जब श्रीलंका सरकार ने घोषणा की कि उन्होंने लिट्टे नेता को मार दिया है।
- **गृहयुद्ध के बाद की स्थिति:**
  - हालाँकि वर्ष 2009 में गृह युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन श्रीलंका में वर्तमान स्थिति मां केवल आंशिक सुधार हुआ है।
  - तमिल आबादी का एक बड़ा हिस्सा विस्थापित हुआ है, जबकि राजनीतिक और नागरिक अधिकारों के मुद्दे कम हैं, हाल के वर्षों में भी यातना एवं जबरन गायब करने की घटनाएँ जारी हैं।
  - सरकार का आतंकवाद निरोधक कानून (पीटीए) ज़्यादातर तमिलों को निशाना बनाता है। अधिक सूक्ष्म अर्थों में श्रीलंकाई सरकार तमिल समुदाय को मताधिकार से वंचित करना जारी रखे हुए है।
  - उदाहरण के लिये "सिंहलीकरण" की प्रक्रिया के माध्यम से सिंहली संस्कृति ने धीरे-धीरे तमिल आबादी की जगह ले ली है।
  - मुख्य रूप से तमिल क्षेत्रों में सिंहली स्मारक,, सड़क और गाँव के नाम साथ ही बौद्ध पूजा स्थल अधिक आम हो गए।
  - इन प्रयासों ने श्रीलंकाई इतिहास के साथ-साथ देश की संस्कृति के तमिल और हिंदू तत्त्वों पर तमिल परिप्रेक्ष्य का उल्लंघन किया है तथा कुछ मामलों में उन्हें मिटा दिया है।

भारत की चिंता:

- शरणार्थियों का पुनर्वास: श्रीलंकाई गृहयुद्ध (2009) से बचकर भारत आए श्रीलंकाई तमिलों की एक बड़ी संख्या तमिलनाडु में शरण लेने की मांग कर रही है। वे लोग श्रीलंका में फिर से निशाना बनाए जाने के डर से वहाँ वापस नहीं लौट रहे हैं। भारत के लिये उनका पुनर्वास करना एक बड़ी चुनौती है।
- तमिलों की अनदेखी: श्रीलंका के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने हेतु श्रीलंकाई तमिलों की दुर्दशा को नज़रअंदाज करने के लिये भारत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर इसकी आलोचना की जाती है।
- सामरिक हित बनाम तमिल मुद्दा: अक्सर भारत को अपने पड़ोसी के आर्थिक हितों की रक्षा और हिंद महासागर में चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के लिये रणनीतिक मुद्दों पर अल्पसंख्यक तमिलों के अधिकारों के मुद्दों को लेकर समझौता करना पड़ता है।

भारत-श्रीलंका संबंधों को लेकर अन्य मुद्दे:

- **मछुआरों की हत्या:**
    - श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों की हत्या दोनों देशों के बीच एक पुराना मुद्दा है।
        - वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में कुल 284 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया तथा कुल 53 भारतीय नौकाओं को श्रीलंकाई अधिकारियों ने ज़ब्त कर लिया।
- **ईस्ट कोस्ट टर्मिनल परियोजना:**
    - इस वर्ष (2021) श्रीलंका ने ईस्ट कोस्ट टर्मिनल परियोजना के लिये भारत और जापान के साथ हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन को रद्द कर दिया।
        - भारत ने इस कदम का विरोध किया, हालाँकि बाद में वह अडानी समूह द्वारा विकसित किये जा रहे वेस्ट कोस्ट टर्मिनल के लिये सहमत हो गया।
- **चीन का प्रभाव:**
    - श्रीलंका में चीन के तेज़ी से बढ़ते आर्थिक हित और परिणाम के रूप में राजनीतिक दबदबा भारत-श्रीलंका संबंधों को तनावपूर्ण बना रहा है।
        - चीन पहले से ही श्रीलंका में सबसे बड़ा निवेशक है, जो कि वर्ष 2010-2019 के दौरान कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का लगभग 23.6% था, जबकि भारत का हिस्सा केवल 10.4 फीसदी है।
        - चीन, श्रीलंकाई सामानों के लिये सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक है और श्रीलंका के विदेशी ऋण के 10% हेतु उत्तरदायी है।
- **श्रीलंका का 13वाँ संविधान संशोधन:**
    - यह एक संयुक्त श्रीलंका के भीतर समानता, न्याय, शांति और सम्मान के लिये तमिल लोगों की उचित मांग को पूरा करने हेतु प्रांतीय परिषदों को आवश्यक शक्तियों के हस्तांतरण की परिकल्पना करता है।

आगे की राह

- अपने नागरिकों की क्षमता का निर्माण करना और उनके सशक्तीकरण की दिशा में काम करना श्रीलंका के सर्वोत्तम हित में है, जिसके लिये ज़मीनी स्तर पर सत्ता का हस्तांतरण एक पूर्व-आवश्यकता है।
- भारत के लिये हिंद महासागर क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों को संरक्षित करने हेतु श्रीलंका के साथ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का पालन करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

चीन द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत-अमेरिका सैन्य अभ्यास का विरोध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीन ने विवादित चीन-भारत सीमा के पास भारत और अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास का विरोध करते हुए कहा कि यह द्विपक्षीय सीमा विवाद में बाह्य हस्तक्षेप है।

- हालाँकि इस अभ्यास की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, अनुमान है कि दोनों देश अक्तूबर 2022 में उत्तराखंड के औली में वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control-LAC) से लगभग 100 किलोमीटर दूर "युद्ध अभ्यास" के 18वें संस्करण में भाग लेंगे।

चीन द्वारा विरोध का कारण:

- चीन का मानना है कि दोनों देश इस बात पर सहमत हुए थे कि दोनों देशों के मध्य वास्तविक सीमा के पास कोई सैन्य अभ्यास आयोजित नहीं किया जाएगा।

- चीन ने वर्ष 1993 और वर्ष 1996 में भारत एवं चीन द्वारा हस्ताक्षरित दो समझौतों का हवाला देते हुए कहा कि यह अभ्यास इन दोनों समझौतों का उल्लंघन करता है।
    - वर्ष 1993 में भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने पर समझौता।
    - वर्ष 1996 में भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ सैन्य क्षेत्र में विश्वास-निर्माण उपायों पर समझौता।
- वर्ष 1993 और 1996 दोनों समझौतों का एक प्रमुख तत्त्व यह है कि दोनों पक्ष LAC के साथ-साथ क्षेत्रों में अपनी सेना को न्यूनतम स्तर तक रखेंगे। हालाँकि समझौते यह परिभाषित नहीं करते हैं कि न्यूनतम स्तर में क्या होगा।
    - वर्ष 1993 और 1996 के समझौतों में यह भी अनिवार्य है कि सीमा संबंधी प्रश्न का अंतिम समाधान लंबित होने तक दोनों पक्ष LAC का सख्ती से पालन करेंगे।
- वर्ष1993, 1996 और 2005 के समझौतों के अनुसार LAC पर आग्नेयास्त्रों के उपयोग को सख्ती से नियंत्रित किया जाता है।

दोनों देशों के मध्य विवाद का मुद्दा:

- इस संदर्भ में प्रमुख, पश्चिमी क्षेत्र में व्याप्त असहमति हैं।
- वर्ष 1962 के युद्ध के बाद चीन ने दावा किया कि वे नवंबर 1959 में LAC से 20 किलोमीटर पीछे हट गए थे।
- पूर्वी क्षेत्र में सीमा मुख्य रूप से तथाकथित मैकमोहन रेखा के साथ मिलती है और पश्चिमी एवं मध्य क्षेत्रों में यह पारंपरिक प्रथागत रेखा के साथ मुख्य रूप से मेल खाती है जिसे लगातार चीन द्वारा इंगित किया गया है।
- वर्ष 2017 में डोकलाम संकट के दौरान चीन ने भारत से "1959 LAC" का पालन करने का आग्रह किया।
- भारत ने वर्ष 1959 और 1962 दोनों में LAC की अवधारणा को खारिज कर दिया था।
- भारत की आपत्ति यह थी कि चीनी रेखा, मानचित्र पर बिंदुओं की शृंखला से जुड़ी हुई थी जिसे कई तरह से जोड़ा जा सकता था, वर्ष 1962 में आक्रमण से किसी को हानि न हो इसलिये यह रेखा चीनी हमले से पूर्व 8 सितंबर, 1962 को वास्तविक स्थिति पर आधारित होनी चाहिये। चीन के नियंत्रण रेखा की परिभाषा की अस्पष्टता के कारण चीन के सैन्य बलों द्वारा तथ्यों को बदलने की आशंका विद्यमान है।

भारत और चीन के बीच हाल के मुद्दे और विकास:

- **मुद्दे:**
    - मई 2020: नाथू ला, सिक्किम (भारत) में चीनी और भारतीय बलों के बीच झड़प हुई।
    - **जून 2020:** पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग त्सो, गलवान घाटी, डेमचोक और दौलत बेग ओल्डी में भारत एवं चीन की सेनाओं के बीच गतिरोध जारी रहा।
    - **जून 2020:** भारत ने 59 चीन एप्स पर प्रतिबंध लगा दिया।
    - **नवंबर 2020:** भारत ने 43 नए मोबाइल एप को ब्लॉक किया, जिनमें ज़्यादातर चीनी हैं।
        - यह प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत लागू किया गया है।
- **विकास:**
    - फरवरी 2021: भारत और चीन ने आखिरकार पैंगोंग झील पर एक समझौते पर पहुँचने का फैसला किया।
    - सितंबर 2022: हाल ही में भारतीय और चीनी सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख के गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में पेट्रोलिंग पॉइंट-15 से हटना शुरू कर दिया है, जो मई 2020 से चल रहे गतिरोध को समाप्त करने के लिये महत्त्वपूर्ण कदम है।

वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC):

- **परिचय:** वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) एक प्रकार की सीमांकन रेखा है, जो भारत-नियंत्रित क्षेत्र और चीन-नियंत्रित क्षेत्र को एक-दूसरे से अलग करती है।
- **LAC की लंबाई:** भारत LAC की लंबाई 3,488 किमी मानता है; जबकि चीन इसे केवल 2,000 किमी के आसपास मानता है।
- **LAC का विभाजन:**
    - इसे तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है:
    - पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश से सिक्किम (1346 किमी),
        - मध्य क्षेत्र उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश (545 किमी),
        - पश्चिमी क्षेत्र लद्दाख (1597 किमी) तक फैला है।
    - पूर्वी सेक्टर में LAC का संरेखण वर्ष 1914 की मैकमोहन रेखा के समरूप है।
    - यह वर्ष 1914 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत अस्तित्व में आई थी।
    - LAC का मध्य क्षेत्र सबसे कम विवादित, जबकि पश्चिमी क्षेत्र दोनों पक्षों के मध्य सबसे अधिक विवादित है।
- **LAC, पाकिस्तान के साथ लगी नियंत्रण रेखा (LoC) से भिन्न है:**
    - कश्मीर युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1948 की संघर्ष विराम रेखा (Ceasefire Line) के संदर्भ में बातचीत के बाद नियंत्रण रेखा का उदय हुआ।
    - दोनों देशों के बीच शिमला समझौते के बाद वर्ष 1972 में LoC को नामित कर इसे मानचित्र पर दर्शाया गया है।

- यह दोनों सेनाओं के सैन्य संचालन महानिदेशक (DGMOs) द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र पर चित्रित है और इसमें कानूनी समझौते की अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता है।
- लेकिन LAC पर दोनों देशों (भारत-चीन) द्वारा सहमति नहीं बन पाई है, न ही इसे मानचित्र पर दर्शाया गया है और न ही इसे भौगोलिक रूप से सीमांकित किया गया है।

आगे की राह

- दो बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में चीन और भारत को एक-दूसरे के साथ-साथ विकास को आगे बढ़ाने, बाधा के बजाय साझेदारी के साथ आगे बढ़ने एवं एक-दूसरे के खिलाफ दीवारें खड़ी करने के बजाय साझा प्रगति के लिये मिलकर काम करने की ज़रूरत है।
- भारत और चीन को आपसी विश्वास बनाने एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति तथा शांति का एहसास करने के लिये सीमा वार्ता को आगे बढ़ाने की भी आवश्यकता है।

भारत 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs- MEA) ने घोषणा की कि भारत वर्ष 2023 में नई दिल्ली में G-20 समूह के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा।

- 17वाँ G20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में होगा, जिसके बाद भारत दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा।
- भारत एक वर्ष की अवधि के लिये G20 की अध्यक्षता करेगा।

प्रमुख बिंदु:

- **अतिथि देश:**
  - भारत, G20 अध्यक्ष के तौर पर बांग्लादेश, मिस्र, मॉरीशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित करेगा।
- **ट्रोइका:**
  - अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया और ब्राज़ील ट्रोइका का गठन करेंगे। यह पहली बार होगा जब ट्रोइका में तीन विकासशील देश और उभरती अर्थव्यवस्थाएँ शामिल होंगी, जो उन्हें वैश्विक शक्तियों के मध्य बढ़त प्रदान करेंगी।
  - ट्रोइका, G20 के भीतर शीर्ष समूह को संदर्भित करता है जिसमें वर्तमान, पिछले और आगामी अध्यक्ष पद वाले देश (इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील) शामिल हैं।
- **प्राथमिकताएँ:**
  - समावेशी, न्यायसंगत और सतत् विकास,
  - जीवन (पर्यावरण के लिये जीवन शैली),
  - महिला सशक्तीकरण;
  - स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा से लेकर वाणिज्य तक के क्षेत्रों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना एवं तकनीक-सक्षम विकास,
  - कौशल-मानचित्रण, संस्कृति और पर्यटन; जलवायु वित्तपोषण; चक्रीय अर्थव्यवस्था; वैश्विक खाद्य सुरक्षा; ऊर्जा सुरक्षा; ग्रीन हाइड्रोजन; आपदा जोखिम में कमी तथा अनुकूलन;
  - विकासात्मक सहयोग; आर्थिक अपराध के विरुद्ध लड़ाई; और बहुपक्षीय सुधार।

G-20 समूह:

- **परिचय:**
  - G20 का गठन वर्ष 1999 के दशक के अंत के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था, जिसने विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया को प्रभावित किया था।
  - इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है।
  - साथ में G20 देशों में दुनिया की 60% आबादी, वैश्विक जीडीपी का 80% और वैश्विक व्यापार का 75% शामिल है।
- **सदस्य:**
  - G20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्राँस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
    - स्पेन को स्थायी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है।

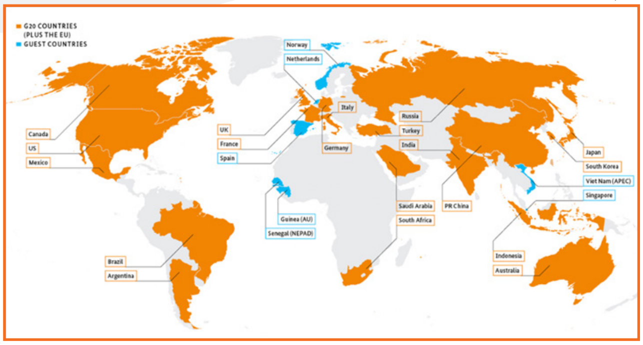

- **अध्यक्षता:**
  - G20 की अध्यक्षता प्रत्येक वर्ष सदस्यों के बीच चक्रीय रूप से प्रदान की जाती है और अध्यक्ष पद धारण करने वाला देश पिछले और अगले अध्यक्षता धारक के साथ मिलकर G20 एजेंडा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये 'ट्रोइका' बनाता है।

- इटली, इंडोनेशिया और भारत अभी ट्रोइका देश हैं और इंडोनेशिया के पास वर्तमान अध्यक्ष पद है।

- **अधिदेश:**
  - G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। एजेंडा और कार्य का समन्वय G20 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जिन्हें 'शेरपा' के रूप में जाना जाता है, जो केंद्रीय बैंकों के वित्त मंत्रियों और गवर्नरों के साथ मिलकर काम करते हैं।
  - समूह का प्राथमिक जनादेश अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिये है, जिसमें दुनिया भर में भविष्य के वित्तीय संकटों को रोकने हेतु विशेष ज़ोर दिया गया है।
  - यह वैश्विक आर्थिक एजेंडा को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - वर्ष 1999-2008 से केंद्रीय बैंक के गवर्नरों और वित्त मंत्रियों के समूह से लेकर राज्यों के प्रमुखों तक के मंच को मज़बूत किया गया।

भारत-जापान रक्षा संबंध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत और जापान ने सुरक्षा एवं सहयोग के लिये टोक्यो में 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की।

प्रमुख बिंदु

- **रक्षा सहयोग बढ़ाना:** दोनों देश काउंटरस्ट्राइक/जवाबी कार्यवाही क्षमताओं सहित राष्ट्रीय रक्षा के लिये आवश्यक सभी विकल्पों की जाँच कर रहे हैं और अपनी क्षमताओं को मज़बूत करने हेतु अपने रक्षा बजट में पर्याप्त वृद्धि करेंगे।
  - चूँकि ज़्यादातर पड़ोसी देशों को चीन से बढ़े हुए सुरक्षा खतरों से निपटने की ज़रूरत है।
- **समुद्री सहयोग बढ़ाना:** समुद्री क्षेत्र में जागरूकता सहित समुद्री सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर व्यापक चर्चा हुई जिसमें भारत की क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास (Security and Growth for All in the Region-SAGAR) का समावेशी दृष्टिकोण शामिल है।
- **वैश्विक सहयोग:** दोनों देशों ने स्वीकार किया कि सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिये पहले से कहीं अधिक वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है।
  - इसके अलावा इस बात पर दोनों पक्षों में सर्वसम्मति है कि राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के आधार पर स्वतंत्र, खुले, नियम-आधारित एवं समावेशी हिंद-प्रशांत के लिये मज़बूत भारत-जापान संबंध बहुत महत्त्वपूर्ण है।

टू-प्लस-टू वार्ता:

- 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता दोनों देशों के बीच उच्चतम स्तरीय संस्थागत तंत्र (Highest-Level Institutional Mechanism) है।
- यह संवाद का एक प्रारूप है जहाँ रक्षा/विदेश मंत्री या सचिव दूसरे देश के अपने समकक्षों से मिलते हैं।
- भारत का चार प्रमुख रणनीतिक साझेदारों- अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस के साथ 2+2 संवाद है।

जापान-भारत संबंध:

- **रक्षा अभ्यास:**
  - भारत और जापान के रक्षा बल द्विपक्षीय अभ्यासों की शृंखला आयोजित करते हैं, जैसे कि जिमेक्स (नौसेना), शिन्यू मैत्री (वायुसेना) और अभ्यास धर्म गार्जियन आदि।
  - बहुपक्षीय अभ्यास मिलन (MILAN) में पहली बार जापान की भागीदारी और मार्च, 2022 में आपूर्ति एवं सेवा समझौते के पारस्परिक प्रावधान का संचालन रक्षा सहयोग की प्रगति में मील का पत्थर है।
  - दोनों देश संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ मालाबार अभ्यास (नौसेना अभ्यास) में भी भाग लेते हैं।
- **बहुपक्षीय समूह:**
  - भारत और जापान दोनों ही क्वाड, जी20 और जी-4 के सदस्य हैं।
  - वे इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर (ITER) के भी सदस्य देश हैं।
- **स्वास्थ्य सेवा:**
  - भारत के 'आयुष्मान भारत कार्यक्रम' और जापान के 'AHWIN' कार्यक्रम के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के बीच

समानता एवं ताल-मेल को देखते हुए दोनों पक्षों ने 'आयुष्मान भारत' के लिये AHWIN के आख्यान के निर्माण हेतु परियोजनाओं की पहचान करने के लिये एक-दूसरे के साथ परामर्श किया।

- **निवेश और ODA:**
  - पिछले कुछ दशकों से भारत जापान की आधिकारिक विकास सहायता (Official Development Assistance- ODA) ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है।
    - दिल्ली मेट्रो ODA के उपयोग के माध्यम से जापानी सहयोग के सबसे सफल उदाहरणों में से एक है।
  - भारत की वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) परियोजना को 'आर्थिक भागीदारी के लिये विशेष शर्त' (Special Terms for Economic Partnership-STEP) के तहत जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी द्वारा प्रदत्त सॉफ्ट लोन द्वारा वित्तपोषित किया गया है।
  - इसके अलावा जापान और भारत ने जापान की शिंकानसेन प्रणाली (Shinkansen System) को भारत में लाते हुए एक हाई-स्पीड रेलवे के निर्माण के लिये प्रतिबद्धता जताई है।
  - भारत जापान परमाणु समझौता 2016 भारत को दक्षिण भारत में छह परमाणु रिएक्टर बनाने में मदद करेगा, जिससे वर्ष 2032 तक देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता दस गुना तक बढ़ जाएगी।
- **आर्थिक संबंध:**
  - वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत के साथ जापान का द्विपक्षीय व्यापार कुल 20.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा।
    - भारत को जापान का निर्यात भारत के कुल आयात का 2.35% था और जापान को भारत का निर्यात भारत के कुल निर्यात का 1.46% था। यह रेखांकित करता है कि एक बड़ी संभावना बनी हुई है।
  - भारत जापान के लिये 18वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था और जापान वर्ष 2020 में भारत के लिये 12वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था।
- **14वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन, 2022 के दौरान घटनाक्रम:**
  - **भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिये सतत् विकास पहल:**
    - इसे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बुनियादी ढाँचे के विकास पर नज़र रखने हेतु लॉन्च किया गया है, इसके अलावा इसमें चल रही परियोजनाओं और कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य देखभाल, नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में संभावित भविष्य के सहयोग के साथ-साथ बाँस मूल्य शृंखला को मज़बूत करने के लिये भी एक पहल शामिल है।
  - भारत-जापान डिजिटल साझेदारी:
    - दोनों देशों द्वारा साइबर सुरक्षा पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाओं को बढ़ावा देते हुए डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के उद्देश्य से "भारत-जापान डिजिटल साझेदारी" पर चर्चा की गई।
    - जापानी ICT क्षेत्र में योगदान करने के लिये जापान अधिक कुशल भारतीय IT पेशेवरों को आकर्षित करने की आशा कर रहा है।
  - स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी:
    - इसे इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी सहित स्टोरेज सिस्टम, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सौर ऊर्जा हाइड्रोजन, अमोनिया आदि के विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिये लॉन्च किया गया था।
    - इसका उद्देश्य भारत में विनिर्माण को प्रोत्साहित करना, इन क्षेत्रों में लचीला और भरोसेमंद आपूर्ति शृंखलाओं के निर्माण के साथ-साथ अनुसंधान एवं विकास में सहयोग को बढ़ावा देना है।

भारत-मेक्सिको संबंध

चर्चा में क्यों?

मेक्सिको राष्ट्रीय दिवस (16 सितंबर) के अवसर पर भारत ने मेक्सिको के नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएँ दीं तथा राजनयिक संबंधों की स्थापना के 72 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया।

भारत-मेक्सिको संबंध:

- **ऐतिहासिक संबंध:**
  - अतीत में भारत और मेक्सिको दोनों उपनिवेश रह चुके हैं, इस नाते दोनों देशों के औपनिवेशिक युग के यूरोप से साझा संबंध थे।

- मेक्सिको स्वतंत्रता के बाद भारत को मान्यता देने और वर्ष 1950 में भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश था।
- 1960 के दशक में गेहूँ के संकर बीज तैयार करने में मेक्सिकन गेहूँ की किस्मों का इस्तेमाल किया गया जो भारत में 'हरित क्रांति' का आधार थी।
- शीत युद्ध के वर्षों में मेक्सिको और भारत ने संयुक्त राष्ट्र (UN) के सदस्यों के रूप में साथ मिलकर काम किया। दोनों देशों ने विकासशील देशों जैसे- 'उरुग्वे राउंड ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन' (विश्व व्यापार संगठन के तहत) के हितों का सक्रिय रूप से समर्थन किया।
  - दोनों देश G-20 के सदस्य हैं।

राजनीतिक और द्विपक्षीय सहयोग:

- दोनों देशों द्वारा वर्ष 2007 में एक 'प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप' की स्थापना की गई।
- वर्ष 2015 में दोनों देशों द्वारा 'रणनीतिक साझेदारी' हासिल करने की दिशा में काम करने पर सहमति व्यक्त की गई।
- दोनों देशों द्वारा कई द्विपक्षीय समझौतों और समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किये गए हैं, जिनमें निवेश संवर्द्धन और संरक्षण, प्रत्यर्पण, सीमा शुल्क मामलों में प्रशासनिक सहायता, अंतरिक्ष सहयोग आदि शामिल हैं।
- भारत 'भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग' (ITEC) कार्यक्रम के तहत मेक्सिको को 20 छात्रवृति प्रदान करता है और मेक्सिकन राजनयिकों को भी 'भारतीय वन सर्वेक्षण' (FSI) में प्रशिक्षण दिया जाता है।

आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध:

- भारत, मेक्सिको का 10वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और व्यापार संतुलन आठ वर्षों से भारत के पक्ष में बना हुआ है।
- मेक्सिको वर्तमान में लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- वर्ष 2021 में भारत से मेक्सिको को निर्यात 5.931 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया और मेक्सिको से आयात 4.17 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जिससे कुल व्यापार 10.11 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
  - भारत का निर्यात: वाहन और ऑटो पार्ट्स, कार्बनिक रसायन, विद्युत मशीनरी तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, एल्युमीनियम उत्पाद, रेडीमेड वस्त्र, लोहा एवं इस्पात उत्पाद, रत्न और आभूषण।
  - भारत का आयात: कच्चा तेल, खनिज ईंधन, उर्वरक आदि। कच्चा तेल मेक्सिको से निर्यात टोकरी का 75% हिस्सा रखता है।
- भारत के फार्मास्युटिकल उत्पादों का निर्यात वर्ष 2020 में स्थिर रहा और इसमें 80% से अधिक की वृद्धि हुई।

सुरक्षा:

- दोनों देश बढ़ती पारंपरिक और गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों, विशेष रूप से वैश्विक आतंकवाद के उदय पर समान रूप से साझा चिंता व्यक्त करते हैं।

सांस्कृतिक संबंध:

- 'गुरुदेव टैगोर इंडियन कल्चरल सेंटर' अक्तूबर 2010 से मेक्सिको में योग, शास्त्रीय नृत्य, संगीत आदि की शिक्षा दे रहा है।
- सांस्कृतिक सहयोग पर एक समझौता वर्ष 1975 से अस्तित्व में है और सहयोग गतिविधियों को चार वर्षीय 'सांस्कृतिक सहयोग के कार्यक्रमों' के माध्यम से संपन्न किया जाता है।

भारतीय समुदाय:

- मेक्सिको में 7,000 से अधिक भारतीय समुदाय के लोग रह रहे हैं, जिनमें अधिकांश सॉफ्टवेयर इंजीनियर, शिक्षाविद/प्रोफेसर और निजी व्यवसायी हैं।
- दोनों देशों के मध्य पर्यटन के क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है और मेक्सिको वासियों को ऑनलाइन ई-टूरिस्ट वीज़ा की सुविधा दी गई है।
- साधारण पासपोर्ट रखने वाले भारतीय नागरिक, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और जापान के लिये वैध वीज़ा धारित करते हैं तथा एक ही देश या प्रशांत गठबंधन के सदस्य राज्यों में स्थायी निवास कर सकते हैं, लेकिन कोलंबिया, चिली और पेरू को लघु पर्यटन या मेक्सिको की व्यावसायिक यात्राओं के लिये वीज़ा की आवश्यकता नहीं है।

मतभेद:

- परमाणु अप्रसार के मुद्दे पर मेक्सिको और भारत के अलग-अलग दृष्टिकोण रहे हैं। हालाँकि भारतीय प्रधानमंत्री की वर्ष 2016 की यात्रा के दौरान मेक्सिको ने भारत के लिये 'परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (NSG)' का हिस्सा बनने हेतु समर्थन का वादा किया था।
- दोनों देशों में 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)' में सुधारों के मुद्दे पर मतभेद है।
  - मेक्सिको, कॉफी क्लब या यूनाइटिंग फॉर कन्सेंसस (Uniting for Consensus- UFC) का सदस्य रहा है, जो भारत तथा अन्य G-4 सदस्यों (जापान, जर्मनी और ब्राज़ील) की विचारधारा के विपरीत है तथा यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के विस्तार का विरोध करता है।

हालिया गतिविधि:

- जून 2022 में भारत और मेक्सिको ने व्यापार और निवेश से लेकर स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अंतरिक्ष में सहयोग के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation-ISRO) की ओर से फसल निगरानी, सूखा मूल्यांकन और क्षमता निर्माण पर विशिष्ट सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।
  - ISRO और मेक्सिकन स्पेस एजेंसी (MSA) ने आखिरी बार अक्तूबर 2014 में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये अंतरिक्ष सहयोग के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे।

आगे की राह:

- भारत और मेक्सिको में भू-जलवायु परिस्थितियों, जैव विविधता, विज्ञान, सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्यों में उल्लेखनीय समानताएँ हैं। दोनों एक महान सभ्यतागत विरासत के उत्तराधिकारी हैं और उनके मध्य संपर्क सदियों से हैं।

यूक्रेन का जवाबी हमला

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूक्रेन ने देश के उत्तर-पूर्व में जवाबी हमला किया है जिसमें आश्चर्यजनक क्षेत्रीय बढ़त देखी गई है।

- इसके बलों ने रूसी सैनिकों को खार्किव ओब्लास्ट के अधिकांश हिस्से से पीछे हटने को मजबूर कर हज़ारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया है।
- यह पहली बार है जब रूस-यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से यूक्रेनी सैनिकों ने युद्ध में रूसियों को पीछे हटा दिया।

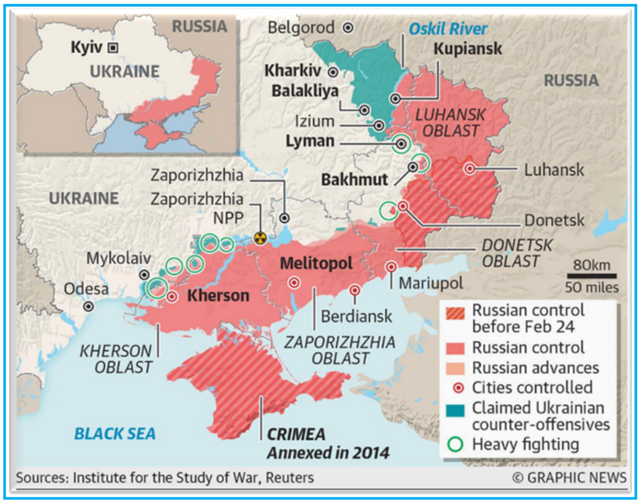

यूक्रेन ने खार्किव ओब्लास्ट में रूस को पीछे हटाया:

- **रूसी सेना का ठहराव:**
  - जुलाई 2022 में लिसीचांस्क पर कब्ज़ा करने और पूरे लुहांस्क प्रांत को अपने नियंत्रण में लेने के बाद रूस ने युद्ध रोक दिया।
    - रूस इस समय यूक्रेन के लगभग 25% हिस्से को नियंत्रित कर रहा है।
  - रूसी सेनाओं के रुकने से यूक्रेन को अपनी जवाबी-आक्रामक योजनाओं के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिल गया।
- **अमेरिका से मदद:**
  - हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम (HIMARS) जैसे उन्नत मिड-रेंज रॉकेट सिस्टम।
  - 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सैन्य सहायता।
  - अमेरिकी ख़ुफ़िया एजेंसियों ने भी यूक्रेन को रूसी रक्षा की कमज़ोर कड़ी के बारे में जानकारी प्रदान की।
- **रूस पर प्रतिबंध:**
  - रूस को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे यह सुनिश्चित करना मुश्किल हो गया था कि उनकी आपूर्ति बरकरार रहे और उन्हें ईरान एवं उत्तर कोरिया की ओर रुख करना पड़ा।
- **यूक्रेन के हमले:**
  - यूक्रेन ने दक्षिणी यूक्रेन के खेरसॉन में हमले शुरू किये और क्रीमिया में तोड़फोड़ की जिस पर रूस ने वर्ष 2014 में कब्ज़ा कर लिया था।
  - दक्षिण में यूक्रेन के हमलों का सामना करने वाले रूस ने खेरसॉन और ज़ापोरिज्जिया की रक्षा व्यवस्था को मज़बूत किया।
    - यूक्रेन ने उत्तर-पूर्व में अपेक्षाकृत कमज़ोर रक्षा व्यवस्था को तोड़ दिया और सफलतापूर्वक रूसियों को पीछे हटा दिया।

रूस यूक्रेन संघर्ष:

- **इतिहास:**
  - वर्ष 2014 में रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया को जल्दबाज़ी में जनमत संग्रह के लिये कहा, यह एक ऐसा कदम था जिससे पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादियों और सरकारी बलों के मध्य लड़ाई छिड़ गई थी।
  - यूक्रेन ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) से गठबंधन में देश की सदस्यता के प्रयास में तेज़ी लाने का आग्रह किया।
  - रूस ने इस तरह के कदम को एक "रेड लाइन" घोषित किया और अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधनों के अपने सीमा तक विस्तार के परिणामों के बारे में चिंतित था।
  - इसके कारण रूस और यूक्रेन के बीच वर्तमान युद्ध हुआ है।

नोट :

- **यूक्रेन का आक्रमण:**
  - यह संघर्ष द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में एक राज्य द्वारा दूसरे पर किया गया सबसे बड़ा आक्रमण है और वर्ष 1990 के दशक में बाल्कन संघर्ष के बाद पहला है।
  - यूक्रेन पर आक्रमण के साथ वर्ष 2014 के मिन्स्क प्रोटोकॉल और 1997 के रूस-नाटो अधिनियम जैसे समझौतों का उल्लंघन हुआ।
- **अन्य देशों का पक्ष:**
  - **वैश्विक स्तर पर:**
    - जी-7 देशों ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की कड़ी निंदा की।
    - अमेरिका, यूरोपीय संघ (ईयू), यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।
    - चीन ने यूक्रेन पर रूस के कदम को "आक्रमण" कहने को खारिज कर दिया और सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया।
- **भारत का पक्ष:**
  - भारत पश्चिमी शक्तियों द्वारा क्रीमिया में रूस के हस्तक्षेप की निंदा में शामिल नहीं हुआ।
    - हालाँकि अगस्त 2022 में भारत ने यूक्रेन को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में "प्रक्रियात्मक वोट" के दौरान रूस के विरुद्ध मतदान किया।

दृष्टि The Vision

एथिक्स

भारत में पुलिसिंग और नैतिकता

चर्चा में क्यों ?

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यह संदेश दिया कि 'आदर्श पुलिस व्यवस्था' यह दर्शाती है कि पुलिस अधिकारी का काम ज़िम्मेदारी और जवाबदेही से परिपूर्ण होता है।

पुलिसिंग में नैतिकता:

- **नैतिक निर्णय लेना:**
  - जीवन और स्वतंत्रता मौलिक नैतिक मूल्य हैं और सभी मानव समाजों में ऐसा माना जाता है, पुलिस को नियमित रूप से यह तय करना पड़ता है कि गिरफ्तार करना है या नहीं अर्थात् किसी की स्वतंत्रता को समाप्त करना है या नहीं, और इसके चरम स्थिति पर कभी-कभी उन्हें यह तय करना होगा कि किसी के जीवन की स्वतंत्रता को सीमित करना है या नहीं।
  - कोई भी नैतिक निर्णय लेते समय पुलिस को कई जटिल कार्रवाइयों पर विचार करना पड़ता है।
  - उन्हें किसी व्यक्ति की अच्छाई और बुराई पर विचार करने से पहले विचार करना होगा कि क्या उनके कार्य गलत हैं या नहीं।।
  - किसी व्यक्ति द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई के लिये उन्हें कार्रवाई की प्रेरणा और इरादों एवं उसके परिणामों को देखना होगा।
- **खतरे या शत्रुता का सामना:**
  - पुलिस को अपना कर्तव्य करने के लिये खतरे या शत्रुता का सामना करना पड़ सकता है, और अनुमानतः अपने काम के दौरान पुलिस अधिकारियों को अन्य व्यवसायों के लोगों की तुलना में भय, क्रोध, संदेह, उत्तेजना और ऊब सहित कई तरह की भावनाओं का अनुभव होने की संभावना है।
  - पुलिस के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिये उन्हें इन भावनाओं का सही तरीके से जवाब देने में सक्षम होना चाहिये, जिसके लिये उनमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता होना आवश्यक है।

भारत में नैतिक पुलिसिंग संबंधी विभिन्न चुनौतियाँ

- **पुलिस का राजनीतिकरण:**
  - भारत में कानून का शासन है जो न्याय के बुनियाद पर आधारित है, उसे राजनीति के शासन ने कमज़ोर कर दिया है।
  - पुलिस के राजनीतिकरण का प्रमुख कारण विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की नियुक्ति के लिये उचित कार्यकाल नीति का अभाव और राजनीतिक हित के लिये उपयोग किये जाने वाले मनमाने तबादले एवं पोस्टिंग हैं।
  - राजनेता पुलिस अधिकारियों को वश में करने के लिये स्थानांतरण और निलंबन को हथियार के रूप में उपयोग करते हैं।
  - ये दंडात्मक उपाय पुलिस के मनोबल को प्रभावित करते हैं और संगठन के भीतर कमांड की श्रृंखला को हानि पहुँचाते हैं, जिससे उनके वरिष्ठ अधिकारियों के अधिकार को कम किया जा सकता है जो ईमानदार, सक्षम और निष्पक्ष हो सकते हैं, लेकिन पर्याप्त रूप से सहायक या राजनीतिक रूप से उपयोगी नहीं हैं।
- **पुलिस की मनमानी :**
  - 'बेले' (Bayley) और 'एथिकल इश्यूज इन पोलिसिंग' (Ethical Issues in Policing) जैसी पुस्तकों में लेखकों का मानना है कि कानून के शासन को राजनीति के शासन से बदला जा रहा है, जो देश में सुशासन की स्थापना के लिये चिंता का विषय है।
  - उनके अनुसार, पुलिस का गैर-ज़िम्मेदाराना और मनमानी पूर्ण व्यवहार इसके प्रमुख कारक हैं और यह उन ईमानदार और सक्षम पुलिस अधिकारियों को हतोत्साहित करता है जो भारतीय पुलिस संस्थानों का नवीनीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं।
- **भ्रष्टाचार:**
  - हालाँकि भ्रष्टाचार दुनिया के हर हिस्से में प्रचलित है, भारत भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, 2021 में 180 देशों में से 85 वें स्थान पर है।
  - लगभग प्रत्येक स्तर पर और विभिन्न रूपों में विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से पुलिस विभाग अछूता नहीं है।
  - ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं और ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ निम्न श्रेणी के पुलिस अधिकारियों को रिश्वत लेते पकड़ा गया है।
- **हिरासत में होने वाली मौतें:**
  - सरकारी आँकड़ों के अनुसार, भारत में हिरासत में होने वाली मौतों की कुल संख्या वर्ष 2020-21 में 1,940 से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 2,544 हो गई।
  - उत्तर प्रदेश में पिछले दो वर्षों से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की तुलना में हिरासत में होने वाली मौत के सबसे अधिक मामले दर्ज किये गए हैं।
- **अवपीड़न के तरीकों का उपयोग:**
  - पुलिस अवपीड़न (Police Coercion) शब्द को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है, जब एक पुलिस अधिकारी किसी संदिग्ध से अपराध के स्वीकारोक्ति के प्रयास में अनुचित दबाव या धमकी का उपयोग करता है।

नोट :

- पुलिस अवपीड़न कई रूप ले सकती है और पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाया जाता रहा है कि अपराध को कबूल कराने के प्रयास में विभिन्न प्रकार के अनुचित दबाव का उपयोग किया जाता है।

संबंधित सुझाव:

- **शाह आयोग की सिफारिश (1978):**
  - शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट (रिपोर्ट संख्या II, 26 अप्रैल, 1978) में सुझाव दिया था कि सरकार को देश की राजनीति से पुलिस को निष्पक्ष रखने की व्यवहार्यता और वांछनीयता पर गंभीरता से विचार करना चाहिये और उन्हें पुलिस कर्तव्यों के अनुसार ईमानदारी से नियुक्त करना चाहिये।
- **राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977):**
  - पुलिस को बाह्य और आंतरिक प्रभाव से बचाने के लिये, राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने कई महत्त्वपूर्ण सुझाव भी दिये हैं।
  - आयोग के अनुसार हिरासत में बलात्कार, पुलिस फायरिंग से मौत और अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में न्यायिक जाँच को अनिवार्य किया जाना चाहिये।
- **मॉडल पुलिस अधिनियम:**
  - आदर्श पुलिस अधिनियम बनाने के लिये सोली सोराबजी समिति की स्थापना की गई थी।
  - समिति ने वर्ष 2006 में "पुलिस को एक कुशल, प्रभावी, जन अनुकूल और उत्तरदायी एजेंसी के रूप में संचालित करने में सक्षम बनाने के लिये"अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की।
    - सामान्य तौर पर, समिति ने प्रकाश सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अनुसरण किया।
    - वर्ष 2006 के प्रकाश सिंह मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस सुधार के उद्देश्य से 7 निर्देश जारी किये थे।
  - भारत सरकार ने संसद में वादा किया था कि निकट भविष्य में एक मॉडल पुलिस अधिनियम पेश किया जाएगा, जो अभी तक नहीं हुआ है।

आगे की राह:

- **मानवाधिकारों की रक्षा करना:**
  - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1998 के अनुसार लोकतांत्रिक समाज में पुलिस को "शासन में कम और जवाबदेही में अधिक" होना चाहिये।
  - इसके अलावा पुलिस नैतिकता और पुलिस संस्थान लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति के अधिकारों की रक्षा के लिये उच्चतम नैतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हैं।अत: मानवाधिकारों की सुरक्षा पुलिस का मुख्य कार्य है।
- **पुलिस द्वारा नैतिक सिद्धांतों का पालन:**
  - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1998 के अनुसार, पुलिस को सावधानीपूर्वक तैयार किये गए नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिये जो पीड़ितों के नैतिक अधिकारों को संदिग्धों के साथ उचित रूप से संतुलित करते हैं।
    - उदाहरण के लिये नागरिकों और स्वयं की सुरक्षा के लिये पुलिस द्वारा बल का उपयोग आवश्यकता एवं आनुपातिकता के नैतिक सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिये।
- **पुलिस का अराजनीतिकरण:**
  - राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिश के अनुसार पुलिस का अराजनीतिकरण करना और उसे बाहरी दबावों से बचाने के साथ ही प्रकाश सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर फिर से ज़ोर देना समय की तत्काल आवश्यकता है।

सिविल सेवक और डिजिटल साक्षरता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के सिविल सेवकों को भविष्य में सशक्त बनाने हेतु कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) और क्षमता निर्माण आयोग (CBC) के साथ भागीदारी की है।

- 'माइक्रोसॉफ्ट डिजिटल उत्पादकता कौशल में MSDE द्वारा क्षमता निर्माण' परियोजना के तहत साझेदारी का उद्देश्य भारत सरकार (GoI) के लगभग 2.5 मिलियन सिविल सेवकों की कार्यात्मक कंप्यूटर साक्षरता को बढ़ाना है।
- यह परियोजना मिशन कर्मयोगी के अनुरूप है।

डिजिटल साक्षरता

- डिजिटल साक्षरता का आशय उन तमाम तरह के कौशलों के एक समूह से है, जो इंटरनेट का प्रयोग करने और डिजिटल दुनिया के अनुकूल बनने के लिये आवश्यक हैं।
- चूँकि प्रिंट माध्यम का दायरा धीरे-धीरे सिकुड़ता जा रहा है और ऑनलाइन उपलब्ध जानकारियों का दायरा व्यापक होता जा रहा है, इसलिये ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी को समझने के लिये डिजिटल साक्षरता आवश्यक है।

- जिन लोगों और छात्रों में डिजिटल साक्षरता कौशल की कमी है, उन्हें जल्द ही ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी तक पहुँच प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है।

सिविल सेवकों हेतु डिजिटल साक्षरता का महत्त्व:

- कुशल और प्रभावी नागरिक केंद्रित सेवाएँ प्रदान करने के लिये:
  - डिजिटल साक्षरता समाज के कमज़ोर और वंचित वर्गों को कुशल और प्रभावी नागरिक केंद्रित सेवाएँ प्रदान करने के लिये भारत के सिविल सेवकों को सशक्त बनाएगी।
  - यह उन्हें अंतिम बिंदु तक सामाजिक कल्याण संबंधी सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।
- योग्यता अंतराल में कमी लाना:
  - पेशेवर स्तर पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स, जैसे वर्ड, एक्सेल और पावरपॉइंट प्रेज़ेंटेशन पर काम करते समय सिविल सेवकों के मध्य विभिन्न भूमिकाओं में पहचाने जाने वाले प्रमुख योग्यता अंतरालों में से एक डिजिटल उत्पादकता अनुप्रयोग कौशल की कमी है। इसलिये डिजिटल सशक्तीकरण, योग्यता अंतराल को कम करने में योगदान देगा।

भविष्य के सिविल सेवकों हेतु आवश्यक दक्षताएँ:

- **विभिन्न क्षेत्रों में एकीकृत रूपरेखा:**
  - वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज में एकीकृत ढाँचे का अभाव है।
  - जबकि सिविल सेवकों को जिन तकनीकी दक्षताओं की आवश्यकता होती है, वे निजी क्षेत्र में आवश्यक तकनीकी दक्षताओं के समान होती हैं जबकि डिजिटल शासन क्षमताएँ पूरी तरह से भिन्न होती हैं।
  - जनता के कल्याण हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI) के उपयोग के क्रम में एक साझा भाषा और समझ की आवश्यकता है।
- **डिजिटल समाधानों में वृद्धि:**
  - बुनियादी ढाँचे की कमी के कार सार्वजनिक सेवाओं में डिजिटल समाधानों को बढ़ाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
  - कभी-कभी, निजी क्षेत्र के समाधान सार्वजनिक क्षेत्र के लिये उपयुक्त नहीं होते हैं। इसलिये सार्वजनिक क्षेत्र के लिये प्रौद्योगिकी डिज़ाइन करने की आवश्यकता है।
- **सहयोग के अंतर को समाप्त करना:**
  - सरकार को कभी भी एकल इकाई के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये, बल्कि एक-दूसरे के साथ संवाद करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
  - इसके अतिरिक्त मौजूदा संस्थानों को शामिल करने और उस चक्र को फिर से शुरू करने के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

बच्चों की नैतिकता और मूल्यों पर इंटरनेट का प्रभाव

चर्चा में क्यों?

कंप्यूटर और ज्ञान के इस युग में, नैतिक और सामाजिक मूल्यों का लोगों पर तथा समाज में शिक्षा प्रक्रिया पर अपरिहार्य प्रभाव पड़ता है।

बच्चों पर इंटरनेट के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव:

- **सकारात्मक प्रभाव:**
  - **शिक्षण क्षेत्र में आगे बढ़ाने की प्रेरणा:**
    - मीडिया ने बच्चों को शिक्षा और खेल में आगे बढ़ाने के लिये प्रेरित किया है।
    - इसके अतिरिक्त अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि जहाँ युवाओं ने इंटरनेट के सहयोग से अकादमिक कॅरियर में महत्त्वपूर्ण लक्ष्य हासिल किये हैं और साथ ही साथ इसकी सहायता से युवाओं ने खेल के क्षेत्र में असाधारण कीर्तिमान स्थापित किये हैं।
  - **सामाजिक कौशल को बढ़ावा देने में मदद करना:**
    - यह पाया गया है कि मीडिया प्रौद्योगिकी के उपयोग और प्रभाव ने युवाओं में सामाजिक कौशल को बढ़ावा दिया है जिसका वे अपने भविष्य निर्माण के क्रम में उपयोग करने में सक्षम हैं।
    - उदाहरण के लिये, यह देखा गया है कि कंप्यूटर और वीडियो गेम खेलकर बच्चे स्वतंत्र तथा रचनात्मक रूप से अपने लिये सोचने की क्षमता सीख रहे हैं।
  - **अन्तर-क्रियाशीलता में वृद्धि:**
    - इंटरनेट की बढ़ी हुई अन्तर-क्रियाशीलता से भी बच्चे लाभान्वित होते हैं।
    - यह तर्क दिया जा सकता है कि यह युवाओं के लिये इंटरनेट के सबसे बड़े लाभों में से एक है कि यह सूचना, ज्ञान और विचारों के आदान-प्रदान की अनुमति देता है जो कि सीखने के अनुकूल वातावरण के लिये अति आवश्यक हैं।
  - **नैतिक योग्यता के गुण को बढ़ावा:**
    - इंटरनेट पर सकारात्मक जानकारी का प्रसार, पहुच तथा सकारात्मक व्यक्तित्वों के साथ बातचीत सहानुभूति, करुणा और नैतिक योग्यता के गुणों को आत्मसात करने में सहायक है।
- **नकारात्मक प्रभाव:**
  - **दवाब और साइबरबुलिंग के बढ़ते उदाहरण:**
    - साइबरबुलिंग और सुरक्षा जोखिम बच्चों द्वारा इंटरनेट के बढ़ते उपयोग से जुड़े हैं, जो नैतिक और मूल्य-केंद्रित विकास को कम करता है।

नोट :

- साइबरबुली वे व्यक्ति हैं जो छोटे बच्चों या युवा वयस्कों को विभिन्न माध्यमों जैसे त्वरित संदेश और ईमेल के माध्यम से लक्षित करते हैं।
- अधिकांश मामलों में एक अपराधी द्वारा इंटरनेट का उपयोग करके दूसरे को धमकाना या धमकाना शामिल है।

◆ **मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव:**
- एक सामान्य प्रभाव यह है कि यह व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।
- कुछ मामलों में, यह अवसाद और आत्मघाती विचारों को जन्म दे सकता है।
- साथ ही, इससे रिश्तों में अंतरंगता की कमी हो सकती है और यह सामाजिक समूहों तथा गतिविधियों से पीछे हटने का कारण भी बन सकता है।

◆ **आलोचनात्मक सोच के दायरे को सीमित करता है:**
- इंटरनेट पर रेडीमेड जानकारी का उपयोग करने से बच्चों की गंभीर रूप से सीखने की क्षमता सीमित हो जाती है, जिससे उनका संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होता है।
- 7इंटरनेट बच्चों को सामाजिक वास्तविकता से अलग करता है, जो उनमें सामाजिक उदासीनता पैदा कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अंतत: हमारे नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास होता है।
- इसके अलावा, सामाजिक अलगाव उनके निर्णय लेने और नेतृत्व कौशल को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।

आगे की राह

- **संतुलित दृष्टिकोण अपनाना:**
  - ◆ इंटरनेट के सकारात्मक पहलुओं को नजरअंदाज़ करना मुश्किल है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिये उचित इंटरनेट सुरक्षा उपाय करना महत्त्वपूर्ण है कि आप नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए बिना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएँ।
  - ◆ बच्चों द्वारा इंटरनेट के उपयोग पर प्रतिबंध को विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम विकास के साथ तालमेल रखने के लिये इंटरनेट का उपयोग करने की उनकी आवश्यकता के साथ संतुलित किया जाना चाहिये।
- **संचार कुंजी होता है:**
  - ◆ बच्चों और माता-पिता, शिक्षकों आदि के बीच संचार की खाई इस मुद्दे की गंभीरता को बढ़ाती है।
  - ◆ संचार के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने और इंटरनेट की सभी अच्छी तथा बुरी विशेषताओं के बारे में स्पष्टीकरण बच्चों पर प्रौद्योगिकी के नकारात्मक भावनात्मक प्रभाव को कम करेगा।
- **वास्तविक जीवन संचार में संलग्न होने के लिये प्रोत्साहित करना:**
  - ◆ अपने बच्चों को ऑनलाइन नेटवर्किंग के बजाय लोगों के साथ अधिक वास्तविक जीवन संचार में संलग्न होने के लिये प्रोत्साहित करें।
  - ◆ उन्हें वास्तविक जीवन में मित्रता और संबंधित गतिविधियों में अधिक समय बिताने का महत्त्व सिखाया जाना चाहिये।
  - ◆ बच्चों पर सोशल मीडिया के बुरे प्रभाव के बारे में उन्हें लगातार व्याख्यान देने के बजाय, उनके अन्य हितों को प्रोत्साहित करें, जो शौक, खेल, सामाजिक कार्य या कुछ भी हो तथा जो आभासी नहीं हो।
- **रचनात्मक रूप से इंटरनेट का उपयोग करना:**
  - ◆ बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रचनात्मक रूप से उनके सीखने को बढ़ाने के लिये, या समान रुचियों वाले अन्य लोगों के साथ सहयोग करने का सुझाव दिया जाना चाहिये।
  - ◆ उन्हें यह सिखाना भी महत्त्वपूर्ण है कि किस चीज में सार है और किस पर समय बिताने लायक नहीं है।

सिविल सेवा में भ्रष्टाचार

चर्चा में क्यों ?

स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद की दोहरी चुनौतियों के खिलाफ तीखा हमला किया और कहा कि यदि समय पर इसका समाधान नहीं किया गया, तो ये बड़ी चुनौती बन सकती हैं।

भ्रष्टाचार क्या है ?

- सत्ता के पदों पर बैठे लोगों द्वारा किया गया असन्निष्ठ व्यवहार भ्रष्टाचार है।
- इसमें लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तथा वे व्यक्ति या व्यवसाय या सरकारों जैसे संगठनों से संबंधित हो सकते हैं।
- भ्रष्टाचार में कई तरह की कार्रवाइयाँ, जैसे- रिश्वत देना या उसे स्वीकार करना या अनुचित उपहार देना, दोहरा व्यवहार करना और निवेशकों को धोखा देना आदि शामिल शामिल है।
- भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत 180 देशों में से 85वें स्थान पर था।

सिविल सेवा में भ्रष्टाचार के प्रसार के कारण:

- **सिविल सेवा का राजनीतिकरण:** जब सिविल सेवा पदों को राजनीतिक समर्थन के लिये पुरस्कार के रूप में उपयोग किया जाता है या रिश्वत के लिये स्थानांतरण किया जाता है, तो उच्च स्तर के भ्रष्टाचार के अवसर काफी बढ़ जाते हैं।

- **निजी क्षेत्र की तुलना में कम वेतन:** निजी क्षेत्र की तुलना में सिविल सेवकों का वेतन।
  - वेतन में अंतर की भरपाई के लिये कुछ कर्मचारी रिश्वत का सहारा लेते हैं।
- **प्रशासनिक देरी:** फाइलों की मंज़ूरी में देरी भ्रष्टाचार का मूल कारण है।
- **चुनौतीरहित सत्ता की औपनिवेशिक विरासत:** सत्ता के उपासक वाले समाज में सरकारी अधिकारियों के लिये नैतिक आचरण से विचलित होना आसान होता है।
- **कानून का कमज़ोर प्रवर्तन:** भ्रष्टाचार की बुराई को रोकने के लिये कई कानून बनाए गए हैं लेकिन उनके कमज़ोर प्रवर्तन ने भ्रष्टाचार को रोकने में एक बाधा के रूप में काम किया है।

भ्रष्टाचार का प्रभाव

- **लोगों और सार्वजनिक जीवन पर:**
  - **सेवाओं में गुणवत्ता की कमी:** भ्रष्टाचार वाली प्रणाली में सेवा की कोई गुणवत्ता नहीं है।
    - गुणवत्ता की मांग करने हेतु किसी को इसके लिये भुगतान करना पड़ सकता है। यह कई क्षेत्रों जैसे नगर पालिका, बिजली, राहत कोष के वितरण आदि में देखा जाता है।
  - **उचित न्याय का अभाव:** न्यायपालिका प्रणाली में भ्रष्टाचार अनुचित न्याय की ओर ले जाता है जिससे पीड़ित लोगों को भुगतना पड़ सकता है।
    - सबूतों की कमी या यहाँ तक कि मिटाए गए सबूतों के कारण एक अपराध संदेह के लाभ के रूप में साबित हो सकता है।
    - पुलिस व्यवस्था में भ्रष्टाचार के कारण दशकों से जाँच प्रक्रिया चल रही है।
  - **खराब स्वास्थ्य और स्वच्छता:** अधिक भ्रष्टाचार वाले देशों में लोगों के बीच अधिक स्वास्थ्य समस्याएँ देखी जा सकती हैं। यहाँ स्वच्छ पेयजल, उचित सड़कें, गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न आपूर्ति आदि की कमी होती है।
    - ये निम्न-गुणवत्ता वाली सेवाएँ ठेकेदारों और इसमें शामिल अधिकारियों द्वारा पैसे बचाने के लिये की जाती हैं।
- **वास्तविक अनुसंधान की विफलता:** परियोजना में अनुसंधान हेतु सरकारी धन की आवश्यकता होती है और कुछ वित्त पोषण एजेंसियों में भ्रष्ट अधिकारीयों की वजह से इसमें समस्या होती है।
  - ये लोग अनुसंधान के लिये उन जाँचकर्त्ताओं को धनराशि स्वीकृत करते हैं जो उन्हें रिश्वत देने के लिये तैयार हैं।
- **समाज पर प्रभाव:**
  - **अधिकारियों की अवहेलना :** भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी के बारे में नकारात्मक बातें कर लोग उसकी अवहेलना करने लगते हैं।
    - अवहेलना करने वाले अधिकारी भी अविश्वास पैदा करेंगे और निम्न श्रेणी के अधिकारी भी उच्च श्रेणी के अधिकारियों के प्रति अनादर करेगा इसी क्रम में वह भी उसके आदेशों का पालन नहीं करता है।
  - प्रशासकों के प्रति सम्मान की कमी: राष्ट्र के प्रशासक जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जनता के प्रति सम्मान में कमी आती है। सामाजिक जीवन में सम्मान मुख्य मानदंड है।
    - जनता अपने जीवन स्तर में सुधार और नेता के सम्मान की इच्छा के साथ चुनाव के दौरान मतदान के लिये जाते हैं।
    - यदि राजनेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो यह जानने वाले लोग उनके प्रति सम्मान खो देंगे और ऐसे नेताओं का निर्वाचित नहीं करेंगे।
  - **भ्रष्टाचार से जुड़े पदों में शामिल होने से परहेज:**
    - ईमानदार और मेहनती लोग भ्रष्ट समझे जाने वाले विशेष पदों के प्रति घृणा करने लगते हैं।
    - हालाँकि वे इन पदों पर कार्य करना पसंद करते हैं, फिर भी ऐसी स्थिति में वे उस पद पर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर वे इस पद पर आते हैं तो उन्हें भी भ्रष्टाचार में शामिल होना पड़ेगा।
- **अर्थव्यवस्था पर:**
  - **विदेशी निवेश में कमी:** सरकारी निकायों में भ्रष्टाचार के कारण कई विदेशी निवेशक विकासशील देशों से वापस जा रहे हैं।
  - **विकास में देरी:** एक अधिकारी जिसे परियोजनाओं या उद्योगों के लिये मंज़ूरी प्रदान करना होता है, वह धनार्जन और अन्य गैरकानूनी ढंग से लाभ कमाने के उद्देश्य से जान-बूझ कर इस प्रक्रिया में देरी करता है। अत: जो कार्य कुछ दिनों/सप्ताह का होता है उसमें महीनों लग जाते हैं।
    - इससे निवेश, उद्योगों की शुरुआत और विकास की गति धीमी हो जाती है
  - **विकास का अभाव:** किसी विशेष क्षेत्र में कई नए उद्योग शुरू करने के इच्छुक व्यक्ति, क्षेत्र के अनुपयुक्त होने पर अपनी योजनाओं को बदल देते हैं।
    - यदि उचित सड़क, पानी और बिजली की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे क्षेत्र कंपनियाँ नए उद्योग स्थापित नहीं करना चाहती हैं, जो उस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति में बाधा डालती है।

नोट :

संबंधित पहलें:

- भारतीय दंड संहिता, 1860
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002
- विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010
- कंपनी अधिनियम, 2013
- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013
- केंद्रीय सतर्कता आयोग

आगे की राह

- **सिविल सेवा बोर्ड:** सिविल सेवा बोर्ड की स्थापना कर सरकार अत्यधिक राजनीतिक नियंत्रण पर अंकुश लगा सकती है।
- **अनुशासनात्मक प्रक्रिया का सरलीकरण:** अनुशासनात्मक प्रक्रिया को सरल बनाकर और विभागों के भीतर निवारक सतर्कता को मज़बूत करके, यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भ्रष्ट सिविल सेवक संवेदनशील पदों पर काबिज न हों।
- **मूल्य आधारित प्रशिक्षण:** सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिये सभी सिविल सेवकों को मूल्य आधारित प्रशिक्षण पर ज़ोर देना महत्त्वपूर्ण है।
    - व्यावसायिक नैतिकता सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में अभिन्न अंग होनी चाहिये और दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की सिफारिशों के आधार पर सिविल सेवकों के लिये व्यापक आचार संहिता की मांग की जानी चाहिये।
- **नैतिक और सार्वजनिक उत्साही सिविल सेवक की गणना:**
    - नैतिक और लोक-उत्साही सिविल सेवक के गुणों की गणना करते हुए, आदर्श अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र में मुद्दों की शून्य लंबितता सुनिश्चित करनी चाहिये और कार्यालय में ईमानदारी एवं अखंडता के उच्चतम गुणों को प्रदर्शित करना चाहिये, साथ ही सरकार के उपायों को लोगों तक ले जाने में सक्रिय होना चाहिये और सबसे बढ़कर हाशिये वर्गों के लोंगों के प्रति सहानुभूति रखे।
        - 'सुशासन' के लिये 'अच्छे संस्थानों' के महत्त्व पर विचार करते हुए, हमारे संस्थानों पुनर्स्थापित करने एवं सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिये प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है।
- **आधुनिक आकांक्षाओं के अनुरूप परिवर्तन:**
    - शासन मॉडल लोगों की आधुनिक आकांक्षाओं के अनुरूप बदलना चाहिये और नौकरशाही व्यवस्था को 'संवेदनशील, पारदर्शी और मज़बूत ' रखना आवश्यक है।
        - सरकार ने राष्ट्र के लिये नागरिक-केंद्रित और भविष्य हेतु तैयार सिविल सेवा के निर्माण के उद्देश्य से 'मिशन कर्मयोगी' शुरू किया है।

वर्दीधारी बल और मानसिक स्वास्थ्य

चर्चा में क्यों ?

सरकार को वर्दीधारी सेवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के समाधान के लिये तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।

वर्दीधारी बलों में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों की व्यापकता के कारण:

- **कठोर संरचित पदानुक्रम:**
    - वर्दीधारी बलों को एक कमांड-एंड-कंट्रोल पदानुक्रम प्रणाली के साथ कठोर रूप से संरचित किया जाता है।
    - एक वरिष्ठ अधिकारी अपने तत्काल कनिष्ठ के लिये रिपोर्टिंग प्राधिकारी होता है और इस कनिष्ठ को अपने कार्यों को उसके आदेश के तहत जनशक्ति के साथ पूरा करना होता है।
    - इसमें पदानुक्रम का शायद ही कभी उल्लंघन किया जाता है और प्रणाली अनुशासन, भूमिकाओं की स्पष्टता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है।
    - हालाँकि यह अमानवीय हो जाता है, विशेषकर उन लोगों के लिये जो व्यक्तिगत मुद्दों पर उचित संवाद नहीं कर पाते हैं।
- **तनाव-प्रबंधन पर ध्यान न देना:**
    - मानसिक तनाव का सामना कर रहे लोगों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है।
    - समस्या को व्यक्त करने वालों लोगों को कमज़ोर व्यक्ति घोषित कर दिया जाता है।
    - एक वर्दीधारी पेशे में अधीनस्थ कर्मचारी कमज़ोर नहीं दिखना चाहते हैं क्योंकि यह उनके कार्य से असंगत छवि का निर्माण करता है।
- **उनकी उपलब्धियों के लिये कम सम्मान:**
    - राज्य पुलिस और CAPFs में कांस्टेबुलरी का लगभग 85% हिस्सा है।
    - ये कर्मी अपने वरिष्ठों के निर्देशानुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं।
    - वे ज़्यादातर अपनी उपलब्धियों के लिये कम सम्मान और विफलता के लिये अधिक उत्पीड़न के साथ लगातार संगठन की भूमिका में रहते हैं।
- **मद्यपान की ओर रुझान :**
    - व्यवस्था में अनेक की कठिनाईयों से निपटने के लिये कर्मी अक्सर शराब और नशीली दवाओं के उपयोग का सहारा लेते हैं।
    - ऐसे मामलों में पकड़े जाने पर कानून के अनुसार दंडित किया जाता है और उपयुक्त विभागीय कार्रवाई भी की जाती है।

बलों के बीच बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों का प्रभाव:

- **युवा पीढ़ी हतोत्साहित होगी:**
  - सशस्त्र बलों की अच्छी छवि और इस तथ्य के बावजूद कि यह एक बहुत ही सम्मानजनक कार्य है, बलों के बीच बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे युवा पीढ़ी को इसमें शामिल होने से हतोत्साहित कर सकते हैं।
- **बलों का मनोबल कमज़ोर होगा:**
  - बलों के बीच बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे उन्हें हतोत्साहित कर सकते हैं और उनके दैनिक कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।
- **आत्महत्या के बढ़ते मामले :**
  - यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया (USI) के एक अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार, किसी भी दुश्मन या आतंकवादी गतिविधियों की तुलना में आत्महत्या, भ्रातृघात और अप्रिय घटनाओं के कारण सेना के अधिक जवानों को अपनी जान गँवानी पड़ रही है।

आगे की राह:

- काम करने की अच्छी स्थितियाँ: काम करने की स्थिति, छुट्टी, भत्ते और आवास को पात्रता के रूप में प्रदान किया जाना चाहिये।
- **अंतर्निहित मुद्दों की पहचान करें:**
  - असंगत लोगों को हटाकर अंतर्निहित मुद्दों वाले लोगों की पहचान की जानी चाहिये और एक अलग दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये।
  - यहीं से पुलिस नेतृत्व की भूमिका सामने आती है।
  - ज़रूरत एक ऐसी कार्यप्रणाली विकसित करने की है जो कर्मियों को व्यक्तिगत संतुष्टि प्रदान करे तथा मानसिक तनाव एवं बीमारी की संभावना को कम करे।
- **उचित संचार तंत्र:**
  - पुलिस नेताओं के रूप में सभी रैंकों के साथ संचार बढ़ाने तथा कर्मचारियों की भलाई के लिये अनुशासन के प्रवर्तन को साथ-साथ चलाने की आवश्यकता है।
  - नियमित संपर्क सभा आयोजित करने की आवश्यकता है जहाँ कार्मिक अपनी शिकायतों को प्रसारित कर सकें तथा सभी संभावित मुद्दों पर उचित अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके।
  - कार्यालय 24/7 सभी रैंकों के लिये खुला होना चाहिये।
  - इसके अतिरिक्त, मैदान पर यादृच्छिक निरीक्षण के दौरान, ड्यूटी पर कर्मियों के साथ मैत्रीपूर्ण संचार अनुशासन को प्रभावित नहीं पहुँचाती है - यह केवल नेतृत्व और कर्तव्य के प्रति समर्पण में उसका विश्वास बढ़ाता है।
- **पुरस्कार और सम्मान:**
  - पुरस्कार और मान्यता बड़े प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। अक्सर, प्रोत्साहन प्रणाली संगठन की प्रमुख कल्पना पर होती है।
  - इसे उचित व्यवस्था का औपचारिक रूप दिया जाना है साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम संकट के दौरान एक-दूसरे का समर्थन करने वाले कर्मियों के बीच सौहार्द बढ़ाते हैं।

फॉस्टियन बार्गेन बनाम सैद्धांतिक स्थिति

फॉस्टियन बार्गेन:

- **परिचय:**
  - इसकी शास्त्रीय परिभाषा एक ऐसे समझौते को संदर्भित करती है जहाँ कोई व्यक्ति सर्वोच्च नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य का व्यापार करता है, यह एक मूल सिद्धांत जो शक्ति, ज्ञान या धन के बदले में उनके आवश्यक अस्तित्व को परिभाषित करता है।
  - यह विचार जोहान जॉर्ज फॉस्ट की जर्मन किंवदंती से आया है जिन्होंने असीमित ज्ञान और सांसारिक सुखों के लिये अपनी आत्मा शैतानों के हाथों को बेच दी थी।
    - यह एक ऐसी कहानी है जिसने क्रिस्टोफर मार्लो के नाटक 'डॉक्टर फॉस्टस' से लेकर गोएथे के नाटक 'फॉस्ट' तक के महान साहित्य को प्रेरित किया है।
    - इस सौदे में अनुबंध समाप्त होने पर फॉस्ट की आत्मा को शैतान द्वारा अनंत काल के लिये पुनः प्राप्त कर लिया जाता है। यह एक कठिन सौदा है।
  - आधुनिक शब्दों में इसका अर्थ है किसी के विवेक के निलंबन या दमन के बदले प्राप्त अस्थायी लाभ। हालाँकि इससे समझौते का दोष दूर नहीं होता है।
- **उदाहरण:**
  - दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी ऐसा सौदा किया होगा जब उन्होंने गुजरात चुनाव में प्रचार करते हुए बिलकिस बानो मामले में गंभीर अपराधों के लिये दोषी 11 लोगों की रिहाई की निंदा नहीं करने का फैसला किया।
  - शायद अपदस्थ म्यॉंमार की नेता आंग सान सू ची ने भी रोहिंग्या के खिलाफ सेना के अत्याचारों के बावजूद सत्ता में आने के लिये म्यॉंमार के जनरलों के साथ सौदा किया था।
  - भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के मामले को भी सरकार के साथ एक फॉस्टियन बार्गेन माना जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें राज्यसभा के लिये नामांकन मिला।

- फॉस्टियन बार्गेन भले ही अरुचिकर और अनैतिक क्यों न हो उपयोगितावादी शब्दों में मापे गए बेहतर परिणामों द्वारा उचित ठहराया जा सकता है।
  - श्री केजरीवाल गुजरात में बेहतर सरकार बना सकते हैं और आंग सान सू की ने म्याँमार में लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण किया।

सैद्धांतिक स्थिति

- **परिचय:**
  - फॉस्टियन बार्गेन के विपरीत कुछ राजनेता यह मानते हुए समझौता नहीं करना पसंद करते हैं कि भविष्य की भलाई के लिये बुराई के साथ समझौता करने के उपयोगितावादी कलन को अपनाने के बजाय सार्वजनिक पदों को स्वीकारना बेहतर है जो किसी के मूल्यों के अनुरूप हों।
- **उदाहरण:**
  - बाबासाहेब अम्बेडकर ने वर्ष 1951 में इस्तीफा दे दिया जब उन्हें लगा कि नेहरू ने हिंदू कोड बिल पर कानून मंत्री के रूप में उनकी स्थिति को कम कर दिया है, जिस पर वे चर्चा करना चाहते थे।
  - उनका इस्तीफा भाषण सैद्धांतिक स्थिति का एक कलात्मक बयान है।
  - गांधीजी ने कोई फॉर्स्टियन सौदेबाजी नहीं की, न ही नेल्सन मंडेला या जवाहरलाल नेहरू या रवींद्रनाथ टैगोर ने।

अवैध शराब की आपूर्ति पर रोक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के एक अधिकारी ने सोलापुर (महाराष्ट्र) में अवैध शराब की भट्ठियों पर नकेल कसने के लिये सॉफ्ट पुलिसिंग का उपयोग किया।

- ज़हरीली शराब के निर्माण के लिये 'देसी शराब' या सस्ती आसुत शराब को औद्योगिक शराब या मेथनॉल के साथ मिलाकर इसकी मादक शक्ति को बढ़ाया जाता है।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़े बताते हैं कि वर्ष 2016 से 2020 के बीच भारत में अवैध शराब के सेवन से 6,172 लोगों की मौत हुई।

इस तरह के संचालन में शामिल विभिन्न हितधारकों की ज़िम्मेदारियाँ:

- **राज्य और केंद्र सरकार:**
  - शराबबंदी का प्रयास कर संवैधानिक मूल्यों को लागू करना (अनुच्छेद 47)।
  - दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में निष्पक्षता बनाए रखना।
  - पारदर्शी व्यवस्था और जाँच में कानून का शासन बनाए रखना।
  - निर्णय लेने और दुर्घटनाओं की जवाबदेही निर्धारित करने में निष्पक्षता बनाए रखना।
- **ज़िला अधिकारी:**
  - न्याय के लिये अपराधियों को कटघरे में खड़ा करने में निष्पक्षता और ईमानदारी बनाए रखना चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों।
  - पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति सहानुभूति दिखाना।
- **पुलिस:**
  - अवैध शराब के धंधे पर निष्पक्ष भाव से अंकुश लगाना।
  - राजनेताओं को दरकिनार या दोषमुक्त न कर अपने कर्तव्य के निर्वहन में निष्पक्षता बनाए रखना।
  - ड्यूटी के दौरान सत्यनिष्ठा बनाए रखना।
  - चूक और कमीशन के संबंध में जवाबदेह बनना।
  - कर्त्तव्य का ईमानदारी के साथ निर्वहन।
  - भ्रष्टाचार का उन्मूलन, कर्त्तव्यों के निर्वहन में ईमानदारी को बढ़ावा देना।
- **मीडिया:**
  - उन्हें अपनी रिपोर्ट के लिये ज़िम्मेदार और उत्तरदायी बनना।
  - लोकतंत्र के स्तंभों में से एक होने के नाते यह उनका कर्तव्य है कि वे निडर होकर निष्पक्ष रूप से सच्चाई को सामने लाएँ।
- **मंत्री / विधायक:**
  - नियमों का अक्षरश: पालन करते हुए सत्यनिष्ठा बनाए रखना।
  - जनसेवा की शपथ के प्रति निष्ठा रखना।
- **समाज:**
  - शराब का सेवन न करने तथा इसे छोड़ने हेतु नैतिक संयम बरतना, ताकि इससे स्वास्थ्य के लिये खतरा पैदा न हो।
  - शराबबंदी के गांधीवादी आदर्शों को अपनाना।
  - न्याय दिलाने में प्रशासन और पुलिस की मदद करके एक अच्छा नागरिक होने का कर्त्तव्य निभाना।

आगे की राह

- **सॉफ्ट पुलिसिंग प्रक्रिया:**
  - 'ऑपरेशन परिवर्तन' एक चार-सूत्रीय कार्ययोजना है जिसमें पुलिस ज़िले में घरेलू रूप से संचालित अवैध शराब भट्ठियों पर ठोस कार्रवाई के साथ परामर्श जैसे सॉफ्ट पुलिसिंग प्रक्रिया को शामिल किया जाना चाहिये।
- **सार्वजनिक अभियान रणनीति:**
  - लोगों से शराब के सेवन से बचने की अपील करने के लिये विज्ञापनों, नुक्कड़ नाटकों आदि के साथ सार्वजनिक अभियान चलाना।
- **पुनर्वास प्रक्रिया:**
  - शराब के आदी लोगों के पुनर्वास की प्रक्रिया को सुगम बनाना, इसके लिये सरकार की ओर से नशामुक्ति केंद्रों को खोलने हेतु पर्याप्त धनराशि का आवंटन करना।

जैवविविधता और पर्यावरण

क्लाउड सीडिंग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जो पृथ्वी पर सबसे गर्म और सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक में स्थित है, क्लाउड सीडिंग और वर्षण को बढ़ाने के प्रयास का नेतृत्व कर रहा है, जहाँ प्रतिवर्ष औसतन 100 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है।

- संयुक्त अरब अमीरात ने एक नई तकनीक के अंतर्गत संघनन प्रक्रिया को प्रोत्साहित और तेज़ करने के लिये बादलों में नमक के नैनोकणों तथा जल को आकर्षित करने वाले 'साल्ट फ्लेयर्स' को संयुक्त किया है। उम्मीद है कि यह तकनीक वर्षा के रूप में गिरने के लिये पर्याप्त बूँदों का उत्पादन करेगी।

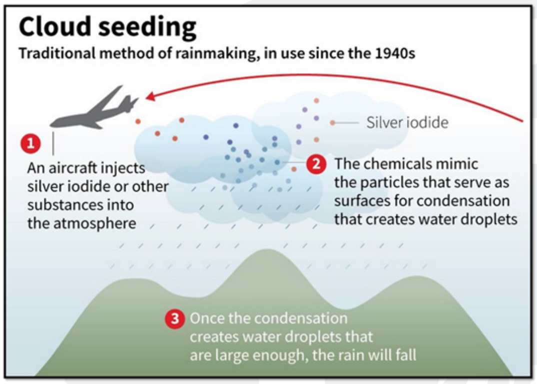

क्लाउड सीडिंग:

- **परिचय:**
  - क्लाउड सीडिंग, सूखी बर्फ या सामान्यत: सिल्वर आयोडाइड एरोसोल के बादलों के ऊपरी हिस्से में छिड़काव की प्रक्रिया है ताकि वर्षण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करके वर्षा कराई जा सके।
  - क्लाउड सीडिंग में छोटे कणों को विमानों का उपयोग कर बादलों के बहाव के साथ फैला दिया जाता है। छोटे-छोटे कण हवा से नमी सोखते हैं और संघनन से उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। इससे जल की भारी बूँदें बनकर वर्षा करती हैं।
  - क्लाउड सीडिंग से वर्षा दर प्रतिवर्ष लगभग 10% से 30% तक बढ़ जाती है और क्लाउड सीडिंग के संचालन में विलवणीकरण प्रक्रिया की तुलना में बहुत कम लागत आती है।
- **क्लाउड सीडिंग के तरीके:**
  - **हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग:**
    - बादलों के निचले हिस्से में ज्वालाओं या विस्फोटकों के माध्यम से नमक को फैलाया जाता है, और जैसे ही यह पानी के संपर्क में आता है नमक कणों का आकार बढ़ने लगता है।
  - **स्टेटिक क्लाउड सीडिंग:**
    - इसमें सिल्वर आयोडाइड जैसे रसायन को बादलों में फैलाया जाता है। सिल्वर आयोडाइड एक क्रिस्टल का उत्पादन करता है जिसके चारों ओर नमी संघनित हो जाती है।
    - वातावरण में उपस्थित जलवाष्प को संघनित करने में सिल्वर आयोडाइड अधिक प्रभावी है।
  - **डायनेमिक क्लाउड सीडिंग:**
    - इसका उद्देश्य ऊर्ध्वाधर वायु राशियों को बढ़ावा देना है जो बादलों से गुजरने हेतु अधिक जल को प्रोत्साहित करता है, जिससे वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है।
    - प्रक्रिया को स्थिर ,क्लाउड सीडिंग, की तुलना में अधिक जटिल माना जाता है क्योंकि यह अनुकूल घटनाओं के अनुक्रम पर निर्भर करता है।
- **क्लाउड सीडिंग के अनुप्रयोग:**
  - **कृषि:**
    - इसके द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा के माध्यम से राहत प्रदान की जाती है।
    - उदाहरण के लिये, वर्ष 2017 में कर्नाटक में 'वर्षाधारी परियोजना' के अंतर्गत कृत्रिम वर्षा कराई गई थी।
  - **विद्युत उत्पादन:**
    - क्लाउड सीडिंग के अनुप्रयोग द्वारा तस्मानिया (ऑस्ट्रेलिया) में पिछले 40 वर्षों के दौरान जल विद्युत उत्पादन में वृद्धि देखी गई है।
  - **जल प्रदूषण नियंत्रण:**
    - क्लाउड सीडिंग गर्मियों के दौरान नदियों के न्यूनतम प्रवाह को बनाए रखने में मदद कर सकती है और नगर पालिकाओं तथा उद्योगों से उपचारित अपशिष्ट जल के निर्वहन के प्रभाव को भी कम कर सकती है।
  - **कोहरा का प्रसार, ओला वर्षण और चक्रवात की स्थिति में परिवर्तन:**
    - सर्दियों के दौरान क्लाउड सीडिंग का उपयोग पर्वतों पर बर्फ की परत का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है, ताकि वसंत के मौसम में बर्फ के पिघलने के दौरान अतिरिक्त अपवाह प्राप्त हो सके।
    - कोहरा के प्रसार, ओला वर्षण और चक्रवात की स्थिति में परिवर्तन के उद्देश्य से क्लाउड सीडिंग के माध्यम से मौसम में परिवर्तन के लिये वर्ष 1962 में अमेरिका में "प्रोजेक्ट स्काई वाटर" का परिचालन किया गया था।

- **वायु प्रदूषण में कमी:**
  - वर्षा के माध्यम से ज़हरीले वायु प्रदूषकों को कम करने के लिये 'क्लाउड सीडिंग' का संभावित रूप से उपयोग किया जा सकता है।
  - उदाहरण: हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अन्य शोधकर्त्ताओं के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिये क्लाउड सीडिंग के उपयोग पर विचार किया।
- **पर्यटन:**
  - क्लाउड सीडिंग द्वारा शुष्क क्षेत्रों को अनुकूलित कर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है।

क्लाउड सीडिंग में विद्यमान चुनौतियाँ:

- **संभावित दुष्प्रभाव:**
  - क्लाउड सीडिंग में इस्तेमाल होने वाले रसायन पौधों, जानवरों और लोगों या पर्यावरण के लिये संभावित रूप से हानिकारक हो सकते हैं।
- **असामान्य मौसम प्रतिरूप:**
  - यह अंततः ग्रह पर जलवायु प्रतिरूप में बदलाव ला सकता है। वर्षा को प्रोत्साहित करने के लिये वातावरण में रसायनों को छिड़कने की कृत्रिम प्रक्रिया के कारण सामान्य रूप से वर्षा वाले प्राप्त स्थानों पर सूखे जैसी घटनाओं को बढ़ावा दे सकता है।
- **तकनीकी रूप से महँगा:**
  - इसमें रसायनों को आकाश में छिड़कने और उन्हें फ्लेयर शॉट्स या हवाई जहाज़ द्वारा हवा में छोड़ने जैसी प्रक्रियाएँ शामिल हैं, जिसमें भारी लागत और लॉजिस्टिक शामिल है।
- **प्रदूषण:**
  - कृत्रिम वर्षा के दौरान सिल्वर आयोडाइड, शुष्क बर्फ या लवण जैसे सीडिंग तत्त्व भी धरातल पर आएंगे। क्लाउड-सीडिंग परियोजनाओं के आस-पास के स्थानों में खोजे गए अवशिष्ट चाँदी को विषाक्त माना जाता है। शुष्क बर्फ के लिये यह ग्रीनहाउस गैस का एक स्रोत भी हो सकता है जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है, क्योंकि यह मूल रूप से कार्बन डाइऑक्साइड होता है।

सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन मानदंडों का विस्तार

चर्चा में क्यों?

विद्युत मंत्रालय (MoP) ने सल्फर उत्सर्जन में कटौती करने के लिये फ्लू गैस डिसल्फराइज़ेशन (FGD) स्थापित करने के लिये कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्रों की समय सीमा दो वर्ष बढ़ा दी है।

पृष्ठभूमि

- भारत ने शुरू में सल्फर उत्सर्जन में कटौती के लिये FGD इकाइयों को स्थापित करने के लिये तापीय ऊर्जा संयंत्र हेतु के लिये वर्ष 2017 की समय सीमा निर्धारित की थी।
  - सल्फर डाइऑक्साइड को हटाने को फ्लू-गैस डिसल्फराइजेशन (FGD) कहा जाता है।
  - यह गैसीय प्रदूषकों को दूर करने का प्रयास करता है। SO_2 थर्मल प्रसंस्करण, उपचार और दहन के कारण भट्टियों, बॉयलरों और अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं में उत्पन्न गैसें हैं।
- बाद में समय सीमा को अलग-अलग क्षेत्रों के लिये अलग-अलग समय सीमा वर्ष 2022 में समाप्त होने वाली थी जिसे बढ़ाकर वर्ष 2025 कर दिया गया।
- 2027 के अंत तक सल्फर उत्सर्जन के मानदंडों का पालन नहीं करने पर बिजली संयंत्रों को जबरन रिटायर्ड कर दिया जाएगा।
- आबादी वाले क्षेत्रों और राजधानी नई दिल्ली के पास संयंत्रों को वर्ष 2024 के अंत से संचालित करने के लिये जुर्माना देना होगा, जबकि कम प्रदूषण वाले क्षेत्रों में यूटिलिटीज पर वर्ष 2026 के अंत से जुर्माना लगाया जाएगा।
- उच्च लागत, धन की कमी, कोविड -19 संबंधित देरी और चीन के साथ भूराजनीतिक तनाव, जिसने व्यापार को कुप्रभावित किया है, विस्तार के कारणों के रूप में उद्धृत किया गया है।

FGD इकाइयों की स्थापना का महत्त्व:

- भारतीय शहरों में दुनिया की कुछ सबसे प्रदूषित वायु हैं। भारत वर्तमान में अगले उच्चतम देश रूस की तुलना में SO_2 की मात्रा का लगभग दोगुना उत्सर्जन करता है।
- थर्मल यूटिलिटीज, जो देश की 75% बिजली का उत्पादन करती हैं, सल्फर और नाइट्रस-ऑक्साइड के लगभग 80% औद्योगिक उत्सर्जन के लिये ज़िम्मेदार हैं, जो फेफड़ों की बीमारियों, अम्ल वर्षा और स्मॉग का कारण बनती हैं।
- निर्धारित मानदंडों के कार्यान्वयन में हर एक दिन की देरी और FGD प्रणाली को स्थापित नहीं करने से हमारे समाज को भारी स्वास्थ्य और आर्थिक नुकसान हो रहा है।
- भारत में हानिकारक SO_2 प्रदूषण के उच्च स्तर को बहुत जल्द टाला जा सकता है क्योंकि फ्लू -गैस डिसल्फराइज़ेशन सिस्टम चीन में उत्सर्जन के स्तर को कम करने में सफल साबित हुए हैं , जो 2005 में उच्चतम स्तर के लिये जिम्मेदार देश था।

सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण

- **स्रोत:**
  - वातावरण में SO_2 का सबसे बड़ा स्रोत विद्युत संयंत्रों और अन्य औद्योगिक गतिविधियों में जीवाश्म ईंधन का दहन है।

नोट :

- SO_2 उत्सर्जन के छोटे स्रोतों में अयस्कों से धातु निष्कर्षण जैसी औद्योगिक प्रक्रियाएँ, प्राकृतिक स्रोत जैसे- ज्वालामुखी विस्फोट, इंजन, जहाज़ और अन्य वाहन तथा भारी उपकरणों में उच्च सल्फर ईंधन सामग्री का प्रयोग शामिल है।

- **प्रभाव:**
  - SO_2 स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को प्रभावित कर सकती है।
  - SO_2 के अल्पकालिक जोखिम मानव श्वसन प्रणाली को नुकसान पहुँचा सकते हैं और साँस लेने में कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं। विशेषकर बच्चे SO_2 के इन प्रभावों के प्रति संवेदनशील होते हैं।
  - WHO के अनुसार, यह प्रति वर्ष विश्व स्तर पर 2 मिलियन लोगों की मौत SO_2 के कारण होती है।
  - SO_2 का उत्सर्जन हवा में SO_2 की उच्च सांद्रता के कारण होता है, सामान्यत: यह सल्फर के अन्य ऑक्साइड (SO_x) का निर्माण करती है। (SO_x) वातावरण में अन्य यौगिकों के साथ प्रतिक्रिया कर छोटे कणों का निर्माण कर सकती है। ये पार्टिकुलेट मैटर (PM) प्रदूषण को बढ़ाने में सहायक हैं।
    - छोटे प्रदूषक कण फेफड़ों में प्रवेश कर स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
  - यह अम्लीय वर्षा का कारण भी बन सकता है जिससे व्यापक पर्यावरणीय क्षति होती है।
- **भारत के संदर्भ में:**
  - भारत द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन के मामले में ग्रीनपीस इंडिया और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (Centre for Research on Energy and Clean Air) की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में वर्ष 2018 की तुलना में लगभग 6% की गिरावट (चार वर्षों में सबसे अधिक) दर्ज की गई है।
    - फिर भी भारत इस दौरान SO_2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक बना रहा।
  - वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) को अल्पकालिक अवधि (24 घंटे तक) के लिये व्यापक राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित करने हेतु आठ प्रदूषकों (PM_{10}, $PM_{2.5}$, NO_2, SO_2, CO, O_3, NH_3 तथा Pb) के आधार पर विकसित किया गया है।

जलवायु क्षतिपूर्ति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पाकिस्तान अपने इतिहास की सबसे भीषण बाढ़ आपदा का सामना कर रहा है, इसलिये उसने उन विकसित देशों से क्षतिपूर्ति या मुआवजे की मांग करना शुरू कर दिया है जो मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन के लिये ज़िम्मेदार हैं।

जलवायु क्षतिपूर्ति

- जलवायु क्षतिपूर्ति विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को विकसित देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन की दिशा में किये गए ऐतिहासिक योगदानों को संबोधित करने के साधन के रूप में भुगतान किये जाने वाले धन के आह्वान को संदर्भित करती है।

जलवायु परिवर्तन हेतु ज़िम्मेदार:

- **ऐतिहासिक उत्सर्जन:** पश्चिमी देशों की ऐतिहासिक ज़िम्मेदारी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सैकड़ों वर्षों तक वातावरण में बनी रहती है और यह इस कार्बन डाइऑक्साइड का संचय है जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है।
- **प्रदूषक भुगतान सिद्धांत (Polluter Pays Principle):** प्रदूषक भुगतान सिद्धांत की अवधारणा प्रदूषक को न केवल उपचारात्मक कार्रवाई की लागत का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी बनाती है, बल्कि उनके कार्यों के कारण पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति करने हेतु भी उत्तरदायी बनाती है।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम सहित, वर्तमान समय के दौरान सभी उत्सर्जन का 50% से अधिक हिस्सा है।
  - वर्तमान समय के दौरान सभी उत्सर्जन का 50% से अधिक हिस्सा यूनाइटेड किंगडम सहित संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ का है।
  - यदि रूस, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया जाए, तो संयुक्त योगदान 65% या सभी उत्सर्जन के लगभग दो-तिहाई से अधिक हो जाता है।
  - इसके अलावा भारत जैसा देश, जो वर्तमान में तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है, ऐतिहासिक उत्सर्जन का केवल 3% है। जबकि, चीन, जो पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक है, ने वर्ष 1850 के बाद से कुल उत्सर्जन में लगभग 11% का योगदान दिया है।
- **वैश्विक प्रभाव:** जलवायु परिवर्तन के प्रभाव गरीब देशों पर उनकी भौगोलिक स्थिति और सामना करने की कमजोर क्षमता के कारण बहुत अधिक गंभीर हैं।
  - इन सबसे होने वाली क्षति मुआवजे की मांगों को जन्म दे रहा है, जिन देशों द्वारा अतीत में उत्सर्जन नगण्य योगदान रहा है और संसाधनों की कमी है, वे जलवायु परिवर्तन के सबसे विनाशकारी प्रभावों का सामना कर रहे हैं।
- **भारत पर प्रभाव:** वर्ष 2020 में भारत और बांग्लादेश में चक्रवात अम्फान से 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आर्थिक नुकसान का अनुमान लगाया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में निर्धारित जलवायु उत्तरदायित्व:

- **उत्तरदायित्व की स्वीकृति:** जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय (United Nations Framework Convention on Climate Change- UNFCCC), 1994 का अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो जलवायु परिवर्तन से का सामना करने के वैश्विक प्रयासों के व्यापक सिद्धांतों को निर्धारित करता है, स्पष्ट रूप से राष्ट्रों की इस विभेदित ज़िम्मेदारी को स्वीकार करता है।
    - यह स्पष्ट करता है कि विकसित देशों को विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिये वित्त और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करना चाहिये।
        - इस जनादेश के परिणामस्वरूप विकसित देश प्रत्येक वर्ष विकासशील देशों को 100 बिलियन अमेरीकी डॉलर का अनुदान देने पर सहमत हुए।
    - **वर्तमान स्थिति:** 100 बिलियन अमेरीकी डॉलर के अनुदान की प्रतिबद्धता अभी पूरा नहीं हुई है।
        - संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिये तैयार किये गए मानवीय प्रयासों के समन्वय के लिये संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNOCHA) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु से जुड़ी आपदाओं से संबंधित वार्षिक वित्त पोषण अनुरोध वर्ष 2019 और 2021 के मध्य तीन वर्ष की अवधि में औसतन 15.5 बिलियन अमेरीकी डॉलर का था।
        - अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने उत्सर्जन के कारण "अन्य देशों को हानि में 1.9 ट्रिलियन अमेरीकी डॉलर से अधिक की क्षति" का अनुमान लगाया है।
        - **गैर-आर्थिक हानि:** जीवन की हानि, विस्थापन और प्रवासन, स्वास्थ्य प्रभाव तथा सांस्कृतिक विरासत को नुकसान सहित गैर-आर्थिक नुकसान शामिल हैं।
        - **आर्थिक हानि:** जलवायु परिवर्तन से अपरिहार्य वार्षिक आर्थिक नुकसान वर्ष 2030 तक 290 बिलियन अमेरीकी डॉलर से 580 बिलियन अमेरीकी डॉलर के बीच कहीं पहुँचने का अनुमान लगाया गया था।
- **पहल:** विकासशील देश और गैर-सरकारी संगठन अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन वार्ता में हानि और क्षति के लिये एक अलग चैनल स्थापित करने में सफल रहे।
    - इसलिये हानि और भरपाई के लिये वारसॉ अंतर्राष्ट्रीय तंत्र (WIM), 2013 में स्थापित, जलवायु आपदाओं से प्रभावित विकासशील देशों को क्षतिपूर्ति करने की आवश्यकता की पहली औपचारिक स्वीकृति थी।

भारत की जलवायु प्रतिज्ञा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक अध्ययन में पेरिस समझौते के लिये भारत की अद्यतन जलवायु प्रतिज्ञा को अनुपालन में पाँचवाँ और महत्त्वाकाँक्षा में चौथा स्थान दिया गया है।

INDIA'S CLIMATE TARGETS: EXISTING AND NEW

Target (for 2030)	Existing: First NDC (2015)	New: Updated NDC (2022)	Progress
Emission intensity reduction	33-35 per cent from 2005 levels	45 per cent from 2005 levels	24 per cent reduction achieved in 2016 itself. Estimated to have reached 30 per cent
Share of non-fossil fuels in installed electricity capacity	40 per cent	50 per cent	41.5 per cent achieved by the end of June this year
Carbon sink	Creation of 2.5 to 3 billion tonnes of additional sink through afforestation	Same as earlier	Not clear.

अध्ययन की मुख्य विशेषताएँ:

- **परिचय:**
    - यह अध्ययन वैज्ञानिक पत्रिका 'नेचर क्लाइमेट चेंज' (Nature Climate Change) में प्रकाशित हुआ था।
    - इसमें आठ देश भारत, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, रूस, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
    - पेरिस समझौते के लगभग सभी हस्ताक्षरकर्त्ताओं ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Conference on Climate Change- COP 26) के 26वें सत्र के दौरान अपनी जलवायु प्रतिज्ञाओं/प्रतिबद्धताओं का अद्यतन किया।
- **परिणाम:**
    - यूरोपीय संघ (European Union-EU) इसमें शीर्ष पर था, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका अनुपालन में अंतिम स्थान पर और महत्त्वाकांक्षा में दूसरे स्थान पर था।
        - **अनुपालन:** अनुपालन श्रेणी में, यूरोपीय संघ ने अग्रणी स्थान हासिल किया जिसके बाद चीन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, भारत, रूस, सऊदी अरब, ब्राज़ील और अमेरिका का स्थान रहा।
    - **महत्त्वाकांक्षा:**
        - महत्त्वाकांक्षा श्रेणी में, यूरोपीय संघ के बाद चीन, दक्षिण अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब का स्थान है।

- **मानदंड:**
  - अपने जलवायु प्रतिज्ञाओं या राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions-NDCs) को पूरा करने की संभावना वाले राष्ट्रों को अनुपालन में उच्च स्थान दिया गया था।
    - साहसिक प्रतिबद्धताओं वाले देशों को महत्त्वाकांक्षा में उच्च स्थान दिया गया था।
- **सांख्यिकीय विश्लेषण:**
  - स्थिर शासन वाले राष्ट्रों में साहसिक और अत्यधिक विश्वसनीय प्रतिज्ञाओं की संभावना अधिक होती है।
  - इसके अलावा चीन और अन्य गैर-लोकतंत्र भी अपनी प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने की संभावना रखते हैं।
    - इन देशों की प्रशासनिक और राजनीतिक प्रणालियाँ उन्हें जटिल राष्ट्रीय नीतियों को लागू करने में सक्षम बनाती हैं।
- **भारत का प्रदर्शन:**
  - भारत को अनुपालन में पाँचवाँ और महत्वाकांक्षा में चौथा स्थान प्राप्त है।

पेरिस समझौता:

- **परिचय:**
  - पेरिस समझौते (जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 या COP 21 के रूप में भी जाना जाता है) को वर्ष 2015 में अपनाया गया था।
    - इसने क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान लिया जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये पहले का समझौता था।
  - पेरिस समझौता एक वैश्विक संधि है जिसमें लगभग 200 देश, ग्रीन हाउस गैसों (GHGs) के उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण करने के लिये सहयोग करने पर सहमत हुए हैं।
    - यह पूर्व-उद्योग स्तरों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे, अधिमानत: 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करता है।
- **कार्य:**
  - ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के अलावा पेरिस समझौते में प्रत्येक पाँच वर्ष मंत उत्सर्जन में कटौती के लिये प्रत्येक देश के योगदान की समीक्षा करने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है ताकि वे संभावित चुनौती के लिये तैयार हो सकें। वर्ष 2020 तक, देशों NDCs के रूप में ज्ञात जलवायु कार्रवाई के लिये अपनी योजनाएँ प्रस्तुत की थी।
  - दीर्घकालिक रणनीतियाँ: दीर्घकालिक लक्ष्य की दिशा में प्रयासों को उचित ढंग से तैयार करने के लिये पेरिस समझौता देशों को वर्ष 2020 तक दीर्घकालिक कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन विकास रणनीति (LT-LEDS) तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के लिये आमंत्रित करता है।
  - दीर्घकालिक कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन विकास रणनीतियाँ (LT-LEDS) NDC के लिये दीर्घकालिक क्षितिज प्रदान करती हैं परंतु NDC की तरह वे अनिवार्य नहीं हैं।
- **प्रगति रिपोर्ट:**
  - पेरिस समझौते के साथ देशों ने उन्नत पारदर्शिता ढाँचा (ETF) स्थापित किया। वर्ष 2024 से शुरू होने वाले ETF के तहत, देश जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन उपायों और प्रदान या प्राप्त समर्थन में की गई कार्रवाइयों एवं प्रगति पर पारदर्शी रूप से रिपोर्ट करेंगे।
    - इसमें प्रस्तुत रिपोर्टों की समीक्षा के लिये अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं का भी प्रावधान है।
    - ETF के माध्यम से एकत्र की गई जानकारी वैश्विक स्टॉकटेक में उपलब्ध होगी जो दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्यों की दिशा में सामूहिक प्रगति का आकलन करेगी।

आगे की राह

- इस दीर्घकालिक तापमान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये देशों को सदी के मध्य तक जलवायु-तटस्थ विश्व निर्माण के लिये जल्द से जल्द ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी हेतु वैश्विक शिखर पर पहुँचने का लक्ष्य रखना चाहिये।
- मध्यम अवधि के डीकार्बोनाइज़ेशन के लिये स्पष्ट मार्ग के साथ विश्वसनीय अल्पकालिक प्रतिबद्धताओं की आवश्यकता है, जो वायु प्रदूषण जैसी कई चुनौतियों को ध्यान में रखता है, साथ ही विकास के लिये अधिक रक्षात्मक विकल्प हो सकता है।

इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change-MoEF&C) ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत वायु गुणवत्ता में सुधार के लिये जागरूकता बढ़ाने और कार्यों को सुविधाजनक बनाने हेतु 'स्वच्छ वायु दिवस (Clean air day)' के रूप में 'इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई' का आयोजन किया।

- अपने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के लिये चुने गए 131 में से 20 शहरों ने अपने वर्ष 2017 के स्तर की तुलना में वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर को प्राप्त किया है।

प्रमुख बिंदुः

- **थीम :**
  - वायु, हम साझा करते हैं (The Air We Share)।
  - यह वायु प्रदूषण से निपटने के लिये शमन नीतियों और कार्यों के अधिक कुशल कार्यान्वयन के लिये तत्काल तथा रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
- **परिचयः**
  - अपने 74वें सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा में 19 दिसंबर, 2019 को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई आयोजित करने का एक प्रस्ताव अपनाया।
  - संकल्प ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) को अन्य संबंधित हितधारकों के सहयोग से दिवस के पालन को सुविधाजनक बनाने के लिये प्रोत्साहित किया।
  - प्रस्ताव के पारित कराने हेतु जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन ने UNEP और कोरिया गणराज्य के साथ मिलकर प्रयास किया।
- **महत्त्वः**
  - संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के साथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करके इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई मनाता है।
  - उपस्थित लोगों ने अपने दृष्टिकोण रखे और दुनिया भर में वायु प्रदूषण तथा वायु गुणवत्ता के प्रभावों पर चर्चा की।

NCAP के प्रमुख निष्कर्षः

- इन 131 शहरों में से 95 ने वायु गुणवत्ता में सुधार दिखाया है।
  - वाराणसी में वायु गुणवत्ता के स्तर में 53% का सबसे उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया।
  - वर्ष 2017 में वाराणसी में PM10 की वार्षिक औसत सांद्रता 244 थी, जो वर्ष 2021 में गिरकर 144 हो गई।
- सभी महानगरों, दिल्ली, बंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में PM10 ने वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2021-22 में वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार दिखाया है।
  - सुधार वाले अन्य प्रमुख शहरों में नोएडा, चंडीगढ़, नवी मुंबई, पुणे, गुवाहाटी आदि शामिल हैं।
- लेकिन इसी अवधि में 27 शहरों में वायु गुणवत्ता में गिरावट देखी गई है।
  - उनमें से छत्तीसगढ़ के ज़िला कोरबा शामिल है, जहाँ 10 तापीय कोयला विद्युत संयंत्र हैं।
- राज्यों में, मध्य प्रदेश का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है, क्योंकि NCAP के लिये केंद्र द्वारा चुने गए राज्य के सात शहरों में से छह ने वायु गुणवत्ता में गिरावट देखी गई है।
  - ये शहर हैं- भोपाल, देवास, इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन और ग्वालियर।
- पश्चिम बंगाल में हावड़ा और दुर्गापुर; महाराष्ट्र में औरंगाबाद और ठाणे; बिहार में गया; गुजरात में राजकोट और वडोदरा; भुवनेश्वर (ओडिशा); पटियाला (पंजाब) और जम्मू में भी वायु गुणवत्ता में गिरावट देखी गई है।

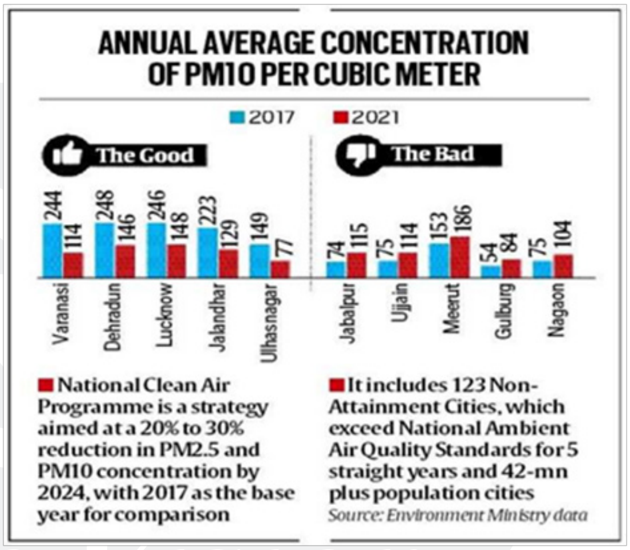

रेड इयर्ड स्लाइडर टर्टल्स

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है कि आक्रामक और विदेशी साउथ रेड-ईयर स्लाइडर टर्टल्स (Red-Eared Slider Turtles) की उपस्थिति देशी प्रजातियों के कछुओं के विलुप्त होने का कारण बन जाएगा।

- भारत विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त 356 कछुओं की प्रजातियों में से 29 मीठे जल के कछुओं की प्रजातियों का घर है और जिनमें से लगभग 80% संकटग्रस्त हैं।

रेड इयर्ड स्लाइडर टर्टल्सः

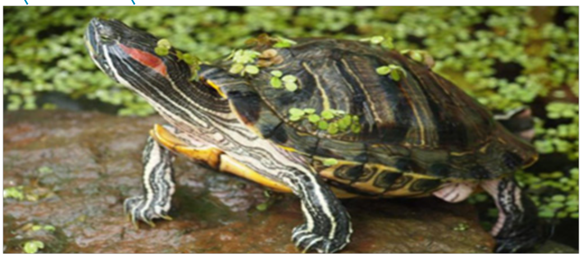

नोट :

- रेड इयर्ड स्लाइडर टर्टल्स मुख्य रूप से जलीय जीव होते हैं जो चट्टानों और लकड़ियों के सहारे जलीय क्षेत्र से बाहर आते हैं।
  - धुप सेंकते समय रेड इयर्ड स्लाइडर प्रायः पर एक-दूसरे के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं और खतरे एवं शिकार शिकारी की आशंका होने पर बेसिंग स्पॉट (धूप सेंकने वाली जगह) से तेज़ी के साथ स्लाइड (फिसल) कर जल में चले जाते हैं, इसलिये इनके नाम में "स्लाइडर" शब्द जुड़ा है।
- रेड इयर्ड स्लाइडर टर्टल्स को विक्टोरियन कैचमेंट एंड लैंड प्रोटेक्शन एक्ट, 1994 के तहत नियंत्रित परोपजीवी (Pest) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- **वैज्ञानिक नाम:** ट्रेकेमीस स्क्रिप्टा एलिगेंस (Trachemys Sscripta Elegans)
- **पर्यावास:** ये विस्तृत श्रृंखला में निवास करते हैं और कभी-कभी खारे जल के साथ मुहाने तथा तटीय आर्द्रभूमि में पाए जाते हैं।
  - वे जल की गुणवत्ता की एक उच्च सीमा को भी सह सकते हैं और उच्च स्तर के कार्बनिक प्रदूषकों जैसे कि अपशिष्ट और अकार्बनिक प्रदूषण वाले जल में भी जीवित रह सकते हैं।
- अवस्थिति: रेड इयर्ड स्लाइडर टर्टल्स दक्षिण-पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको का मूल प्रजाति है।
- **सुरक्षा की स्थिति:**
  - अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) रेड लिस्ट: कम चिंतनीय
  - वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora- CITES): लागू नहीं
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: लागू नहीं
- **विशेषताएँ:**
  - इनकी आँख के पीछे एक चौड़ी लाल या नारंगी पट्टी होती है, जिसमें संकीर्ण पीली धारियाँ होती हैं, जो शेष काले शरीर, गर्दन, पैरों और पूँछ को चिह्नित करती हैं।
  - उनके सामने और पिछले पैरों पर विशिष्ट लंबे पंजे प्रमुख होते हैं जो मादा की तुलना में नर में अधिक लंबे होते हैं।
  - खतरे की आशंका में अपना सिर अपने खोल में सीधी रेखा में वापस खींच लेते हैं, जबकि देशी कछुए अपनी गर्दन को खोल के नीचे की तरफ एक ओर खींचते हैं।

भारत में रेड इयर्ड स्लाइडर टर्टल्स की उपस्थिति:

- **अनुकूल पालतू जानवर:** भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत देशी कछुओं को पालतू जानवर के रूप में पालना प्रतिबंधित है।
  - लेकिन विदेशी नस्लें प्रतिबंधित नहीं हैं और पूरे भारत में कई परिवारों में पालतू जानवरों के रूप में इन्हें पाला जाता है।
  - ये छोटी और आसानी से पालतू बनाई जाने वाली प्रजातियाँ हैं और इसलिये पालतू कछुओं के रूप में ये लोकप्रिय हैं।
  - अन्य स्थानीय कछुओं की किस्मों की तुलना में यह प्रजाति तेज़ी से प्रजनन करती है। जैसे-जैसे इनकी संख्या बढ़ती है, कम क्षेत्रफल वाले टैंक या तालाब इनके लिये छोटे पड़ जाते हैं।
    - इन कछुओं को पालने वाले कई बार इन्हें जंगल या आस-पास के जलाशयों में छोड़ देते हैं, जिसके बाद वे स्थानीय जीवों के लिये खतरा बन जाते हैं।
- **भारत में उपस्थिति:** भारत में, ये कछुए मुख्य रूप से शहरी आर्द्रभूमि जैसे चंडीगढ़ में सुखना झील, गुवाहाटी के मंदिर तालाब, बंगलुरु की झीलें, मुंबई में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, दिल्ली में यमुना नदी आदि में पाए जाते हैं।
- **देशी प्रजातियों पर प्रभाव:**
  - जैसे-जैसे ये परिपक्व होते हैं, अधिक संतानोपत्ति करते हैं और बहुत आक्रामक होते जाते हैं, ये भोजन, घोंसले के शिकार और बेसिंग साइटों के लिये देशी कछुओं को प्रभावित कर सकते हैं।
  - ये पौधों और जानवरों को खाते हैं जो मछलियों एवं दुर्लभ मेंढकों सहित जलीय प्रजातियों की विस्तृत श्रृंखला को समाप्त कर सकते हैं।
  - ये बीमारियों और परजीवियों को देशी सरीसृप प्रजातियों में भी स्थानांतरित कर सकते हैं।
  - इस प्रजाति को दुनिया की 100 सबसे खराब आक्रामक विदेशी प्रजातियों में से एक माना जाता है।

आक्रमण को नियंत्रित करने हेतु उपाय:

- प्रजातियों को भारतीय पर्यावरण में प्रवेश करने और इसे नकारात्मक रूप से प्रभावित करने से रोकने के लिये और अधिक नियम होने चाहिये।
- शहरी आर्द्रभूमि से इन कछुओं की खरीद और पुनर्वास के लिए मानवकृत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
  - इन कछुओं को रोकने हेतु अभियान चलाया जाना चाहिये।
- इन कछुओं को रोका जाए, बंदी बनाया जाए और स्थानीय चिड़ियाघरों में भेजा जाए।

आक्रामक प्रजातियों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल, 2000:

- इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप संशोधित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों से जैव विविधता की रक्षा करना है।

नोट :

जैविक विविधता पर सम्मेलन:

- यह रियो डी जनेरियो में वर्ष 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन (Earth Summit) में अपनाए गए प्रमुख समझौतों में से एक था।
  - जैव विविधता पर रियो डी जनेरियो अभिसमय (Rio de Janeiro Convention on Biodiversity), 1992 ने भी पौधों की विदेशी प्रजातियों के जैविक आक्रमण को निवास स्थान के विनाश के बाद पर्यावरण के लिये दूसरा सबसे बड़ा खतरा माना था।
- इस सम्मेलन का अनुच्छेद 8 (h) उन विदेशी प्रजातियों का नियंत्रण या उन्मूलन करता है जो प्रजातियों के पारिस्थितिकी तंत्र, निवास स्थान आदि के लिये खतरनाक हैं।

प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय (CMS) या बॉन अभिसमय, 1979:

- यह एक अंतर-सरकारी संधि है जिसका उद्देश्य स्थलीय, समुद्री और एवियन प्रवासी प्रजातियों को संरक्षित करना है।
- इसका उद्देश्य पहले से मौजूद आक्रामक विदेशी प्रजातियों को नियंत्रित करना या खत्म करना भी है।

वन्यजीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (CITES):

- यह वर्ष 1975 में अपनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वन्यजीवों और पौधों के प्रतिरूप को किसी भी प्रकार के खतरे से बचाना है तथा इनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकना है।
- यह आक्रामक प्रजातियों से संबंधित उन समस्याओं पर भी विचार करता है जो जानवरों या पौधों के अस्तित्व के लिये खतरा उत्पन्न करती हैं।

रामसर अभिसमय, 1971:

- यह अभिसमय अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के आर्द्रभूमि के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
- यह अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर आर्द्रभूमि पर आक्रामक प्रजातियों के पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव को भी संबोधित करता है तथा उनसे निपटने के लिये नियंत्रण और समाधान के तरीकों को भी खोजता है।

हाइड्रोजन फ्यूल सेल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जर्मनी ने दुनिया की पहली पूरी तरह से हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों का बेड़ा लॉन्च किया, ये उत्सर्जन-मुक्त ट्रेनें हैं जो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकती हैं तथा टैंक खाली होने से पहले लगभग 1,000 किमी. तक चल सकती हैं।

हाइड्रोजन फ्यूल सेल (HFC):

- **परिचय:**
  - हाइड्रोजन फ्यूल सेल उच्च गुणवत्ता वाली विद्युत शक्ति का एक स्वच्छ, विश्वसनीय, निर्बाध और कुशल स्रोत है।
  - वे एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के परिचालन के लिये फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं तथा विद्युत के साथ जल और ऊष्मा का उत्पादन करते हैं जो एकमात्र उप-उत्पाद के रूप में होता है।
    - स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन विकल्प के लिये हाइड्रोजन पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे प्रचुर तत्त्वों में से एक है।
- **हाइड्रोजन के निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर इसके प्रकार:**
  - ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण अक्षय ऊर्जा (जैसे- सौर, पवन) का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा नि होता है और इसमें कार्बन फुटप्रिंट कम होता है।
    - इसके तहत विद्युत द्वारा जल (H_2O) को हाइड्रोजन (H) और ऑक्सीजन (O_2) में विभाजित किया जाता है।
    - उपोत्पाद: जल, जलवाष्प।
  - ब्राउन हाइड्रोजन का उत्पादन कोयले का उपयोग करके किया जाता है जहाँ उत्सर्जन को वायुमंडल में निष्कासित किया जाता है।
  - ग्रे हाइड्रोजन (Grey Hydrogen) का उत्पादन प्राकृतिक गैस से होता है जहाँ संबंधित उत्सर्जन को वायुमंडल में निष्कासित किया जाता है।
  - ब्लू हाइड्रोजन (Blue Hydrogen) की उत्पत्ति प्राकृतिक गैस से होती है, जहाँ कार्बन कैप्चर और स्टोरेज का उपयोग करके उत्सर्जन को कैप्चर किया जाता है।
- **महत्त्व:**
  - सर्वश्रेष्ठ शून्य उत्सर्जन समाधान: यह सबसे अच्छे शून्य उत्सर्जन समाधानों में से एक है। यह पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है जिसमें जल के अलावा कोई तेलपाइप उत्सर्जन नहीं है।
    - तेलपाइप उत्सर्जन (Tailpipe Emission): वातावरण में गैस या विकिरण जैसी किसी चीज़ का उत्सर्जन।
  - शोर रहित संचालन (Quiet Operation): तथ्य यह है कि फ्यूल सेल कम शोर करती हैं, इसका मतलब है कि उनका उपयोग अस्पताल की इमारतों जैसे चुनौतीपूर्ण संदर्भों में किया जा सकता है।
  - आसान संचालन: फ्यूल सेल का संचालन समय बैटरी की तुलना में लंबा होता है, फ्यूल सेल के साथ संचालन समय को दोगुना करने हेतु केवल ईंधन की मात्रा को दोगुना करने की आवश्यकता होती है, जबकि बैटरी को इसे प्राप्त करने के लिये घटकों की क्षमता को दोगुना करने की आवश्यकता होती है।

- **मुद्दे:**
  - **उच्च लागत:** ग्रीन हाइड्रोजन वैश्विक हाइड्रोजन उत्पादन का केवल 0.03% का निर्माण करता है और यह प्राकृतिक गैस से उत्पादित 'ग्रे' हाइड्रोजन या कोयले से उत्पादित 'ब्राउन' हाइड्रोजन से पाँच गुना अधिक महँगा है।
  - **हाइड्रोजन भंडारण:** हाइड्रोजन का भंडारण और परिवहन जीवाश्म ईंधना की तुलना में अधिक जटिल है। इसका तात्पर्य ऊर्जा के स्रोत के रूप में हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर विचार करने हेतु अतिरिक्त लागत से है।
  - **हाइड्रोजन निष्कर्षण:** ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्त्व होने के बावजूद हाइड्रोजन अपने आप में मौजूद नहीं है, इसलिये इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से पानी से निकालने या कार्बन जीवाश्म ईंधन से अलग करने की आवश्यकता होती है।
    - इन दोनों प्रक्रियाओं के लिये महत्त्वपूर्ण मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा स्वयं हाइड्रोजन से प्राप्त ऊर्जा से अधिक होने के साथ-साथ महँगी भी हो सकती है।
    - इसके अलावा इस निष्कर्षण के लिये आमतौर पर जीवाश्म ईंधन के उपयोग की आवश्यकता होती है, जो कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS) की अनुपस्थिति में हरित हाइड्रोजन साख (Green Credentials of Hydrogen) को कमज़ोर करता है।
- **भारतीय परिदृश्य:**
  - **की गई पहल:** केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन (National Hydrogen Energy Mission-NHM) की घोषणा की गई है, जो हाइड्रोजन को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिये एक रोडमैप तैयार करेगा।
  - **अक्षय ऊर्जा के लिये अन्य पहलें:**
    - जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (JNNSM)।
    - अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन।
    - पीएम- कुसुम।
    - राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति।
    - रूफटॉप सौर योजना।
  - भारत में यदि ट्रेनों इंजनो को हाइड्रोजन इंजन में बदल दिया जाता है तो प्रत्येक वर्ष 24 मिलियन टन से अधिक CO_2 उत्सर्जन में कमी की जा सकती है, साथ ही 2,400 मिलियन लीटर डीज़ल ईंधन (और संबंधित लागत) बचाया जा सकता है।
    - भारत में वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 13,500 ट्रेनें चल रही हैं, इनमें से लगभग 5,000 (37%) डीज़ल इंजन युक्त हैं और बाकी पूरी तरह से विद्युतीकृत हैं।

आगे की राह

- उत्सर्जन के अनुकूल विकल्प: एक अन्य विकल्प जिस पर दुनिया भर में कई हाइड्रोजन परिषदें ज़ोर दे रही हैं, वह है ब्लू हाइड्रोजन जिसमें उत्पादन सुविधा में शामिल कार्बन अवशोषण और भण्डारण के लिये अतिरिक्त सुविधाओं के साथ ग्रे हाइड्रोजन युग्मित है।
  - इस तरह हाइड्रोजन उत्पादन के दौरान उत्सर्जित CO_2 का 90% तक पुन: उपयोग या भंडारण के लिये अवशोषण किया जा सकता है और इसे वातावरण में जाने से रोका जा सकता है।

पश्चिमी घाट पर याचिका

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका (Public Interest Litigation-PIL) को खारिज कर दिया है, जिसने पश्चिमी घाट पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (Ecologically Sensitive Areas-ESA) पर गाडगिल और कस्तूरीरंगन समितियों को चुनौती दी थी।

पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA):

- ESA पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा अधिसूचित क्षेत्र हैं।
- इसका मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास कुछ गतिविधियों को विनियमित करना है ताकि संरक्षित क्षेत्रों को शामिल करने वाले नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर ऐसी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके।

जनहित याचिका द्वारा की गई मांग:

- याचिकाकर्त्ता ने सर्वोच्च न्यायालय से पश्चिमी घाट में विशेषज्ञ पैनल (गाडगिल समिति रिपोर्ट) और उच्च स्तरीय कार्य समूह (कस्तूरीरंगन समिति रिपोर्ट) की सिफारिशों को लागू नहीं करने का अनुरोध किया था।
- याचिकाकर्त्ता ने न्यायालय से केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF & CC) द्वारा वर्ष 2018 के मसौदा अधिसूचना को अल्ट्रा वायर्स (इसकी कानूनी शक्ति या अधिकार से परे) घोषित करने के लिये कहा क्योंकि इससे नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है।
- याचिकाकर्त्ता ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की वर्ष 2014 की रिपोर्ट को लागू करने पर जोर दिया।
  - रिपोर्ट ने पश्चिमी घाटों में पर्यावरणीय रूप से भंगुर भूमि (Environmentally Fragile Land-EFL) के खंडों में परिवर्तन को लागू करने की सिफारिश की, जिसमें EFL क्षेत्रों को निर्धारित करने में हुई चूक को बताया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय का पक्ष:

- सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया

कि वर्ष 2018 में जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF & CC) मसौदा अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसके बाद जुलाई 2022 में पाँचवी मसौदा अधिसूचना जारी की गई थी।

- जुलाई में जारी मसौदा अधिसूचना खनन, थर्मल पावर प्लांट और सभी 'रेड' श्रेणी के उद्योगों को ESA में आने से रोकती है।

- न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का कोई कारण नहीं मिला।

समितियों के अनुसार

- **गाडगिल समिति:**
  - पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (Western Ghats Ecology Expert Panel-WGEEP) के रूप में भी जाना जाता है, इसने सिफारिश की कि पश्चिमी घाटों को पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों (Ecological Sensitive Areas-ESA) के रूप में घोषित किया जाए, केवल सीमित क्षेत्रों में सीमित विकास की अनुमति दी जाए।
  - इसने छह राज्यों में फैले पूरे पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों (ESZ) के रूप में वर्गीकृत किया, जिसमें 44 ज़िले और 142 तालुका शामिल हैं।
- **कस्तूरीरंगन समिति:**
  - इसने गाडगिल रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के विपरीत विकास और पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करने की मांग की।
  - कस्तूरीरंगन समिति ने सिफारिश की कि पश्चिमी घाट के कुल क्षेत्रफल के बजाय, कुल क्षेत्रफल का केवल 37% ही ESA के तहत लाया जाना चाहिये और ESA में खनन, उत्खनन और रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये।

पश्चिमी घाट

- **परिचय:**
  - पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट के समानांतर और केरल, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों से गुज़रने वाले पहाड़ों की शृंखला से मिलकर बना है।
- **महत्त्व:**
  - घाट भारतीय मानसून के मौसम के प्रतिरूप को प्रभावित करते हैं जो इस क्षेत्र की गर्म उष्णकटिबंधीय जलवायु में संतुलन स्थापित करते हैं।
  - वे दक्षिण-पश्चिम से आने वाली वर्षा से भरी मानसूनी हवाओं के लिये बाधा के रूप में कार्य करते हैं।
  - पश्चिमी घाट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के साथ-साथ विश्व स्तर पर संकटग्रस्त 325 प्रजातियों का घर है।

पश्चिमी घाट के लिये खतरा:

- **विकासात्मक दबाव:**
  - कृषि विस्तार और पशुधन चराई के साथ शहरीकरण इस क्षेत्र के लिये गंभीर खतरा पैदा कर रहा है।
  - लगभग 50 मिलियन लोगों के पश्चिमी घाट क्षेत्र में रहने का अनुमान है, जिसके परिणामस्वरूप विकासात्मक दबाव दुनिया भर के कई संरक्षित क्षेत्रों की तुलना में अधिक है।
- **जैवविविधता संबंधित मुद्दे:**
  - वन क्षरण, आवास विखंडन, आक्रामक पौधों की प्रजातियों द्वारा आवास क्षरण, अतिक्रमण और रूपांतरण भी घाटों को प्रभावित कर रहे हैं।
  - पश्चिमी घाट में विकास के दबाव के कारण होने वाले विखंडन से संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीव गलियारों और उपयुक्त आवासों की उपलब्धता कम हो रही है।
- **जलवायु परिवर्तन:**
  - मध्यवर्ती वर्षों में जलवायु संकट ने गति पकड़ी है:
  - पिछले चार वर्षों (2018-21) में बाढ़ ने केरल के घाट क्षेत्रों को तीन बार तबाह किया है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और बुनियादी ढाँचे और आजीविका को भारी नुकशान हुआ है।
  - वर्ष 2021 में कोंकण के घाट क्षेत्रों में भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी थी।
  - अरब सागर के गर्म होने से चक्रवात भी तीव्रता से बढ़ रहे हैं, जिससे पश्चिमी तट विशेष रूप से संवेदनशील हो गया है।
- **औद्योगीकरण से खतरा:**
  - पश्चिमी घाट में ESA नीति की अनुपस्थिति के कारण अधिक प्रदूषणकारी उद्योगों, खदानों, खानों, सड़कों और टाउनशिप की योजना बनाई जा सकती है।
  - इसका मतलब है कि भविष्य में इस क्षेत्र के संवेदनशील परिदृश्य को और अधिक नुकसान होगा।

आगे की राह

- जलवायु परिवर्तन जो कि सभी लोगों की आजीविका को प्रभावित करेगा और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचा सकता है, को ध्यान में रखते हुए ऐसे संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिये।
- वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित एक उचित विश्लेषण के बाद संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिये विभिन्न हितधारकों के बीच आम सहमति की तत्काल आवश्यकता है।
- वन भूमि, उत्पादों और सेवाओं पर खतरों तथा मांगों के बारे में समग्र दृष्टिकोण, शामिल अधिकारियों के लिये स्पष्ट रूप से बताए गए उद्देश्यों के साथ इनसे निपटने हेतु रणनीति तैयार होनी चाहिये।

नोट :

भारतीय अर्थव्यवस्था

कर्नाटक में लौह अयस्क खनन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक में बेल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुर ज़िलों के लिये लौह अयस्क खनन की "सीमा" को यह कहते हुए बढ़ा दिया कि पारिस्थितिकी और पर्यावरण का संरक्षण आर्थिक विकास की भावना के साथ-साथ होना चाहिये।

- कर्नाटक में लौह अयस्क के उत्पादन और बिक्री पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने के दस वर्ष बाद न्यायालय ने अपने ही आदेशों में ढील दी है।

कर्नाटक लौह अयस्क खनन प्रतिबंध:

- **पृष्ठभूमि:**
  - वर्ष 2010 में सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध खनन के लिये वर्ष 2009 में केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) की जाँच शुरू होने के बाद बेल्लारी में ओबुलापुरम खनन कंपनी (OMC) को प्रतिबंधित कर दिया।
    - अवैध खनन के परिणामस्वरूप सार्वजनिक संपत्ति की लूट हुई, राजकोष को भारी नुकसान हुआ, वन भूमि पर कब्जा कर लिया, पर्यावरण को भारी क्षति हुई और स्थानीय आबादी के बीच बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य का मुद्दा उठा।
  - वर्ष 2008 और वर्ष 2011 की दो लोकायुक्त रिपोर्टों ने अवैध खनन घोटाले में शामिल तीन मुख्यमंत्रियों सहित 700 से अधिक सरकारी अधिकारियों का खुलासा किया।
- **सर्वोच्च न्यायालय के आदेश:**
  - सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) की रिपोर्ट के पश्चात् खनन बड़े पैमाने पर हो रहे उल्लंघन की ओर ध्यान दिया गया तथा सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2011 में बेल्लारी में खनन कार्यों को रोकने हेतु एक आदेश जारी किया।
  - इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक से लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय क्षरण को रोकना और अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी की अवधारणा के हिस्से के रूप में भावी पीढ़ियों के लिये संरक्षित करना था।
    - सर्वोच्च न्यायालय ने A और B श्रेणी की खानों के लिये अधिकतम अनुमेय वार्षिक उत्पादन सीमा 35 MMT भी तय की।
  - इसने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE) को अवैध खनन से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को कम करने के लिये एक सुधार और पुनर्वास (R&R) योजना तैयार करने का निर्देश दिया।
  - वर्ष 2012 में सर्वोच्च न्यायालयने 18 "श्रेणी A" खानों का परिचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दी।
    - खानों को उनके द्वारा की गई अवैधताओं की सीमा के आधार पर वर्गीकृत किया गया था:
    - A श्रेणी की खदानें: ये "पट्टे हैं जिनमें कोई अवैधता/सीमांत अवैधता नहीं पाई गई है"
    - अधिक गंभीर उल्लंघन वाली खदानें उनके द्वारा अवैधता के आधार पर B और C श्रेणियों में आती हैं।
    - एक बार जब खदानों को फिर से संचालित करने की अनुमति मिली तो अयस्क को नीलामी के माध्यम से आवंटित किया गया।
- **आदेश का निहितार्थ:**
  - खानों के बंद होने से स्टील मिलों को कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ा जिससे उन्हें भारत के बाहर से आयात करने के लिये मजबूर होना पड़ा परिणाम स्वरुप वैश्विक लौह अयस्क दिग्गजों के लिये देश व्यापार के लिये खोल दिया गया।
  - उत्पादन, ई-नीलामी और कीमतों पर प्रतिबंधों ने कर्नाटक में लाखों खनन आश्रितों को भी प्रभावित किया था जिससे उनकी आजीविका अनिश्चित हो गई थी।

इस मुद्दे से सम्बंधित हाल के घटनाक्रम क्या रहे हैं

- **खनन फर्मों की अपील:**
  - मई 2022 में खनन फर्मों ने सर्वोच्च न्यायालय से बेल्लारी, तुमकुर और चित्रदुर्ग ज़िलों में खनन पट्टेदारों के लिये लौह अयस्क के निर्यात या बिक्री में ई-नीलामी मानदंडों को समाप्त करने की अपील की है।
  - इन्होंने दावा किया कि स्टॉक नहीं बिकने के कारण इन्हें क्लोजर का सामना करना पड़ रहा है।
- **कर्नाटक सरकार का पक्ष:**
  - कर्नाटक सरकार सीलिंग सीमा को पूरी तरह से हटाने के पक्ष में है।
- **मूल याचिकाकर्त्ता का पक्ष:**
  - मूल याचिकाकर्त्ता ने इस आधार पर किसी भी निर्यात का विरोध किया कि खनिज राष्ट्रीय संपत्ति हैं जिन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है और केवल तैयार स्टील का निर्यात किया जाना चाहिये।

- **सर्वोच्च न्यायालय का आदेश:**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य में पहले से ही उत्खनित हो चुके लौह अयस्क के निर्यात को ई-नीलामी के अलावा अन्य तरीकों से फिर से शुरू करने की अनुमति दी है और इसके साथ ही निम्नलिखित खदानों के लिये खनन की सीमा को भी बड़ा दिया है:
    - बेल्लारी: 28 MMT से 35 MMT
    - चित्रदुर्ग और तुमकुर: 7 MMT से 15 MMT
  - न्यायालय ने फैसला सुनाया कि देश के बाकी हिस्सों की खानों के सापेक्ष इन तीन ज़िलों में स्थित खानों के लिये समान प्रतिस्पर्धा बनाए रखना आवश्यक है।

लौह अयस्क खनन में ई-नीलामी:

- **परिचय:**
  - ई-नीलामी विक्रेताओं (नीलामीकर्त्ताओं) और बोलीदाताओं (व्यापार से व्यावसायिक परिदृश्यों में आपूर्तिकर्त्ता) के बीच एक लेनदेन है जो इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार के माध्यम में होता है।
- **प्रक्रिया:**
  - प्रत्येक बोली के पूरा होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय निगरानी समिति, दस्तावेज़ प्रकाशित करती है जिसमें लौह अयस्क की गुणवत्ता, जिस खदान से संबंधित है, उसके लिये बोली लगाने वालों की संख्या और अंतिम लेने वालों का विवरण सूचीबद्ध होता है।
  - एक बार पंजीकृत होने के बाद खरीदार आगामी नीलामी देख सकता है जिस पर वे बोली लगा सकते हैं।
  - प्रत्येक विक्रेता उस अयस्क की गुणवत्ता को निर्दिष्ट करता है जो उसके प्रकार और उस न्यूनतम मूल्य के अंतर्गत होगा जिस पर बोली शुरू होनी है।
  - विक्रेता वे हैं जिनके पास कानूनी लौह अयस्क खदानें हैं और खरीदार आमतौर पर स्टील निर्माता हैं।

भारत बना विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी की ही अर्थव्यवस्था भारत से बड़ी है।

- अनिश्चितताओं से युक्त विश्व में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 6-6.5% की वृद्धि करते के साथ ही भारत वर्ष 2029 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिये तैयार है।

प्रमुख बिंदु

- **नया मील का पत्थर:**
  - दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक को पीछे छोड़ना, विशेष रूप से दो शताब्दियों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करने वाली अर्थव्यवस्था, वास्तव में मील का पत्थर है।
- **अर्थव्यवस्था का आकार:**
  - मार्च, 2022 की तिमाही में 'सांकेतिक/नॉमिनल कैश टर्म' में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 854.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जबकि यूनाइटेड किंगडम की 816 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी।
- **यूनाइटेड किंगडम के साथ तुलना:**
  - जनसंख्या का आकार:
    - वर्ष 2022 तक भारत की जनसंख्या 1.41 बिलियन है जबकि यूनाइटेड किंगडम की जनसंख्या 68.5 मिलियन है।
- **प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद:**
  - प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद आय स्तरों की अधिक यथार्थवादी तुलना प्रदान करता है क्योंकि यह किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद को उस देश की जनसंख्या से विभाजित करता है।
  - भारत में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम बनी हुई है, वर्ष 2021 में प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 190 देशों में से 122वें स्थान पर है।
- **गरीबी:**
  - कम प्रति व्यक्ति आय अक्सर गरीबी के उच्च स्तर की ओर संकेत करती है।
  - 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन में चरम गरीबी की हिस्सेदारी भारत की तुलना में काफी अधिक थी।
    - हालाँकि भारत ने गरीबी पर अंकुश लगाने में काफी प्रगति की है, फिर भी सापेक्ष स्थिति उलट गई है।
- **स्वास्थ्य:**
  - सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) सूचकांक को प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु और बाल स्वास्थ्य, संक्रामक रोगों, गैर-संचारी रोगों तथा सेवा क्षमता एवं पहुँच सहित आवश्यक सेवाओं के औसत कवरेज के आधार पर 0 (सबसे खराब) से 100 (सर्वश्रेष्ठ) के पैमाने पर मापा जाता है।
  - जबकि तेज़ आर्थिक विकास और वर्ष 2005 से स्वास्थ्य योजनाओं पर सरकार की नीति ने भारत के लिये एक अलग सुधार किया है, इसके बावजूद अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है।

- **मानव विकास सूचकांक (HDI):**
  - उच्च सकल घरेलू उत्पाद और तेज़ आर्थिक विकास का अंतिम लक्ष्य बेहतर मानव विकास मानकों का होना है।
  - HDI (2019) के अनुसार यूके का स्कोर 0.932 और भारत का स्कोर 0.645 है जो तुलनात्मक रूप से यूके से काफी पीछे है।
    - अपने धर्मनिरपेक्ष सुधार के बावजूद भारत को अभी भी ब्रिटेन की वर्ष 1980 की स्थिति को प्राप्त करने में एक दशक लग सकता है।
- **वर्तमान परिदृश्य:**
  - नाटकीय बदलाव पिछले 25 वर्षों में भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ पिछले 12 महीनों में पाउंड के मूल्य में गिरावट देखी गई है।
    - वैश्विक भू-राजनीति में सही नीतिगत परिप्रेक्ष्य और पुनर्संरेखण से भी भारत के अनुमानों में उर्ध्वमुखी संशोधन (Upward Revision) हो सकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दे:

- **निर्यात में कमी और आयात में वृद्धि:**
  - विनिर्माण क्षेत्र की8% की अल्प वृद्धि चिंता का विषय है।
    - साथ ही आयात की तुलना में निर्यात से अधिक होना चिंता का विषय है।
- **अप्रत्याशित मौसम:**
  - यह अप्रत्याशित मानसून कृषि विकास और ग्रामीण मांग पर दबाव डाल सकता है।
- **महँगाई में वृद्धि:**
  - लगातार सात महीनों से मुद्रास्फीति में लगभग 6% की लगातार वृद्धि हो रही है।
    - भारतीय अर्थव्यवस्था को उच्च ऊर्जा और कमोडिटी की कीमतों से प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका उपभोक्ता मांग और कंपनियों की निवेश योजनाओं पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।

सकल घरेलू उत्पाद (GDP):

- सकल घरेलू उत्पाद (GDP) एक विशिष्ट समय अवधि में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाज़ार मूल्य है।
  - समग्र घरेलू उत्पादन के व्यापक रूप में, यह किसी देश के आर्थिक स्थिति के व्यापक मूल्यांकन का कार्य करता है।

भारत और स्टार्टअप

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में भारत सरकार के अनुसार, भारत स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र और यूनिकॉर्न की संख्या के संदर्भ में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है।

स्टार्टअप और यूनिकॉर्न

- **स्टार्टअप:**
  - स्टार्टअप शब्द कंपनी को संचालन के पहले चरण को संदर्भित करता है। स्टार्टअप एक या एक से अधिक उद्यमियों द्वारा स्थापित किये जाते हैं जो ऐसे उत्पाद या सेवा विकसित करना चाहते हैं जिसके लिये उनका मानना है कि उपभोग हेतु मांग है।
  - ये कंपनियाँ आम तौर पर उच्च लागत और सीमित राजस्व के साथ शुरू होती हैं, यही वजह है कि वे उद्यम पूंजीपतियों जैसे विभिन्न स्रोतों से पूंजी की तलाश करती हैं।
- **यूनिकॉर्न:**
  - यूनिकॉर्न किसी भी निजी स्वामित्व वाली फर्म है जिसका बाज़ार पूंजीकरण 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।
  - यह अन्य उत्पादों/सेवाओं के अलावा रचनात्मक समाधान और नए व्यापार मॉडल पेश करने के लिये समर्पित नई संस्थाओं की उपस्थिति को दर्शाता है।
  - फिनटेक, एडटेक, बिज़नेस-टू-बिज़नेस (B-2-B) कंपनियाँ आदि इसकी कई श्रेणियाँ हैं।

भारत में स्टार्टअप्स की स्थिति:

- **स्थिति:**
  - भारत, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बन गया है।
    - भारत में 75,000 स्टार्टअप हैं।
    - 49% स्टार्टअप टियर-2 और टियर-3 शहरों से हैं।
  - वर्तमान में 105 यूनिकॉर्न हैं, जिनमें से 44 वर्ष 2021 में और 19 वर्ष 2022 में स्थापित किया गया।
  - आईटी, कृषि, विमानन, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में भी स्टार्टअप उभर रहे हैं।
- **वैश्विक नवाचार सूचकांक:**
  - विश्व की 130 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) की वैश्विक रैंकिंग में वर्ष 2015 में 81वें से वर्ष 2021 में 46वें स्थान पर रखा गया है।
  - GII के संदर्भ में भारत 34 निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में दूसरे और 10 मध्य एवं दक्षिणी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में पहले स्थान पर है।

- **अन्य रैंकिंग:**
  - प्रकाशन: राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन डेटाबेस के आधार पर वर्ष 2013 में 6वें स्थान से वर्ष 2021 में विश्व स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया।
  - पेटेंट: भारत रेजिडेंट पेटेंट फाइलिंग के मामले में विश्व स्तर पर 9वें (2021) स्थान पर है।
  - शोध प्रकाशनों की गुणवत्ता: वर्ष 2013 में 13वें स्थान पर था जबकि वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर 9वें स्थान पर था।

स्टार्टअप हेतु विकास कारक और चुनौतियाँ:

- **विकास कारक:**
  - सरकारी सहायता: भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर सकल व्यय में तीन गुना से अधिक की वृद्धि की है।
    - भारत में 5 लाख से अधिक अनुसंधान एवं विकास कर्मचारी हैं, जो पिछले 8 वर्षों में 40-50% की वृद्धि दर्शाती है।
    - पिछले 8 वर्षों में बाहरी अनुसंधान एवं विकास में महिलाओं की भागीदारी भी दोगुनी हो गई है।
  - डिजिटल सेवाओं को अपनाना: महामारी ने स्टार्ट-अप और नए युग के उपक्रमों को ग्राहकों के लिये तकनीक-केंद्रित व्यवसाय बनाने में मदद करने वाले उपभोक्ताओं द्वारा डिजिटल सेवाओं को अपनाने में तेज़ी लाई।
  - ऑनलाइन सेवाएँ और वर्क फ्रॉम होम kaa संस्कृति: कई भारतीय खाद्य वितरण और एडु-टेक से लेकर ई-किराने तक की सेवाओ ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं।
    - वर्क-फ्रॉम-होम कार्य-संस्कृति ने स्टार्ट-अप के उपयोगकर्त्ता आधार की संख्या बढ़ाने में मदद की और उनकी व्यवसाय विस्तार योजनाओं में तेज़ी लाई एवं निवेशकों को आकर्षित किया।
  - डिजिटल भुगतान: डिजिटल भुगतान का विकास एक और पहलू है जिसने यूनिकॉर्न को सबसे अधिक सहायता प्रदान की है।
  - प्रमुख सार्वजनिक निगमों से खरीद: प्रमुख सार्वजनिक निगमों से खरीद के परिणामस्वरूप कई स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन जाते हैं जो आंतरिक विकास में निवेश करने के बजाय अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिये अधिग्रहण पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- **चुनौतियाँ:**
  - निवेश बढ़ाना स्टार्टअप की सफलता सुनिश्चित नहीं करता: स्टार्टअप्स में निवेश किये जा रहे अरबों डॉलर दूरगामी परिणामों का प्रतिनिधित्व करते हैं, साथ ही राजस्व के माध्यम से उत्पादन को महत्त्व नहीं देते हैं।
    - इस तरह के निवेश के साथ इन स्टार्टअप्स के सफल होने के उच्च दर की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसे होने वाले लाभ से सुनिश्चित किया जा रहा है।
  - भारत द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में एक सीमांत हिस्सेदारी: वर्तमान में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की है, जिसमें भारत के पास इस क्षेत्र में 2% से भी कम हिस्सेदारी है।
    - अंतरिक्ष में स्वतंत्र निजी भागीदारी की कमी का कारण कानूनों में पारदर्शिता और स्पष्टता प्रदान करने के लिये एक रूपरेखा का अभाव है।
  - भारतीय निवेशक जोखिम लेने को तैयार नहीं हैं: भारत के स्टार्टअप क्षेत्र में बड़े निवेशक विदेशों संबंधित हैं, जैसे जापान के सॉफ्टबैंक, चीन के अलीबाबा और अमेरिका से सिकोइया आदि।
    - इसका प्रमुख कारण भारत में जोखिम लेने की प्रवृत्ति के साथ एक गंभीर उद्यम पूंजी उद्योग का अभाव है।

स्टार्टअप्स के लिये सरकार की पहल:

- नवाचारों के विकास और दोहन के लिये राष्ट्रीय पहल (NIDHI)
- स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान (SIAP)
- स्टार्टअप इकोसिस्टम को समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग (RSSSE)
- स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS): इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स को अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाज़ार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार: यह उन उत्कृष्ट स्टार्टअप और पारिस्थितिकी तंत्र को पहचानने और पुरस्कृत करने का प्रयास करता है जो नवाचार को बढ़ावा देकर और प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देकर आर्थिक गतिशीलता में योगदान दे रहे हैं।
- SCO स्टार्टअप फोरम: पहली बार शंघाई सहयोग संगठन (SCO) स्टार्टअप फोरम को सामूहिक रूप से स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और सुधार के लिये अक्तूबर 2020 में लॉन्च किया गया था।
- प्रारंभ (Prarambh): 'प्रारंभ' शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर के स्टार्ट अप और युवांओं को नए विचारों, नवाचारों और आविष्कारो हेतु एक साथ आने के लिये मंच प्रदान करना है।

आगे की राह:

- स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के त्वरित विकास के लिये वित्त/निवेश की आवश्यकता है और इसलिये उद्यम पूंजी और एंजेल निवेशकों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है।

- उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले नीति-स्तरीय निर्णयों के अलावा, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, और प्रभावशाली प्रौद्योगिकी समाधान, और टिकाऊ और संसाधन-कुशल विकास के निर्माण के लिये तालमेल बनाने के लिये भारत के कॉर्पोरेट क्षेत्र पर भी ज़िम्मेदारी है।
- हाल की घटनाओं के साथ चीन में पूंजी अविश्वास पैदा करने के साथ, विश्व का ध्यान भारत में आकर्षक तकनीकी अवसरों और सृजित किये जा सकने वाले मूल्य पर केंद्रित हो रहा है। इसके लिये भारत को डिजिटल इंडिया पहल के अलावा निर्णायक नीतिगत उपायों की आवश्यकता है।

भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था

चर्चा में क्यों?

एक्ज़िम बैंक ऑफ इंडिया के एक दस्तावेज़ के अनुसार, भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था जिसमें कला एवं शिल्प, ऑडियो और वीडियो कला तथा डिज़ाइन शामिल हैं, वर्ष 2019 में 121 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात किया गया।

दस्तावेज़ के प्रमुख निष्कर्ष:

- वर्ष 2019 तक भारत का रचनात्मक वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात 121 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब था, जिसमें से रचनात्मक सेवाओं का निर्यात लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- वर्ष 2019 में भारत में कुल रचनात्मक वस्तुओं के निर्यात का 87.5% डिज़ाइन सेगमेंट का तथा अन्य 9% कला और शिल्प सेगमेंट का योगदान शामिल है।
- इसके अलावा भारतीय संदर्भ में रचनात्मक वस्तु उद्योग में 16 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष है।
- रचनात्मक अर्थव्यवस्था देश में काफी विविध है जो मनोरंजन उद्योग के क्षेत्र जैसे रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है।
- राजस्व के मामले में शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस बाज़ारों के संबंध में भारत अमेरिका के बाहर विश्व स्तर पर छठे स्थान पर है।
- अध्ययन के अनुसार, इस विकसित क्षेत्र में मानव रचनात्मकता, ज्ञान, बौद्धिक संपदा के साथ-साथ प्रौद्योगिकी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

अध्ययन का महत्त्व:

- शोध पत्र भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था की अप्रयुक्त निर्यात क्षमता का मानचित्रण करता है।
- अध्ययन 'भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब और विकास' एक अनूठी पहल है।
- इसने संयुक्त राष्ट्र के वर्गीकरण के अनुसार कला और शिल्प, श्रव्य दृश्य, डिजाइन तथा दृश्य कला जैसे सात अलग-अलग रचनात्मक खंडों का विश्लेषण किया, ताकि उनकी निर्यात क्षमता का मानचित्रण किया जा सके।
- अध्ययन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग, विस्तारित वास्तविकता और ब्लॉकचेन की भूमिका पर भी रेखांकित किया गया है, जो रचनात्मक अर्थव्यवस्था के कामकाज को प्रभावित कर रहे हैं।
- यह यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, फ्राँस, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों की रचनात्मक अर्थव्यवस्था की नीतियों का भी विश्लेषण करता है, जहाँ रचनात्मक अर्थव्यवस्था को समर्पित मंत्रालयों या संस्थानों के साथ महत्त्वपूर्ण बल मिला है।

भारत में रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु आगे की राह:

- भारत में रचनात्मक अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिये:
  - भारत में रचनात्मक उद्योगों को परिभाषित करना और उनका मानचित्रण करना।
  - रचनात्मक उद्योगों के लिये वित्तपोषण।
  - संयुक्त कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना।
  - कॉपीराइट के मुद्दे को संबोधित करना।
  - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) और स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देना।
  - रचनात्मक ज़िलों और केंद्रों की स्थापना।
  - रचनात्मक उद्योगों के लिये एक विशेष संस्थान का गठन।
- जबकि भारत ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था से जुड़े उद्योगों में प्रगति की है, देश में अपनी रचनात्मक अर्थव्यवस्था के मूल्य को बढ़ाने के लिये महत्त्वपूर्ण अवसर है।
- देश में रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिये एकल परिभाषा और समर्पित संस्थान तैयार करने की आवश्यकता है, जो इसकी अप्रयुक्त क्षमता का पता लगा सके।

गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूला की समीक्षा

चर्चा में क्यों?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घरेलू स्तर पर उत्पादित गैस के मौजूदा मूल्य निर्धारण फार्मूले की समीक्षा के लिये प्रसिद्ध ऊर्जा विशेषज्ञ किरीट पारिख की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।

गैस-मूल्य निर्धारण फॉर्मूला समीक्षा की आवश्यकता:

- **ऊँची कीमतें:**
  - वर्तमान रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण वैश्विक कीमतों में उछाल आने से स्थानीय गैस की कीमतें रिकॉर्ड उच्च स्तर पर हैं तथा आगे और बढ़ने की आशंका है।
  - वैश्विक प्राकृतिक गैस की कीमतों में उछाल ने ऊर्जा और औद्योगिक लागतों को बढ़ा दिया तथा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के प्रयासों की विफलता से चिंताएँ बढ रही है।
    - देश लगातार सात महीनों से भारतीय रिज़र्व बैंक के 2% -6% के टॉलरेंस बैंड से ऊपर की मुद्रास्फीति से जूझ रहा है।
- **वर्तमान फॉर्मूला अदूरदर्शी:**
  - वर्तमान फॉर्मूला "अदूरदर्शी" है और यह गैस उत्पादकों को प्रोत्साहन नहीं देता है।
  - भारत में, इसके ऊर्जा मिश्रण में गैस की हिस्सेदारी 6% है, जबकि वैश्विक औसत 23% है।
  - इसका उद्देश्य अगले कुछ वर्षों में इस संख्या को 15% तक बढ़ाना है।
- **कम मूल्य निर्धारण उत्पादकों को दंडित करता है:**
  - भारतीय गैस कीमत भारत में LNG आयात की कीमत तथा बेंचमार्क वैश्विक गैस दरों के औसत पर निर्धारित की जाती है।
  - भारत द्वारा इसका कम मूल्य निर्धारित किया जा रहा है।
  - मौजूदा कीमतों पर उत्पादक दंडित होते हैं और कुछ हद तक उपभोक्ता उत्पादक को दोष देता है।

भारत में गैस बाज़ार का परिदृश्य:

- भारत में कुल खपत 175 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन (MMSCMD) है।
  - इसमें से 93 MMCMD घरेलू उत्पादन के माध्यम से और 82 MMCMD द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (Liquefied Natural Gas-LNG) आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। गैस की खपत सीधे आपूर्ति की उपलब्धता से संबंधित है।
- देश में खपत होने वाली प्राकृतिक गैस में से लगभग 50% LNG का आयात किया जाता है।
- उर्वरक क्षेत्र गैस का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जो खपत का एक तिहाई हिस्सा है, इसके बाद शहरी गैस वितरण (23%), विद्युत (13%), रिफाइनरी (8%) और पेट्रोकेमिकल्स (2%) का स्थान आता है।
- कई उद्योगों को डर है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में LNG (आयातित गैस) की कीमतें 45 अमेरिकी डॉलर प्रति मैट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (Metric Million British Thermal Unit- mmBtu) के दायरे में बनी रहीं तो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता को मौजूदा स्तरों से प्राकृतिक गैस की खपत में गिरावट देखने को मिल सकती है।

भारत में वर्तमान गैस मूल्य निर्धारण:

- **परिचय:**
  - भारत में प्रशासित मूल्य तंत्र (Administered Price Mechanism- APM) के तहत गैस की कीमत, सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।
    - इस प्रणाली के तहत, तेल और गैस क्षेत्र को चार चरणों- उत्पादन, शोधन, वितरण और विपणन में नियंत्रित किया जाता है। ।
  - गैर-प्रशासित मूल्य तंत्र या मुक्त बाज़ार गैस को आगे दो श्रेणियों - अर्थात् संयुक्त उद्यम क्षेत्रों से घरेलू रूप से उत्पादित गैस और आयातित LNG में विभाजित किया गया है।
    - प्राकृतिक गैस का मूल्य निर्धारण उत्पादन साझाकरण अनुबंध (Production Sharing Contract- PSC) प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित होता है।
    - जबकि टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तहत LNG की कीमत LNG विक्रेता और खरीदार के मध्य बिक्री और खरीद समझौता (Sale and Purchase Agreement- SPA) द्वारा नियंत्रित होता है, स्पॉट कार्गो पारस्परिक रूप से सहमत वाणिज्यिक शर्तों पर खरीदे जाते हैं।
  - इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों के लिये अलग-अलग मूल्य निर्धारण मौजूद है। विद्युत और उर्वरक जैसे सब्सिडी वाले क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत कम कीमत मिलती है।
  - इसके अलावा, देश के अन्य हिस्सों की तुलना में उत्तर पूर्वी राज्यों को अपेक्षाकृत सस्ती कीमतों पर गैस मिलने के साथ देश में क्षेत्र विशिष्ट मूल्य निर्धारण मौजूद है।
    - भारतीय बाज़ार में गैस आपूर्ति के एक बड़े हिस्से का मूल्य निर्धारण नियंत्रित है और बाज़ार संचालित नहीं है क्योंकि कीमत बदलने से पहले सरकार की मंज़ूरी आवश्यक है।
- **मुद्दे:**
  - नियंत्रित मूल्य निर्धारण के परिणामस्वरूप विदेशी अभिकर्त्ताओं की सीमित भागीदारी के मामले में इस क्षेत्र में निवेश को हतोत्साहित किया जा सकता है, जिनके पास गहरे जल के E&D गतिविधियों के संदर्भ में आवश्यक प्रौद्योगिकी तक पहुँच है।
  - इसके अलावा नियंत्रित मूल्य निर्धारण वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने के लिये उपभोक्ता क्षेत्रों (बिजली / उर्वरक / घरेलू) की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बाधित करता है क्योंकि इससे मांग पक्ष में ऊर्जा दक्षता में कम निवेश होता है।

आगे की राह

- चूँकि देश में कई मूल्य निर्धारण व्यवस्थाएँ मौजूद हैं, विभिन्न स्रोतों से गैस एकत्रित करने की नीति निर्माताओं द्वारा विचार-विमर्श किया गया है।
- विद्युत और उर्वरक ग्राहकों के अलग स्रोत के साथ क्षेत्रीय स्रोत पर विचार किया जा रहा। ग्राहक समूहों और संबंधित प्रशासनिक मुद्दों के बीच क्रॉस सब्सिडी से बचने के मद्देनजर अलग स्रोत पर विचार किया गया।
- रंगराजन समिति ने निष्पक्ष और एक-समान गैस मूल्य निर्धारण का प्रस्ताव दिया है।
- घरेलू गैस मूल्य निर्धारण विधि गैस आयात के लिये वेल-हेड पर वॉल्यूम-वेटेड एवरेज का 12 महीने का ट्रेलिंग एवरेज और यूएस हेनरी हब, यूके एनबीपी और जापानी क्रूड कॉकटेल कीमतों का वॉल्यूम-वेटेड एवरेज होना चाहिये।

भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र

चर्चा में क्यों?

भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के वर्ष 2025 तक बढ़कर 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।

- हेल्थकेयर/स्वास्थ्य सेवा पिछले दो वर्षों में नवाचार और प्रौद्योगिकी पर अधिक केंद्रित हो गया है और 80% स्वास्थ्य सेवा सिस्टम आने वाले पाँच वर्षों में डिजिटल स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अपने निवेश को बढ़ाने का लक्ष्य बना रहे हैं।

भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र

- **परिचय:**
  - स्वास्थ्य सेवाओं में अस्पताल, चिकित्सा उपकरण, नैदानिक परीक्षण, आउटसोर्सिंग, टेलीमेडिसिन, चिकित्सा पर्यटन, स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा उपकरण शामिल हैं।
  - भारत की स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली को दो प्रमुख घटकों में वर्गीकृत किया गया है - सार्वजनिक और निजी।
    - सरकार (सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली) प्रमुख शहरों में सीमित माध्यमिक और तृतीयक देखभाल संस्थानों को शामिल करती है और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों (Primary Healthcare Centres-PHC) के रूप में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है।
    - निजी क्षेत्र, महानगरों या टियर-I और टियर-II शहरों में अधिकांश माध्यमिक, तृतीयक और चतुर्थक देखभाल संस्थान केंद्रित है।
- **बाज़ार सांख्यिकी:**
  - भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में तीन गुना वृद्धि दर्ज करने की उम्मीद है, जो वर्ष 2016-22 के बीच 22% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़कर वर्ष 2016 में 372 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगी, जो वर्ष 2016 में 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी।
  - वर्ष 2022 के आर्थिक सर्वेक्षण में, स्वास्थ्य सेवा पर भारत का सार्वजनिक व्यय वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.1% था, जो वर्ष 2020-21 में 1.8% और 2019-20 में 1.3% है।
  - वित्तीय वर्ष 2021 में, स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा अंडरराइट की गई सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय 13.3% से बढ़कर 58,572.46 करोड़ रुपए (USD 7.9 बिलियन) हो गई।
  - 2020 में भारतीय चिकित्सा पर्यटन बाज़ार का मूल्य 2.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और इसके 2026 तक 13.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।
  - टेलीमेडिसिन के भी वर्ष 2025 तक 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ चुनौतियाँ:

- **अपर्याप्त पहुँच:**
  - चिकित्सा पेशेवरों की कमी, गुणवत्ता आश्वासन की कमी, अपर्याप्त स्वास्थ्य खर्च और सबसे महत्त्वपूर्ण अपर्याप्त शोध निधि जैसी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं तक अपर्याप्त पहुँच।
  - प्रमुख चिंताओं में से प्रशासन का अपर्याप्त वित्तीय आवंटन है।
- **कम बजट:**
  - स्वास्थ्य सेवा पर भारत का सार्वजनिक व्यय वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का केवल 2.1% है जबकि जापान, कनाडा और फ्राँस अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10% सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर खर्च करते हैं।
    - यहाँ तक कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की GDP का 3% से अधिक हिस्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का है।
- **निवारक देखभाल की कमी:**
  - भारत में निवारक देखभाल को कम करके आँका गया है, इस तथ्य के बावजूद कि यह दुख और वित्तीय नुकसान के मामले में रोगियों के लिये विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को कम करने में काफी फायदेमंद साबित हुआ है।
- **चिकित्सा अनुसंधान की कमी:**
  - भारत में अनुसंधान एवं विकास और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाली नई परियोजनाओं पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है।

नोट :

- **नीति निर्माण:**
  - प्रभावी और कुशल स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने में नीति निर्धारण निस्संदेह महत्त्वपूर्ण है। भारत में मुद्दा मांग के बजाय आपूर्ति का है और नीति निर्धारण मदद कर सकता है।
- **पेशेवरों की कमी:**
  - भारत में, डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी है।
  - एक मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किये गए एक अध्ययन के अनुसार, भारत में 600,000 डॉक्टरों की कमी है।
- **संसाधनों की कमी:**
  - डॉक्टर चरम परिस्थितियों में काम करते हैं जिसमें भीड़भाड़ वाले बाहरी रोगी विभाग, अपर्याप्त स्टाफ, दवाएँ और बुनियादी ढाँचे शामिल हैं।

भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र की क्षमता:

- भारत का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ अच्छी तरह से प्रशिक्षित चिकित्सा पेशेवरों के अपने बड़े पूल में निहित है। भारत एशिया और पश्चिमी देशों में अपने साथियों की तुलना में लागत प्रतिस्पर्धी भी है। भारत में सर्जरी की लागत अमेरिका या पश्चिमी यूरोप की तुलना में लगभग दसवाँ हिस्सा है।
- इस क्षेत्र में तेज़ी से वृद्धि के लिये भारत के पास सभी आवश्यक सामग्री है, जिसमें एक बड़ी आबादी, एक मजबूत फार्मा और चिकित्सा आपूर्ति श्रृंखला, 750 मिलियन से अधिक स्मार्टफोन उपयोगकर्त्ता तक आसान पहुँच के साथ विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप पूल और वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने के लिये नवीन तकनीकी उद्यमी शामिल हैं।
- देश में उत्पाद विकास और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु चिकित्सा उपकरणों का तेज़ी से नैदानिक परीक्षण करने के लिये लगभग 50 क्लस्टर होंगे।
- जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य समस्याओं के प्रभाव में बदलाव, वरीयताओं में बदलाव, बढ़ते मध्यम वर्ग, स्वास्थ्य बीमा में वृद्धि, चिकित्सा सहायता, बुनियादी ढाँचे के विकास और नीति समर्थन तथा प्रोत्साहन इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएँगे।
- वर्ष 2021 तक भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र भारत के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है क्योंकि इसमें कुल 4.7 मिलियन लोग कार्यरत हैं। इस क्षेत्र ने वर्ष 2017-22 के बीच भारत में 2.7 मिलियन अतिरिक्त नौकरियाँ पैदा की हैं (प्रति वर्ष 500,000 से अधिक नई नौकरियाँ)।

स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र से संबंधित पहल:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
- आयुष्मान भारत
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना।
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

आगे की राह

- भारत की बड़ी आबादी के कारण बोझ से दबे सरकारी अस्पतालों के बुनियादी ढाँचे में सुधार की तत्काल आवश्यकता है।
- सरकार को निजी अस्पतालों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं।
- क्योंकि कठिनाइयाँ गंभीर हैं और केवल सरकार द्वारा ही इसका समाधान नहीं किया जा सकता है, निजी क्षेत्र को भी इसमें शामिल होना चाहिये।
- स्वास्थ क्षेत्र की क्षमताओं और दक्षता में सुधार के लिये अधिक चिकित्सा कर्मियों को शामिल किया जाना चाहिये।
- स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिये।
  - अस्पतालों और क्लीनिकों में चिकित्सा गैजेट, मोबाइल स्वास्थ्य ऐप, पहनने योग्य और सेंसर तकनीक के कुछ उदाहरण हैं जिन्हें इस क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिये।

वैश्विक तेल कीमतों में गिरावट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पिछले दस दिनों में ब्रेंट क्रूड की कीमतों में भारी गिरावट आई है, अर्थात् कीमतें घटकर 90 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गई हैं।

- जबकि वे जुलाई, 2022 में करीब 110 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहे थे।

वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का कारण:

- कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 4% की तेज़ी से गिरावट आई है, यह पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (OPEC+) द्वारा कीमतों को बढ़ाने के लिये अक्तूबर, 2022 से प्रति दिन 100,000 बैरल की आपूर्ति में कटौती की घोषणा के बावजूद गिरावट आई है।
- हाल ही में कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ गिरावट यूरोप में मंदी और चीन से मांग में गिरावट के कारण हुई है, जो कमज़ोर आर्थिक गतिविधि के दौरान नए कोविड लॉकडाउन उपायों में लाया गया है, जबकि पिछले कुछ महीनों में कीमतों में कमी आई है।
- इस बात की चिंता है कि ये कारक कच्चे तेल की भविष्य की मांग को प्रभावित कर सकते हैं।

- बाज़ार सहभागियों के अनुसार, OPEC का उत्पादन में कटौती का फैसला अपने आप में इस बात का संकेत है कि उसे मांग में गिरावट एवं कीमतों में और कमी की उम्मीद है।

वैश्विक कच्चे तेल की कीमत का भारत पर पड़ने वाला प्रभाव :

- **वैश्विक तेल मूल्य में वृद्धि का प्रभाव:**
  - भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 85% आयात करता है और मार्च 2022 में कीमतों में वृद्धि के कारण तेल आयात बिल दोगुना होकर 119 बिलियन अमेरीकी डॉलर हो गया।
  - आयात बिल में वृद्धि से न केवल मुद्रास्फीति और चालू खाता घाटा तथा राजकोषीय घाटे में वृद्धि होती है, बल्कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होता है और शेयर बाज़ार को प्रभावित करती है।
  - कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि का भारत पर भी अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है क्योंकि इससे खाद्य तेल की कीमतों, कोयले की कीमतों और उर्वरकों की कीमतों में भी वृद्धि होती है क्योंकि वे फीडस्टॉक के रूप में गैस का उपयोग करते हैं। सभी उर्वरक उत्पादन लागतों में गैस का योगदान 80% है।
  - इसलिये यदि कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से आयात का बोझ बहुत बढ़ सकता है, तो इससे अर्थव्यवस्था में मांग में कमी आती है जो विकास को प्रभावित करती है।
  - यदि सरकार सब्सिडी प्रदान करने का विकल्प चुनती है तो इससे राजकोषीय घाटा भी बढ़ सकता है।
- **वैश्विक मूल्य में गिरावट का प्रभाव:**
  - कच्चे तेल की कीमतों में कमी सभी हितधारकों सरकार, उपभोक्ताओं और यहाँ तक कि विभिन्न उद्योगों के लिये एक बड़ी राहत है।
  - यदि कच्चे तेल का कम कीमतों पर व्यापार जारी रहता है, तो परिणामस्वरुप निम्न मुद्रास्फीति स्तर, उच्च प्रयोज्य आय और उच्च आर्थिक विकास होगा।
  - यदि एक तरफ यह वैश्विक विकास में मंदी का प्रतिबिंब है जिसका असर भारत के विकास पर भी पड़ सकता है, तो दूसरी तरफ यह भारत के लिये एक बड़ी राहत भी है।
  - कच्चे तेल की कीमतों में कमी ने इक्विटी और ऋण बाज़ारों में सूचकांक वृद्धि में भी एक भूमिका निभाई है क्योंकि सभी क्षेत्रों की कंपनियाँ कच्चे तेल की कीमतों के प्रति संवेदनशील हैं।

उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पहला संवितरण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, 'बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण' क्षेत्र के तहत मोबाइल निर्माण के लिये उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (Production Linked Incentive-PLI) योजना में अधिकार प्राप्त समिति द्वारा पहले संवितरण को मंजूरी प्रदान की गई।

- भारतीय कंपनी 'पेजेट इलेक्ट्रॉनिक्' (Padget Electronics) यह प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली पहली लाभार्थी कंपनी है।

'उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन' योजना (PLI Scheme):

- **परिचय:**
  - उच्च आयात प्रतिस्थापन और रोज़गार सृजन के साथ घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिये PLI योजना की कल्पना की गई थी।
  - सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों हेतु PLI योजनाओं के तहत 1.97 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया तथा वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में सौर पीवी मॉड्यूल के लिये PLI हेतु 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।
  - मार्च 2020 में शुरू की गई इस योजना ने शुरू में तीन उद्योगों को लक्षित किया था:
    - मोबाइल और संबद्ध घटक निर्माण
    - विद्युत घटक निर्माण
    - चिकित्सा उपकरण
- **योजना के तहत प्रोत्साहन:**
  - संवर्द्धित बिक्री के आधार पर गणना की गई प्रोत्साहन राशि, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिये कम-से-कम 1% से लेकर महत्त्वपूर्ण प्रारंभिक दवाओं के संबंध में 20% तक है।
  - उन्नत रसायन सेल बैटरी, कपड़ा उत्पाद और ड्रोन उद्योग जैसे कुछ क्षेत्रों में प्रोत्साहन की गणना पाँच वर्षों की अवधि में की गई बिक्री, प्रदर्शन एवं स्थानीय मूल्यवर्द्धन के आधार पर की जाएगी।
- **वे क्षेत्र जिनके लिये PLI योजना की घोषणा की गई है:**
  - अब तक सरकार ने ऑटोमोबाइल एवं ऑटो घटकों, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी हार्डवेयर, दूरसंचार, फार्मास्यूटिकल्स, सौर मॉड्यूल, धातु एवं खनन, कपड़ा एवं परिधान, ड्रोन व उन्नत रसायन सेल बैटरी सहित 14 क्षेत्रों के लिये PLI योजनाओं की घोषणा की है।

- **उद्देश्य:**
  - सरकार ने चीन एवं अन्य देशों पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिये इस योजना की शुरुआत की है।
  - यह श्रम प्रधान क्षेत्रों का समर्थन करती है और भारत में रोज़गार अनुपात को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।
  - यह योजना आयात बिलों को कम करने एवं घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये भी काम करती है।
    - PLI योजना विदेशी कंपनियों को भारत में अपनी इकाइयाँ स्थापित करने के लिये आमंत्रित करती है और घरेलू उद्यमों को अपनी उत्पादन इकाइयों का विस्तार करने हेतु प्रोत्साहित करती है।

बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हेतु PLI योजना:

- **परिचय:**
  - इसे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है।
  - व्यापक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिये PLI योजना', जिसमें मोबाइल फोन का विनिर्माण करना और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विनिर्माण करना शामिल है, को मार्च 2020 में 38,645 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंज़ूरी दी गई थी।
- **धीमी प्रगति:**
  - 'व्यापक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिये PLI योजना' के तहत 32 लाभार्थियों को मंज़ूरी दी गई थी, जिनमें से 10 लाभार्थियों (5 वैश्विक और 5 घरेलू कंपनियों) को मोबाइल विनिर्माण के लिये मंज़ूरी दी गई थी।
  - इस PLI योजना से 28,636 लोगों को रोज़गार भी मिला है।
  - पिछले 3 वर्षों के दौरान निर्यात में 139% की ज़ोरदार वृद्धि दर्ज की गई है।
- **महत्त्व:**
  - इससे भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिये एक प्रतिस्पर्द्धी गंतव्य बनाने की उम्मीद है।
  - इसके अलावा, यह अधिक वैश्विक चैंपियन बनाते हुए आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देगा।
  - इस योजना से 10,69,432 करोड़ रुपए का अतिरिक्त उत्पादन और 7,00,000 लोगों के लिये रोज़गार पैदा होने की उम्मीद है।

टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने मौजूदा खरीफ मौसम में धान की फसल के क्षेत्र में गिरावट के बीच घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिये टूटे हुए चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है और गैर-बासमती चावल के निर्यात पर 20% शुल्क लगाया है।

- भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है, जिसका वैश्विक चावल निर्यात में 40% से अधिक का योगदान है और यह विश्व बाज़ार में थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान तथा म्याँमार के साथ प्रतिस्पर्द्धा करता है।

टूटे हुए चावल का महत्त्व:

- यह प्राय: छोटे जानवरों और पालतू जानवरों के लिये खाद्य पदार्थ के निर्माण में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग सभी प्रकार के पशुधन के लिये किया जाता है और विशेष रूप से इसके समृद्ध कैलोरी मान एवं कम फाइबर सामग्री के कारण उपयुक्त है।
- इसका उपयोग शराब बनाने वाले उद्योग में भी किया जाता है, जहाँ इसे जौ के साथ मिलाया जाता है और अरक (अम्लीय मादक पेय, आसुत, रंगहीन पेय) का उत्पादन होता है।
- यह चावल के आटे के लिये कच्चा माल है, जिसका उपयोग शिशु आहार, नाश्ता अनाज, राइस वाइन, राइस लिकर, सेक (एक प्रकार का मादक पेय पदार्थ) और पहले से पैक एवं डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में किया जाता है।

निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का कारण:

- निर्यात में असामान्य वृद्धि: टूटे चावल का निर्यात अप्रैल-अगस्त 2022 के दौरान 42 गुना बढ़कर 21.31 लाख मीट्रिक टन (LMT) हो गया, जबकि वर्ष 2019 की इसी अवधि के दौरान यह 0.51 LMT था।
  - चीन वर्ष 2021-22 में भारतीय टूटे चावल का शीर्ष खरीदार (15.85 LMT) था।

BROKEN RICE EXPORTS OVER THE YEARS

COUNTRY	FY19	FY20	FY21	FY22
China	—	—	2.73	15.85
Senegal	6.73	1.62	8.64	9.22
Vietnam	—	—	1.87	3.44
Djibouti	1.08	0.17	1.07	2.44
Indonesia	1.51	—	0.41	2.08
TOTAL	12.21	2.7	20.64	38.9

(Lakh metric tonnes)

- घरेलू बाज़ार में कमी: टूटे चावल पोल्ट्री फीड या इथेनॉल, जिसके लिये टूटे हुए चावल या क्षतिग्रस्त खाद्यान्न का उपयोग किया जा रहा था, के लिये भी उपलब्ध नहीं है।

- वैश्विक मांग में वृद्धि: भू-राजनीतिक परिदृश्य के कारण टूटे चावल की वैश्विक मांग में वृद्धि हुई है, जिसने वस्तुओं के मूल्य को प्रभावित किया है।
- घरेलू उत्पादन में गिरावट: खरीफ मौसम 2022 के लिये धान के रकबे और उत्पादन में संभावित कमी लगभग 6% है।
    - कुछ राज्यों में खराब बारिश के कारण पिछले वर्ष के इसी आँकड़े की तुलना में चालू खरीफ सीज़न के दौरान कुल चावल की बुवाई अब तक लगभग 20 लाख हेक्टेयर कम हुई है।
    - इस बार चावल के उत्पादन में एक करोड़ टन का नुकसान हो सकता है, हालाँकि अगर सबसे खराब स्थिति रहती है तो इस साल 1.2 करोड़ टन कम चावल का उत्पादन हो सकता है।

खुदरा मुद्रास्फीति में वृद्धि और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अनुबंध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office-NSO) के आँकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 7% हो गई और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production-IIP) जुलाई 2022 में चार महीने के निचले स्तर 2.4% पर आ गया, जबकि वर्ष 2021 में इसमें 11.5% की वृद्धि हुई थी।

- 22 विनिर्माण उप-क्षेत्रों में से 9 ने खाद्य उत्पादों, तंबाकू उत्पादों, चमड़े के उत्पादों और विद्युत उपकरणों सहित उत्पादन में कमी की सूचना दी।

मुद्रास्फीति:

- मुद्रास्फीति दैनिक या सामान्य उपयोग की अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि को संदर्भित करती है, जैसे कि भोजन, कपड़े, आवास, मनोरंजन, परिवहन, उपभोक्ता वस्तुएँ आदि।
- मुद्रास्फीति किसी देश की मुद्रा की एक इकाई की क्रय शक्ति में कमी का संकेत है। यह अंततः आर्थिक विकास में मंदी का कारण बन सकती है।
- हालाँकि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के एक मध्यम स्तर की आवश्यकता होती है।
- भारत में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत NSO मुद्रास्फीति से संबंधित आँकड़े जारी करता है।
- भारत में, मुद्रास्फीति को मुख्य रूप से दो मुख्य सूचकांकों- थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index- WPI) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index- CPI) द्वारा मापा जाता है, जो क्रमशः थोक और खुदरा स्तर के मूल्य परिवर्तनों को मापते हैं।
    - **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(CPI):**
        - यह खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण में परिवर्तन को मापता है।
        - CPI उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं जैसे- भोजन, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि की कीमत में अंतर की गणना करता है।
        - CPI के चार प्रमुख प्रकार:
        - औद्योगिक श्रमिकों के लिये CPI (IW)
        - कृषि मज़दूर के लिये CPI (AL)
        - ग्रामीण मज़दूर के लिये CPI (RL)
        - CPI (ग्रामीण/शहरी/संयुक्त)।
        - इनमें से पहले तीन को श्रम और रोज़गार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है,जबकि चौथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा संकलित किया जाता है।
        - CPI का आधार वर्ष 2012 है।
- मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee-MPC) मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिये CPI के आँकड़ों का उपयोग करती है।
- **हेडलाइन और कोर मुद्रास्फीति:**
    - खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति के घटकों में से एक है।
    - हेडलाइन मुद्रास्फीति उस अवधि के लिये कुल मुद्रास्फीति है, जिसमें वस्तुओं का एक बास्केट शामिल है।
    - हेडलाइन मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति का कच्चा आँकड़ा है जो कि CPI के आधार पर तैयार किया जाता है। हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव को भी शामिल किया जाता है।
    - कोर मुद्रास्फीति वह है जिसमें खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता है।
        - कोर मुद्रास्फीति = हेडलाइन मुद्रास्फीति - खाद्य और ईंधन में मुद्रास्फीति

भारत में हालिया मुद्रास्फीति का कारण:

- खाद्य मुद्रास्फीति: मुद्रास्फीति में वृद्धि काफी हद तक अनाज, दालों, दूध, फलों में उच्च मुद्रास्फीति के साथ 'खाद्य क्षेत्र में व्यापक आधार वाली वृद्धि' से प्रेरित थी।
    - अनाज की कीमत जुलाई में 6.9% से बढ़कर अगस्त (2022) में 9.6% हो गई।

- शहरी मुद्रास्फीति की तुलना में ग्रामीण मुद्रास्फीति में तेज़ वृद्धि देखी गई।

- कम खरीफ उत्पादन: अनिश्चित मानसून के कारण खरीफ फसल की बुवाई के पिछले वर्ष के उत्पादन के स्तर से कम उत्पादन होने की संभावना है, इसलिये निकट भविष्य में खाद्य मुद्रास्फीति समस्या बनी रह सकती है।
- आधार प्रभाव: मुद्रास्फीति में वृद्धि प्रतिकूल आधार प्रभाव और खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में वृद्धि दोनों के कारण है।
  - कोर मुद्रास्फीति: खाद्य और ईंधन को छोड़कर हेडलाइन मुद्रास्फीति अगस्त में 5.9% थी, जो लगातार चौथे महीने 6% की सहिष्णुता सीमा से नीचे बनी हुई है।
- अन्य कारण: वैश्विक मुद्रास्फीति दबाव, मुद्रास्फीति की उम्मीदें, भारतीय मुद्रा में कमज़ोरी आदि।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

- IIP एक संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है।
- इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है।
- यह एक समग्र संकेतक है जो निम्नलिखित वर्गीकृत उद्योग समूहों की विकास दर को मापता है:
  - व्यापक क्षेत्र अर्थात् खनन, विनिर्माण और बिजली।
  - उपयोग-आधारित क्षेत्र अर्थात् मूल सामान, पूंजीगत वस्तुएँ और मध्यवर्ती वस्तुएँ।
- IIP के लिये आधार वर्ष 2011-2012 है।
- **IIP का महत्त्व:**
  - इसका उपयोग नीति-निर्माण उद्देश्यों के लिये वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक आदि सहित सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है।
  - त्रैमासिक और अग्रिम सकल घरेलू उत्पाद अनुमानों की गणना के लिये IIP अत्यंत प्रासंगिक बना हुआ है।
- **आठ प्रमुख क्षेत्रों के बारे में:**
  - इनमें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में शामिल मदों के भार का 40.27 प्रतिशत शामिल है।
  - आठ प्रमुख क्षेत्र के उद्योग उनके भार के घटते क्रम में: रिफाइनरी उत्पाद> बिजली> स्टील> कोयला> कच्चा तेल> प्राकृतिक गैस> सीमेंट> उर्वरक।

हाल के IIP संकुचन के कारण:

- खनन क्षेत्र का उत्पादन जुलाई 2022 में 3.3 प्रतिशत घटा। गैर-टिकाऊ वस्तुओं में जुलाई 2022 में 2.0% की गिरावट आई।
  - कोयले के उत्पादन में दो अंकों की वृद्धि हुई, लेकिन जुलाई 2022 में खनन उत्पादन में तीव्र संकुचन अप्रत्याशित था, क्योंकि इस महीने के दौरान अत्यधिक वर्षा का प्रभाव देखा गया।
- विवेकाधीन खपत में संपर्क-गहन सेवाओं (Contact-Intensive Services) में बदलाव के कारण IIP की वृद्धि चार महीने के निचले स्तर पर आ गई।
- जुलाई 2019 के पूर्व-कोविड स्तरों की तुलना में औद्योगिक उत्पादन केवल 2.1% अधिक था, उपभोक्ता टिकाऊ और गैर-टिकाऊ खाद्य क्षेत्र अपने पूर्व-कोविड स्तरों में 6.8% और 2.5% से पीछे थे।
- आपूर्ति में व्यवधान, कमज़ोर वैश्विक विकास दृष्टिकोण भी औद्योगिक उत्पादन को प्रभावित करता है।

आगे की राह

- आयात नीति में एकरूपता होनी चाहिये क्योंकि यह अग्रिम रूप से उचित बाज़ार संकेत भेजती है। आयात शुल्क के माध्यम से हस्तक्षेप करना कोटा से बेहतर है, जिसके कारण अधिक नुकसान होता है। हाल ही में सरकार ने घरेलू आपूर्ति को स्थिर रखने और कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिये गेहूँ का आटा, चावल, मैदा आदि जैसे खाद्य उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- एक फसल वर्ष में बहुत पहले से कमी/अधिशेष का संकेत देने के लिये उपग्रह रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीकों का उपयोग करते हुए अधिक सटीक फसल पूर्वानुमान की आवश्यकता है।
- इसके अलावा वर्ष 2011-12 का एक दशक पुराना CPI आधार वर्ष, जो खाद्य पदार्थों को लगभग आधा भार देता है, को संशोधित एवं अद्यतन करने की आवश्यकता है ताकि भोजन की आदतों और आबादी की जीवन शैली में बदलाव को प्रतिबिंबित किया जा सके। बढ़ते मध्यम वर्ग के साथ, गैर-खाद्य वस्तुओं पर खर्च बढ़ गया है तथा इसे CPI में बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है, जिससे आरबीआई गैर-परिवर्तनशील भाग (मुख्य मुद्रास्फीति) को बेहतर ढंग से लक्षित कर सके।
- घरेलू मांग में मज़बूत सुधार भारत के औद्योगिक उत्पादन के लिये समर्थन का एक प्रमुख स्रोत बनेगा।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (DGCI&S) ने मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जुलाई 2022-23) के लिये भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात के आँकडेर जारी किये हैं।

- वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के तहत DGCI&S, भारत के व्यापार सांख्यिकी और वाणिज्यिक सूचना के संग्रह, संकलन और प्रसार के लिये अग्रणी आधिकारिक संगठन है।

निष्कर्ष:

- कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में चालू वित्त वर्ष (2022-23) के पहले चार महीनों (अप्रैल-जुलाई) के दौरान पिछले वर्ष (2021-22) की समान अवधि की तुलना में 30 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
- वर्ष 2022-23 के लिये कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की टोकरी हेतु 23.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- इस अवधि के दौरान फलों और सब्जियों के निर्यात में 4% की वृद्धि दर्ज की गई।
- बासमती चावल के निर्यात में 29.13% की वृद्धि देखी गई।
- समीक्षाधीन अवधि के दौरान गैर-बासमती चावल का निर्यात 9.24% बढ़कर 2.08 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
- डेयरी उत्पादों के निर्यात में 61.91% की वृद्धि के साथ यह 247 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

कृषि, खाद्य उद्योग और निर्यात परिदृश्य:

- **परिचय:**
  - कृषि क्षेत्र भारत में आजीविका का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत दुनिया में कृषि और खाद्य उत्पादों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है।
    - वर्ष 2021-22 में भारत की कृषि क्षेत्र की विकास दर पिछले वर्ष के 3.6% की तुलना में 3.9% होने का अनुमान है।
  - भारत चावल, गेहूँ, दालें, तिलहन, कॉफी, जूट, गन्ना, चाय, तंबाकू, मूँगफली, डेयरी उत्पाद, फल आदि जैसे कई फसलों और खाद्यान्न का उत्पादन करता है।
  - भारत का कृषि क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि और संबद्ध उत्पादों, समुद्री उत्पादों, वृक्षारोपण एवं कपड़ा और संबद्ध उत्पादों का निर्यात करता है।
- **सांख्यिकी:**
  - वर्ष 2021-22 के दौरान भारत ने कुल कृषि निर्यात में 49.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार किया, जिसमें वर्ष 2020-21 में 41.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 20% की वृद्धि हुई।
  - कृषि और संबद्ध उत्पादों के निर्यात का मूल्य 37.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो वर्ष 2020-21 में 17% की वृद्धि दर्शाता है।
  - चावल भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि उत्पाद है जिसका वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कृषि निर्यात में 19% से अधिक का योगदान है।
- **निर्यात गंतव्य:**
  - भारत के कृषि उत्पादों के सबसे बड़े आयातक अमेरिका, बांग्लादेश, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, वियतनाम, सऊदी अरब, ईरान, नेपाल और मलेशिया हैं।
  - अन्य आयात करने वाले देश कोरिया, जापान, इटली और यूनाइटेड किंगडम हैं।
  - वर्ष 2021-22 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय कृषि उत्पादों का सबसे बड़ा आयातक था।
  - संयुक्त अरब अमीरात के बाद बांग्लादेश कृषि और संबद्ध उत्पादों का प्रमुख आयातक है।
  - अमेरिका तथा चीन भारत के समुद्री उत्पादों के प्रमुख आयातक हैं।

वृद्धि के प्रमुख कारक:

- **B2B प्रदर्शनियाँ:**
  - कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न पहलें की गई हैं जैसे कि विभिन्न देशों में B2B (बिज़नेस टू बिज़नेस) प्रदर्शनियों का आयोजन, भारतीय दूतावासों की सक्रिय भागीदारी द्वारा उत्पाद-विशिष्ट और सामान्य विपणन अभियानों के माध्यम से नए संभावित बाज़ारों की खोज करना।
- **कृषि निर्यात नीति, 2018:**
  - AEP का मुख्य उद्देश्य निर्यात बास्केट और गंतव्यों में विविधता लाना, उच्च मूल्यवर्धित कृषि निर्यात को बढ़ावा देना, स्वदेशी, जैविक, पारंपरिक और गैर-पारंपरिक कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है।
- **वित्तीय सहायता योजना:**
  - यह APEDA द्वारा निर्यात प्रोत्साहन योजना है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य निर्यात बुनियादी ढाँचे के विकास, गुणवत्ता विकास और बाज़ार विकास में व्यवसायों की सहायता करना है।
- **कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA):**
  - भारतीय शराब के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने लंदन वाइन फेयर में 10 शराब निर्यातकों की भागीदारी की सुविधा प्रदान की।
- **GI और अन्य पहल:**
  - संयुक्त अरब अमीरात के साथ कृषि और खाद्य उत्पादों पर एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हस्तशिल्प सहित GI उत्पादों पर वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन कर भारत में पंजीकृत भौगोलिक संकेतक (GI) वाले उत्पादों को बढ़ावा देने के लिये भी कई पहलें की गई हैं।

विंडफॉल टैक्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त मंत्रालय ने जुलाई 2022 में घरेलू कच्चे तेल उत्पादकों पर विंडफॉल टैक्स /अप्रत्याशित कर लगाए जाने को उचित ठहराते हुए कहा है कि यह तदर्थ (अचानक बनाया या लिया गया) कदम नहीं है, बल्कि उद्योग के साथ पूर्ण परामर्श के बाद उठाया गया है।

- भारत के अलावा यूनाइटेड किंगडम, इटली और जर्मनी सहित कई देशों ने पहले ही ऊर्जा कंपनियों के सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पर अप्रत्याशित लाभ कर (Windfall Profit Tax) लगा दिया है या ऐसा करने पर विचार कर रहे हैं।

विंडफॉल टैक्स:

- **परिचय:**
  - विंडफॉल टैक्स किसी विशेष कंपनी या उद्योग को हुए अप्रत्याशित बढ़े मुनाफे पर लगाईं गई उच्च कर दर है। उदाहरण के लिये रूस-यूक्रेन संघर्ष के परिणामस्वरूप ऊर्जा मूल्य-वृद्धि।
  - ये ऐसे लाभ हैं जिन्हें फर्म द्वारा किसी सक्रिय निवेश रणनीति या व्यवसाय के विस्तार के लिये ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
  - अप्रत्याशित लाभ को "बिना किसी अतिरिक्त प्रयास या व्यय के आय में अनर्जित, अप्रत्याशित लाभ" के रूप में परिभाषित किया गया है।
  - सरकारें आमतौर पर इस तरह के मुनाफे पर कर की सामान्य दरों के ऊपर पूर्वव्यापी रूप से एकमुश्त कर लगाती हैं, जिसे विंडफॉल टैक्स कहा जाता है।
  - एक क्षेत्र जहाँ इस तरह के करों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है, वह है तेल बाज़ार, जहाँ कीमतों में उतार-चढ़ाव से उद्योग को अस्थिर या अनिश्चित लाभ होता है।
- **औचित्य:**
  - अप्रत्याशित लाभ के पुनर्वितरण सहित कई कारणों से दुनिया भर की सरकारों द्वारा विंडफॉल टैक्स को पेश किया गया है, जब उपभोक्ता वस्तुओं की उच्च कीमतों से उत्पादकों को लाभ होता है, साथ ही सरकार को भी सामाजिक कल्याण योजनाओं के वित्तपोषण हेतु राजस्व की प्राप्ति होती है।

देशों द्वारा विंडफॉल टैक्स लगाने का कारण:

- पिछले वर्ष के अंत से और चालू वर्ष की पहली दो तिमाहियों में तेल, गैस एवं कोयले की कीमतों में तेज़ वृद्धि देखी गई है, हालाँकि हाल ही में इनमें कमी आई है।
- यह वृद्धि कारकों के संयोजन से उत्पन्न हुई है, जिसमें कोविड-19 का सामना करने हेतु आर्थिक सुधार के दौरान ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन जैसे कारक शामिल है, जो यूक्रेन-रूस युद्ध के कारण और अधिक बढ़ गया है।
- रूस-यूक्रेन संघर्ष के परिणामस्वरूप महामारी से उबरने और आपूर्ति के मुद्दों ने ऊर्जा की मांग को बढ़ा दिया, जिससे वैश्विक कीमतें बढ़ गईं।
- बढ़ती कीमतों का अर्थ ऊर्जा कंपनियों के लिये भारी और रिकॉर्ड मुनाफा था, जिसका कारण बड़ी एवं छोटी अर्थव्यवस्थाओं में घरेलू बिलों हेतु बढ़े गैस और बिजली के बिल थे।
- यह कर ऐसे समय में लगाया गया है जब रिफाइनरों ने यूरोप जैसे घाटे में फँसे देशों को ईंधन निर्यात बढ़ाकर बड़ा लाभ कमाया है, जिसने अब रूस से तेल आयात का बहिष्कार किया है।
- राष्ट्र (United Nations-UN) के प्रमुख ने सभी सरकारों से इन अत्यधिक मुनाफे पर कर लगाने का आग्रह किया "और इस कठिन समय में सबसे कमजोर लोगों का समर्थन करने के लिये धन का उपयोग करने को कहा।"
- अप्रत्याशित करों को लागू करने के आह्वान को IMF जैसे संगठनों में भी समर्थन मिला, जिसने इस प्रकार के करों को आरोपित करने के विषय/तरीकों पर एक परामर्श-पत्र जारी किया।

विंडफॉल टैक्स से संबंधित मुद्दे:

- **बाज़ार में अनिश्चितता:**
  - कर व्यवस्था में निश्चितता और स्थिरता होने पर कंपनियाँ किसी क्षेत्र में निवेश करने में विश्वास रखती हैं।
  - चूँकि अप्रत्याशित कर पूर्वव्यापी रूप में लगाए जाते हैं और प्राय: अप्रत्याशित घटनाओं से प्रभावित होते हैं, ये भविष्य के करों के बारे में बाज़ार में अनिश्चितता पैदा कर सकते हैं।
- **प्रकृति में लोकलुभावन:**
  - ऐसा माना जाता है कि इस तरह के कर अल्पावधि में लोकलुभावन और राजनीतिक रूप से उपयुक्त होते हैं।
- **भविष्य के निवेश में कमी:**
  - एक अस्थायी अप्रत्याशित लाभ कर का परिचय भविष्य के निवेश को कम करता है क्योंकि संभावित निवेशक निवेश निर्णय लेते समय संभावित करों की संभावना का आकलन करेंगे।
    - यदि कीमतों में तीव्र वृद्धि से एकतरफा लाभ में वृद्धि होती है, तो इसे वास्तविक रूप में अप्रत्याशित कहा जा सकता है, लेकिन यह तर्क दिया जा सकता है कि ये ऐसे लाभ हैं जिसे कंपनियों ने अंतिम उपयोगकर्त्ता को अंतिम उत्पाद प्रदान करने के क्रम में जोखिम लेने वाले उद्योगों के लिये एक पुरस्कार के रूप में अर्जित किया है।
  - यह परिभाषित नहीं है कि यह कर किस पर लगाया जाना चाहिये, उच्च-मूल्य वाली बिक्री या छोटी कंपनियों के व्यापार के लिये ज़िम्मेदार बड़ी कंपनियाँ, यह सवाल उठाती हैं कि क्या एक निश्चित सीमा से नीचे के राजस्व या लाभ वाले उत्पादकों को छूट दी जानी चाहिये अथवा नहीं।

नोट :

भारतीय इतिहास

वल्लियप्पन उलगनाथन चिदंबरम पिल्लई

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री ने 5 सितंबर, 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी वी.ओ.चिदंबरम पिल्लई को उनकी 151वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

- वह एक लोकप्रिय कप्पलोटिया थमिज़ान (तमिल खेवनहार) और "चेक्किलुथथा चेम्मल" के रूप में जाने जाते थे।

चिदंबरम पिल्लई:

- **जन्म:** वल्लियप्पन उलगनाथन चिदंबरम पिल्लई (चिदंबरम पिल्लई) का जन्म 5 सितंबर, 1872 को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली ज़िले के ओट्टापिडारम् में एक प्रख्यात वकील उलगनाथन पिल्लई और परमी अम्माई के घर हुआ था।
- **प्रारंभिक जीवन:** चिदंबरम पिल्लई ने कैलडवेल कॉलेज, तूतीकोरिन से स्नातक किया। अपनी कानून की पढ़ाई शुरू करने से पहले उन्होंने एक संक्षिप्त अवधि के लिये तालुका कार्यालय में क्लर्क के रूप में कार्य किया।
  - वर्ष 1900 में न्यायाधीश के साथ उनके विवाद ने उन्हें तूतीकोरिन में नए काम की तलाश करने के लिये बाध्य किया।
  - वर्ष 1905 तक वे पेशेवर और पत्रकारिता गतिविधियों में संलग्न रहे।
- **राजनीति में प्रवेश:**
  - चिदंबरम पिल्लई ने 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद राजनीति में प्रवेश किया।
    - वर्ष 1905 के अंत में चिदंबरम पिल्लई ने मद्रास का दौरा किया और बाल गंगाधर तिलक तथा लाला लाजपत राय द्वारा शुरू किये गए स्वदेशी आंदोलन से जुड़े।
    - चिदंबरम पिल्लई रामकृष्ण मिशन की ओर आकर्षित हुए और सुब्रमण्यम भारती तथा मांडयम परिवार के संपर्क में आए।
  - तूतीकोरिन (वर्तमान थूथुकुडी) में चिदंबरम पिल्लई के आने तक तिरुनेलवेली ज़िले में स्वदेशी आंदोलन ने गति प्राप्त करना शुरू नहीं किया था।
- **स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका:**
  - 1906 तक चिदंबरम पिल्लई ने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी (SSNCO) के नाम से एक स्वदेशी मर्चेंट शिपिंग संगठन स्थापित करने के लिये तूतीकोरिन और तिरुनेलवेली में व्यापारियों एवं उद्योगपतियों का समर्थन हासिल किया।
    - उन्होंने स्वदेशी प्रचार सभा, धर्मसंग नेसावु सलाई, राष्ट्रीय गोदाम, मद्रास एग्रो-इंडस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड और देसबीमना संगम जैसी कई संस्थाओं की स्थापना की।
  - चिदंबरम पिल्लई और शिवा को उनके प्रयासों हेतु तिरुनेलवेली स्थित कई वकीलों द्वारा सहायता प्रदान की गई, जिन्होंने स्वदेशी संगम या 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक' नामक एक संगठन का गठन किया।
  - तूतीकोरिन कोरल मिल्स की हड़ताल (1908) की शुरुआत के साथ राष्ट्रवादी आंदोलन ने एक द्वितीयक चरित्र प्राप्त कर लिया।
  - गांधीजी के चंपारण सत्याग्रह (1917) से पहले भी चिदंबरम पिल्लई ने तमिलनाडु में मज़दूर वर्ग का मुद्दा उठाया था और इस तरह वह इस संबंध में गांधीजी के अग्रदूत रहे।
  - चिदंबरम पिल्लई ने अन्य नेताओं के साथ मिलकर 9 मार्च, 1908 की सुबह बिपिन चंद्र पाल की जेल से रिहाई का जश्न मनाने और स्वराज का झंडा फहराने के लिये एक विशाल जुलूस निकालने का संकल्प लिया।

- **कृतियाँ:** मेयाराम (1914), मेयारिवु (1915), एंथोलॉजी (1915), आत्मकथा (1946), थिरुकुरल के मनकुदावर के साहित्यिक नोट्स के साथ (1917)), टोल्कपियम के इलमपुरनार के साहित्यिक नोट्स के साथ (1928)।
- **मृत्यु:** चिदंबरम पिल्लई की मृत्यु 18 नवंबर, 1936 को भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस कार्यालय तूतीकोरिन में हुई।

मोहनजोदड़ो: यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल

चर्चा में क्यों?

पाकिस्तान के पुरातत्त्व विभाग ने चेतावनी दी है कि सिंध प्रांत में भारी वर्षा से मोहनजोदड़ो के विश्व धरोहर का दर्जा खतरे में पड़ गया है।

विरासत स्थल को खतरा:

- 16 और 26 अगस्त, 2022 के बीच, मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खंडहरों में रिकॉर्ड 779.5 मि.मी. वर्षा हुई, जिसके परिणामस्वरूप "स्थल को काफी नुकसान हुआ और स्तूप गुंबद की सुरक्षा दीवार सहित कई दीवारें आंशिक रूप से गिर गईं" है।
  - मुनीर क्षेत्र, स्तूप, महान स्नानागार और इन खंडहरों के अन्य महत्त्वपूर्ण स्थल प्राकृतिक आपदा से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।
- यह आशंका है कि मोहनजोदड़ो के खंडहरों को विश्व विरासत सूची से हटाया जा सकता है, इसलिये सिंध के अधिकारियों ने स्थल पर संरक्षण और बहाली के कार्य पर तत्काल ध्यान देने का आह्वान किया है।

मोहनजोदड़ो:

- मोहनजोदड़ो का स्थल, जिसका शाब्दिक अर्थ है 'मृतकों का टीला' सिंधु घाटी सभ्यता (IVC) के महत्त्वपूर्ण स्थलों में से एक है।
  - सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाकिस्तान-ईरान सीमा के पास बलूचिस्तान में सुत्कागेनडोर से लेकर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के आलमगीरपुर तक और जम्मू के मांडा से लेकर महाराष्ट्र के दाइमाबाद तक फैले एक बड़े क्षेत्र में पाए गए हैं।
  - भारत में हड़प्पा सभ्यता के अन्य महत्त्वपूर्ण स्थल गुजरात में लोथल, धौलावीरा और राजस्थान में कालीबंगा हैं।
- हड़प्पा के साथ-साथ मोहनजोदड़ो भी कांस्ययुगीन (3300 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व) शहरी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल है।
- यह लगभग 3,300 ईसा पूर् और 1,300 ईसा पूर्व के बीच सिंधु घाटी में विकसित हुआ, इसका 'परिपक्व' चरण 2,600 ईसा पूर्व से 1,900 ईसा पूर्व तक था।
- दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य में सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन जैसे कारणों से माना जाता है।
- मोहनजोदड़ो की खुदाई वर्ष 1920 में शुरू हुई थी और वर्ष 1964-65 तक चरणों में जारी रही, अभी भी केवल एक छोटे से हिस्से की खुदाई की गई है।
  - मोहनजोदड़ो की प्रागैतिहासिक प्राचीनता की खोज वर्ष 1922 में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के रखाल दास बनर्जी ने की थी।
- यह स्थल ईंट से बने फुटपाथ, विकसित जल आपूर्ति, जल निकासी, शौचालयों, विशाल अन्नागार और स्नानागार एवं स्मारक भवनों के साथ परस्पर समकोण पर काटती हुई सड़कों तथा विस्तृत नगर नियोजन प्रणाली के लिये प्रसिद्ध है।
- अपने चरमोत्कर्ष और अत्यधिक विकसित सामाजिक संगठन के साथ इसके अनुमानित निवासियों की संख्या 30,000 से 60,000 के मध्य थी
- कराची से 510 किलोमीटर उत्तर पूर्व और सिंध में लरकाना से 28 किलोमीटर दूर बिना पकी ईंट के विशाल शहर के खंडहरों को वर्ष 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी।

यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल:

- **परिचय:**
  - विश्व धरोहर/विरासत स्थल का आशय एक ऐसे स्थान से है, जिसे यूनेस्को द्वारा उसके विशिष्ट सांस्कृतिक अथवा भौतिक महत्त्व के कारण सूचीबद्ध किया गया है।
  - विश्व धरोहर स्थलों की सूची को 'विश्व धरोहर कार्यक्रम' द्वारा तैयार किया जाता है, यूनेस्को की 'विश्व धरोहर समिति' द्वारा इस कार्यक्रम को प्रशासित किया जाता है।
  - यह सूची यूनेस्को द्वारा वर्ष 1972 में अपनाई गई 'विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण से संबंधित अभिसमय' नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में सन्निहित है।
- **सूचीबद्ध स्थलों की संख्या:**
  - इसके 167 सदस्य देशों में लगभग 1,100 यूनेस्को सूचीबद्ध स्थल हैं।
  - वर्ष 2021 में यूनाइटेड किंगडम में 'लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी' को "संपत्ति के उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य को व्यक्त करने वाली विशेषताओं के अपरिवर्तनीय नुकसान" के कारण विश्व विरासत सूची से हटा दिया गया था।
    - वर्ष 2007 में यूनेस्को पैनल ने ओमान में अरब ओरिक्स अभयारण्य को अवैध शिकार और निवास स्थान के क्षरण पर चिंताओं के बाद और वर्ष 2009 में जर्मनी के ड्रेसडेन में एल्बे घाटी को एल्बे नदी के पार वाल्डस्च्लोसेचेन रोड ब्रिज के निर्माण के बाद इस सूची से हटा दिया ।

- **भारत के स्थल:**
  - भारत में कुल 3691 स्मारकों और स्थल हैं। इनमें से 40 यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित हैं।
  - जिसमें ताजमहल, अजंता और एलोरा की गुफाएँ शामिल हैं। विश्व धरोहर स्थलों में असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जैसे प्राकृतिक स्थल भी शामिल हैं।
    - गुजरात में हड़प्पा शहर धोलावीरा भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में।
    - रामप्पा मंदिर (तेलंगाना) भारत का 39वाँ विश्व धरोहर स्थल था।
    - कंचनजंघा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम को भारत का पहला और एकमात्र "मिश्रित विश्व विरासत स्थल" के रूप में चिह्नित किया गया है।
  - वर्ष 2022 में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2022-2023 के लिये विश्व विरासत स्थल के रूप में विचार करने के लिये होयसल मंदिरों के पवित्र समागम को नामित किया।

यूनेस्को (UNESCO):

- **परिचय:**
  - यूनेस्को को वर्ष 1945 में स्थायी शांति के निर्माण के साधन के रूप में 'मानव जाति में बौद्धिक और नैतिक एकजुटता' विकसित करने हेतु स्थापित किया गया था।
  - इसका मुख्यालय पेरिस, फ्राँस में स्थित है।
- **यूनेस्को की प्रमुख पहलें**
  - मानव व जीवमंडल कार्यक्रम
  - विश्व विरासत कार्यक्रम
  - यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क
  - यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क
  - एटलस ऑफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेजेज़ इन डेंजर

चोल राजवंश

चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु आइडल विंग CID ने वर्ष 1960 के दशक में तमिलनाडु के नरेश्वर सिवन मंदिर से चुराई गई और वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न संग्रहालयों में रखी छह चोल-युग की कांस्य मूर्तियों को पुन: प्राप्त करने के लिये कदम उठाए हैं।

- इंडो-फ्रेंच इंस्टीट्यूट, पुदुचेरी के पास उपलब्ध छवियों की मदद से मूर्तियों को हाल ही में अमेरिका में सफलतापूर्वक खोजा गया था, जिसने वर्ष 1956 में नौ कांस्य मूर्तियों का दस्तावेजीकरण किया था। उनमें से सात मूर्ति पाँच दशक पहले चोरी हो गई थी।
- संस्थान ने त्रिपुरानथकम, तिरुपुरासुंदरी, नटराज, दक्षिणमूर्ति वीणाधारा और संत सुंदरर की प्राचीन पंचलोहा मूर्तियों की छवियाँ उनकी पत्नी परवई नटचियार के साथ प्रदान की थीं।

मध्यकालीन चोल राजवंश

- **परिचय:**
  - चोलों (8-12वीं शताब्दी ईस्वी) को भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक के रूप में याद किया जाता है।
  - चोलों का शासन 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ जब उन्होंने सत्ता में आने के लिये पल्लवों को हराया। इनका शासन 13वीं शताब्दी तक पाँच से अधिक शताब्दियों तक चलता रहा।
  - मध्यकाल चोलों के लिये पूर्ण शक्ति और विकास का युग था। यह राजा आदित्य प्रथम और परान्तक प्रथम जैसे राजाओं द्वारा संभव हुआ।
  - यहाँ से राजराज चोल और राजेंद्र चोल ने तमिल क्षेत्र में राज्य का विस्तार किया। बाद में कुलोतुंग चोल ने मज़बूत शासन स्थापित करने के लिये कलिंग पर अधिकार कर लिया।
  - यह भव्यता 13वीं शताब्दी की शुरुआत में पांड्यों के आगमन तक चली।

- **प्रमुख सम्राट:**
  - विजयालय: चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। उसने 8वीं शताब्दी में तंजौर साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और पल्लवों को हराकर शक्तिशाली चोलों के उदय का नेतृत्व किया।

नोट :

- **आदित्य प्रथम:** आदित्य प्रथम विजयालय साम्राज्य का शासक बनने में सफल हुआ। उसने राजा अपराजित को हराया और साम्राज्य ने उसके शासनकाल में भारी शक्ति प्राप्त की। उन्होंने वदुम्बों के साथ पांड्या राजाओं पर विजय प्राप्त की एवं इस क्षेत्र में पल्लवों की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित किया।
- **राजेंद्र चोल:** यह शक्तिशाली राजराजा चोल का उत्तराधिकारी बना। राजेंद्र प्रथम गंगा तट पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें लोकप्रिय रूप से गंगा का विक्टर कहा जाता था। इस काल को चोलों का स्वर्ण युग कहा जाता है। उनके शासन के बाद राज्य में व्यापक पतन देखा गया।

- **प्रशासन और शासन:**
  - चोलों के शासन के दौरान पूरे दक्षिणी क्षेत्र को एक ही शासी बल के नियंत्रण में लाया गया था। चोलों ने निरंतर राजशाही में शासन किया।
  - विशाल राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था जिन्हें मंडलम के रूप में जाना जाता था।
  - प्रत्येक मंडलम के लिये अलग-अलग गवर्नर को प्रभारी रखा गया था।
  - इन्हें आगे नाडु नामक ज़िलों में विभाजित किया गया था जिसमें तहसील शामिल थे।
  - शासन की व्यवस्था ऐसी थी कि चोलों के युग के दौरान प्रत्येक गाँव स्वशासी इकाई के रूप में कार्य करता था। चोल कला, कविता, साहित्य और नाटक के प्रबल संरक्षक थे; प्रशासन को मूर्तियों और चित्रों के साथ कई मंदिरों और परिसरों के निर्माण में देखा जा सकता है।
  - राजा केंद्रीय प्राधिकारी बना रहा जो प्रमुख निर्णय लेता था और शासन करता था।
- **वास्तुकला:**
  - चोल वास्तुकला (871-1173 ई.) मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का प्रतीक था।
  - उन्होंने मध्ययुगीन भारत में कुछ सबसे भव्य मंदिरों का निर्माण किया।
  - बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर जैसे चोल मंदिरों ने द्रविड़ वास्तुकला को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया। चोलों के बाद भी मंदिर वास्तुकला का विकास जारी रहा।

चोल मूर्तिकला की विशेषताएँ:

- चोल मूर्तिकला का एक महत्त्वपूर्ण प्रदर्शन तांडव नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति है।
  - हालाँकि सबसे पहले ज्ञात नटराज की मूर्ति, जिसे ऐहोल में रावण फड़ी गुफा में खोदा गया है, प्रारंभिक चालुक्य शासन के दौरान बनाई गई थी, चोलों के शासन के दौरान मूर्तिकला अपने चरम पर पहुँच गई थी।
- 13वीं शताब्दी में चोल कला के बाद के चरण का चित्रण भूदेवी, या पृथ्वी की देवी को विष्णु की छोटी पत्नी के रूप में दर्शाने वाली मूर्ति द्वारा किया गया है। वह अपने दाहिने हाथ में एक लिली पकड़े हुए आधार पर एक सुंदर ढंग से मुड़ी हुई मुद्रा में खड़ी है, जबकि बायाँ हाथ भी उसी तरफ लटका हुआ है।
- चोल कांस्य प्रतिमाओं को विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमाओं में से एक माना जाता है।

आचार्य विनोबा भावे

चर्चा में क्यों?

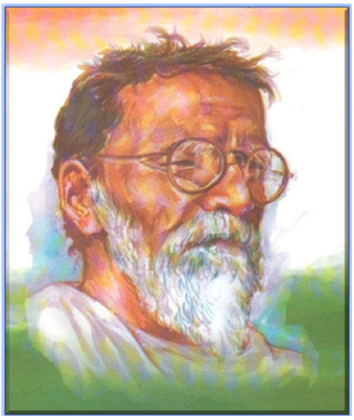

11 सितंबर, 2022 को आचार्य विनोबा भावे की 127वीं जयंती मनाई गई।

आचार्य विनोबा भावे

- **जन्म:**
  - विनायक नरहरि भावे का जन्म 11 सितंबर, 1895 को गागोडे, बॉम्बे प्रेसीडेंसी (वर्तमान महाराष्ट्र) में हुआ था।
  - उनके पिता और माता का नाम क्रमश: नरहरि शंभू राव और रुक्मिणी देवी था।
- **संक्षिप्त परिचय:**
  - आचार्य विनोबा भावे एक अहिंसक और स्वतंत्रता के कार्यकर्त्ता, समाज सुधारक और आध्यात्मिक शिक्षक थे।
  - महात्मा गांधी के एक उत्साही अनुयायी होने के नाते विनोबा ने अहिंसा और समानता के अपने सिद्धांतों का पालन किया।
  - उन्होंने अपना जीवन गरीबों और दलितों की सेवा हेतु समर्पित कर दिया तथा उनके अधिकारों के लिये खड़े हुए।
- **पुरस्कार और मान्यता:**
  - विनोबा भावे वर्ष 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय व्यक्ति थे।
  - उन्हें 1983 में मरणोपरांत भारत रत्न (भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार) से भी सम्मानित किया गया था।
- **गांधी के साथ जुड़ाव:**
  - विनोबा भावे ने 7 जून. 1916 को गांधी से मुलाकात की और आश्रम में निवास किया।
    - गांधी की शिक्षाओं ने भावे को भारतीय ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने के लिये समर्पित जीवन की ओर अग्रसर किया।
  - आश्रम के एक अन्य सदस्य मामा फड़के ने उन्हें विनोबा (एक पारंपरिक मराठी विशेषण जो महान सम्मान का प्रतीक है) नाम दिया था।
  - 8 अप्रैल, 1921 को विनोबा भावे, गांधी के निर्देशों के तहत वर्धा में एक गांधी-आश्रम का प्रभार लेने के लिये वर्धा गए।
    - वर्धा में अपने प्रवास के दौरान वर्ष 1923 में उन्होंने मराठी में एक मासिक 'महाराष्ट्र धर्म' का प्रकाशन किया, जिसमें उपनिषदों पर उनके निबंध छापे गए थे।
- **स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका:**
  - उन्होंने असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और विशेष रूप से आयातित विदेशी वस्तुओं के स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का आह्वान किया।
  - उन्होंने खादी का कताई करने वाला चरखे का उपयोग किया और दूसरों से ऐसा करने का आग्रह किया, जिसके परिणामस्वरूप कपड़े का बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ।
  - वर्ष 1932 में, विनोबा को छह महीने के लिए धूलिया जेल भेज दिया गया था क्योंकि उन पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया गया था।
    - कारावास के दौरान उन्होंने साथी कैदियों को 'भगवद गीता' के विभिन्न विषयों को मराठी में समझाया।
    - धूलिया जेल में उनके द्वारा गीता पर दिये गए सभी व्याख्यानों को एकत्र किया गया और बाद में पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया।
  - वर्ष 1940 में उन्हें भारत में गांधीजी द्वारा ब्रिटिश राज के खिलाफ पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही (सामूहिक कार्रवाई के बजाय सत्य के लिये खड़े होने वाले व्यक्ति) के रूप में चुना गया था।
  - 1920 और 1930 के दशक के दौरान भावे को कई बार बंदी बनाया गया तथा ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध के लिये 40 के दशक में पाँच साल की जेल की सज़ा दी गई थी।
  - उन्हें आचार्य (शिक्षक) की सम्मानित उपाधि दी गई थी।
- **सामाजिक कार्यों में भूमिका:**
  - उन्होंने समाज में व्याप्त असमानता जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने की दिशा में अथक प्रयास किया।
  - गांधीजी द्वारा स्थापित उदाहरणों से प्रभावित होकर उन्होंने उन लोगों का मुद्दा उठाया जिन्हें गांधीजी द्वारा हरिजन कहा जाता था।
  - उन्होंने गांधीजी के सर्वोदय शब्द को अपनाया जिसका अर्थ- "सभी के लिये प्रगति" (Progress for All) है।
  - इनके नेतृत्व में 1950 के दशक के दौरान सर्वोदय आंदोलन ने विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया गया जिनमें प्रमुख भूदान आंदोलन है।
- **भूदान आंदोलन:**
  - वर्ष 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली (Pochampalli) गाँव के हरिजनों ने उनसे जीविकोपार्जन के लिये लगभग 80 एकड़ भूमि प्रदान कराने का अनुरोध किया।
  - 19 वीं 1951 को पोचमपल्ली गाँव के हरिजनों ने उनसे जीविकोपार्जन के लिये लगभग 80 एकड़ भूमि प्रदान करने का अनुरोध किया।
  - विनोबा ने गाँव के जमींदारों को आगे आने और हरिजनों को संरक्षित करने के लिये कहा।
    - उसके बाद एक ज़मींदार ने आगे बढ़कर आवश्यक भूमि प्रदान करने की पेशकश की।
    - यह भूदान (भूमि का उपहार) आंदोलन की शुरुआत थी।
  - यह आंदोलन 13 वर्षों तक जारी रहा और इस दौरान विनोबा भावे ने देश के विभिन्न हिस्सों (कुल 58,741 किलोमीटर की दूरी) का भ्रमण किया।

नोट :

- वह लगभग 4.4 मिलियन एकड़ भूमि एकत्र करने में सफल रहे, जिसमें से लगभग 1.3 मिलियन को गरीब भूमिहीन किसानों के बीच वितरित किया गया।
- इस आंदोलन ने दुनिया भर से प्रशंसको को आकर्षित किया तथा स्वैच्छिक सामाजिक न्याय को जागृत करने हेतु इस तरह के एकमात्र प्रयोग के कारण इसकी सराहना की गई।

- **धार्मिक कार्य:**
  - उन्होंने जीवन के एक सरल तरीके को बढ़ावा देने के लिये कई आश्रम स्थापित किये, जो विलासिता रहित थे, क्योंकि यह लोगों का ध्यान ईश्वर की भक्ति से हटा देता है।
  - महात्मा गांधी की शिक्षाओं की तर्ज पर आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से उन्होंने वर्ष 1959 में महिलाओं के लिये 'ब्रह्म विद्या मंदिर' की स्थापना की।
  - उन्होंने गोहत्या पर कड़ा रुख अपनाया और इसके प्रतिबंधित होने तक उपवास करने की घोषणा की।
- **साहित्यक रचना:**
  - उनकी महत्त्वपूर्ण पुस्तकों में स्वराज्य शास्त्र, गीता प्रवचन और तीसरी शक्ति आदि शामिल हैं।
- **मृत्यु**
  - वर्ष 1982 में वर्धा, महाराष्ट्र में उनका निधन हो गया।

दृष्टि The Vision

भारतीय राजनीति

मुस्लिम पर्सनल लॉ केस

चर्चा में क्यों ?

मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा अनुमत बहु विवाह और निकाह हलाला की प्रथा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय में सूचीबद्ध किया गया है।

- पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को नोटिस जारी की है।

याचिकाकर्त्ताओं के तर्क:

- याचिकाकर्त्ताओं ने बहुविवाह और निकाह-हलाला पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए कहा है कि यह मुस्लिम महिलाओं को असुरक्षित और कमज़ोर बनाता है एवं उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
- उन्होंने मांग की कि मुसलिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम की धारा 2 को असंवैधानिक घोषित किया जाए और संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 15 (धर्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध) और 21 (जीवन का अधिकार) के उल्लंघनकर्त्ता के रूप में घोषित किया जाए जो बहुविवाह और निकाह-हलाला की प्रथा को मान्यता प्रदान करता है।
- संविधान व्यक्तिगत कानूनों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है, इसलिये सर्वोच्च न्यायालय इन प्रथाओं की संवैधानिक वैधता के मुद्दे की जाँच नहीं कर सकता है।
- याचिकाकर्त्ताओं का तर्क है कि यहाँ तक कि शीर्ष न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने भी अन्य अवसरों पर पर्सनल लॉ द्वारा स्वीकृत प्रथाओं के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, याचिकाकर्त्ताओं द्वारा तीन तालक चुनौती मामले को सर्वोच्च न्यायालय पहले ही खारिज़ कर चुका है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ:

- शरिया या मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार, पुरुषों को बहुविवाह करने की अनुमति दी गई है, जिसका अर्थ है वे एक ही समय में एक से अधिक पत्नियों के साथ रह सकते हैं, विवाह की अधिकतम संख्या 4 निर्धारित की गई है।
- 'निकाह हलाला' एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक मुस्लिम महिला को अपने तलाकशुदा पति से दोबारा शादी करने से पूर्व दूसरे व्यक्ति से शादी करनी होती है और फिर उससे तलाक लेना पड़ता है।

भारत में मुस्लिम कानून:

- मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अनुप्रयोग अधिनियम (Shariat Application Act) वर्ष 1937 में भारतीय मुसलमानों के लिये इस्लामी कानून सहिंता तैयार करने के उद्देश्य से पारित किया गया था।
- ब्रिटिश जो उस समय भारत पर शासन कर रहे थे, यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे थे कि भारतीयों पर उनके अपने सांस्कृतिक मानदंडों के अनुसार शासन किया जाए।
- जब हिंदुओं और मुसलमानों के लिये बनाए गए कानूनों के बीच अंतर करने की बात आई, तो उन्होंने यह बयान दिया कि हिंदुओं के मामले में "उपयोग का स्पष्ट प्रमाण कानून की लिखित सहिंता से अधिक होगा"। दूसरी ओर मुसलमानों के लिये कुरान में लिखित सहिंता सबसे महत्त्वपूर्ण होगी।
- वर्ष 1937 के बाद से शरीयत अनुप्रयोग अधिनियम मुस्लिम सामाजिक जीवन के पहलुओं, जैसे शादी, तलाक, विरासत और पारिवारिक संबंधों को अनिवार्य करता है। अधिनियम के अनुसार, व्यक्तिगत विवाद के मामलों में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा।

अन्य धर्मों के पर्सनल लॉ:

- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 जो हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के बीच संपत्ति विरासत के दिशा-निर्देश देता है।
- पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 पारसियों द्वारा उनकी धार्मिक परंपराओं के अनुसार पालन किये जाने वाले नियमों को निर्धारित करता है।
- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 ने हिंदुओं के बीच विवाह से संबंधित कानूनों को संहिताबद्ध किया था।

भारत में शरीयत अनुप्रयोग अधिनियम अपरिवर्तनीय:

- शरीयत अधिनियम की प्रयोज्यता वर्षों से विवादास्पद रही है। ऐसे उदाहरण पहले भी देखे गए हैं जब व्यापक मौलिक अधिकारों के भाग के रूप में महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण का मुद्दा धार्मिक अधिकारों के साथ विवाद में आ गया।
- इनमें सबसे चर्चित शाह बानो मामला है।
  - वर्ष 1985 में 62 वर्षीय शाह बानो ने अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में उसके गुजारा भत्ता के अधिकार को बरकरार रखा लेकिन इस फैसले का इस्लामिक समुदाय ने कड़ा विरोध किया था, जो इसे कुरान में लिखित नियमों के खिलाफ मानते

नोट :

थे। इस मामले ने इस बात को लेकर विवाद पैदा कर दिया कि न्यायालय किस हद तक व्यक्तिगत/धार्मिक कानूनों में हस्तक्षेप कर सकते है।

- भारत में शरीयत अनुप्रयोग अधिनियम पर्सनल लॉ संबंधों में इस्लामी कानूनों के अनुप्रयोग की रक्षा करता है, लेकिन यह अधिनियम कानूनों को परिभाषित नहीं करता है।
- पर्सनल लॉ संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत 'कानून' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। पर्सनल लॉ की वैधता को संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है।

महिलाओं के लिये जमानत संबंधी प्रावधान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यकर्त्ता तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि "अपीलकर्त्ता (तीस्ता) को इस तथ्य सहित कि अपीलकर्त्ता एक महिला है, असाधारण तथ्यों में अंतरिम जमानत की राहत दी जाती है"।

- भारत के मुख्य न्यायाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता CRPC में जमानत प्रावधान का भी संदर्भ दिया, जिसमें कहा गया है कि "एक महिला होने के नाते जमानत देने का एक संभावित आधार है, भले ही अन्यथा इस पर विचार नहीं किया जा सकता है।"

महिलाओं के लिये जमानत संबंधी उपलब्ध प्रावधान:

- **आपराधिक प्रक्रिया संहिता:**
  - CRPC की धारा 437 गैर-जमानती अपराधों के मामले में जमानत से संबंधित है। इसके अनुसार, व्यक्ति को जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा यदि:
    - यह मानने का उचित आधार है कि उसने मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किया है; या
    - उसे पहले मौत, आजीवन कारावास, या सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिये दंडनीय अपराध के लिये दोषी ठहराया गया है; या
    - उसे दो या दो से अधिक अवसरों पर अन्य अपराधों में तीन से सात वर्ष के बीच की अवधि के साथ दोषी ठहराया गया है।
  - हालाँकि, CRPC की धारा 437 में अपवाद भी शामिल हैं जैसे कि न्यायालय इन मामलों में भी जमानत दे सकती है, अगर ऐसा व्यक्ति 16 वर्ष से कम उम्र का है या महिला है या बीमार या कमज़ोर है।
- **अन्य प्रावधान:**
  - जब एक पुलिस अधिकारी को किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति की आवश्यकता होती है जिसे वह मानता है कि जाँच के तहत मामले से परिचित है, तो उस व्यक्ति को अधिकारी (धारा 160) के सामने पेश होना पड़ता है।
    - हालाँकि किसी भी महिला को अपने निवास स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
    - वर्ष 1980 और 1989 में अपनी 84वीं और 135वीं रिपोर्ट में, विधि आयोग ने सुझाव दिया कि 'स्थान' शब्द अस्पष्ट है, और इसे 'निवास स्थान' में संशोधित करना बेहतर होगा।

महिलाओं की गिरफ्तारी पर CRPC के प्रावधान:

- **गिरफ्तारी की प्रक्रिया:**
  - एक पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसने न्यायिक आदेश या वारंट के बिना संज्ञेय अपराध किया है। (धारा 41)
    - यदि व्यक्ति पुलिस की कहने या कार्रवाई के आधार पर वह गिरफ्तारी नहीं देता है, तो धारा 46 पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी को प्रभावी करने के लिये व्यक्ति को शारीरिक रूप से सीमित करने में सक्षम बनाती है।
    - वर्ष 2009 में CrPC में इस आशय से एक प्रावधान जोड़ा गया कि जब किसी महिला को गिरफ्तार किया जाना हो तो, केवल एक महिला पुलिस अधिकारी ही महिला को छू सकती है, जब तक कि ऐसी परिस्थितियाँ न हों।
  - वर्ष 2005 में एक संशोधन के माध्यम से, सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले एक महिला की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिये धारा 46 में एक उपधारा जोड़ी गई।
    - असाधारण परिस्थितियों में गिरफ्तारी के लिये एक महिला पुलिस अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त कर सकती है।
- **गैर-उपस्थिति के मामलों में:**
  - पुलिस ऐसे किसी भी परिसर में प्रवेश की मांग कर सकती है जहाँ संदेह हो कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है, वह वहाँ मौजूद है।
    - इस धारा में यह माना गया है कि पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति, जो भी गिरफ्तारी वारंट निष्पादित कर रहा है, को पता चलता है कि जिस परिसर की तलाशी ली जानी है, वह महिलाओं का मूल निवास स्थान है, जो प्रथा के अनुसार सार्वजनिक रूप से पता नहीं होता है। तो ऐसा पुलिस अधिकारी या व्यक्ति तलाशी शुरू करने से पहले उस महिला को तलाशी रद्द करने के अधिकार के बारे में एक नोटिस जारी करेगा। (धारा 47 का प्रावधान)।

- इसमें यह भी जोड़ा गया है कि वे परिसर में प्रवेश करने एवं उसे गिरफ्तार कर वापस लाने के दौरान उचित सुविधा प्रदान करेंगे।
- एक अन्य अपवाद के तहत में एक महिला जो मानहानि का मामला दर्ज करने का इरादा रखती है, लेकिन वह सार्वजनिक रूप से उपस्थिति नहीं होना चाहती है, वह अपनी ओर से किसी और को शिकायत दर्ज करने के लिये कह सकती है।

गिरफ्तारी से संरक्षण हेतु भारत में संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 22:**
  - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तार या हिरासत में लिये गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है।
    - हिरासत दो प्रकार की होती है:
    - दंडात्मक निरोध।
    - निवारक निरोध।
  - दंडात्मक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किये गए अपराध के लिये न्यायालय में मुकदमे और दोषसिद्धि के बाद दंडित करना है।
  - दूसरी ओर, निवारक निरोध का अर्थ है किसी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे और न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के हिरासत में रखना।
  - अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं- पहला भाग साधारण कानून के मामलों से संबंधित है और दूसरा भाग निवारक निरोध कानून के मामलों से संबंधित है।

दंडात्मक नजरबंदी के तहत प्रदान अधिकार	निवारक निरोध के तहत प्रदान अधिकार
• गिरफ्तारी के आधार के विषय में सूचित करने का अधिकार।	• किसी व्यक्ति की नजरबंदी तीन महीने से अधिक नहीं हो सकती जब तक कि एक सलाहकार बोर्ड विस्तारित नजरबंदी के लिये पर्याप्त कारण की रिपोर्ट नहीं करता है। • बोर्ड में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होते हैं।
• विधि व्यवसायी से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार।	• नजरबंदी के आधारों के विषय में नजरबंद व्यक्ति को सूचित किया जाना चाहिये। • तथापि, जनहित के विरुद्ध माने जाने वाले तथ्यों को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।
• यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार।	• हिरासत में लिये गए व्यक्ति को निरोध आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन देने का अवसर प्रदान करना चाहिये।
• 24 घंटे के बाद रिहा होने का अधिकार जब तक कि मजिस्ट्रेट, हिरासत को जारी रखने के लिये अधिकृत नहीं करता।	• --------
• ये सुरक्षा उपाय किसी विदेशी शत्रु के लिये उपलब्ध नहीं हैं।	• यह सुरक्षा नागरिकों के साथ-साथ विदेशियों के लिये भी उपलब्ध है।

जमानत और उसके प्रकार:

- **जमानत :**
  - जमानत कानूनी हिरासत में रखे गए व्यक्ति की सशर्त/अनंतिम रिहाई है (ऐसे मामलों में जो अभी तक न्यायालय द्वारा घोषित किये जाने हैं) और जब भी आवश्यक हो,न्यायालय में पेश होने का वादा करके यह रिहाई हेतु न्यायालय के समक्ष जमा की गई सुरक्षा/संपार्श्विक (Collateral) का प्रतीक है।
- **जमानत के प्रकार:**
  - **नियमित जमानत:**
    - यह न्यायालय (देश के भीतर किसी भी न्यायालय) द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को रिहा करने का निर्देश है जो पहले से ही गिरफ्तार किया गया है और पुलिस हिरासत में रखा गया है।
    - ऐसी जमानत के लिये व्यक्ति CrPC की धारा 437 और 439 के तहत आवेदन कर सकता है।
  - **अंतरिम जमानत:**
    - न्यायालय द्वारा एक अस्थायी और अल्प अवधि के लिये ज़मानत दी जाती है जब तक कि अग्रिम जमानत या नियमित जमानत की मांग करने वाला आवेदन न्यायालय के समक्ष लंबित न हो।
  - **अग्रिम जमानत:**
    - किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किये जाने से पहले ही जमानत पर रिहा करने का निर्देश जारी किया जाता है।
    - ऐसे में गिरफ्तारी की आशंका बनी रहती है और जमानत मिलने से पूर्व व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है।
    - ऐसी जमानत के लिये कोई व्यक्ति CrPC की धारा 438 के तहत आवेदन दाखिल कर सकता है।
    - यह केवल सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है।

क्षेत्रीय भाषा का महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के अध्यक्ष ने मातृभाषा सीखने की प्रारंभिक शुरुआत की भूमिका पर ज़ोर दिया, जो बच्चे की रचनात्मक सोच के लिये महत्त्वपूर्ण है।

क्षेत्रीय भाषाएँ:

- क्षेत्रीय भाषा एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल उस भाषा के लिये किया जाता है जो बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बोली जाती है लेकिन देश के बाकी हिस्सों में संचार की वास्तविक भाषा नहीं है।
  - एक भाषा को क्षेत्रीय तब माना जाता है जब वह ज़्यादातर उन लोगों द्वारा बोली जाती है जो बड़े पैमाने पर किसी राज्य या देश के एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं।
  - भले ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी।

क्षेत्रीय भाषा की आवश्यकता:

- **दुविधा दूर करना:**
  - किसी भी स्थानीय भाषा के बजाय अंग्रेजी भाषा को वरीयता देने की दुविधा को दूर करना और बच्चे को अपनी मातृभाषा में स्वाभाविक रूप से सोचने देना।
- **औपनिवेशिक मानसिकता:**
  - हमारे दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है ताकि जब कोई किसी कक्षा में क्षेत्रीय भाषा में प्रश्न पूछे तो उन्हें हीन भावना महसूस न हो।
- **लाभ:**
  - विषय-विशिष्ट सुधार: भारत और अन्य एशियाई देशों में कई अध्ययन अंग्रेजी माध्यम के बजाय क्षेत्रीय माध्यम का उपयोग करने वाले छात्रों के लिये सीखने के परिणामों पर सकारात्मक प्रभाव का सुझाव देते हैं।
    - विशेष रूप से विज्ञान और गणित में प्रदर्शन अंग्रेजी की तुलना में अपनी मूल भाषा में पढ़ने वाले छात्रों के बीच बेहतर पाया गया है।
  - भागीदारी की उच्च दर: मातृभाषा में अध्ययन के परिणामस्वरूप उच्च उपस्थिति, प्रेरणा और छात्रों के बीच बोलने के लिये आत्मविश्वास में वृद्धि होती है तथा मातृभाषा के साथ सहज होने के कारण माता-पिता की भागीदारी और पढ़ाई हेतु समर्थन में सुधार होता है।
    - कई शिक्षाविदों द्वारा प्रमुख इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थानों में ड्रॉपआउट दरों के साथ-साथ कुछ छात्रों के खराब प्रदर्शन के लिये अंग्रेजी की खराब पकड़ को प्रमुख रूप से ज़िम्मेदार पाया गया है।
  - कम-लाभकारी के लिये अतिरिक्त लाभ: यह विशेष रूप से उन छात्रों के लिये प्रासंगिक है जो पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं (अपनी पूरी पीढ़ी में स्कूल जाने और शिक्षा प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति) या ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिये जो एक विदेशी भाषा के अपरिचित अवधारणाओं से भयभीत महसूस कर सकते हैं।
- **स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिये सरकार की पहल:**
  - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिये बार काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे विभिन्न नियामक निकायों के साथ बातचीत कर रहा है इसलिये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जो यह देखेगी कि संस्थान स्थानीय भाषाओं में कानूनी शिक्षा कैसे प्रदान कर सकते हैं?
  - भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने भी 10 कॉलेजों में क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम शुरू किए थे।
    - इसके अलावा, यह विशेषज्ञों के साथ-साथ 10-12 विषयों की पहचान करने के लिये शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित भारतीय भाषा विकास पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति के साथ भी कार्य कर रहा है ताकि पुस्तकों का या तो अनुवाद किया जा सके या उन्हें नए सिरे से लिखा जा सके।
    - नियामक संस्था अगले एक वर्ष में विभिन्न विषयों में क्षेत्रीय भाषाओं में 1,500 पुस्तकें तैयार करने का लक्ष्य लेकर चल रही थी।
  - वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (CSTT) क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के प्रकाशन को बढ़ावा देने हेतु प्रकाशन अनुदान प्रदान कर रहा है।
  - राष्ट्रीय अनुवाद मिशन (NTM) को केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (CIIL) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

शिक्षा में क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने के उपाय:

संस्थान एक क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाएँगे अथवा वह अंग्रेजी माध्यम में उन छात्रों को इसे सीखने में सहायता प्रदान करेगा जो किसी क्षेत्रीय भाषा में कुशल नहीं हैं।

प्रौद्योगिकी का उपयोग: भविष्य में कक्षाओं में देखे जाने वाले वास्तविक समय के अनुवादों को सक्षम करने के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित तकनीक उपलब्ध कराना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति: राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2022 मातृभाषा को बढ़ावा देने पर ज़ोर देती है जो कम से कम पाँचवीं या आठवीं कक्षा तक शिक्षा का माध्यम होना चाहिये और उसके बाद इसे एक भाषा के रूप में पेश किया जाना चाहिये ।

यह विश्वविद्यालयों से क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री विकसित करने का भी आग्रह करता है।

क्षेत्रीय भाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- **अनुच्छेद 345:** अनुच्छेद 346 और 347 के प्रावधानों के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा राज्य में प्रयोग में आने वाली किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिये इस्तेमाल की जाने वाली भाषा अथवा भाषाओं के रूप में अपना सकता है।
- **अनुच्छेद 346:** संघ में आधिकारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच एवं एक राज्य तथा संघ के बीच संचार के लिये आधिकारिक भाषा होगी।
  - उदाहरण: यदि दो या दो से अधिक राज्य सहमत हैं कि ऐसे राज्यों के बीच संचार के लिये हिंदी भाषा, आधिकारिक भाषा होनी चाहिये तो उस भाषा का उपयोग ऐसे संचार के लिये किया जा सकता है।
- **अनुच्छेद 347:** यह राष्ट्रपति को किसी दिये गए राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में किसी भाषा को मान्यता देने की शक्ति प्रदान करता है, बशर्ते कि राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि उस राज्य का एक बड़ा हिस्सा भाषा को मान्यता देना चाहता है। ऐसी मान्यता राज्य के किसी हिस्से या पूरे राज्य के लिये हो सकती है।
- **अनुच्छेद 350A:** प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा।
- **अनुच्छेद 350B:** यह भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये एक विशेष अधिकारी की स्थापना का प्रावधान करता है।
- **अनुच्छेद 351:** यह केंद्र सरकार को हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।

भूगोल

मोटे अनाजों को बढ़ावा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) द्वारा वर्ष 2022-2023 के लिये खरीफ उपज की खरीद पर चर्चा के लिये एक बैठक आयोजित की गई।

- भारत सरकार ने मोटे अनाजों के उत्पादन और उपभोग को प्रोत्साहन देने पर विचार किया है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन ने गेहूँ और धान की खेती को प्रभावित किया है।
- खरीफ फसल बाज़ार से मोटे अनाज की खरीद का लक्ष्य दोगुना हुआ, राशन में मोटे अनाज की अधिक संभावना नजर आ रही है।

मोटे अनाज:

- **परिचय:**
  - मोटे अनाज पारंपरिक रूप से देश के अल्प संसाधन वाले कृषि-जलवायु क्षेत्रों में उगाए जाते हैं।
    - कृषि-जलवायु क्षेत्र, फसलों और किस्मों की एक निश्चित श्रेणी के लिये उपयुक्त प्रमुख जलवायु के संदर्भ में भूमि की एक इकाई है।
  - ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, फिंगर (Finger) बाजरा और अन्य कुटकी (Small Millets) जैसे कोदो (Kodo), फॉक्सटेल (Foxtail) , प्रोसो (Proso) और बार्नयार्ड (Barnyard) एक साथ मोटे अनाज कहलाते हैं।
    - ज्वार, बाजरा, मक्का और छोटे बाजरा (बार्नयार्ड बाजरा, प्रोसो बाजरा, कोदो बाजरा और फॉक्सटेल बाजरा) को पोषक-अनाज भी कहा जाता है।
- **महत्त्व:**
  - मोटे अनाज पोषक तत्वों से भरपूर सामग्री के लिये जाने जाते हैं और इसमें सूखा सहिष्णु, प्रकाश-असंवेदनशीलता और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन आदि जैसी विशेषताएँ विद्यमान होती हैं।
    - ये फसलें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में और एक आशाजनक निर्यात योग्य वस्तु के रूप में भी अच्छी संभावनाएँ प्रदान करती हैं।
  - मानव उपभोग के लिये भोजन, पशु और मुर्गीयों के लिये चारा और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिये सूखा प्रवण क्षेत्रों में उनकी खेती, ईंधन और औद्योगिक उपयोग के रूप में इनका उपयोग सामान्य है।
    - उनका पौष्टिक मूल्य कुपोषण से निपटने के लिये एक उत्कृष्ट उपकरण के रूप में कार्य करता है।
  - यह अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में रोज़गार-सृजन में सहायता करता है, जहाँ अन्य वैकल्पिक फसलें सीमित हैं और इन फसलों का उपयोग आकस्मिक फसल के रूप में किया जाता है।
- **मोटे अनाज उत्पादक राज्य:**
  - कर्नाटक, राजस्थान, पुदुचेरी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि।
- **मोटे अनाज के उपयोग:**
  - **चारा:**
    - कुछ उत्तरी राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्वार और बाजरा की खेती मुख्य रूप से चारे के उद्देश्य से की जाती है।
  - **औद्योगिक उत्पाद:**
    - चारा: माल्टिंग, उच्च फ्रुक्टोज सिरप, स्टार्च, गुड़, बेकरी आदि में उपयोग किया जाता है।
    - बाजरा: शराब बनाने/माल्टिंग, स्टार्च, बेकरी, पोल्ट्री और पशु आहार में प्रयुक्त।
    - मक्का: शराब बनाने, स्टार्च, बेकरी, मुर्गी पालन और पशु चारा, जैव-ईंधन में उपयोग किया जाता है।
  - **चारा/फीड का स्रोत (Source of Feed):**
    - पशुओं के लिये मोटे अनाज और पोल्ट्री फीड की मांग बढ़ रही है।
    - भारत में चारा की आवश्यकताएँ सामान्य रूप से बेकार अनाज से पूरी की जाती हैं और विशेष रूप से मोटे अनाज से बनाई जाती हैं।
    - पोल्ट्री फीड में मक्का आवश्यक कार्बोहाइड्रेट स्रोत है।

सरकार का मोटे अनाज पर ध्यान केंद्रण:

- **जलवायु परिवर्तन:**
  - जलवायु परिवर्तन ने देश में गेहूँ और धान के उत्पादन को प्रभावित किया है, जो मोटे अनाज पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को दर्शाता है।
    - गेहूँ और धान की खेती अनिश्चित मौसम स्वरुप के कारण देश की खाद्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं होगी।
- **मानसून:**
  - अनियमित मानसून ने वर्ष 2022 के खरीफ मौसम की उपज के लिये सरकार की चिंता बढ़ा दी है।

नोट :

- वर्ष 2022 में ज़्यादातर इलाकों में धान और दलहन की बुआई बुरी तरह प्रभावित हुई है।
- **मोटे अनाज का उत्पादन वृद्धि:**
    - मोटे अनाज की बुवाई वर्ष 2022 में 17.63 मिलियन हेक्टेयर में की गई है, जबकि वर्ष 2021 में 16.93 मिलियन हेक्टेयर में मोटे अनाज की बुवाई की गई थी।
    - वर्तमान में देश में लगभग 50 मिलियन टन मोटे अनाज का उत्पादन होता है।
        - मक्का और बाजरा सबसे ज़्यादा उगाया जाता है।
- **संपोषणीय फसल:**
    - मोटे अनाज में सूखा सहिष्णुता, प्रकाश-असंवेदनशीलता और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीला आदि जैसी विशेषताएँ होती हैं।
- **खेती की कम लागत:**
    - ग्रीष्मकालीन धान की खेती की तुलना में खेती की लागत कम है और सिंचाई के लिये कम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है।

मोटे अनाज की सहायता हेतु सरकार की पहल:

- **'गहन बाजरा संवर्द्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल (INSIMP):**
    - सरकार ने बाजरा को पौष्टिक अनाज के रूप में बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वर्ष 2011-12 में 300 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की।
    - इस योजना का उद्देश्य देश में बाजरा के बढ़े हुए उत्पादन को उत्प्रेरित करने के लिये दृश्य प्रभाव के साथ एकीकृत तरीके से उचित उत्पादन और कटाई के बाद की प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना है।
- **न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि:**
    - सरकार ने बाजरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जो किसानों के लिये बड़े मूल्य प्रोत्साहन के रूप में देखा जा सकता है।
        - इसके अलावा उपज के लिये स्थिर बाज़ार प्रदान करने हेतु सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बाजरा को शामिल किया है।
- **निवेश सहायता:**
    - सरकार द्वारा किसानों को बीज किट और निवेश लागत उपलब्ध कराई गई है, किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से मूल्य शृंखला का निर्माण किया गया है और मोटे अनाजों की बिक्री को बढ़ावा देने हेतु विपणन क्षमता का समर्थन किया गया है।
- **बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष:**
    - संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष (International Year of Millets) के रूप में मनाने के भारत के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
    - भारत ने वर्ष 2018 को "बाजरा के राष्ट्रीय वर्ष (National Year Of Millets)" के रूप में मनाया।

विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन (IDF WDS) 2022 का उद्घाटन किया।

- अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ डेयरी शृंखला के सभी हितधारकों के लिये वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता का प्रमुख स्रोत है।
    - वर्ष 1903 से IDF के डेयरी विशेषज्ञों के नेटवर्क ने डेयरी क्षेत्र को वैश्विक सहमति तक पहुँचने के लिये तंत्र प्रदान किया है कि कैसे दुनिया को सुरक्षित और टिकाऊ डेयरी उत्पाद उपलब्ध कराने में मदद की जाए।

अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन (IDF WDS)

- IDF विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन वैश्विक डेयरी क्षेत्र की वार्षिक बैठक है, जिसमें दुनिया भर से लगभग 1500 प्रतिभागियों को एक साथ लाया जाता है।
- इस तरह का पिछला शिखर सम्मेलन भारत में लगभग आधी सदी पहले 1974 में आयोजित किया गया था।
- इस वर्ष की थीम डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड है।
- IDF विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन उद्योग के विशेषज्ञों को ज्ञान और विचारों को साझा करने के लिये मंच प्रदान करेगा कि कैसे क्षेत्र सुरक्षित और टिकाऊ डेयरी के साथ दुनिया को पोषण प्रदान करने में योगदान दे सकता है।
- प्रतिभागियों को व्यापक अर्थों में वैश्विक डेयरी क्षेत्र के लिये प्रासंगिक नवीनतम शोध निष्कर्षों और अनुभवों पर ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

भारत में डेयरी क्षेत्र की स्थिति:

- **परिचय:**
    - भारत दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है, जो वैश्विक दूध उत्पादन में 23% का योगदान देता है, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और ब्राज़ील का स्थान आता है।

- शीर्ष 5 दूध उत्पादक राज्य हैं: उत्तर प्रदेश (14.9%), राजस्थान (14.6%), मध्य प्रदेश (8.6%), गुजरात (7.6%) और आंध्र प्रदेश (7.0%)।

- **महत्त्व:**
  - डेयरी क्षेत्र की क्षमता न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करती है, बल्कि विश्व भर में करोड़ों लोगों की आजीविका का प्रमुख स्रोत भी है।
  - यह क्षेत्र देश में 8 करोड़ से अधिक परिवारों को रोज़गार प्रदान करता है।
  - भारत में डेयरी सहकारी समितियों की एक-तिहाई से अधिक सदस्य महिलाएँ हैं।

डेयरी क्षेत्र में विद्यमान चुनौतियाँ :

- **चारे की कमी:** अनुत्पादक पशुओं की अत्यधिक संख्या है जो उपलब्ध खाद्य और चारे के उपयोग में उत्पादक डेयरी पशुओं के हिस्से पर दबाव डालते हैं।
  - औद्योगिक विकास के कारण प्रत्येक वर्ष चराई क्षेत्र में उल्लेखनीय कमी आ रही है जिसके परिणामस्वरूप कुल आवश्यकता के लिये खाद्य और चारे की आपूर्ति में कमी आ रही है।
- **स्वास्थ्य:** पशु चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल केंद्र प्रायः दूरस्थ स्थानों पर होते हैं और मवेशियों की आबादी तथा पशु चिकित्सा संस्थान के बीच के अनुपात में व्यापक अंतराल है, परिणामस्वरूप पशुओं को पर्याप्त रूप से स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध नहीं हो पाती हैं।
  - इसके अलावा नियमित रूप से टीकाकरण और कृमि मुक्ति कार्यक्रम नहीं चलाया जाता है, परिणामस्वरूप बछड़ों एवं विशेष रूप से भैंस की प्रजातियों की बड़ी संख्या में मौत होती है।
- **स्वच्छता की स्थिति:** कई पशु मालिक अपने मवेशियों के लिये उचित आश्रय प्रदान नहीं करते हैं, जिससे उन्हें अत्यधिक जलवायु परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।
- **डेयरी क्षेत्र की अनौपचारिक प्रकृति:** गन्ना, गेहूँ और चावल उत्पादक किसानों के विपरीत पशुपालक असंगठित हैं और उनके पास अपना पक्ष रखने के लिये राजनीतिक ताकत/दबाव समूह का अभाव है।
- **लाभकारी मूल्य निर्धारण में कमी:** हालाँकि उत्पादित दूध का मूल्य भारत में गेहूँ और चावल के उत्पादन के संयुक्त मूल्य से अधिक है परंतु उत्पादन की लागत और दूध के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य का कोई आधिकारिक और आवधिक अनुमान नहीं होता है।

सरकार द्वारा की गई पहलें:

- **उत्पादकता में वृद्धि:** सरकार ने डेयरी क्षेत्र की बेहतरी के लिये कई कदम उठाए हैं, परिणामस्वरूप पिछले आठ वर्षों में दुग्ध उत्पादन में 44% से अधिक की वृद्धि हुई है।
- इसके अलावा वैश्विक स्तर पर 2% उत्पादन वृद्धि की तुलना में भारत में दुग्ध उत्पादन वृद्धि दर 6% से अधिक देखी जा रही है।
- **योजनाएँ:**
  - राष्ट्रीय गोकुल मिशन
  - राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम
  - गोबर धन योजना
  - डेयरी क्षेत्र का डिजिटलीकरण और मवेशियों का सार्वभौमिक टीकाकरण
  - डेयरी विकास पर राष्ट्रीय कार्ययोजना
  - पशुपालन अवसंरचना विकास कोष: इसका उद्देश्य मांस प्रसंस्करण क्षमता और उत्पाद विविधीकरण को बढ़ाने में मदद करना है ताकि असंगठित डेयरी उत्पादकों को डेयरी बाज़ारों का आयोजन करने के लिये अधिक से अधिक पहुँच प्रदान की जा सके।
- **आगामी पहल:**
  - डेयरी इकोसिस्टम: सरकार एक ब्लैंच्ड डेयरी इकोसिस्टम विकसित करने पर कार्य कर रही है, जहाँ उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ-साथ इस क्षेत्र में व्याप्त चुनौतियों का समाधान किया जाएगा।
    - इसके अलावा किसानों के लिये अतिरिक्त आय, गरीबों का सशक्तीकरण, स्वच्छता, रसायन मुक्त खेती, स्वच्छ ऊर्जा और मवेशियों की देखभाल इस इकोसिस्टम से परस्पर जुड़े हुए हैं।
  - **पशु आधार:** सरकार डेयरी पशुओं का सबसे बड़ा डेटाबेस तैयार कर रही है और डेयरी क्षेत्र से संबंधित पशुओं को इसमें टैग किया जा रहा है।
  - वर्ष 2025 तक भारत 100% पशुओं का फुट, माउथ डिज़ीज़ (खुरपका-मुँहपका रोग) और ब्रुसेलोसिस से बचाव के लिये टीकाकरण करेगा।

प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में गिरावट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय बाज़ार में प्राकृतिक रबड़ (Natural Rubber-NR) की कीमत 16 महीने के निचले स्तर पर पहुँचने के कारण किसानों और विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया।

नोट :

कीमतों में तेज़ गिरावट का कारण:

- **निम्न मांग और अन्य कारक:** इसके अंतर्गत चीन की कमज़ोर मांग और उच्च मुद्रास्फीति के साथ यूरोपीय ऊर्जा संकट जैसे कारण शामिल हैं।
- जबकि चीन में निरंतर शून्य कोविड रणनीति, जो प्राकृतिक रबड़ की वैश्विक मात्रा का लगभग 42% खपत करती है, उद्योग को महंगा पड़ा है।
- अन्य देशों से आयात: घरेलू टायर उद्योग में आइवरी कोस्ट से ब्लॉक रबड़ और सुदूर पूर्व से मिश्रित रबड़ की पर्याप्त आपूर्ति होती है।
    - प्राकृतिक रबड़ की कुल खपत के 73.1% हिस्से का उपयोग ऑटो-टायर निर्माण क्षेत्र में होता है।

गिरती कीमत का किसानो पर प्रभाव:

- **फसल स्थानांतरण:** कीमतों में गिरावट का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक महसूस किया जाता है, जहाँ ज़्यादातर लोग पूरी तरह से रबड़ की खेती पर निर्भर हैं, इसलिये वे अन्य फसलों के उत्पादन की तरफ रूख कर सकते हैं।
    - यह रबड़ हिस्सेदारी के विखंडन का कारण भी बन सकता है।
- **लघु और मध्यम उद्यमों पर प्रभाव:** चूँकि अधिकांश उत्पादन छोटे और मध्यम उद्यमों में होता है, गिरती कीमत उन्हें अनिश्चित भविष्य की ओर ले जा सकती है और अस्थायी रूप से उत्पादन बंद करने के लिये मजबूर कर सकती है।
- **केरल में डर का वातावरण:** राज्य का योगदान कुल उत्पादन में लगभग 75% है, क्योंकि स्थानीय अर्थव्यवस्था रबड़ उत्पादन पर निर्भर करती है, इसलिये गिरती कीमत केरल के गाँवों में बड़ी दहशत पैदा कर सकती है।

प्राकृतिक रबड़:

- **वाणिज्यिक रोपण फसल:** रबड़ हेविया ब्रासिलिएन्सिस नामक पेड़ के लेटेक्स से बनाया जाता है। रबड़ को बड़े पैमाने पर रणनीतिक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में माना जाता है और इसे रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं औद्योगिक विकास के लिये विश्व स्तर पर विशेष दर्जा दिया गया है।
- **विकास हेतु आवश्यक स्थिति:** यह भूमध्यरेखीय फसल है लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी उगाया जाता है।
    - **तापमान:** नम और आर्द्र जलवायु के साथ 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर।
    - **वर्षा:** 200 सेमी से अधिक।
    - **मृदा का प्रकार:** समृद्ध जलोढ़ मृदा।
    - इस रोपण फसल के लिये कुशल श्रम की सस्ती और पर्याप्त आपूर्ति की आवश्यकता है।
- **विश्व स्तर पर प्रमुख उत्पादक:** थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, चीन और भारत।
- **प्रमुख उपभोक्ता:** चीन, भारत, अमेरिका, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया।

भारत में रबड़ उत्पादन की स्थिति:

- **उत्पादन:**
    - अंग्रेज़ों ने भारत में पहला रबड़ बागान वर्ष 1902 में केरल में पेरियार नदी के तट पर स्थापित किया था।
    - भारत वर्तमान में उच्चतम उत्पादकता के साथ इस प्राकृतिक सामग्री का पाँचवाँ सबसे बड़ा उत्पादक है।
    - वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान रबड़ का उत्पादन 8.4% बढ़कर 7,75,000 टन हो गया।
        - यह विश्व स्तर पर रबड़ का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी बना हुआ है।
        - भारत की कुल प्राकृतिक रबड़ खपत का लगभग 40% वर्तमान में आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है।
    - शीर्ष रबड़ उत्पादक राज्य: केरल > तमिलनाडु > कर्नाटक।
- **सरकार की पहलें:**
    - रबड़ प्लांटेशन डेवलपमेंट स्कीम और रबड़ ग्रुप प्लांटिंग स्कीम, सरकार के नेतृत्त्व वाली पहल के प्रमुख उदाहरण हैं।
    - रबड़ के बागानों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति है।
    - वाणिज्य विभाग ने राष्ट्रीय रबड़ नीति मार्च 2019 में पेश की।
        - नीति में प्राकृतिक रबड़ उत्पादन क्षेत्र और संपूर्ण रबड़ उद्योग मूल्य श्रृंखला का समर्थन करने के लिये कई प्रावधान शामिल हैं।
        - यह देश में रबड़ उत्पादकों के सामने आने वाली समस्याओं को कम करने के लिये रबड़ क्षेत्र में गठित टास्क फोर्स द्वारा पहचानी गई अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीतियों पर आधारित है।
        - मध्यम अवधि के ढाँचे (Medium Term Framework-MTF) में प्राकृतिक रबड़ क्षेत्र के सतत् और समावेशी विकास योजना को लागू करके रबड़ बोर्ड के माध्यम से उत्पादकों के कल्याण के लिये प्राकृतिक रबड़ क्षेत्र का समर्थन करने हेतु विकासात्मक एवं अनुसंधान गतिविधियों को निष्पादित किया जाता है।

रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया:

- इसका मुख्यालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासन के अंतर्गत केरल के कोट्टायम में अवस्थित है।
- रबड़ बोर्ड संबंधित अनुसंधान, विकास, विस्तार और प्रशिक्षण गतिविधियों को सहायता और प्रोत्साहित करके देश में रबड़ उद्योग के विकास का कार्य करता है।
- रबड़ अनुसंधान संस्थान, रबड़ बोर्ड के अधीन है।

आगे की राह

- सरकार को मिश्रित रबड़ पर आयात शुल्क बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि इसे प्राकृतिक रबड़ के बराबर लाया जा सके।
- मूल्य स्थिरीकरण योजना के तहत सरकार को पुनर्रोपण सब्सिडी और फसल का समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों की मांगों को पूरा करना चाहिये।

दृष्टि The Vision

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

भारत और क्वांटम कंप्यूटिंग

चर्चा में क्यों?

IBM के एक अध्ययन के अनुसार, भारत क्वांटम कंप्यूटिंग में बढ़ती रूचि देख रहा है, जिसमें छात्रों, विकासकर्त्ताओं और अकादमिक सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। नतीजतन, देश क्वांटम कंप्यूटिंग के लिये प्रतिभा केंद्र के रूप में उभर रहा है।

क्वांटम कंप्यूटिंग

- **परिचय:**
  - क्वांटम कंप्यूटिंग एक तेज़ी से उभरती हुई तकनीक है जो पारंपरिक कंप्यूटरों के लिये बहुत जटिल समस्याओं को हल करने हेतु क्वांटम यांत्रिकी के नियमों का उपयोग करती है।
    - क्वांटम यांत्रिकी भौतिकी की उपशाखा है जो क्वांटम के व्यवहार का वर्णन करता है जैसे- परमाणु, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, और आणविक एवं उप-आणविक क्षेत्र।
  - यह अवसरों से परिपूर्ण नई तकनीक है जो हमें विभिन्न संभावनाएँ प्रदान करके कल हमारी दुनिया को आकार देगी।
  - यह आज के पारंपरिक कंप्यूटिंग प्रणालियों की तुलना में सूचना को संसाधित करने का एक मौलिक रूप से अलग तरीका है।
- **विशेषताएँ:**
  - **पारंपरिक कंप्यूटर से अलग:**
    - जबकि आज के पारंपरिक कंप्यूटर बाइनरी 0 और 1 अवस्थाओं के रूप में जानकारी संग्रहीत करते हैं, क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम बिट्स का उपयोग करके गणना करने के लिये प्रकृति के मूलभूत नियमों पर आधारित होते हैं।
    - बिट के विपरीत जो कि 0 या 1 क्यूबिट अवस्थाओं के संयोजन में हो सकता है, इसके विपरीत क्वांटम बड़ी गणना की अनुमति देता है और उन्हें जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता देता है जो कि सबसे शक्तिशाली पारंपरिक सुपर कंप्यूटर भी सक्षम नहीं हैं।

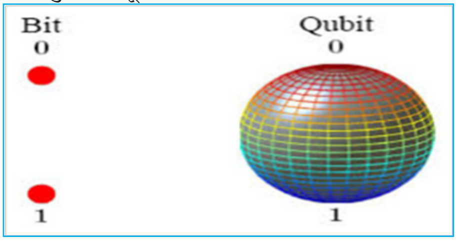

- **महत्त्व:**
  - क्वांटम कंप्यूटर सूचना में हेरफेर करने के लिये क्वांटम यांत्रिक परिघटना को शामिल कर सकते हैं और आणविक एवं रासायनिक अंतः क्रिया की प्रक्रियाओं, अनुकूलन समस्याओं का समाधान करने एवं कृत्रिम बुद्धि की शक्ति को बढ़ावा दे सकतें है।
  - ये नई वैज्ञानिक खोजों, जीवन रक्षक दवाओं और आपूर्ति शृंखलाओं में सुधार, लॉजिस्टिक और वित्तीय डेटा के मॉडलिंग के अवसर प्रदान कर सकते हैं।

क्वांटम कम्प्यूटिंग के लिये IBM इंडिया की पहल:

- **किस्किट (Qiskit) चैलेंज:** किस्किट क्वांटम डेवलपर समुदाय के लिये IBM द्वारा निर्मित एक ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है।
- **किस्किट इंडिया वीक ऑफ क्वांटम:** IBM नियमित रूप से भारत-केंद्रित कार्यक्रमों का आयोजन करता है जैसे कि किस्किट इंडिया वीक ऑफ क्वांटम, जो महिलाओं को क्वांटम में अपनी यात्रा शुरू करने के लिये मनाया गया जिसमे लगभग 300 छात्रों ने भाग लिया था।
- **किस्किट पाठ्यपुस्तक:** किस्किट पाठ्यपुस्तक तमिल, बंगाली और हिंदी में उपलब्ध है और अकेले वर्ष 2021 में भारत में छात्रों द्वारा 30,000 से अधिक बार इसका उपयोग किया गया था।
- **IBM क्वांटम एजुकेटर्स प्रोग्राम:** IBM क्वांटम एजुकेटर्स प्रोग्राम के माध्यम से भारत में अग्रणी शिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग कर रहा है।
  - इन संस्थानों के संकाय और छात्र शैक्षिक उद्देश्यों के लिये IBM क्लाउड पर IBM क्वांटम सिस्टम, क्वांटम लर्निंग रिसोर्सेज और क्वांटम टूल्स का उपयोग करने में सक्षम होंगे।

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलें:

- **क्वांटम प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय मिशन:** सरकार ने अपने वर्ष 2021 के बजट में क्वांटम कंप्यूटिंग, क्रिप्टोग्राफी, संचार और सामग्री विज्ञान में विकास को बढ़ावा देने के लिये क्वांटम प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय मिशन की ओर 8000 करोड़ रुपए आवंटित किये।
- **क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला:** दिसंबर 2021 में भारतीय सेना द्वारा मध्य प्रदेश के महू में एक सैन्य इंजीनियरिंग संस्थान में एक क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और एक कृतिम बुद्धिमत्ता केंद्र स्थापित किया गया। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) का भी समर्थन प्राप्त है।

नोट :

- **क्वांटम कम्युनिकेशन लैब:** सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (CDOT) ने अक्तूबर 2021 में एक क्वांटम कम्युनिकेशन लैब लॉन्च की। यह 100 कि.मी. से अधिक मानक ऑप्टिकल फाइबर का सहयोग कर सकता है।
- **सहयोग:** उन्नत प्रौद्योगिकी के रक्षा संस्थान (DIAT) और 'सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग' (CDAC) क्वांटम कंप्यूटरों को सहयोग और विकसित करने के लिये सहमत हुए।
- **I-HUB क्वांटम टेक्नोलॉजी फाउंडेशन:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और IISER पुणे के लगभग 13 अनुसंधान समूहों द्वारा क्वांटम तकनीक के विकास को और बढ़ाने के लिये I-HUB क्वांटम टेक्नोलॉजी फाउंडेशन (I-HUB QTF) लॉन्च किया गया है।
- **स्टार्टअप:** कई स्टार्ट-अप जैसे कुनु लैब्स, बंगलुरु; बोसॉनक्यू, भिलाई भी उभरे हैं और इसके परिणामस्वरूप वे इस क्षेत्र में पैठ बना रहे हैं।

आगे की राह:

- तेज़ी से बढ़ते कृत्रिम बुद्धिमत्ता बाज़ार के समान, क्वांटम कंप्यूटिंग, एक अन्य तकनीक के रूप में, एक दौड़ में शामिल होने और नेतृत्व की स्थिति हासिल करने के लिये विश्व स्तर पर देशों और कंपनियों के मध्य एक लहर पैदा कर दी है।
- इसलिये समय की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में कम्प्यूटेशनल क्षमता का निर्माण, व्यावहारिक आकार और सस्ती लागत वाले क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण और संचालन में कौशल विकसित करना, विभिन्न व्यावहारिक अनुप्रयोगों को साकार करने के लिए अनुसंधान जारी रखना और स्नातक में शैक्षिक पाठ्यक्रमों में सामग्री पेश करना और विश्वविद्यालय स्तर पर क्वांटम विज्ञान और इंजीनियरिंग को एक विषय के रूप में विकसित करने के लिये स्नातकोत्तर स्तर जो बड़ी संख्या में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से कौशलयुक्त मानव संसाधन का विकास करेगा।

सिकल सेल एनीमिया के लिये CRISPR-Cas9

चर्चा में क्यों?

भारत ने वर्ष 2021 में सिकल सेल एनीमिया के निदान हेतु क्लस्टर्ड रेग्युलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिनड्रॉमिक रिपीट्स (CRISPR) विकसित करने के लिये 5 वर्ष की परियोजना को मंज़ूरी दी।

- सिकल सेल एनीमिया पहली बीमारी है जिसे भारत में CRISPR आधारित चिकित्सा के लिये लक्षित किया जा रहा है।
  - प्री-क्लिनिकल फेज़ (पशु विषयों पर ट्रायल) शुरू होने वाला है।

CRISPR तकनीक:

- **परिचय:**
  - यह एक जीन एडिटिंग तकनीक है, जो Cas9 नामक एक विशेष प्रोटीन का उपयोग करके वायरस के हमलों से लड़ने के लिये बैक्टीरिया में प्राकृतिक रक्षा तंत्र की प्रतिकृति का निर्माण करती है।
  - यह आमतौर पर जेनेटिक इंजीनियरिंग के रूप में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से आनुवंशिक सामग्री को जोड़ने, हटाने या बदलने में सहायक होती हैं।
    - CRISPR तकनीक में बाहर से किसी नए जीन को जोड़ना शामिल नहीं है।
  - CRISPR-Cas9 तकनीक को अक्सर 'जेनेटिक कैंची' के रूप में वर्णित किया जाता है।
    - इस तकनीक की तुलना अक्सर सामान्य कंप्यूटर प्रोग्रामों के 'कट-कॉपी-पेस्ट' या 'ढूंढें-बदलें' कार्यात्मकताओं से की जाती है।
    - डीएनए अनुक्रम में गड़बड़ी, जो बीमारी या विकार का कारण होती है, को काटकर हटा दिया जाता है और फिर एक 'सही' अनुक्रम से बदल दिया जाता है।
    - इसे प्राप्त करने के लिये उपयोग किये जाने वाले उपकरण जैव रासायनिक यानी विशिष्ट प्रोटीन और आरएनए अणु हैं।
  - प्रौद्योगिकी कुछ बैक्टीरिया में एक प्राकृतिक रक्षा तंत्र की नकल करती है जो स्वयं को वायरस के हमलों से बचाने के लिये एक समान विधि का उपयोग करती है।

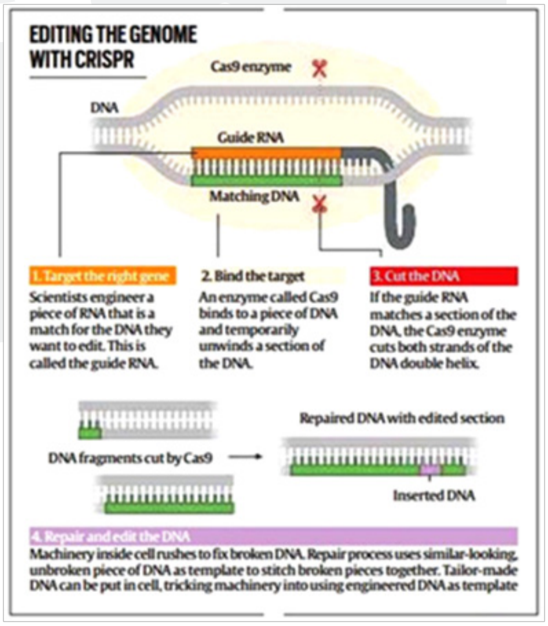

- **क्रियाविधि:**
  - पहला काम जीन के उस विशेष क्रम की पहचान करना है जो परेशानी का कारण है।
  - एक बार ऐसा करने के बाद एक आरएनए अणु को कंप्यूटर पर 'ढूंढें' या 'खोज' फ़ंक्शन की तरह डीएनए स्ट्रैंड पर इस अनुक्रम का पता लगाने के लिये प्रोग्राम किया जाता है।

- इसके बाद Cas9 का उपयोग डीएनए स्ट्रैंड को विशिष्ट बिंदुओं पर काटने और खराब अनुक्रम को हटाने के लिये किया जाता है।
  - उल्लेखनीय है कि DNA सिरा के जिस विशिष्ट भाग को काटा या हटाया जाता है उसमें प्राकृतिक रूप से पुनर्निर्माण, मरम्मत की प्रवृति होती है।
  - वैज्ञानिकों द्वारा स्वत: मरम्मत या पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में ही हस्तक्षेप किया जाता है और आनुवंशिक कोड में वांछित अनुक्रम या परिवर्तन की क्रिया पूरी की जाती है, जो अंतत: टूटे हुए DNA सिरा पर स्थापित हो जाता है।
- इसकी समग्र प्रक्रिया प्रोग्राम करने योग्य है और इसमें उल्लेखनीय दक्षता भी है, हालाँकि त्रुटि की संभावना पूरी तरह से खारिज नहीं की जा सकती है।

CRISPR-आधारित चिकित्सीय समाधान का महत्त्व:

- **विशिष्ट उपचार:** CRISPR अंतर्निहित आनुवंशिक समस्या को ठीक करके रोग के उपचार में सहायता करता है। CRISPR आधारित चिकित्सीय समाधान गोली या दवा के रूप में नहीं हैं। इसके बजाय, प्रत्येक रोगी की कुछ कोशिकाओं को निकाला जाता है, जीन को प्रयोगशाला में एडिट (Edit) किया जाता है तथा उपचारित जीन को पुन: रोगियों में इंजेक्ट किया जाता है।
  - अलग-अलग मामलों में जीन एडिटिंग अलग-अलग तरीके से की जाती है। इसलिये प्रत्येक बीमारी या विकार के लिये एक विशिष्ट उपचार की आवश्यकता है।
    - उपचार, विशेष आबादी या नस्लीय समूहों के लिये विशिष्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये भी जीन पर निर्भर हैं।
    - आनुवंशिक अनुक्रम में परिवर्तन का प्रभाव संबंधित व्यक्ति में देखा जाता है और संतान में स्थानांतरित नहीं होता है।
- आनुवंशिक रोगों/विसंगतियों का स्थायी इलाज: बड़ी संख्या में रोग और विकार प्रकृति में अनुवांशिक होते हैं अर्थात् वे अवांछित परिवर्तन या जीन में उत्परिवर्तन के कारण होते हैं।
  - इनमें सामान्य रक्त विकार जैसे सिकल सेल एनीमिया, आँखों की बीमारियाँ जिनमें कलर ब्लाइंडनेस, कई प्रकार के कैंसर, मधुमेह, एड्स और यकृत एवं हृदय रोग शामिल हैं। इनमें से कई वंशानुगत भी हैं।
  - CRISPR इनमें से कई बीमारियों का स्थायी इलाज खोजने की संभावना व्यक्त करता है।
  - विकृत या धीमी गति से विकास, भाषण विकार या खड़े होने या चलने में असमर्थता जैसी विकृतियाँ जीन अनुक्रमों में असामान्यताओं के कारण उत्पन्न होती हैं।
    - CRISPR ऐसी असामान्यताओं के इलाज के लिये एक संभावित उपचार भी प्रस्तुत करता है।

संबंधित नैतिक दुविधाएँ:

- किसी व्यक्ति में भौतिक परिवर्तन को प्रेरित करने के लिये CRISPR का संभावित रूप से दुरुपयोग किया जा सकता है।
  - वर्ष 2018 में एक चीनी शोधकर्त्ता ने बताया कि अंतर्निहित आनुवंशिक रोग की/समस्याओं के उपचार के लिये उन्होंने CRISPR तकनीक का सहारा लेकर 'डिज़ाइनर बेबी' को विकसित किया है।
    - यह 'डिज़ाइनर बेबी' बनाने का पहला प्रलेखित मामला था और इसने वैज्ञानिक समुदाय में व्यापक चिंता पैदा की।
  - विशेष लक्षण प्राप्त करने के लिये निवारक हस्तक्षेप कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिये वैज्ञानिक वर्तमान में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहते हैं।
  - इसके अलावा चूँकि भ्रूण में ही परिवर्तन किये गए थे, नए अधिग्रहीत लक्षणों के साथ आने वाली पीढ़ियों में इसके स्थानांतरित होने की संभावना है।
  - हालाँकि तकनीक अत्यंत सफल है फिर भी यह 100% सटीक नहीं है, फलस्वरूप यह कुछ त्रुटियों को भी प्रेरित कर सकती है, जिससे अन्य जीनों में परिवर्तन हो सकता है। जिसका दुष्प्रभाव उत्तरोत्तर पीढ़ियों पर पड़ने की आशंका है।

सिकल सेल रोग:

- **परिचय:**
  - यह एक वंशानुगत रक्त संबंधी रोग है जो अफ्रीकी, अरब और भारतीय मूल के लोगों में सबसे अधिक प्रचलित है।
  - यह विकारों का एक समूह है जो हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं का एक अणु है जो पूरे शरीर में कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है।
  - इस रोग के पीड़ितों में हीमोग्लोबिन एस नामक असामान्य हीमोग्लोबिन अणु पाए जाते हैं, जो लाल रक्त कोशिकाओं को अर्धचंद्राकार आकार में विकृत कर सकते हैं।
    - ये रक्त के प्रवाह और ऑक्सीजन को शरीर के सभी हिस्सों तक पहुँचने से रोकते हैं।
- **लक्षण:**
  - यह गंभीर दर्द पैदा कर सकता है, जिसे सिकल सेल क्राइसिस (Sickle Cell Crises) कहा जाता है।
  - समय के साथ सिकल सेल रोग वाले लोगों के यकृत, गुर्दे, फेफड़े, हृदय और प्लीहा सहित अन्य अंगों को नुकसान पहुँच सकता है। इस विकार की जटिलताओं के कारण मृत्यु भी हो सकती है।
- **उपचार:**
  - औषधि, रक्त आधान और कभी-कभी अस्थि-मज्जा प्रत्यारोपण इसका उपचार है।

नोट :

शासन व्यवस्था

एंटी रेडिएशन पिल्स

चर्चा में क्यों?

यूक्रेन के ज़पोरिज्ज़िया बिजली संयंत्र में एक परमाणु आपदा की आशंका के कारण यूरोपीय संघ ने उसके आसपास के निवासियों के बीच वितरित करने के लिये 5.5 मिलियन एंटी-रेडिएशन गोलियों की आपूर्ति करने का फैसला किया है।

रेडिएशन इमरजेंसी:

- ये अनियोजित या आकस्मिक घटनाएँ हैं जो मनुष्यों और पर्यावरण के लिये रेडियो-परमाणु खतरा पैदा करती हैं।
- ऐसी स्थितियों में रेडियोधर्मी स्रोत से विकिरण जोखिम शामिल होता है और खतरे को कम करने के लिये तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।
- ऐसी आपात स्थिति से निपटने में विकिरण रोधी गोलियों का उपयोग भी किया जाता है।

एंटी रेडिएशन पिल्स:

- पोटेशियम आयोडाइड (KI) की गोलियाँ या विकिरण रोधी गोलियाँ, विकिरण जोखिम के मामलों में कुछ सुरक्षा प्रदान करने के लिये जानी जाती हैं।
- इनमें गैर-रेडियोधर्मी आयोडीन होता है और यह थायरॉयड ग्रंथि में रेडियोधर्मी आयोडीन को और बाद में सांद्रता को अवरुद्ध करने में मदद कर सकता है।

पिल्स का कार्य:

- विकिरण रिसाव के बाद, रेडियोधर्मी आयोडीन वायु में फैल जाता है तथा भोजन, जल और मृदा को दूषित करता है।
- आंतरिक जोखिम या विकिरण तब होता है जब रेडियोधर्मी आयोडीन शरीर में प्रवेश करता है और थायरॉयड ग्रंथि में जमा हो जाता है।
    - थायरॉयड ग्रंथि, शरीर के चयापचय को नियंत्रित करने के क्रम में हार्मोन का उत्पादन करने के लिये आयोडीन का उपयोग करती है, यह ग्रंथि गैर-रेडियोधर्मी और रेडियोधर्मी आयोडीन के मध्य विभेद करने में सक्षम नहीं होती है।
- पोटैशियम आयोडाइड (KI) की टैबलेट 'थायरॉयड ब्लॉकिंग' के लिये इसी पर निर्भर करती हैं।
- विकिरण के संपर्क में आने से कुछ घंटे पहले या उसके तुरंत बाद ली गई पोटैशियम आयोडाइड (KI) की टैबलेट यह सुनिश्चित करती हैं कि गैर-रेडियोधर्मी आयोडीन थायराइड ग्रंथि में पूरी तरह से अपना स्थान घेर ले।
- इससे थायराइड ग्रंथि पूर्णत: भर जाती है और अगले 24 घंटों के लिये किसी भी स्थिर या रेडियोधर्मी आयोडीन को अवशोषित नहीं कर सकती है।
- लेकिन पोटेशियम आयोडाइड गोलियाँ केवल निवारक औषधि हैं जो विकिरण द्वारा थायरॉयड ग्रंथि को हुई किसी भी क्षति की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती हैं।
- एक बार जब थायरॉयड ग्रंथि रेडियोधर्मी आयोडीन को अवशोषित कर लेती है तो उस व्यक्ति में थायराइड कैंसर होने का खतरा अधिक होता है।

विधि पूर्णत: सुरक्षित:

- एंटी-रेडिएशन पिल्स 100% सुरक्षा प्रदान नहीं करती हैं।
- पोटेशियम आयोडाइड की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि शरीर में कितना रेडियोधर्मी आयोडीन है और यह कितनी जल्दी शरीर में अवशोषित हो जाता है।
- साथ ही पिल्स हर उम्र के लोगों के लिये उपलब्ध नहीं हैं। इसे केवल 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिये अनुशंसित किया गया है।

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS) अधिनियम, 1985 के अनुसार भाँग को कहीं भी प्रतिबंधित पेय या निषिद्ध ड्रग्स के रूप में संदर्भित नहीं किया गया है।

- उच्च न्यायालय ने पूर्व के दो निर्णयों मधुकर बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2002 और अर्जुन सिंह बनाम हरियाणा राज्य, 2004 का आधार लेते हुए कहा कि पूर्व निर्णयों में भी कहा गया है कि भाँग को गांजा/मारिजुआना की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, अत: NDPS अधिनियम के प्रावधान इस पर लागू नहीं होते हैं।
- कुछ माह पूर्व ही थाईलैंड ने मारिजुआना/गांजे की खेती को वैध कर दिया है, हालाँकि इसके मनोरंजक उपयोग (जैसे धूम्रपान) पर अभी भी प्रतिबंध है।

भाँग:

- **परिचय:**
    - इसका वैज्ञानिक नाम कैनबिस इंडिका (Cannabis Indica) है। यह एक प्रकार का पौधा होता है जिसकी पत्तियों

को पीस कर भाँग तैयार की जाती है, जिसे अक्सर विभिन्न खाद्य पदार्थों के साथ ठंडाई और लस्सी जैसे पेय में मिलाया जाता है।
- भाँग का सेवन भारतीय उपमहाद्वीप में सदियों से किया जाता रहा है और होली एवं महाशिवरात्रि जैसे त्योहारों के अवसर पर इसका व्यापक रूप से सेवन किया जाता है।

- **कानून:**
  - NDPS अधिनियम, 1985 में अधिनियमित मुख्य कानून है, जो ड्रग्स और उसकी तस्करी से संबंधित है।

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के प्रावधान:

- यह भाँग को एक मादक औषधि के रूप में परिभाषित करता है:
  - एनडीपीएस अधिनियम भाँग (हेम्प) को पौधे को उन हिस्सों के आधार पर एक मादक दवा के रूप में परिभाषित करता है जो इसके दायरे में आते हैं। अधिनियम इन भागों को इस प्रकार सूचीबद्ध करता है:
    - चरस: चरस कैनेबिस के पौधे से निकले रेजिन से तैयार होता है। यह रेजिन भी इस पौधे का हिस्सा है, रेजिन पेड़-पौधों से निकलने वाला चिपचिपा पदार्थ है। इसे ही चरस, हशीश और हैश कहा जाता है। भारत में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत कैनबिस के किसी भी तरह के सेवन पर प्रतिबंध है।
    - गाँजा: भाँग और गांजा एक ही प्रजाति के पौधे से बनाए जाते हैं। भाँग के पौधे के फूल या फूलने वाले शीर्ष का उपयोग गांजा के रूप में किया जाता है।
    - भाँग के उपरोक्त रूपों में से किसी के भी या उससे तैयार किसी भी पेय या उससे निर्मित मिश्रण।
  - अधिनियम अपनी परिभाषा में शीर्ष पर न होने के कारण बीज और पत्तियों को शामिल नहीं करता है।
  - NDPS अधिनियम में भाँग का जिक्र नहीं है।
- **सजा:**
  - NDPS अधिनियम की धारा 20 अधिनियम में परिभाषित भाँग के उत्पादन, निर्माण, बिक्री, खरीद, आयात और अंतर-राज्यीय निर्यात के लिये दंड का प्रावधान करती है। निर्धारित सजा ज़ब्त की गई दवाओं की मात्रा पर आधारित है।
  - यह कुछ मामलों में मौत की सजा का भी प्रावधान करता है जहाँ एक व्यक्ति बार-बार अपराधी हो।

NDPS अधिनियम के तहत अपराध की स्थिति:

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के वर्ष 2021 के हालिया आँकड़ों के अनुसार, पंजाब अपराध दर की सूची में सबसे शीर्ष पर है।
  - पंजाब में वर्ष 2021 में 32.8% अपराध दर दर्ज की गई, जो देश में सबसे ज़्यादा थी।
- हिमाचल प्रदेश 20.8% की अपराध दर के साथ दूसरे स्थान पर रहा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश ने NDPS अधिनियम की अपराध दर 17.2% दर्ज की, उसके बाद केरल (16%) का स्थान रहा।
- वर्ष 2021 में NDPS अधिनियम के तहत सबसे कम अपराध दर केंद्रशासित प्रदेश दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव (0.5%) में दर्ज की गई, इसके बाद गुजरात (0.7%) और बिहार (1.2%) राज्यों का स्थान है।

नशीली दवाओं की लत से निपटने के लिये पहल:

- नार्को-समन्वय केंद्र: नार्को-समन्वय केंद्र (NCORD) का गठन नवंबर 2016 में किया गया था और "नारकोटिक्स नियंत्रण के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता" योजना को पुनर्जीवित किया गया था।
- ज़ब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एक नया सॉफ्टवेयर यानी ज़ब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली (SIMS) विकसित करने के लिये धन उपलब्ध कराया गया है जो नशीली दवाओं से संबंधित अपराध और अपराधियों का एक पूरा ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करेगा।
- नेशनल ड्रग एब्यूज़ सर्वे: सरकार एम्स के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर की मदद से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के रुझानों को मापने हेतु राष्ट्रीय नशीली दवाओं के दुरुपयोग संबंधी सर्वेक्षण भी कर रही है।
  - प्रोजेक्ट सनराइज़: इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में भारत में उत्तर-पूर्वी राज्यों में बढ़ते एचआईवी प्रसार से निपटने के लिये शुरू किया गया था (खासकर ड्रग्स का इंजेक्शन लगाने वाले लोगों के बीच)।
- 'नशा मुक्त भारत' या ड्रग मुक्त भारत अभियान

HIV दवाओं की कमी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (ART) केंद्रों में ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (HIV) एवं एंटीरेट्रोवायरल (ARV) दवाओं की कमी का सामना कर रहा है।

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (National AIDS Control Organisation-NACO) केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसायटी के साथ-साथ राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (NACP) की गतिविधियों

की निगरानी तथा समन्वय के लिये ज़िम्मेदार नोडल एजेंसी है, जो केंद्रीकृत निविदा और विभिन्न HIV उत्पादों की सामूहिक खरीद हेतु ज़िम्मेदार है।

ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (HIV)

- HIV का वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में सीडी4 (CD4) नामक श्वेत रक्त कोशिका (टी-कोशिकाओं) पर हमला करता है। ये वे कोशिकाएँ होती हैं जो शरीर की अन्य कोशिकाओं में विसंगतियों और संक्रमण का पता लगाती हैं।
- शरीर में प्रवेश करने के बाद HIV की संख्या बढ़ती जाती है और कुछ ही समय में वह CD4 कोशिकाओं को नष्ट कर देता है एवं मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाता है। विदित हो कि एक बार जब यह वायरस शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो इसे पूर्णत: समाप्त करना काफी मुश्किल है।
- HIV से संक्रमित व्यक्ति की CD4 कोशिकाओं में काफी कमी आ जाती है। ज्ञातव्य है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में इन कोशिकाओं की संख्या 500-1600 के बीच होती है, परंतु HIV से संक्रमित लोगों में CD4 कोशिकाओं की संख्या 200 से भी नीचे जा सकती है।

दवाओं की कमी चिंता का विषय:

- HIV संक्रमित लोगों के वायरस को नियंत्रित करने, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने और HIV-असंक्रमित साथी में वायरस के संचरण को रोकने के लिये एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी के रूप में उपयोग की जाने वाली दवाओं के संयोजन के साथ उपचार तक पहुँच की आवश्यकता होती है।
- वायरस को नियंत्रित करने के लिये लगातार एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी का उपयोग करना महत्त्वपूर्ण है।

इन दवाओं की कमी के कारण -

- सामूहिक खरीद तंत्र की विफलता, जीवन रक्षक एंटीरेट्रोवायरल दवाओं की सामूहिक खरीद की निविदा में वर्ष 2014, 2017 और 2022 में प्रशासनिक स्तर पर विलंब देखा गया है
- हालाँकि देश इनकी बहुत ज़्यादा कमी का सामना नहीं कर रहा है। इन दवाओंके वितरण में विलंब के साथ इनका कुछ भंडारण खराब होने के कगार पर है।
- इसमें कई बार अनियमितता के रूप में वयस्कों के लिये आवंटित दवाओं को बच्चों को आवंटित करने संबंधी स्थितियाँ भी देखी गई हैं।

इसके प्रभाव -

- यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो दवा की कमी के परिणामस्वरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य गंभीर चिंता का विषय बन सकता है।
- NACO के अनुसार, इसकी निर्धारित मात्रा का पालन करने में किसी भी अनियमितता से HIV दवाओं के प्रति बीमारी की प्रतिरोधकता विकसित हो सकती है जिससे इन दवाओं के प्रभाव में कमी आ सकती है
- यदि ART को प्रतिदिन नहीं लिया जाता है तो शरीर में संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है, जिससे व्यक्ति में संक्रामकता बढ़ने लगती है।
- यह जोखिम HIV/एड्स के खिलाफ भारत द्वारा हासिल की गई उपलब्धि पर नकारात्मक प्रभाव डालने के साथ इस दिशा में हो रही वैश्विक प्रगति को बाधित करता है जो वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लक्ष्य को पूरा करने के मानक को पूरा नहीं करते हैं।

भारत में HIV/AIDS का प्रसार-

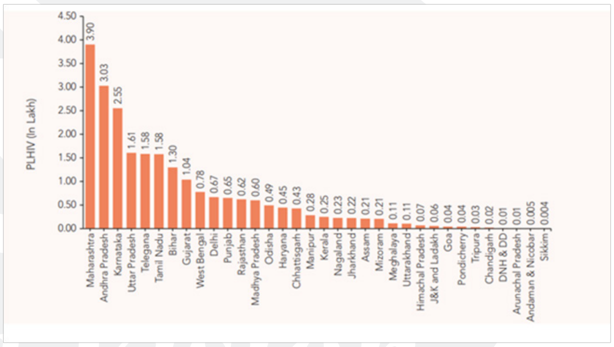

- सरकार की HIV आकलन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भारत में 24.01 लाख लोग HIV (PLHIV) से संक्रमित हैं।
- वर्ष 2010 के बाद से भारत में नए HIV संक्रमण में 46% की वार्षिक गिरावट आई है ।
- महाराष्ट्र में इसके रोगियों की संख्या सबसे अधिक है इसके बाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का स्थान आता है।

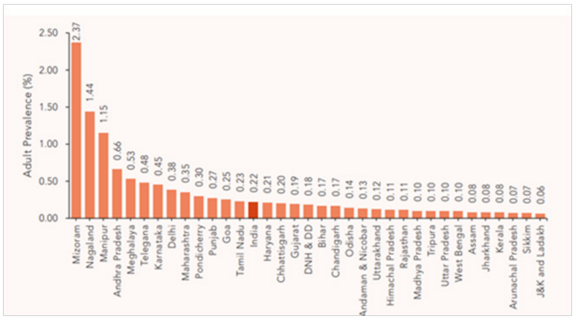

- 15-49 वर्ष के युवाओं में HIV संक्रमण की दर मिज़ोरम (2.37%) में सबसे अधिक है, इसके बाद नगालैंड और मणिपुर का स्थान आता है ।

नोट :

- मिज़ोरम में HIV/एड्स का प्रसार राष्ट्रीय औसत (0.22%) से 10 गुणा अधिक है।

आगे की राह

- स्वास्थ्य मंत्रालय की राजनीतिक इच्छाशक्ति की तत्काल आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जैसा कि पिछले एक दशक में हुआ है वैसा टीबी और एड्स की दवा की कमी के रूप में वैसा दोबारा अनुभव न किया जाए।
- यदि अनदेखी की गई तो परिणाम, स्वास्थ्य के अधिकार को प्रभावित करने के साथ ही दवा प्रतिरोध देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य लिये एक महत्त्वपूर्ण चुनौती उत्पन्न करेगा।

विश्व में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की स्थिति

चर्चा में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (UNICEF/यूनिसेफ) की नवीनतम संयुक्त निगरानी कार्यक्रम (JMP) रिपोर्ट के अनुसार, विश्व की लगभग आधी स्वास्थ्य सुविधाओं में बुनियादी स्वच्छता सेवाओं का अभाव है, जिससे 3.85 बिलियन लोगों को संक्रमण का खतरा बढ़ गया है।

- यह रिपोर्ट स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित विश्व जल सप्ताह के दौरान जारी की गई।

प्रमुख बिंदु

- **बुनियादी स्वच्छता की कमी:**
  - विश्व की लगभग आधी स्वास्थ्य सुविधाओं में बुनियादी स्वच्छता सेवाओं की कमी है, जिससे 3.85 बिलियन लोगों को संक्रमण का खतरा बढ़ गया है।
    - ये सुविधाएँ मरीजों को जल, साबुन या अल्कोहल-आधारित हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं।
    - केवल 51% स्वास्थ्य सुविधाओं ने बुनियादी स्वच्छता सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा किया।
    - उनमें से लगभग 68% लोगों के पास टॉयलेट में जल और साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध थी और 65% के पास देखभाल केंद्रों पर ऐसी सुविधाएँ थीं।
    - इसके अलावा विश्व भर में 11 चिकित्सा सुविधाओं में से सिर्फ एक में दोनों सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
- **सुभेद्य जनसंख्या हेतु घातक:**
  - सुरक्षित जल और बुनियादी स्वच्छता एवं स्वच्छता सेवाओं के बिना अस्पताल तथा क्लीनिक गर्भवती माताओं, नवजात शिशुओं और बच्चों के लिये संभावित मृत्यु का कारण हैं।
- **विभिन्न रोगों का उदय:**
  - प्रत्येक वर्ष 670,000 नवजात शिशु रक्तपूतिता/घाव के सड़ने (Sepsis) के कारण अपनी जान गँवा देते हैं।
    - रक्तपूतिता जीवन के लिये खतरनाक है जो तब होती है जब संक्रमण के कारण शरीर की प्रतिक्रिया अपने स्वयं के ऊतकों को नुकसान पहुँचाती है।
- **रोग संचरण में वृद्धि:**
  - अस्वच्छ हाथ और पर्यावरण में रोग संचरण ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध के उद्भव को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया हैं।
  - सबसे कम विकसित देशों में केवल 53% स्वास्थ्य संस्थानों के पास सुरक्षित जल आपूर्ति है।
    - पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में सुरक्षित जल आपूर्ति का अनुपात 90% है, जिसमें अस्पताल स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।
    - लगभग 11% ग्रामीण और 3% शहरी स्वास्थ्य संस्थानों में जल की पहुँच नहीं है।

स्वच्छता सुविधाओं का महत्त्व:

- स्वास्थ्य देखभाल स्थिति में स्वच्छता सुविधाएँ और तरीके गैर-परक्राम्य हैं।
- महामारी से उबरने, रोकथाम और तैयारियों के लिये उनका सुधार आवश्यक है।
- विशेष रूप से सुरक्षित प्रसव के लिये उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने हेतु जल और साबुन तथा हाथ धोने की पहुँच को बढ़ावा देना आवश्यक है।

चुनौतियों से निपटना:

- विभिन्न क्षेत्रों और आय समूहों में जल, साफ-सफाई और स्वच्छता (WASH) सुविधाओं का कवरेज अभी भी असमान है।
  - स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में जल, साफ-सफाई और स्वच्छता (WASH) सेवाओं को मज़बूत करने के लिये देशों को वर्ष 2019 विश्व स्वास्थ्य सभा की प्रतिबद्धता को लागू करने की आवश्यकता है।

जल, साफ-सफाई और स्वच्छता (WASH) से संबंधित भारत सरकार की पहलें:

- **वर्तमान स्थिति:**
  - **शहरी केंद्र:**
    - राष्ट्रीय स्तर पर, 910 मिलियन नागरिकों के पास उचित स्वच्छता तक पहुँच नहीं है।
    - भारत की बहुसंख्यक जनसंख्या वाले शहरी केंद्रों के बावजूद, शहरी स्वच्छता की कमी है।

नोट :

- **पहल:**
  - **स्वच्छ भारत की शौचालय पहुँच और रोज़गार सृजन:**
    - इसका उद्देश्य भारत में खुले में शौच को कम करना है। वर्ष 2018 और वर्ष 2019 के मध्य, 93% घरों में शौचालय की सुविधा थी, जो पिछले वर्ष के 77% की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है।
    - स्वच्छता के बुनियादी ढाँचे के निर्माण के क्रम में 2 मिलियन से अधिक पूर्णकालिक श्रमिकों हेतु रोज़गार का सृजन हुआ है।
  - **ग्रामीण समुदायों में जल:**
    - वर्ष 2017 और 2018 के बीच, भारत के राष्ट्रीय जल मिशन को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन (National Rural Drinking Water Mission-NRDWM) के तहत विस्तारित किया गया है।
    - जबकि अन्य कार्यक्रम और विभाग शहरी केंद्रों में स्वच्छता पर केंद्रित हैं, NRDWM भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करता है।
    - इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक घरों में पाइप से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
  - **आईजल (iJal) सेफ वॉटर स्टेशन:**
    - सेफ वॉटर नेटवर्क, पॉल न्यूमैन द्वारा बनाया गया एक गैर-लाभकारी संगठन, अपने आईजल वाटर स्टेशनों के माध्यम से विभिन्न समुदायों तक स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।
    - स्थानीय स्वामित्व वाले स्टेशन उन समुदायों में स्वच्छ, गुणवत्तापूर्ण जल तक पहुँच प्रदान करते हैं; जहाँ जल सुरक्षा अत्यंत दुष्कर कार्य है।
  - **वॉश (Water, Sanitation and Hygiene-WASH) सहयोगी:**
    - अंतर्राष्ट्रीय विकास हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका एजेंसी (United States Agency for International Development-USAID) और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (The United Nations Children's Fund-UNICEF भारत सरकार के सहयोग से कार्य करते हैं।
    - USAID ने सितंबर 2020 से पूर्व उपलब्धियों की सूचना दी, जिसमें सुरक्षित पेयजल तक पहुँच में वृद्धि, घरेलू शौचालयों की संख्या में बढ़ोत्तरी और सार्वजनिक शौच की प्रवृति में कमी शामिल है।

आगे की राह:

- बुनियादी उपायों में निवेश बढ़ाए बिना स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता को सुरक्षित नहीं किया जा सकता है, जिसमें सुरक्षित जल, स्वच्छ शौचालय और सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वास्थ्य देखभाल अपशिष्ट शामिल हैं।

राजद्रोह कानून

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau- NCRB) की एक रिपोर्ट के अनुसार, असम राज्य में पिछले आठ वर्षों के दौरान देश में सबसे अधिक राजद्रोह (Sedition) के मामले दर्ज किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

NCRB रिपोर्ट के महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- वर्ष 2014-2021 के मध्य देश में राजद्रोह के 475 मामलों में से असम में ही 69 मामले (14.52%) दर्ज हुए।
- असम के बाद, इस तरह के सबसे अधिक मामले क्रमशः हरियाणा (42), झारखंड (40), कर्नाटक (38), आंध्र प्रदेश (32) तथा जम्मू और कश्मीर (29) में देखे गए हैं।
  - इन छह राज्यों में राजद्रोह के 250 मामले दर्ज किये गए तथा देश में दर्ज कुल राजद्रोह के मामलों की संख्या के आधे से अधिक पिछले आठ वर्षों की अवधि में दर्ज किये गए हैं।
- वर्ष 2021 में देश भर में 76 राजद्रोह के मामले दर्ज किये गए, जो वर्ष 2020 में दर्ज 73 मामलों में मामूली वृद्धि को दर्शाते हैं।
- मेघालय, मिज़ोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव तथा पुडुचेरी में उस अवधि में एक भी राजद्रोह का मामला दर्ज नहीं करने वाले राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हैं।

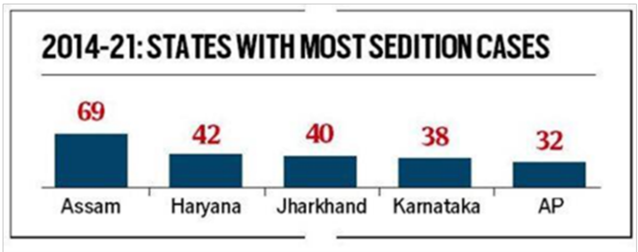

राजद्रोह कानून:

- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:**
  - राजद्रोह कानून को 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में अधिनियमित किया गया था, उस समय विधि निर्माताओं का मानना था कि

सरकार के प्रति अच्छी राय रखने वाले विचारों को ही केवल अस्तित्व में या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना चाहिये, क्योंकि गलत राय सरकार तथा राजशाही दोनों के लिये नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकती थी।

- इस कानून का मसौदा मूल रूप से वर्ष 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन वर्ष 1860 में भारतीय दंड सहिता (IPC) लागू करने के दौरान इस कानून को IPC में शामिल नहीं किया गया।
- धारा 124A को 1870 में जेम्स स्टीफन द्वारा पेश किये गए एक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था जब इसने अपराध से निपटने के लिये एक विशिष्ट खंड की आवश्यकता महसूस की।
- वर्तमान में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A के तहत राजद्रोह एक अपराध है।

- **वर्तमान में राजद्रोह कानून:**
  - **IPC की धारा 124A :**
    - यह कानून राजद्रोह को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित करता है जिसमें 'किसी व्यक्ति द्वारा भारत में कानूनी तौर पर स्थापित सरकार के प्रति मौखिक, लिखित (शब्दों द्वारा), संकेतों या दृश्य रूप में घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है।
    - विद्रोह में वैमनस्य और शत्रुता की भावनाएँ शामिल होती हैं। हालाँकि इस धारा के तहत घृणा या अवमानना फैलाने की कोशिश किये बगैर की गई टिप्पणियों को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है।
  - **राजद्रोह के अपराध हेतु दंड:**
    - राजद्रोह गैर-जमानती अपराध है। राजद्रोह के अपराध में तीन वर्ष से लेकर उम्रकैद तक की सज़ा हो सकती है और इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
    - इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त करने से रोका जा सकता है।
    - आरोपित व्यक्ति के पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाता है, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उसे न्यायालय में पेश होना अनिवार्य होता है।

राजद्रोह कानून का महत्त्व और चुनौतियाँ:

- **महत्त्व:**
  - **उचित प्रतिबंध:**
    - भारत का संविधान अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंध निर्धारित करता है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि यह सभी नागरिकों के लिये यह समान रूप से उपलब्ध हो।
  - **एकता और अखंडता:**
    - राजद्रोह कानून सरकार को राष्ट्र-विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्त्वों का सामना करने में सहायता करता है।
  - **राज्य की स्थिरता को बनाए रखना:**
    - यह निर्वाचित सरकार को हिंसा और अवैध तरीकों से सरकार को उखाड़ फेंकने के प्रयासों से बचाने में सहायता करता है। कानून द्वारा स्थापित सरकार का निरंतर अस्तित्त्व राज्य की स्थिरता के लिये एक अनिवार्य शर्त है।
- **चुनौतियाँ:**
  - **औपनिवेशिक युग का अवशेष:**
    - औपनिवेशिक शासकों ने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने वाले लोगों को रोकने हेतु राजद्रोह कानून का दुरूपयोग किया।
    - लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह आदि स्वतंत्रता आंदोलन के दिग्गजों को ब्रिटिश शासन के तहत उनके "राजद्रोही" भाषणों, लेखन और गतिविधियों के लिये दोषी ठहराया गया था।
    - इस प्रकार राजद्रोह कानून का व्यापक उपयोग औपनिवेशिक युग की याद दिलाता है।
  - **संविधान सभा का पक्ष:**
    - संविधान सभा, संविधान में राजद्रोह को शामिल करने के लिये सहमत नहीं थी। सदस्यों का तर्क था कि यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करेगा।
    - उन्होंने तर्क दिया कि लोगों के विरोध के वैध और संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकारों का दमन करने के लिये राजद्रोह कानून का एक हथियार के रूप में दुरूपयोग किया जा सकता है।
  - **सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की अवहेलना:**
    - सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1962 में केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में धारा 124A की संवैधानिकता पर अपना निर्णय दिया। इसने देशद्रोह की संवैधानिकता को बरकरार रखा लेकिन इसे अव्यवस्था पैदा करने का इरादा, कानून एवं व्यवस्था की गड़बड़ी तथा हिंसा के लिये उकसाने की गतिविधियों तक सीमित कर दिया।
    - इस प्रकार शिक्षाविदों, वकीलों, सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं और छात्रों के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाना सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है।
  - **लोकतांत्रिक मूल्यों का दमन:**
    - भारत मुख्य रूप से राजद्रोह कानून के कठोर और निरंतर उपयोग के कारण को तेज़ी से उभरते एक निर्वाचित निरंकुश राज्य के रूप में वर्णित किया जा रहा है।

आगे की राह:

- IPC की धारा 124A की उपयोगिता राष्ट्रविरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्त्वों से निपटने में है। हालाँकि सरकार के निर्णयों से असहमति और आलोचना एक जीवंत लोकतंत्र में मज़बूत सार्वजनिक बहस के आवश्यक तत्त्व हैं। इन्हें देशद्रोह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये।
- उच्च न्यायपालिका को अपनी पर्यवेक्षी शक्तियों का उपयोग मजिस्ट्रेट और पुलिस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले संवैधानिक प्रावधानों के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु करना चाहिये
- राजद्रोह की परिभाषा को केवल भारत की क्षेत्रीय अखंडता के साथ-साथ देश की संप्रभुता से संबंधित मुद्दों को शामिल करने के संदर्भ में संकुचित किया जाना चाहिये।
- देशद्रोह कानून के मनमाने इस्तेमाल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये नागरिक समाज को पहल करनी चाहिये।

केरल लोकायुक्त की शक्तियों में कमी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केरल विधानसभा ने केरल लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया।

संशोधन:

- यह संशोधन विधेयक लोकायुक्त के आदेश के बाध्यकारी पहलू को कमज़ोर कर दिया है, जिससे सक्षम प्राधिकारी अब लोकपाल की रिपोर्ट को या तो अस्वीकार कर सकता है या स्वीकार कर सकता है।
    - संशोधन द्वारा राज्य सरकार को भ्रष्टाचार विरोधी निकाय के फैसले को स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति मिल जाएगी।
    - संशोधन लोकायुक्त को सिर्फ सिफारिशें करने या सरकार को रिपोर्ट भेजने के लिये एक निकाय बना देगा।
- इसने विधानसभा को मुख्यमंत्री के खिलाफ अभियोग रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिये सक्षम प्राधिकारी भी बनाया है।
    - अगर लोकायुक्त की रिपोर्ट में कैबिनेट मंत्री को दोषी ठहराया जाता है, तो विधेयक मुख्यमंत्री में समीक्षा करने का अधिकार देता है।
    - विधायकों के मामले में सक्षम प्राधिकारी सदन के अध्यक्ष होंगे।
- विधेयक राजनीतिक नेताओं को अधिनियम के दायरे से छूट देता है।
- विधेयक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को लोकायुक्त नियुक्त करने की अनुमति देता है
- अधिनियम की धारा 14, जिसे अब संशोधित किया गया है, के अनुसार, यदि लोकायुक्त लोक सेवक के खिलाफ शिकायत पर संतुष्ट हो जाता है कि उसे अपने पद पर बने रहना आवश्यक नहीं है, तो वह सक्षम प्राधिकारी को अपनी रिपोर्ट में इस आशय की घोषणा करेगा जो इसे स्वीकार कर उस पर कार्रवाई करेगा।
    - दूसरे शब्दों में यदि लोक सेवक मुख्यमंत्री या मंत्री है, तो वह तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देगा। ऐसा प्रावधान राज्य के किसी भी कानून या केंद्र के लोकपाल अधिनियम में मौजूद नहीं है।

लोकपाल और लोकायुक्त की अवधारणा:

- लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम, 2013 ने संघ (केंद्र) के लिये लोकपाल और राज्यों के लिये लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की।
- इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, अत: ये संस्थाएँ वैधानिक निकाय हैं।
- ओम्बड्समैन या लोकपाल का कार्य कुछ निश्चित श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करना है।
- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 लोकपाल की स्थापना का प्रावधान करता है। लोकपाल संस्था का चेयरपर्सन या तो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या असंदिग्ध सत्यनिष्ठा व प्रकांड योग्यता का प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिये।
    - आठ अधिकतम सदस्यों में से आधे न्यायिक सदस्य तथा कम-से-कम 50 प्रतिशत सदस्य अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक और महिला श्रेणी से होने चाहिये।
    - लोकपाल को मार्च 2019 में नियुक्त किया गया था और इसने मार्च 2020 से कार्य करना शुरू कर दिया था, जब इसके नियम बनाए गए थे।
    - वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रदीप कुमार मोहंती लोकपाल के प्रमुख है।
    - लोकपाल के पास किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करने का अधिकार क्षेत्र है जो प्रधानमंत्री, या केंद्र सरकार में मंत्री, या संसद सदस्य, साथ ही समूह A, B, C और D के तहत केंद्र सरकार के अधिकारी हैं।
    - इसके अलावा किसी भी बोर्ड, निगम, समाज, ट्रस्ट या स्वायत्त निकाय के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और निदेशक शामिल हैं जो या तो संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित हैं या केंद्र द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त पोषित हैं।
    - यह किसी भी समाज या ट्रस्ट या निकाय को भी शामिल करता है जो 10 लाख रुपए से अधिक का विदेशी योगदान प्राप्त करता है।

लोकायुक्त अधिनियम से संबंधित चिंताएँ:

- लोकायुक्त कानून को सार्वजनिक पदाधिकारियों जैसे मंत्रियों, विधायकों आदि के भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच करने के लिये

अधिनियमित किया गया था, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। इस अधिनियम के परिभाषा खंड में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को शामिल नहीं किया गया है।

- मूल रूप से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सरकार और संबद्ध एजेंसियों, वैधानिक निकायों, निर्वाचित निकायों आदि में भ्रष्टाचार से संबंधित है। राजनीतिक दलों के पदाधिकारी इस कानून के दायरे में नहीं आते हैं।
- इसलिये इन्हें लोकायुक्त अधिनियम के दायरे लाना मुश्किल कार्य है।

- इस कानून में एक और समस्यात्मक प्रावधान है, जो लोकायुक्त (धारा 12) की रिपोर्ट से संबंधित है।
  - इसमें कहा गया है कि लोकायुक्त भ्रष्टाचार के आरोप की पुष्टि होने पर, कार्रवाई की सिफारिश के साथ निष्कर्षों को सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा, जिसे लोकायुक्त की सिफारिश के अनुसार कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
  - इसमें आगे कहा गया है कि यदि लोकायुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट हैं, तो वह मामले को समाप्त कर देंगे। सवाल यह है कि लोकायुक्त एक भ्रष्टाचार के मामले को कैसे बंद कर सकता है जो एक आपराधिक मामला है और जिसमें तीन से सात वर्ष की कैद का प्रावधान है।
    - लोकपाल ने जाँच के बाद न्यायालय में केस दायर करता है। केंद्रीय कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत लोकपाल मामले को न्यायालय में पहुँचने से पूर्व ही समाप्त कर दे।

आगे की राह:

- भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को प्रभावी बनाने के लिये राजनीतिक, कानूनी, प्रशासनिक और न्यायिक प्रणालियों के व्यापक सुधार अनिवार्य है।
- केरल लोकायुक्त अधिनियम की विधानसभा की एक समिति द्वारा पुनः जाँच की जानी चाहिये और इसे लोकपाल अधिनियम के अनुरूप होना चाहिये।

पीएम श्री स्कूल

चर्चा में क्यों?

शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर, भारत के प्रधानमंत्री ने पीएम श्री स्कूल (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया- PM ScHools for Rising India) नामक नयी पहल की घोषणा की है।

- यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy NEP) के लिये एक प्रयोगशाला होगी और पहले चरण के तहत कुल 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा।

शिक्षक दिवस:

- भारत में शिक्षकों, शोधकर्त्ताओं और प्रवक्ताओं/प्रोफेसर सहित शिक्षकों के कार्यों के महत्त्व को पहचानने और मनाने के लिये वर्ष 1962 से प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- वर्ष 1962 में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के बाद, कुछ छात्रों ने उनसे उनका जन्मदिन मनाने की अनुमति माँगी। हालाँकि डॉ. राधाकृष्णन ने किसी भी प्रकार के उत्सव को मंज़ूरी नहीं दी, बल्कि अनुरोध किया कि इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए।
- **डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का परिचय:**
  - **जन्म:**
    - इनका जन्म 5 सितंबर, 1888 को तमिलनाडु के तिरुत्तानी शहर में एक तेलुगु परिवार में हुआ था।
  - **शैक्षणिक पृष्ठभूमि:**
    - उन्होंने मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में दर्शनशास्त्र का अध्ययन किया।
    - अपनी डिग्री पूरी करने के बाद, वह मद्रास प्रेसीडेंसी कॉलेज में दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर और उसके बाद मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर बन गए।
  - **कार्य:**
    - इन्होंने वर्ष 1952 से 1962 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति और वर्ष 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।
    - ये वर्ष 1949 से 1952 तक सोवियत संघ में भारत के राजदूत भी रहे।
    - इन्होंने वर्ष 1939 से 1948 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के चौथे कुलपति के रूप में भी कार्य किया।
  - **पुरस्कार:**
    - वर्ष 1984 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

- **उल्लेखनीय रचनाएँ:**
  - समकालीन दर्शन में धर्म का शासन, रवींद्रनाथ टैगोर का दर्शन, जीवन का हिंदू दृष्टिकोण, कल्कि या सभ्यता का भविष्य, जीवन का एक आदर्शवादी दृष्टिकोण, हमें जिस धर्म की आवश्यकता है, भारत और चीन, गौतम बुद्ध।

प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री) योजना

- **परिचय:**
  - यह देश भर में 14500 से अधिक स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिये केंद्र प्रायोजित योजना है।
  - इसका उद्देश्य केंद्र सरकार/ राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार/ स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से चयनित मौजूदा स्कूलों को मज़बूत करना है।
- **महत्त्व:**
  - यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करेगा और अनुकरणीय स्कूलों के रूप में कार्य करेगा तथा अपने आसपास के अन्य स्कूलों को प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा।
    - इन स्कूलों का उद्देश्य न केवल गुणात्मक शिक्षण, शिक्षा और संज्ञानात्मक विकास होगा, बल्कि 21 वीं सदी के प्रमुख कौशल से लैस समग्र एवं सर्वांगीण व्यक्तियों का निर्माण भी होगा।
  - इन स्कूलों में अपनाई गई शिक्षाशास्त्र अधिक अनुभवात्मक, समग्र, एकीकृत, खेल/खिलौना आधारित, पूछताछ-संचालित, खोज-उन्मुख, शिक्षार्थी-केंद्रित, चर्चा-आधारित, लचीली और मनोरंजक होगी।
  - प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक बच्चे के सीखने के परिणामों में दक्षता हासिल करने पर ध्यान दिया जाएगा।
    - सभी स्तरों पर मूल्यांकन वैचारिक समझ और वास्तविक जीवन स्थितियों में ज्ञान के अनुप्रयोग एवं योग्यता पर आधारित होगा।
  - ये स्कूल प्रयोगशालाओं, स्मार्ट कक्षाओं, पुस्तकालयों, खेल उपकरणों, कला कक्ष आदि सहित आधुनिक बुनियादी ढाँचे से लैस होंगे जो समावेशी और सुलभ हैं।
    - इन स्कूलों को जल संरक्षण, अपशिष्ट पुनर्चक्रण, ऊर्जा कुशल बुनियादी ढाँचे और पाठ्यक्रम में जैविक जीवन शैली के एकीकरण के साथ हरित स्कूलों के रूप में भी विकसित किया जाएगा।

निवारक निरोध कानून के उपयोग में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau-NCRB) द्वारा जारी किये गए नवीनतम अपराध आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में निवारक निरोध कानून के उपयोग में लगभग 23% की वृद्धि हुई है, जिसमें 1.1 लाख से अधिक लोगों को निवारक हिरासत में रखा गया है।

निवारक निरोध:

- अनुच्छेद 22: संविधान का अनुच्छेद 22, गिरफ्तार या हिरासत (निरोध) में लिये गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। निवारक निरोध का उपयोग दो प्रकार से होता है- दंडात्मक और निवारक।
  - निवारक निरोध का उपयोग ऐसी स्थिति में किया जाता है, जब किसी व्यक्ति को केवल इस संदेह के आधार पर पुलिस हिरासत में रखा गया है कि वह कोई आपराधिक कृत्य करेगा या समाज को हानि पहुँचाने का प्रयास करेगा।
    - इसके अंतर्गत पुलिस के पास किसी ऐसे व्यक्ति हिरासत में लेने का अधिकार है जिस पर उसे अपराध करने का संदेह है, कुछ मामलों में वारंट या मजिस्ट्रेट के प्राधिकरण के बिना गिरफ्तारी करने का भी अधिकार है।
  - दंडात्मक निरोध अर्थ है- किसी अपराध के लिये सजा के रूप में निरोध। इसका उपयोग ऐसी स्थिति में किया जाता है, जब वास्तव में कोई अपराध में किया गया हो, या उस अपराध को करने का प्रयास किया गया हो।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़ों की मुख्य विशेषताएँ:

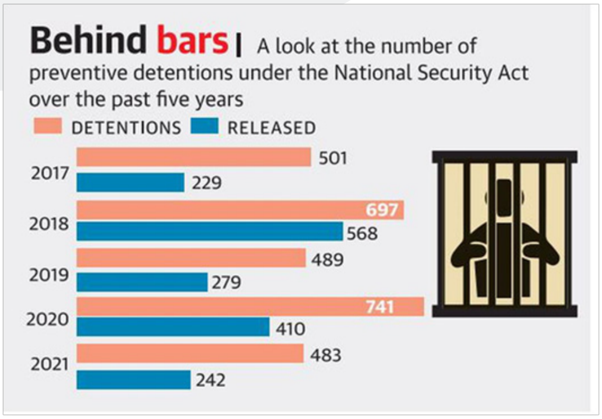

- हिरासत की सबसे अधिक संख्या: वर्ष 2021 के अंत तक निवारक हिरासत में रखे गए कुल 24,500 से अधिक लोग या तो हिरासत में थे या अभी भी हिरासत में है, जिनकी संख्या वर्ष 2017 के बाद से जब NCRB ने इस आँकड़ों को रिकॉर्ड करना शुरू किया था, तब से अब तक सबसे अधिक है।

- राज्य और केंद्रशासित प्रदेश: वर्ष 2021 में तमिलनाडु के बाद तेलंगाना और गुजरात में राज्यों में सबसे अधिक, जबकि जम्मू और कश्मीर में निवारक निरोध के मामले सबसे अधिक दर्ज किये गए है।
- **सापेक्षिक निवारक कानून:**
  - NCRB के आँकड़ों से पता चला है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत गिरफ्तार किये गए लोगों की संख्या वर्ष 2020 की तुलना में काफी कम हो गई थी।
    - NSA के तहत निवारक निरोध के मामलों की संख्या वर्ष 2020 में (741) चरम पर पहुँच गई थी, जो वर्ष 2021 में यह संख्या गिरकर 483 हो गई।
  - गुंडा एक्ट
  - **स्वापक औषधि और मन:** प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1988 में अवैध व्यापार की रोकथाम
  - लोक सुरक्षा अधिनियमट (पीएसए)
  - नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985
  - इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध (PIT)
  - कालाबाज़ारी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के रखरखाव के निवारण अधिनियम, 1980 (PBMSECA)
  - इसके अलावा, "अन्य निरोध अधिनियमों" के रूप में वर्गीकृत एक श्रेणी, जिसके तहत अधिकांश निरोधक के मामले पंजीकृत थे, वर्ष 2017 के बाद से लगातार निवारक निरोध के तहत व्यक्तियों की सबसे अधिक संख्या "अन्य निरोध अधिनियम" श्रेणी के तहत रखी गई है।
- **समस्याएँ/चुनौतियाँ:**
  - **अन्य अधिनियमों का दुरुपयोग:** गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (Unlawful Activities (Prevention) Act- UAPA) और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम जैसे कई कानून भी निवारक निरोध हेतु उपाय प्रदान करते हैं।
  - **सरकारी अधिकारियों द्वारा हेरफेर:** जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस भी अक्सर किसी भी दो समुदायों के बीच उभरती सांप्रदायिक झड़पों या संघर्षों में कानून और व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिये निवारक निरोध का दुरुपयोग करते हैं, भले ही यह हमेशा सार्वजनिक अव्यवस्था का कारण न हो।
- **सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण:** जुलाई 2022 में, सर्वोच्च न्यायालय की एक अवकाश पीठ ने तेलंगाना में एक चेन-स्नैचर के लिये जारी निवारक निरोध आदेश को रद्द करते हुए देखा कि राज्य को दी गई ये शक्तियाँ "असाधारण" है और चूँकि ये एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यापक स्तर पर प्रभावित करती हैं, अत: इनका उपयोग संयम के साथ किया जाना चाहिये।
  - न्यायालय ने यह भी कहा कि इन शक्तियों का इस्तेमाल सामान्य कानून और व्यवस्था की समस्याओं को नियंत्रित करने के लिये नहीं किया जाना चाहिये।

भारत में सामाजिक सुरक्षा की स्थिति

चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा सामाजिक सुरक्षा पर नवीनतम रिपोर्ट (वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2020-22: एशिया और प्रशांत के लिये क्षेत्रीय सहयोग रिपोर्ट) के अनुसार, बांग्लादेश के 28.4% स्तर से भी कम केवल 24.4% भारतीयों को किसी भी प्रकार के सामाजिक संरक्षण लाभ मिलता है।

सामाजिक सुरक्षा:

- सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ व्यक्तियों और परिवारों, विशेष रूप से गरीब तथा कमज़ोर लोगों, संकटों व समस्याओं का सामना करने, नौकरी खोजने, उत्पादकता में सुधार करने, अपने बच्चों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा में निवेश करने तथा बढ़ती उम्र की आबादी की रक्षा करने में मदद करती हैं।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- **परिचय:** रिपोर्ट ILO की 'वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2021-22' की सहयोगी है, जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा का एक क्षेत्रीय अवलोकन प्रदान करती है।
- **वैश्विक:**
  - **सामाजिक सुरक्षा:** यह बताती है कि मंगोलिया, न्यूज़ीलैंड, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में 100% सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क है, जबकि म्याँमार और कंबोडिया में यह 10% से भी कम है।
  - **कम कवरेज:** रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में चार श्रमिकों में से तीन काम के दौरान बीमारी या चोट लगने की स्थिति में सुरक्षित नहीं हैं।
    - प्रति व्यक्ति कम सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वाले देशों में कार्य क्षति कवरेज निम्न स्तर का होता हैं, उदाहरण के लिये अफगानिस्तान, भारत, नेपाल और पाकिस्तान अपने श्रमिकों के 5% से कम कार्य क्षति कवरेज कवर करते हैं।
  - **असमान कवरेज:** रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 तक वैश्विक आबादी का केवल 9% कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ से प्रभावी रूप से कवर किया गया था, जबकि शेष 53.1% 4.1 बिलियन लोगों को पूरी तरह से असुरक्षित छोड़ दिया गया था।

नोट :

- **असमान कवरेज:** रिपोर्ट के अनुसार, 2020 तक, वैश्विक आबादी का केवल 46.9% प्रभावी रूप से कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ द्वारा कवर किया गया था, जबकि शेष 53.1% 1 बिलियन लोगों को पूरी तरह से असुरक्षित छोड़ दिया गया था।
  - रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि दुनिया में कामकाजी उम्र की आबादी का बड़ा हिस्सा 4% या 4 बिलियन लोग केवल आंशिक रूप से संरक्षित हैं या बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं।
- **लैंगिक असमानता:** सामाजिक सुरक्षा कवरेज में अंतर्निहित लैंगिक असमानता को उजागर करते हुए, रिपोर्ट में महिलाओं के कवरेज में पुरुषों के मुकाबले 8% अंकों की कमी दर्ज की गई है।

- **भारतीय परिप्रेक्ष्य:**
  - सामाजिक सुरक्षा में कम निवेश: रिपोर्ट में कहा गया है कि सामाजिक सुरक्षा में अपेक्षाकृत कम निवेश के कारण, यानी भारतीय आबादी का केवल 4%, गैर-अंशदायी लाभों के तहत हस्तांतरित राशि आमतौर पर पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिये बहुत कम है।
  - कवरेज में असमानता: अंशदायी योजनाओं के साथ आम तौर पर औपचारिक क्षेत्र में काम करने वालों और गैर-अंशदायी योजनाओं तक सीमित होने के कारण, भारत के सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के 5% से कम हैं।
  - हाल की पहल: इसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme-MGNREGA) जैसे सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न स्तरों के अपने प्रगतिशील विस्तार से अंशदायी और गैर-अंशदायी योजनाओं के संयोजन के माध्यम से प्राप्त भारत की उच्च कवरेज दर की सराहना की, जो अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिये 100 दिनों तक कार्य सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है।

सामाजिक सुरक्षा के संबंध में भारत सरकार की विभिन्न पहलें:

- प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PM-SYM)
- राष्ट्रीय पेंशन योजन (NPS)
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (PMJJBY)
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
- अटल पेंशन योजना
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (NSKFDC)
- हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास हेतु स्वरोज़गार योजना

मूलभूत शिक्षण सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रव्यापी मूलभूत शिक्षण सर्वेक्षण (Foundational Learning Survey-FLS) किया गया।

- दिल्ली के तीसरी कक्षा के 50% से अधिक बच्चों के पास या तो "सीमित" मूलभूत संख्यात्मक कौशल है या "सबसे बुनियादी ज्ञान और कौशल की कमी" है।
- राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (National Achievement Survey-NAS) में भी दिल्ली को उन पाँच राज्यों में शामिल किया गया है, जहाँ कक्षा III के स्तर पर गणित और भाषा दोनों में सबसे कम औसत अंक हैं।

मूलभूत शिक्षण सर्वेक्षण (FLS):

- **परिचय:**
  - मूलभूत शिक्षण सर्वेक्षण (FLS) का उद्देश्य 22 भारतीय भाषाओं में समझ के साथ पढ़ने के लिये मानक स्थापित करना है।
- **पृष्ठभूमि:**
  - FLS 2022 में निपुण (NIPUN) भारत मिशन के तहत फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी (FLN) के प्रयासों को मज़बूत करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में शुरू किया गया था।
- **नमूने का आकार:**
  - देश के 10,000 स्कूलों में कक्षा III के 86,000 बच्चों के बीच मूलभूत शिक्षण सर्वेक्षण किया गया।
    - दिल्ली में नमूना आकार 515 स्कूलों के 2,945 छात्रों का था।
- **वर्गीकरण:**
  - बच्चों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें चार श्रेणियों में रखा गया था:
    - जिनके पास सबसे बुनियादी ज्ञान और कौशल की कमी थी
    - जिनके पास सीमित ज्ञान और कौशल है
    - जिन्होंने पर्याप्त ज्ञान और कौशल विकसित किया है
    - जिन्होंने बेहतर ज्ञान विकसित किया है
- **निष्कर्ष:**
  - **राष्ट्रीय:**
    - **कुल आँकड़े:**

- 11% छात्रों के पास सबसे बुनियादी ज्ञान और कौशल की कमी है।
- 37% छात्रों के पास सीमित ज्ञान और कौशल है।
- **भाषा:**
- **अंग्रेज़ी:**
- 15% छात्रों में बुनियादी कौशल की कमी पाई गई।
- 30% के पास सीमित कौशल था।
- 21% के पास पर्याप्त कौशल था।
- 34% के पास बेहतर कौशल था।
- **हिंदी:**
- 21% सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले वर्ग के अंतर्गत आते हैं।
- 32% के पास सीमित कौशल था।
- **राज्य:** संख्यात्मकता के आधार पर तमिलनाडु (29%) में छात्रों की अधिकतम संख्या थी, जो सबसे बुनियादी ग्रेड-स्तरीय कार्यों को पूरा नहीं कर सके, इसके बाद जम्मू और कश्मीर (28%), असम, छत्तीसगढ़ तथा गुजरात (18%) थे।

- **निष्कर्षों का आधार:**
  - FLS के निष्कर्ष प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतिभागी के साक्षात्कार पर आधारित हैं।
    - जबकि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण ने बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर सीखने के परिणामों का मूल्यांकन किया।

शिक्षा क्षेत्र के लिये सरकार की पहलें:

- निपुण भारत मिशन
  - सर्व शिक्षा अभियान
  - मध्याह्न भोजन योजना

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT):

- **परिचय:**
  - राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) भारत सरकार द्वारा वर्ष 1961 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है जो स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिये नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र तथा राज्य सरकारों को सहायता और सलाह देता है।
- **संघटक इकाइयाँ:**
  - **NCERT की प्रमुख घटक इकाइयाँ जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित हैं:**
    - राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (NIE)
    - केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (CIET))
    - पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (PSSCIVE)
    - क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (RIE)

विकिपीडिया कॉन्टेंट मॉडरेशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने विकिपीडिया के अधिकारियों को एक राष्ट्रीय क्रिकेटर के विकिपीडिया पृष्ठ को भ्रामक जानकारी के साथ संपादित किये जाने के एवज़ में तलब किया।

- इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री ने कहा है कि भारत में संचालित कोई भी मध्यस्थ इस प्रकार की गलत सूचना की अनुमति नहीं दे सकता है क्योंकि यह एक सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट की सरकार की अपेक्षा का उल्लंघन करता है।
- कॉन्टेंट मॉडरेशन से तात्पर्य यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया से है कि उपयोगकर्त्ता-जनित कॉन्टेंट प्रकाशन के लिये कॉन्टेंट की उपयुक्तता स्थापित करने हेतु प्लेटफॉर्म-विशिष्ट दिशानिर्देशों और नियमों का पालन करती है।

विकिपीडिया:

- **परिचय:**
  - विकिपीडिया एक फ्री इंटरनेट-आधारित विश्वकोश है, जिसे 2001 में शुरू किया गया था जो एक ओपन-सोर्स प्रबंधन शैली के तहत संचालित होता है।
  - इसकी देखरेख गैर-लाभकारी "विकिमीडिया फाउंडेशन" द्वारा की जाती है।
  - यह स्वयंसेवकों के एक समूह द्वारा खुले सहयोग और एक विकी-आधारित संपादन प्रणाली के माध्यम से अनुरक्षित है।
    - अद्यतन या सुधार के लिये मौजूदा पृष्ठों में संपादन करके कोई भी व्यक्ति अपने ज्ञान के पूल में योगदान कर सकता है और यहाँ तक कि नए पृष्ठ भी जोड़ सकता है।
- **विकिपीडिया की संरचना:**
  - विकिपीडिया की संरचना एक मध्यस्थ की है, यानी यह अपने उपयोगकर्त्ताओं द्वारा उत्पन्न कॉन्टेंट को होस्ट करती है।
- **कॉन्टेंट के लिये जिम्मेदारी:**
  - ऑनलाइन कॉन्टेंट को विनियमित करने वाले अधिकांश कानूनों के तहत बिचौलियों को उनके द्वारा होस्ट की गई उपयोगकर्त्ता द्वारा उत्पन्न कॉन्टेंट सुरक्षा के साथ संपन्न किया जाता है, बशर्ते वे अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ उचित कॉन्टेंट रखें।
  - विकिपीडिया पर कॉन्टेंट के लिये पिछली चुनौतियों में यह निर्णय दिया गया है कि विकिमीडिया फाउंडेशन कॉन्टेंट पर स्वामित्व नहीं रखता है, और इसके लिये कानूनी जिम्मेदारी नहीं है।
    - हालाँकि, प्रशासकों या संपादकों ने स्थिति से उत्पन्न होने वाली कॉन्टेंट संबंधी चिंताओं पर ध्यान दिया है और उपयुक्त संपादन किये हैं।

- विकिमीडिया कानूनी अनुपालन के लिये "कॉन्टेंट को जोड़ना, निगरानी या हटाना" भी कर सकता है।
- इसलिये यह तर्कपूर्ण है कि चूँकि विकिमीडिया ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, इसलिये इसे विकिपीडिया पर होस्ट किया जा रहा अवैध कॉन्टेंट हेतु उसे ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है।

ऑनलाइन कॉन्टेंट के संबंध में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम:

- **सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम 2000 की धारा 69A:**
  - IT अधिनियम की धारा 69A केंद्र और राज्य सरकारों को "किसी भी कंप्यूटर संसाधन में उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या संग्रहीत किसी भी जानकारी को इंटरसेप्ट, मॉनिटर या डिक्रिप्ट करने" के निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है।
  - धारा 69A केंद्र को सरकार की किसी भी एजेंसी या किसी मध्यस्थ से किसी भी कंप्यूटर संसाधन पर उत्पन्न, प्रसारित, प्राप्त या संग्रहीत या होस्ट की गई किसी भी जानकारी की जनता तक पहुँच को अवरुद्ध करने में सक्षम बनाती है।
    - 'मध्यस्थ' (Intermediaries) के अंतर्गत सर्च इंजन, ऑनलाइन भुगतान और नीलामी साइटों, ऑनलाइन मार्केटप्लेस और साइबर कैफे के अलावा दूरसंचार सेवा, नेटवर्क सेवा, इंटरनेट सेवा और वेब होस्टिंग के प्रदाता शामिल हैं।
  - **पहुँच को अवरुद्ध करने के लिये ऐसा कोई भी अनुरोध लिखित में दिये गए कारणों पर आधारित होना चाहिये:**
    - वर्ष 2020 में, सरकार ने विकिमीडिया फाउंडेशन को अपने एक पेज से एक नक्शा हटाने के लिये कहा था जिसमें अक्साई चिन को गलत तरीके से चीन का हिस्सा दिखाया गया था।
    - सरकार ने भारत की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करने के लिये IT अधिनियम की धारा 69A के उपयोग का प्रस्ताव दिया था।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79:**
  - IT अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत मध्यस्थ अपने द्वारा होस्ट की जाने वाली कॉन्टेंट के लिये जिम्मेदार नहीं होने के "सुरक्षित पक्ष" (Safe Harbour) का दावा कर सकते हैं, वे अधिनियम और इसके नियमों के तहत उचित मानदंड आवश्यकताओं का पालन करते हैं।
- **सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021:**
  - सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के अनुसार, सूचना की कुछ श्रेणियाँ हैं जिन्हें एक मध्यस्थ को अपने प्लेटफॉर्म पर होस्ट या अपलोड करने की अनुमति नहीं देनी चाहिये जिसमें शामिल हैं:
    - ऐसी जानकारी जो "स्पष्ट रूप से झूठी और असत्य है, और किसी व्यक्ति, संस्था या एजेंसी को वित्तीय लाभ हेतु गुमराह करने या परेशान करने या किसी व्यक्ति को कोई चोट पहुँचाने के इरादे से किसी भी रूप में लिखी या प्रकाशित की गई है"।
  - **विकिमीडिया फाउंडेशन के संदर्भ में:**
    - हालाँकि विकिमीडिया फाउंडेशन के पास विकिपीडिया पर प्रदर्शित की गई जानकारी का स्वामित्व नहीं है, एक बार जब विकिमीडिया फाउंडेशन को अपने प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित की जा रही ऐसी कॉन्टेंट के बारे में "वास्तविक ज्ञान" हो जाता है, तो इसे भारतीय कानून के अनुसार इसके लिये ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।
    - वास्तविक ज्ञान का अर्थ तब होता है जब किसी मध्यस्थ को या तो न्यायालय के आदेश द्वारा या आपत्तिजनक कॉन्टेंट को हटाने की मांग करने वाली उपयुक्त एजेंसी के आदेश के माध्यम से अधिसूचित किया गया हो।

शहरी रोज़गार गारंटी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान सरकार ने शहरी रोज़गार को बढ़ावा देने हेतु प्रमुख योजना 'इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार योजना' शुरू की है।

योजना का परिचय:

- **उद्देश्य:**
  - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में परिवारों को 100 दिनों का रोज़गार प्रदान करना।
  - सरकार ने योजना के क्रियान्वयन के लिये 800 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं।
- **लक्षित जनसंख्या:** 18 से 60 आयु वर्ग के लोग योजना के लिये पात्र हैं।
- **रोज़गार के अवसर:**
  - **जल संरक्षण:** खानियों की बावड़ी में नवीनीकरण कार्य योजना के जल संरक्षण कार्यों के अंतर्गत आता है।
  - **अभिसरण:** लोगों को अन्य केंद्र या राज्य स्तर की योजनाओं में नियोजित किया जा सकता है, जिनके पास पहले से ही एक भौतिक घटक है और जिसके लिये श्रम कार्य की आवश्यकता होती है।

नोट :

- **अन्य कार्यों में शामिल हैं:**
  - पर्यावरण संरक्षण जैसे- सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण और पार्कों का रखरखाव।
  - स्वच्छता और सफाई संबंधी कार्य जैसे ठोस कचरा प्रबंधन।
  - विरासत संरक्षण और सुरक्षा/बाड़ लगाना/चारदीवारी/ नगरीय निकायों और सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा आदि से संबंधित कार्य।

- **अन्य राज्यों की शहरी रोज़गार गारंटी योजनाएँ:**
  - **केरल:**
    - वर्ष 2010 में शुरू की गई अय्यंकाली शहरी रोज़गार गारंटी योजना (AUEGS) का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को एक वित्तीय वर्ष में 100 के वेतन रोज़गार की गारंटी देकर बढ़ाना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिये स्वेच्छा से काम करते हैं।
  - **हिमाचल प्रदेश:**
    - मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना 2020 में शहरी क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिये एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को 120 दिनों की गारंटी मज़दूरी रोज़गार प्रदान करने के लिये शुरू की गई थी।
  - **झारखंड:**
    - मुख्यमंत्री श्रमिक योजना 2020 में झारखंड राज्य में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिये एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के वेतन रोज़गार की गारंटी प्रदान करके शुरू की गई थी।

भारत में शहरी रोज़गार गारंटी योजनाएँ:

- **"गारंटी" योजनाओं का अभाव:**
  - वर्ष 1997 में शुरू की गई स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना (SJSRY) ने बेरोज़गार और अल्परोज़गार शहरी गरीबों को स्वरोज़गार तथा मज़दूरी रोज़गार के माध्यम से रोज़गार प्रदान किया
  - वर्ष 2013 में, SJSRY राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।
  - भारत में शहरी रोज़गार योजनाओं का इतिहास रहा है, लेकिन उनमें से कोई भी रोज़गार "गारंटी" योजना नहीं थी।
- **शहरी बेरोज़गारी दर:**
  - अधिकांश बेरोज़गारी डेटा, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) या आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण से पता चलता है कि बेरोज़गारी दर आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में अधिक है।
  - अगस्त 2022 के आँकड़ो (CMIE) के अनुसार, शहरी भारत में बेरोज़गारी दर 9.57% (ग्रामीण 7.68%) है।
- **कमजोर अनौपचारिक क्षेत्र:**
  - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, वर्ष 2019 में भारत में 535 मिलियन श्रम बल में से लगभग 398.6 मिलियन के पास खराब गुणवत्ता वाले रोज़गार हैं। इसके अलावा, लॉकडाउन ने शहरी निम्न-स्तरीय अनौपचारिक नौकरियों में कमजोर रोज़गार की स्थिति को उजागर किया।
    - कमजोर रोज़गार की विशेषता अपर्याप्त आय, कम उत्पादकता और काम की कठिन परिस्थितियाँ हैं जो श्रमिकों के मूल अधिकारों को कमजोर करती हैं।
- **ग्रामीण केंद्रित योजनाएँ:**
  - राहत प्रदान करने वाली अधिकांश सरकारी योजनाएँ, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य, ग्रामीण बेरोज़गारी और मनरेगा जैसी गरीबी को प्राथमिकता देती हैं।
  - कोविड के प्रकोप के मद्देनजर गाँवों में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिये रोज़गार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिये, 50,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ, 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोज़गार अभियान शुरू किया गया था।

क्या UEG मनरेगा के विस्तार के रूप में कार्य कर सकता है?

- **मौजूदा योजना की रूपरेखा:**
  - वर्तमान में भारत में, अधिकांश UEG शहरी क्षेत्रों में मनरेगा का एक मात्र विस्तार प्रतीत होते हैं।
    - हिमाचल प्रदेश, ओडिशा या केरल में UEG होने के नाते, उनमें से एक सामान्य विशेषता शहरी परिवारों को वर्ष के दौरान विशिष्ट दिनों के लिए रोज़गार प्रदान करना है।
- **हालाँकि, UEG निम्नलिखित कारणों से केवल मनरेगा का विस्तार नहीं हो सकता है:**
  - ग्रामीण बेरोज़गारी ज़्यादातर मौसमी होती है।
    - खेती के चरम मौसम के दौरान, बहुत कम ग्रामीण लोग बेरोज़गार हो सकते हैं।
    - लेकिन शहरी बेरोज़गारी में ऐसा कोई मौसम नहीं है।
  - ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता।
    - शहरी स्थानीय निकाय खराब वित्त पोषित हैं और उनके पास सहायता प्रदान करने की क्षमता बहुत कम है।
  - सार्वजनिक कार्य में शामिल श्रम का ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्थाओं में परिदृश्य भिन्न-भिन्न है।

आगे की राह:

- राज्यों द्वारा UEG योजना का हस्तक्षेप एक स्वागत योग्य कदम है जो शहरी निवासियों को काम करने का अधिकार देता है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करता है।
- स्मार्ट सिटी मिशन और कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation-AMRUT) जैसे कार्यक्रमों ने महानगरों और शहरों के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है।
  - भारत के शहरी क्षेत्रों में आजीविका और पारिस्थितिकी में सुधार हेतु अपना ध्यान फिर से केंद्रित करना महत्त्वपूर्ण है।
- शहरी रोज़गार गारंटी कार्यक्रम न केवल श्रमिकों की आय में सुधार करता है बल्कि अर्थव्यवस्था पर कई गुना प्रभाव डालता है।
  - यह छोटे शहरों में स्थानीय मांग को बढ़ावा देगा, सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे और सेवाओं में सुधार करेगा, उद्यमशीलता को बढ़ावा देगा, श्रमिकों के कौशल का निर्माण करेगा तथा सार्वजनिक वस्तुओं की साझा भावना पैदा करेगा।

प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में क्षय रोग (TB) के खिलाफ देश की लड़ाई में तेज़ी लाने और वर्ष 2025 तक रोग को खत्म करने के प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया।

'क्षय रोग' (TB)

- **परिचय:** टीबी या क्षय रोग 'माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस' नामक जीवाणु के कारण होता है,
  - यह आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है।
  - यह एक इलाज योग्य और साध्य रोग है।
- **संचरण:** टीबी रोग हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जब 'पल्मोनरी टीबी' से पीड़ित कोई व्यक्ति खाँसता, छींकता या थूकता है, तो वह टीबी के कीटाणुओं को हवा में फैला देता है।
- **लक्षण:** 'पल्मोनरी टीबी' के सामान्य लक्षणों में बलगम, कई बार खून के साथ खाँसी और सीने में दर्द, कमज़ोरी, वज़न कम होना, बुखार और रात को पसीना आना शामिल है।
- **वैक्सीन:** बैसिल कैलमेट-गुएरिन (BCG) टीबी रोग के लिये एक टीका है।
- **संबंधित आँकड़े:**
  - वर्ष 2020 में टीबी से कुल 1.5 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई और अनुमानित 10 मिलियन लोग दुनिया भर में तपेदिक (टीबी) से बीमार हुए।
  - भारत में दुनिया का सबसे अधिक तपेदिक का बोझ है, अनुमानित 26 लाख लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं और लगभग 4 लाख लोग प्रत्येक वर्ष इस बीमारी से मरते हैं।
- **भारत के लिये चुनौतियाँ:**
  - **भारत में टीबी को नियंत्रित करने के लिये प्रमुख चुनौतियों में शामिल हैं:**
    - कई राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में खराब प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढाँचा।
    - अनियमित निजी स्वास्थ्य देखभाल के कारण पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति की टीबी रोधी दवाओं का व्यापक तर्कहीन उपयोग।
  - **गरीबी:**
    - राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और इसके अतिरिक्त, भ्रष्ट प्रशासन।

प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान:

- **परिचय:**
  - यह वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन की दिशा में देश की प्रगति में तेज़ी लाने के लिये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) की एक पहल है।
- **उद्देश्य:**
  - टीबी रोगियों के उपचार परिणामों में सुधार के लिये अतिरिक्त रोगी सहायता प्रदान करना।
  - 2025 तक टीबी को समाप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने में समुदाय की भागीदारी बढ़ाना।
  - कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) गतिविधियों का लाभ उठाना।
- **घटक:**
  - नि-क्षय मित्र पहल: यह टीबी के इलाज के लिये अतिरिक्त निदान, पोषण और व्यावसायिक सहायता सुनिश्चित करता है।
    - नि-क्षय मित्र (दाता) सरकारी प्रयासों के पूरक के लिये टीबी के खिलाफ प्रतिक्रिया में तेज़ी लाने हेतु स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये (व्यक्तिगत दाता के लिये), ब्लॉक/शहरी वार्डों/ज़िलों/राज्यों के स्तर पर सहायता करते हैं।
  - नि-क्षय डिजिटल पोर्टल: यह टीबी से पीड़ित व्यक्तियों के लिये सामुदायिक सहायता के लिये एक मंच प्रदान करेगा।

टीबी के इलाज से संबंधित अन्य पहलें:

- **वैश्विक प्रयास:**
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने ग्लोबल फंड और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के साथ एक "Find. Treat. All. #EndTB" संयुक्त पहल शुरू की है।
  - WHO, ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट भी जारी करता है।
- **भारत के प्रयास:**
  - भारत के राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) में निर्धारित वर्ष 2030 की अवधि से पाँच वर्ष पूर्व देश से वर्ष 2025 तक टीबी महामारी को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  - क्षय रोग उन्मूलन (वर्ष 2017-2025), निक्षय पारिस्थितिकी तंत्र (राष्ट्रीय टीबी सूचना प्रणाली), निक्षय पोषण योजना- वित्तीय सहायता, टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के लिये राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (NSP) आदि।
  - वर्तमान में टीबी के लिये दो टीके वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट (Vaccine Projekt Management- VPM) 1002 और माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्रणी (Mycobacterium indicus pranii) विकसित और पहचाने गए हैं जो नैदानिक परीक्षण के तीसरे चरण से गुजर रहे हैं।
  - नि-क्षय पोषण योजना: यह रोगियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 500 रुपए की सहायता प्रदान करती है।
  - आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन: सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत टीबी रोगियों के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया है ताकि उचित निदान और उपचार सुनिश्चित किया जा सके।

दृष्टि The Vision

सामाजिक न्याय

भारत कोविड -19 खरीद: चुनौतियाँ, नवाचार और सबक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व बैंक ने "भारत कोविड -19 खरीद: चुनौतियाँ, नवाचार और सबक (India Covid-19 Procurement: Challenges, Innovations, and Lessons)" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार, भारत महामारी के प्रबंधन में विभिन्न चीजें हासिल करने में कामयाब रहा।

- यह रिपोर्ट कोविड महामारी के गंभीर प्रारंभिक चरण के दौरान आवश्यक चिकित्सा वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार द्वारा की गई पहलों पर करीब से नज़र डालती है।

प्रमुख बिंदु

- **वैश्विक:**
  - वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में उच्च रेटिंग वाले देशों सहित अधिकांश देशों की स्वास्थ्य प्रणालियों को महामारी से निपटने में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
  - असाधारण बाज़ार अनिश्चितताओं को दूर करने के लिये कई देशों ने आपातकालीन संदर्भ में प्रक्रियाओं को उत्तरदायी बनाने के लिये सार्वजनिक खरीद में नवाचारों की शुरुआत की।
- **भारतीय पहल:**
  - भारत ने देश भर में चिकित्सा आपूर्ति के कुशल वितरण का प्रबंधन किया, शुरुआती प्रतिबंध लगाए और आपात स्थिति के दौरान त्वरित खरीद निर्णय हेतु सशक्त अंतर-मंत्रालयी समूह भी बनाए।
  - भारत चार महीने की अवधि के भीतर तेज़ी से जो पहले केवल 18 थी से सीधे 2,500 से अधिक परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने में कामयाब रहा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिये गंभीर चुनौतियों का सामना करने वाली भविष्य की महामारियों एवं स्वास्थ्य आपात स्थितियों का सामना करने हेतु तैयार हो गया।
  - भारत ने स्वदेशी चिकित्सा उपकरण उद्योग के विकास के लिये अनुकूल वातावरण भी तैयार किया।
  - कोविड -19 महामारी से पहले भारत ज़्यादातर वेंटिलेटर का आयात कर रहा था, हालाँकि कई नए लोगों सहित 25 निर्माता 'सीमित वित्तीय और बुनियादी ढाँचा क्षमता वाले वेंटिलेटर' का उत्पादन करने के लिये आगे आए।
  - सरकार ने वेंटिलेटर बनाने के लिये कई ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिकल निर्माण कंपनियों का उपयोग किया।
- **भारत में प्रमुख नवाचार:**
  - स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये पूरे सरकारी दृष्टिकोण को अपनाने से इकाई कीमतों और वैश्विक आपूर्ति पर निर्भरता को कम करने में मदद मिली।
  - त्वरित निविदा प्रक्रिया और गुणवत्ता आश्वासन प्रोटोकॉल की शुरुआत हुई।
  - कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को कम्प्यूटरीकृत मॉडलिंग द्वारा संचालित किया गया जिसने महामारी विज्ञान के रुझानों के आधार पर राज्यों के बीच ऑक्सीजन और गहन देखभाल इकाई आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद की।
  - सरकार की ई-खरीद साइट पर गुणवत्ता आश्वासित कोविड वस्तुओं को तेज़ी से स्थानांतरित करना, जिसने राज्यों को निविदा प्रक्रिया से गुजरे बिना प्रतिस्पर्द्धी कीमतों पर इन उत्पादों तक पहुँच शुरू करने में सक्षम बनाया।

भारत कोविड -19 खरीद: चुनौतियाँ, नवाचार और सबक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व बैंक ने "भारत कोविड -19 खरीद: चुनौतियाँ, नवाचार और सबक (India Covid-19 Procurement: Challenges, Innovations, and Lessons)" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार, भारत महामारी के प्रबंधन में विभिन्न चीजें हासिल करने में कामयाब रहा।

- यह रिपोर्ट कोविड महामारी के गंभीर प्रारंभिक चरण के दौरान आवश्यक चिकित्सा वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार द्वारा की गई पहलों पर करीब से नज़र डालती है।

प्रमुख बिंदु

- **वैश्विक:**
  - वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में उच्च रेटिंग वाले देशों सहित अधिकांश देशों की स्वास्थ्य प्रणालियों को महामारी से निपटने में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
  - असाधारण बाज़ार अनिश्चितताओं को दूर करने के लिये कई देशों ने आपातकालीन संदर्भ में प्रक्रियाओं को उत्तरदायी बनाने के लिये सार्वजनिक खरीद में नवाचारों की शुरुआत की।

- **भारतीय पहल:**
  - भारत ने देश भर में चिकित्सा आपूर्ति के कुशल वितरण का प्रबंधन किया, शुरुआती प्रतिबंध लगाए और आपात स्थिति के दौरान त्वरित खरीद निर्णय हेतु सशक्त अंतर-मंत्रालयी समूह भी बनाए।
  - भारत चार महीने की अवधि के भीतर तेज़ी से जो पहले केवल 18 थी से सीधे 2,500 से अधिक परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने में कामयाब रहा और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के लिये गंभीर चुनौतियों का सामना करने वाली भविष्य की महामारियों एवं स्वास्थ्य आपात स्थितियों का सामना करने हेतु तैयार हो गया।
  - भारत ने स्वदेशी चिकित्सा उपकरण उद्योग के विकास के लिये अनुकूल वातावरण भी तैयार किया।
  - कोविड -19 महामारी से पहले भारत ज़्यादातर वेंटिलेटर का आयात कर रहा था, हालाँकि कई नए लोगों सहित 25 निर्माता 'सीमित वित्तीय और बुनियादी ढाँचा क्षमता वाले वेंटिलेटर' का उत्पादन करने के लिये आगे आए।
  - सरकार ने वेंटिलेटर बनाने के लिये कई ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिकल निर्माण कंपनियों का उपयोग किया।
- **भारत में प्रमुख नवाचार:**
  - स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये पूरे सरकारी दृष्टिकोण को अपनाने से इकाई कीमतों और वैश्विक आपूर्ति पर निर्भरता को कम करने में मदद मिली।
  - त्वरित निविदा प्रक्रिया और गुणवत्ता आश्वासन प्रोटोकॉल की शुरुआत हुई।
  - कुशल आपूर्ति शृंखला प्रबंधन को कम्प्यूटरीकृत मॉडलिंग द्वारा संचालित किया गया जिसने महामारी विज्ञान के रुझानों के आधार पर राज्यों के बीच ऑक्सीजन और गहन देखभाल इकाई आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद की।
  - सरकार की ई-खरीद साइट पर गुणवत्ता आश्वासित कोविड वस्तुओं को तेज़ी से स्थानांतरित करना, जिसने राज्यों को निविदा प्रक्रिया से गुजरे बिना प्रतिस्पर्द्धी कीमतों पर इन उत्पादों तक पहुँच शुरू करने में सक्षम बनाया।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया कि वर्ष 2021-22 के दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) योजना के तहत 3 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY):

- **पृष्ठिभूमि:**
  - सरकार द्वारा वर्ष 2015 में कौशल भारत मिशन शुरू किया गया था, जिसके तहत प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) चलाई गई है।
  - इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक भारत में 40 करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करना है एवं समाज में बेहतर आजीविका और सम्मान के लिये भारतीय युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण व प्रमाणन प्रदान करना है।
  - कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा PMKVY का कार्यान्वयन किया गया है।
- **PMKVY 1.0:**
  - **प्रारंभ:** भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रमाणन योजना 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' 15 जुलाई, 2015 (विश्व युवा कौशल दिवस) को शुरू की गई थी।
  - **उद्देश्य:** युवाओं को मुफ्त लघु अवधि का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना एवं मौद्रिक पुरस्कार के माध्यम से कौशल विकास को प्रोत्साहित करना।
  - **मुख्य घटक:** लघु अवधि का प्रशिक्षण, विशेष परियोजनाएँ, पूर्व शिक्षण को मान्यता, कौशल और रोज़गार मेला आदि
  - **परिणाम:** वर्ष 2015-16 में 19.85 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया था।
- **PMKVY 2.0:**
  - **कवरेज:** PMKVY 2.0 को भारत सरकार के अन्य मिशनों जैसे- मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत आदि के साथ संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था।
  - **बजट:** 12,000 करोड़ रुपए।
  - **दो घटकों के माध्यम से कार्यान्वयन:**
    - केंद्र प्रायोजित केंद्र प्रबंधित (CSCM): यह घटक राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा लागू किया गया था। PMKVY, वर्ष 2016-20 की अवधि के वित्तपोषण का 75% और संबंधित भौतिक लक्ष्यों को CSCM के तहत आवंटित किया गया है।
    - केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित (Centrally Sponsored State Managed-CSSM): यह घटक राज्य सरकारों द्वारा राज्य कौशल विकास मिशनों (State Skill Development Missions-SSDMs) के माध्यम से लागू किया गया था। PMKVY के तहत वर्ष 2016-20 की अवधि के वित्तपोषण का 25% और संबंधित भौतिक लक्ष्यों को CSSM के तहत आवंटित किया गया है।

नोट :

- **परिणाम:** PMKVY 1.0 और PMKVY 2.0 के तहत देश में एक बेहतर मानकीकृत कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से 1.2 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित/रोज़गार उन्मुख बनाया गया है।

- **PMKVY 3.0:**
  - **कवरेज:** 717 ज़िलों, 28 राज्यों/आठ केंद्रशासित प्रदेशों में इसे लॉन्च किया गया। PMKVY 3.0 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक कदम है।
  - **कार्यान्वयन:** इसे राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और ज़िलों से अधिक ज़िम्मेदारियों और समर्थन के साथ अधिक विकेन्द्रीकृत संरचना में लागू किया जाएगा।
    - राज्य कौशल विकास मिशन (SSDM) के मार्गदर्शन में ज़िला कौशल समितियाँ (DSCs) ज़िला स्तर पर कौशल अंतराल को दूर करने और मांग का आकलन करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी।
  - **विशेषताएँ:**
    - इसमें 948.90 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2020-2021 की योजना अवधि में आठ लाख उम्मीदवारों के प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है।
    - यह प्रशिक्षुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा। नए युग और उद्योग 4.0 रोज़गार भूमिकाओं के क्षेत्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देकर मांग-आपूर्ति के अंतर को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
    - यह युवाओं के लिये उद्योग से जुड़े अवसरों का लाभ उठाने के लिये प्रारंभिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार करेगा।
    - राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 समग्र विकास और रोज़गार में वृद्धि के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी ध्यान केंद्रित करती है।
    - प्रशिक्षण के लिये 'बॉटम-अप' दृष्टिकोण अपनाते हुए यह उन रोज़गार भूमिकाओं की पहचान करेगा जिनकी स्थानीय स्तर पर मांग है और युवाओं को इन अवसरों (वोकल फॉर लोकल) से जोड़ते हुए उन्हें कौशल प्रदान करेगा।
    - यह बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध कराकर राज्यों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देगा।

LGBTQIA हेतु 'कन्वर्जन थेरेपी' पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने सभी राज्य चिकित्सा परिषदों को LGBTQIA+ समुदाय की रूपांतरण चिकित्सा या 'कन्वर्ज़न थेरेपी पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसे "व्यावसायिक कदाचार (Professional Misconduct)" कहा है।

- NMC ने मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए कहा कि भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 के तहत 'कन्वर्ज़न थेरेपी अवैध है।

LGBTQIA+:

- LGBTQAI+ लेस्बियन, गे, बाइसेक्शुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स और एसेक्सुअल तथा अन्य लोगों को संबोधित करता है। ये ऐसे लोग होते हैं जिनमें सीसजेंडर विषमलैंगिक "आदर्शों" की अनुपस्थिति होती है।
  - '+ ' का उपयोग उन सभी लैंगिक पहचानों और यौन अभिविन्यासों को दर्शाने के लिये किया जाता है जिनका अक्षर और शब्द अभी तक पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकते हैं।
- भारत में, LGBTQIA+ समुदाय में एक विशिष्ट सामाजिक समूह, एक विशिष्ट समुदाय थर्ड जेंडर भी शामिल है।
- उन्हें सांस्कृतिक रूप से या तो "न पुरुष, न ही महिला" या एक महिला की तरह व्यवहार करने वाले पुरुषों के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- वर्तमान में उन्हें थर्ड जेंडर भी कहा जाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 6 सितंबर, 2018 को धारा 377[1] को गैर-आपराधिक घोषित कर दिया, जिसमें समलैंगिक संबंधों को "अप्राकृतिक अपराध" कहा गया था।

'कन्वर्ज़न थेरेप चिकित्सा और संबद्ध जोखिम:

- कन्वर्ज़न थेरेपी एक हस्तक्षेप है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति की यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान को बदलना है जिसके लिये मनोवैज्ञानिक उपचार, ड्रग्स, ईविल सेरेमोनियल प्रैक्टिस और यहाँ तक कि हिंसा का भी उपयोग किया जाता है।
- इसमें उन युवाओं की मूल पहचान को बदलने के प्रयास शामिल हैं जिनकी लिंग पहचान उनके लिंग शरीर रचना के साथ असंगत है।
- अक्सर, इस मुद्दे से निपटने में बहुत कम विशेषज्ञता वाले नीम हकीमों द्वारा चिकित्सा की जाती है।
- अमेरिकन एकेडमी ऑफ चाइल्ड एंड अडोलेसेंट साइकियाट्री (AACAP) के अनुसार कन्वर्ज़न थेरेपी के तहत हस्तक्षेप झूठे आधार पर प्रदान किया जाता है कि समलैंगिकता और विविध लिंग पहचान रोगात्मक हैं।
- कन्वर्ज़न थेरेपी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों को पैदा करती है, जैसे चिंता, तनाव और नशीली दवाओं का उपयोग जो कभी-कभी आत्महत्या का कारण भी बनता है।

मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश:

- मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले ने LGBTQIA+ (लेस्बियन, गे, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स, अलैंगिक या किसी अन्य अभिविन्यास के) लोगों के यौन अभिविन्यास को चिकित्सकीय रूप से "ठीक करने" या जबरन बदलने के किसी भी प्रयास को प्रतिबंधित कर दिया है।
- इसने अधिकारियों से किसी भी रूप या कन्वर्ज़न थेरेपी के तरीके में खुद को शामिल करने वाले पेशेवरों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है।
- न्यायालय ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को एक आदेश दिया कि वह "एक पेशेवर कदाचार के रूप में 'कन्वर्ज़न थेरेपी' को सूचीबद्ध करके आवश्यक आधिकारिक अधिसूचना जारी करे।
- न्यायालय ने कहा कि समुदाय को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समन्वय से ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिये।
- एजेंसियों को ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 और ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 का अक्षरशः पालन करने के लिये कहते हुए न्यायालय ने कहा कि समुदाय एवं उसकी ज़रूरतों को समझने के लिये हर संभव प्रयास हेतु संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करना अनिवार्य है।

LGBTQIA+ की सुरक्षा हेतु निर्णय:

- **नाज़ फाउंडेशन बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (2009):**
  - दिल्ली उच्च न्यायालय ने वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक गतिविधियों को वैध बनाने वाली धारा 377 को रद्द कर दिया।
- **सुरेश कुमार कौशल केस (2013):**
  - उच्च न्यायालय (2009) के पिछले फैसले को यह तर्क देते हुए पलट दिया कि "यौन अल्पसंख्यकों की दुर्दशा" को कानून की संवैधानिकता तय करने के लिये तर्क के रूप मंव इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
- **न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017):**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निजता का मौलिक अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के लिये अंतर्निहित है और इस प्रकार यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। यह माना गया कि "यौन अभिविन्यास गोपनीयता का एक अनिवार्य गुण है"।
- **नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (वर्ष 2018):**
  - सुरेश कुमार कौशल मामले (2013) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को खारिज कर, समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया।
- **शफीन जहाँ बनाम अशोकन के.एम. और अन्य (वर्ष 2018):**
  - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि साथी या पार्टनर का चयन करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और यह साथी किसी भी जेंडर से संबंधित हो सकता है।
- **ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019:**
  - ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिये और उससे जुड़े एवं उसके आनुषंगिक मामलों के लिये यह अधिनियम लाया गया।
- **समलैंगिक विवाह:**
  - फरवरी 2021 में केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में समलैंगिक विवाह (Same Sex Marriage) का विरोध करते हुए कहा कि भारत में विवाह को तभी मान्यता दी जा सकती है जब बच्चा पैदा करने में सक्षम "जैविक पुरुष" और "जैविक महिला" के बीच विवाह हुआ हो।

आगे की राह:

- समुदाय की बेहतर समझ के लिये स्कूलों और कॉलेजों को पाठ्यक्रम में बदलाव करना चाहिये ।
  - वर्ष 2018 के अंत तक चिकित्सा पुस्तकों ने समलैंगिकता को "विकृति" के रूप में रेखांकित किया है। एक अलग यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान के लोग प्राय: भेदभाव, सामाजिक कलंक और बहिष्कार का सामना करते रहे हैं।
- शैक्षणिक संस्थानों और अन्य जगहों पर जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट अनिवार्य व्यवस्था होनी चाहिये।
- इस विषय पर माता-पिता को भी संवेदनशील होने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की शुरुआत सबसे पहले घर से ही होती है, जिसमें किशोरों को "कन्वर्ज़न थेरेपी " को चुनने के लिये बाध्य किया जाता है।
- सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी का विकल्प चुनने वाले वयस्कों को ऑपरेशन से पहले और बाद में थेरेपी जैसे उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है; जो की एक सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के लिये अवहनीय भी हो सकती है।

जेंडर स्नैपशॉट 2022

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र (UN) महिला और संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक तथा सामाजिक मामलों के विभाग (UN DESA) द्वारा "सतत् विकास लक्ष्यों पर प्रगति (SDG): द जेंडर स्नैपशॉट 2022" नामक रिपोर्ट जारी की गई।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

- रिपोर्ट में कहा गया है कि सतत् विकास लक्ष्य -5 (SDG-5) या लैंगिक समानता हासिल करना वर्ष 2030 तक प्रगति की मौजूदा गति से पूरा नहीं होगा।
- वर्ष 2022 के अंत तक 368 मिलियन पुरुषों और लड़कों की तुलना में लगभग 383 मिलियन महिलाएँ और लड़कियाँ अत्यधिक गरीबी (एक दिन में 1.90 अमेरिकी डॉलर से भी कम) में जी रही होंगी।
- प्रगति की मौजूदा दर पर पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में लगभग 300 वर्ष लगेंगे।
  - राष्ट्रीय संसद में महिलाओं का समान प्रतिनिधित्व हासिल करने में भी कम से कम 40 वर्ष लगेंगे।
- वर्ष 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने के लिये पिछले दशक की प्रगति की तुलना में अगले दशक की प्रगति 17 गुना तेज़ होनी चाहिये।
  - सबसे गरीब ग्रामीण परिवारों और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों की लड़कियों को सबसे ज़्यादा नुकसान होने की आशंका है।
- वर्ष 2021 में, युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 38% महिला-प्रधान परिवारों ने मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा जबकि 20% पुरुष-प्रधान परिवारों ने इसका अनुभव किया।
- वैश्विक स्तर पर महामारी के कारण वर्ष 2020 में महिलाओं की आय में अनुमानित 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ।
- वर्ष 2021 के अंत तक पहले से कहीं अधिक लगभग 44 मिलियन महिलाओं और लड़कियों को जबरन विस्थापित किया गया।
- 2 अरब से अधिक 15-49 प्रजनन आयु महिलाएँ और लड़कियाँ सुरक्षित गर्भपात तक पहुँच पर कुछ प्रतिबंधों वाले देशों और क्षेत्रों में रहती हैं।

चुनौतियाँ:

- COVID-19 महामारी और उसके बाद हिंसक संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और महिलाओं के यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकारों के खिलाफ प्रतिक्रिया जैसी वैश्विक चुनौतियाँ लैंगिक असमानताओं को और बढ़ा रही हैं।
- यूक्रेन पर आक्रमण और युद्ध, विशेष रूप से महिलाओं तथा बच्चों के बीच खाद्य सुरक्षा और भी बदतर होती जा रही है।
- दुनिया के अधिकांश हिस्सों में अभी भी कानूनी प्रणालियाँ सभी क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों की समान सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करती हैं जैसे कि विवाह और परिवार में महिलाओं के अधिकार को सीमित करना, काम पर असमान वेतन एवं लाभ तथा भूमि के स्वामित्व व नियंत्रण के असमान अधिकार आदि और दुर्भाग्य से यह आने वाली पीढ़ियों को सामना करना पड़ सकता है।

आगे की राह:

- आँकड़ों से पता चलता है कि आय, सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य में वैश्विक संकट से उनका जीवन बदतर हो गया है। हम इस प्रवृत्ति को ठीक करने में जितना अधिक समय लेंगे, उतना ही हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
  - लैंगिक समानता सभी सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये नींव है और यह बेहतर निर्माण के केंद्र में होना चाहिये।
- व्यापक वैश्विक संकट SDG की उपलब्धि को संकट में डाल रहे हैं, दुनिया के सबसे कमज़ोर जनसंख्या समूहों, विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों में असमान रूप से प्रभावित हुए हैं।
  - लैंगिक समानता एजेंडे में सहयोग, साझेदारी और निवेश, जिसमें वैश्विक एवं राष्ट्रीय वित्त पोषण में वृद्धि शामिल है, पाठ्यक्रम को सही करने तथा लैंगिक समानता को पटरी पर लाने के लिये आवश्यक है।

शराब की बोतलों को चूड़ियों में बदलेगा बिहार

चर्चा में क्यों?

बिहार अपने ग्रामीण आजीविका संवर्धन कार्यक्रम, जिसे जीविका के नाम से जाना जाता है, के माध्यम से ज़ब्त शराब की बोतलों से काँच की चूड़ियाँ बनाने की तैयारी कर रहा है।

- ये बोतलें जीविका कार्यकर्त्ताओं को दी जाएँगी, जिन्हें चूड़ी बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। कार्यक्रम इसके लिये एक कारखाना स्थापित करेगा।
- विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित, जीविका एक ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रम है जो बिहार के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत है।

नोट :

पहल की आर्थिक व्यवहार्यता:

- कुछ लोग ज़ब्त शराब की बोतलों से काँच की चूड़ियाँ बनाने के सरकार के नए "अभिनव" विचार की आर्थिक व्यवहार्यता के बारे में आशंकित हैं।
- यह एक अभिनव विचार की तरह लग सकता है लेकिन काँच की चूड़ियों को बनाने में चूना पत्थर और सोडा जैसी अन्य सामग्रियों का भी उपयोग किया जाता है।
- फैज़ाबाद, मुंबई और हैदराबाद जैसी जगहों पर कई छोटे और बड़े स्थापित कारखाने हैं जो काँच की चूड़ी बनाने वाले उत्पादों का लगभग 80% हिस्सा रखते हैं।
- ज़ब्त की गई अवैध शराब की बोतलें काँच की चूड़ी बनाने वाली फैक्ट्री की आर्थिक व्यवहार्यता को बनाए रखने के लिये पर्याप्त नहीं होंगी।

बिहार शराब निषेध और संबंधित मुद्दे:

- **परिचय:**
  - 5 अप्रैल 2016 को पेश किया गया बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 ने राज्य में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया।
  - मार्च 2022 में बिहार विधानसभा ने शराबबंदी अधिनियम में संशोधन करने वाला एक विधेयक पारित किया।
  - बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2022 में कहा गया कि शराब का सेवन करने वाले लोगों को अब एक मजिस्ट्रेट के समक्ष जुर्माना भरना होगा और उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा।
    - पटना उच्च न्यायालय द्वारा ज़िलों और उपखंडों में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में नामित अधिकारियों में न्यायिक शक्ति निहित होने के बारे में अपनी आपत्ति व्यक्त करने के बाद संशोधन अभी भी लागू होने की प्रतीक्षा कर रहा है।
- **मुद्दे:**
  - नतीजतन, गिरफ्तारी की पुरानी व्यवस्था जारी है, आबकारी विभाग के आँकड़ों से पता चलता है कि सिर्फ अगस्त 2022 में शराब कानूनों का उल्लंघन करने के लिये 30,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
  - शराब निषेध नीति कई विवादों का विषय रही है, उनमें से प्रमुख यह आरोप है कि इन कानून ने राज्य की न्यायिक प्रक्रियाओं को रोक दिया है।
  - बिहार में शराब कानून के उल्लंघन के कारण जेलों में कैदियों की संख्या बढ़ गई है, उल्लंघन के कारण बिहार की जेलों में लगभग 1.5 लाख लोग हैं।
    - उनमें से ज़्यादातर समाज के निचले और दलित वर्गों से संबंधित हैं जो जेल से बाहर निकलने के लिये जुर्माना नहीं दे सकते।

ऑपरेशन 'गियर बॉक्स'

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय (Directorate of Revenue Intelligence-DRI) ने हेरोइन की तस्करी को रोकने के लिये ऑपरेशन 'गियर बॉक्स' शुरू किया, जिसमें कोलकाता बंदरगाह से 39.5 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया गया।

- स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के तहत हेरोइन की जाँच की गई और उसे जब्त कर लिया गया।

ऑपरेशन 'गियर बॉक्स':

- गियर बॉक्स/कंटेनर में छिपाई गई दवाओं का पता लगाने के लिये ऑपरेशन गियर बॉक्स चलाया गया है।
- पुराने और उपयोग किये गए गियर बॉक्स को खोलने के बाद वहाँ से गियर को हटा दिया गया और उस जगह पर मादक पदार्थों से युक्त प्लास्टिक के पैकेट रखे गए तथा जाँच से बचने के लिये गियर बॉक्स को फिर से फिट कर दिया गया था।
  - ड्रग सिंडिकेट ने हेरोइन को छिपाने के लिये इस अनोखे तरीके का उपयोग किया है।
- इन पैकेटों को धातु के स्क्रैप के साथ अन्य धातु स्क्रैप के अंदर छिपाकर भेजा गया था, ताकि अधिकारियों का ध्यान इस पर न जाए।

भारत में ड्रग्स का सेवन:

- भारत के युवाओं में नशे की लत तेज़ी से फैल रही है।
  - भारत विश्व के दो सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों (एक तरफ 'गोल्डन ट्रायंगल' और दूसरी तरफ 'गोल्डन क्रिसेंट') के बीच स्थित है।
  - 'गोल्डन ट्रायंगल' क्षेत्र में थाईलैंड, म्याँमार, वियतनाम और लाओस शामिल हैं।
  - 'गोल्डन क्रिसेंट' क्षेत्र में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान शामिल हैं।

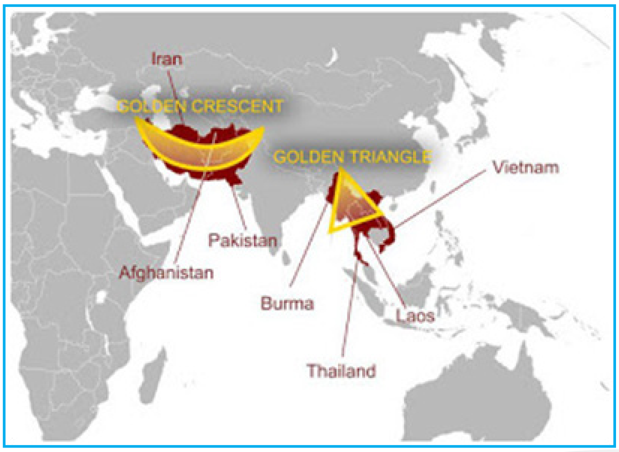

- वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भारत (विश्व में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्माता) में प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाओं और उनके अवयवों को मनोरंजक उपयोग के साधनों में तेज़ी से परिवर्तित किया जा रहा है।
- अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 'क्राइम इन इंडिया- 2020' रिपोर्ट के अनुसार, NDPS अधिनियम के तहत कुल 59,806 मामले दर्ज किये गए थे।
- सामाजिक न्याय मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की वर्ष 2019 में मादक द्रव्यों के सेवन की मात्रा पर जारी रिपोर्ट के अनुसार,
    - भारत में 3.1 करोड़ भाँग उपयोगकर्त्ता हैं (जिनमें से 25 लाख आश्रित उपयोगकर्त्ता थे)।
    - भारत में 2.3 करोड़ ओपिओइड उपयोगकर्त्ता हैं (जिनमें से 28 लाख आश्रित उपयोगकर्त्ता थे)।

अन्य संबंधित पहलें:

- जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली
- नेशनल ड्रग एब्यूज़ सर्वे
- NDPS अधिनियम, 1985
- नशा मुक्त भारत

नशीली दवाओं के खतरे का मुकाबला करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और सम्मेलन:

- भारत नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे से निपटने के लिये निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों का हस्ताक्षरकर्त्ता है:
    - नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र (UN) कन्वेंशन (1961)
    - मनोदैहिक पदार्थों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (1971)
    - नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (1988)
    - अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनटीओसी) 2000

प्रिलिम्स फैक्ट्स

साइबर सुरक्षा अभ्यास

हाल ही में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम - इंडिया (CERT-In) ने 'इंटरनेशनल काउंटर रैनसमवेयर इनिशिएटिव' के हिस्से के रूप में 13 देशों के साथ साइबर सुरक्षा अभ्यास "सिनर्जी" को सफलतापूर्वक डिज़ाइन और संचालित किया।

- यह अभ्यास 'इंटरनेशनल काउंटर रैनसमवेयर इनिशिएटिव-रेजिलिएशन वर्किंग ग्रुप' के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) के नेतृत्त्व में भारत कर रहा है।

CERT-In:

- कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम - इंडिया (CERT-In), भारतीय साइबर क्षेत्र को सुरक्षित करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का संगठन है।
- यह एक नोडल एजेंसी है जिसका कार्य हैकिंग और फ़िशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटना है।
- यह संगठन साइबर घटनाओं पर जानकारी को एकत्र करने, उसका विश्लेषण और प्रसार करता है, साथ ही साइबर सुरक्षा घटनाओं पर अलर्ट भी जारी करता है।
- CERT-In घटना निवारण और प्रतिक्रिया सेवाओं के साथ-साथ सुरक्षा गुणवत्ता प्रबंधन सेवाएँ भी प्रदान करता है।

सिनर्जी:

- **परिचय:**
  - सिनर्जी एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है, जिसे CERT-In द्वारा सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी (CSA) के सहयोग से सफलतापूर्वक डिज़ाइन और संचालित किया गया है।
  - यह अभ्यास परिदृश्य वास्तविक जीवन की साइबर घटनाओं से लिया गया था, जिसमें घरेलू स्तर की (सीमित प्रभाव वाली) रैनसमवेयर की एक घटना जटिल होकर वैश्विक साइबर सुरक्षा संकट का रूप ले लेती है।
  - प्रत्येक राज्य ने एक राष्ट्रीय संकट प्रबंधन टीम के रूप में भाग लिया, जिसमें राष्ट्रीय सीईआरटी/सीएसआईआरटी, कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए), संचार तथा आईटी/आईसीटी मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों के लोग शामिल थे।
- **उद्देश्य:**
  - रैनसमवेयर और जबरन वसूली के उद्देश्य से किये गए साइबर हमलों के खिलाफ सुदृढ़ नेटवर्क बनाने हेतु सदस्य-देशों के बीच विभिन्न रणनीतियों एवं कार्यप्रणालियों का आकलन व आदान-प्रदान करना और उन्हें बेहतर बनाना था।
- **थीम:**
  - "रैनसमवेयर हमलों से निपटने के लिये सुदृढ़ नेटवर्क बनाना"

रैंसमवेयर:

- रैंसमवेयर एक मैलवेयर है जिसे किसी उपयोगकर्ता या संगठन को उनके कंप्यूटर पर फ़ाइलों तक पहुंच से वंचित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इन फाइलों को एन्क्रिप्ट करके और डिक्रिप्शन कुंजी के लिये फिरौती भुगतान की मांग करके, साइबर हमलावर संगठनों को ऐसी स्थिति में रखते हैं जहाँ फिरौती का भुगतान करना उनकी फ़ाइलों तक पहुँच हासिल करने का सबसे आसान और सस्ता तरीका है।
- रैंसमवेयर पीड़ितों को फिरौती का भुगतान करने के लिये मजबूर करने हेतु कुछ वेरिएंट ने अतिरिक्त कार्यक्षमता को जोड़ा है - जैसे कि डेटा चोरी ।

साइबर सुरक्षा के लिये सरकार की पहल:

- साइबर सुरक्षित भारत पहल
- साइबर स्वच्छता केंद्र
- ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)
- राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC)
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020

अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस

हाल ही में दिल्ली स्थित गैर-लाभकारी 'वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया" (Wildlife Trust of India-WTI) ने कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के साथ मिलकर मंगलौर में 'व्हेल शार्क बचाव अभियान' (Save the Whale Shark Campaign) की शुरूआत की है।

- 30 अगस्त, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस के रूप मनाया गया, इस वर्ष का विषय "शार्क का भविष्य: हमारे समुद्र के संरक्षक" (The Future of Sharks: Guardians of Our Seas) है।

नोट :

व्हेल शार्क बचाव अभियान:

- इस अभियान को कर्नाटक, केरल के वन और मत्स्य विभाग एवं लक्षद्वीप प्रशासन के सहयोग से तटीय कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में संचालित किया जाएगा।
  - इसके अलावा इस अभियान का उद्देश्य मछली पकड़ने के जाल में व्हेल शार्क के फँसने एवं इससे होने वाली मौतों की घटना में कमी लाना और मछुआरों को व्हेल शार्क के बचाव हेतु जागरूक करना है।
  - इसी क्रम में व्हेल शार्क की पहचान और बचाव को रिकॉर्ड करने के लिये एक मोबाइल एप्लीकेशन का विकास किया गया है।

व्हेल शार्क से संबंधित प्रमुख बिंदु:

- **परिचय:**
  - व्हेल शार्क (राइनकोडोन टाइपस) पृथ्वी पर सबसे बड़ी मछली है और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में कीस्टोन प्रजाति है।
    - इसकी अधिकतम लंबाई लगभग 18 मीटर और वज़न 21 टन तक हो सकता है।
  - ये ओवोविविपेरस होती हैं, जिसका अर्थ है कि ये अंडे देने के बजाय बच्चों को जन्म देती हैं जो लगभग 10 वर्ष की उम्र में परिपक्वता स्थिति में पहुँचते हैं।
- **प्राकृतिक आवास:**
  - व्हेल शार्क विश्व के सभी उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाई जाती हैं, जो मछली, स्क्विड और अन्य छोटे जीवों को खाती हैं।
  - **भारत:**
    - व्हेल शार्क भारतीय तट पर समग्र रूप में पाई जाती है।
    - हालाँकि इन प्रजातियों की सबसे बड़ी संख्या गुजरात के तट पर देखी जा सकती है।
  - **अन्य क्षेत्र:**
    - WTI ने अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature- IUCN) के समर्थन से वर्ष 2012-13 के दौरान पश्चिमी तट (गुजरात को छोड़कर) पर एक सर्वेक्षण किया और पाया कि व्हेल शार्क की सबसे अधिक संख्या (गुजरात तट के बाद) लक्षद्वीप समुद्री तटों के पास देखी गई।
    - इसके अलावा व्हेल शार्क के तटों पर बहकर आने और जाल में फँसे होने की सूचना बड़े पैमाने पर केरल से प्राप्त होती है।
- **संरक्षण की स्थिति:**
  - **IUCN हरित स्थिति मूल्याङ्कन:** वृहद् स्तर पर समाप्ति की ओर।
  - **IUCN रेड लिस्ट:** लुप्तप्राय
  - **CITES:** परिशिष्ट II
  - **भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** अनुसूची-I
- **खतरे के प्रमुख कारण:**
  - **मछुआरों का जाल:**
    - इनके लिये मुख्य खतरा मछली पकड़ने के जाल में फँस जाना है।
    - अधिकांश मछुआरे जानते हैं कि उनके जाल में व्हेल शार्क फँस सकती हैं।
    - इसके बावजूद वे ग्रूपर, छोटी समुद्री मछलियों और झींगा आदि पकड़ने के लिये इन जालों का उपयोग करते हैं।
  - **समुद्र में प्लास्टिक का बढ़ता स्तर:**
    - महासागरों में प्लास्टिक कचरे का बढ़ता स्तर बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय समस्या है।
    - यह 'फिल्टर फीडिंग मेगाफौना' अपनी खाद्य रणनीतियों के कारण विशेष रूप से अतिसंवेदनशील है।
- **संरक्षण:**
  - इनकी मृत्यु दर पर अंकुश लगाने के लिये बिना किसी देरी के मछली पकड़ने के जाल में उलझी व्हेल शार्क की निकालना सुनिश्चित करना है।
    - इसके लिये प्राथमिक लक्ष्य समूह जो कि मछुआरे हैं, को व्हेल शार्क के प्रति संवेदनशील बनाने की ज़रूरत है।
- **पहल:**
  - WTI पिछले 20 वर्षों से गुजरात में एक परियोजना चला रहा है जिसके तहत मछुआरों ने अरब सागर में 852 व्हेल शार्क को छोड़ा है।
  - **लक्ष्य:**
    - इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य व्हेल शार्क को स्वैच्छिक रूप से छोड़कर मछली पकड़ने के जाल से होने वाली मौतों को कम करना तथा उन्मूलन करना है।

- यह पहल दो राज्यों और लक्षद्वीप द्वीप के साथ समुद्री मछुआरों को लक्षित करती है।

IUCN का हरित स्थिति मूल्यांकन (Green Status Assessment)

- IUCN हरित स्थिति मूल्यांकन, प्रजातियों को नौ प्रजातियों की पुनर्प्राप्त श्रेणियों में वर्गीकृत (Species Recovery Categories) करता है जो यह दर्शाता है कि किस हद तक प्रजातियाँ उनके ऐतिहासिक जनसंख्या स्तरों की तुलना में विलुप्त या पुनर्प्राप्त की गई हैं।
    - प्रत्येक हरित स्थिति मूल्यांकन प्रजाति पर पिछले संरक्षण प्रभाव को मापता है, जो प्रजाति के निरंतर संरक्षण पर निर्भर करता है कि अगले दस वर्षों में संरक्षण कार्रवाई से किसी प्रजाति को कितना लाभ होगा और अगली शताब्दी में इसमें कितना सुधार होने की संभावना है।

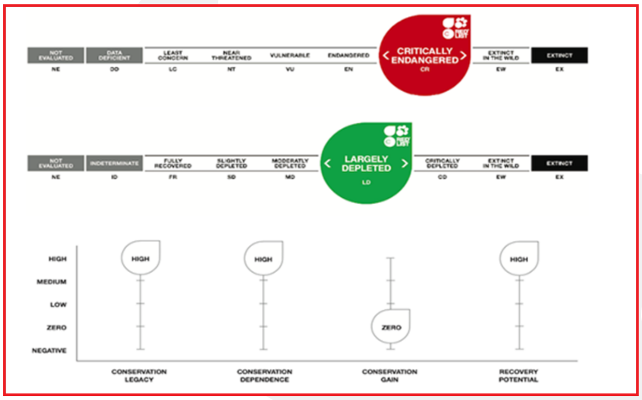

भारतीय नौसेना ध्वज

हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के पहले विमानवाहक पोत INS विक्रांत के प्रक्षेपण को चिह्नित करने हेतु कोच्चि में भारतीय नौसेना के नए पताका/ध्वज का अनावरण किया।

ध्वज़/पताका (Ensign)

- **परिचय:**
    - पताका राष्ट्रीय ध्वज है जो जहाज़ों और विमानों पर प्राय: सशस्त्र बलों की शाखा या इकाई के विशेष प्रतीक चिन्ह के साथ प्रदर्शित होता है।
- **भारतीय नौसेना का वर्तमान ध्वज:**
    - वर्तमान ध्वज के ऊपरी बाएँ कोने (कैंटन) में तिरंगे के साथ सेंट जॉर्ज क्रॉस मौजूद है।

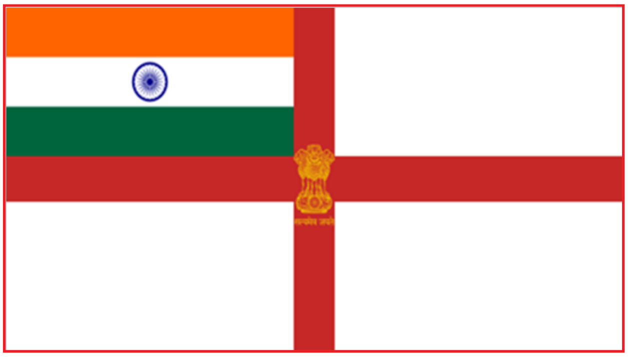

ध्वज बदलने की आवश्यकता:

- **लंबे समय से लंबित मांग:**
    - नौसेना के ध्वज में बदलाव की लंबे समय से मांग चल रही थी।
        - परिवर्तन के लिये मूल सुझाव वाइस एडमिरल वी.ई.सी. बारबोज़ा ने दिया था जो नौसेना से फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ पश्चिमी नौसेना कमान के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे।
- **औपनिवेशिक अतीत को बदलना:**
    - वर्तमान ध्वज अनिवार्य रूप से भारतीय नौसेना के स्वतंत्रता पूर्व ध्वज का उत्तराधिकारी है, जिसके ऊपरी बाएँ कोने पर यूनाइटेड किंगडम के यूनियन जैक के साथ सफेद पृष्ठभूमि पर रेड जॉर्ज क्रॉस था।
    - स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त, 1947 को भारतीय रक्षा बलों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक झंडे और बैज को जारी रखा तथा 26 जनवरी, 1950 को इसके स्वरूप/डिज़ाइन में बदलाव किया गया।
    - नौसेना के शिखा और ध्वज को बदल दिया गया था, लेकिन ध्वज में एकमात्र अंतर यह था कि यूनियन जैक चिह्न को तिरंगे से प्रतिस्थापित कर दिया गया और रेड जॉर्ज क्रॉस को जारी रखा गया।

नौसेना के ध्वज में किये गए परिवर्तन:

- नौसेना के ध्वज में परिवर्तन वर्ष 2001 में किया गया था जब रेड जॉर्ज क्रॉस को सफेद ध्वज के मध्य में नौसेना शिखा से बदल दिया गया था, जबकि शीर्ष में बाँए कोने पर तिरंगे का स्थान बरकरार रखा गया।
- इसके अलावा वर्ष 2004 में ध्वज को फिर से रेड जॉर्ज क्रॉस में बदल दिया गया था क्योंकि नए ध्वज में नौसेना के शिखर का नीला रंग आकाश और समुद्र दोनों की तरह प्रतीत हो रहा था।
    - ध्वज में एक नया परिवर्तन किया गया और रेड जॉर्ज क्रॉस के बीच में अब अशोक स्तंभ के सिंह को प्रतीक चिह्न के रूप में शामिल किया गया।

- वर्ष 2014 में एक और बदलाव किया गया, जब देवनागरी लिपि में अशोक स्तंभ के नीचे ध्वज पर 'सत्यमेव जयते' शब्द को अंकित किया गया।

सेंट जॉर्ज क्रॉस:

- **परिचय:**
  - एक सफेद पृष्ठभूमि पर रेड क्रॉस को सेंट जॉर्ज क्रॉस के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, इसका नाम एक ईसाई योद्धा के नाम पर रखा गया है, जो ईसाईयों के तृतीय धर्मयुद्ध में शामिल एक वीर योद्धा था।
  - यह क्रॉस इंग्लैंड के ध्वज के रूप में भी कार्य करता है जो यूनाइटेड किंगडम का एक घटक है।
    - इसे इंग्लैंड और लंदन शहर ने वर्ष 1190 में भूमध्य सागर में प्रवेश करने वाले अंग्रेजी जहाज़ों की पहचान करने के लिये अपनाया था।
    - अधिकांश राष्ट्रमंडल देशों ने अपनी स्वतंत्रता के समय रेड जॉर्ज क्रॉस को बरकरार रखा है, हालाँकि कई देशों ने वर्षों से अपने संबंधित नौसैनिकों पर रेड जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया है।
    - उनमें से प्रमुख हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और कनाडा।

वोस्तोक अभ्यास 2022

हाल ही में भारत चीन के साथ रूस में एक बहुपक्षीय रणनीतिक और कमान अभ्यास वोस्तोक- 2022 में शामिल हुआ।

वोस्तोक अभ्यास

- इसमें कई पूर्व सोवियत देशों, चीन, भारत, लाओस, मंगोलिया, निकारागुआ और सीरिया के सैनिक शामिल होंगे।
- भारतीय सेना का प्रतिनिधित्त्व 7/8 गोरखा राइफल्स के सैनिकों की टुकड़ी द्वारा किया गया था।
- इसका उद्देश्य अन्य भाग लेने वाले सैन्य दल और पर्यवेक्षकों के बीच संपर्क तथा समन्वय स्थापित करना है।
- वोस्तोक 2022 अभ्यास रूस के सुदूर पूर्व और जापान सागर में सेवन फायरिंग रेंज में आयोजित किया जाएगा और इसमें 50,000 से अधिक सैनिक तथा 5,000 से अधिक हथियार इकाइयाँ शामिल होंगी, जिसमें 140 विमान और 60 युद्धपोत शामिल हैं।
- भारतीय सेना की टुकड़ी व्यावहारिक पहलुओं को साझा करने और अभ्यास प्रक्रियाओं को व्यवहार में लाने और सामरिक अभ्यासों के माध्यम से नई तकनीक के अभ्यास समामेलन के लिये तत्पर है।

चीन और रूस के साथ भारत के अभ्यास

- **चीन:**
  - **अभ्यास हैंड-इन-हैंड:**
    - अभ्यास का उद्देश्य अर्ध शहरी इलाकों में संयुक्त योजना और आतंकवाद विरोधी अभियानों का संचालन करना है।
- **रूस:**
  - **अभ्यास इंद्रा:**
    - यह अभ्यास HIV आतंकी समूहों के खिलाफ एक संयुक्त बल द्वारा संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत आतंकवाद विरोधी अभियानों का संचालन करेगा।
    - इंद्र अभ्यास श्रृंखला वर्ष 2003 में शुरू हुई और दोनों देशों के बीच बारी-बारी से एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में आयोजित की गई।
    - हालाँकि, पहला संयुक्त त्रि-सेवा अभ्यास 2017 में आयोजित किया गया था।
  - **अभ्यास TSENTR:**
    - अभ्यास TSENTR, बड़े पैमाने पर अभ्यास की वार्षिक श्रृंखला और रूसी सशस्त्र बलों के वार्षिक प्रशिक्षण चक्र का हिस्सा है।
  - **अभ्यास ZAPAD 2021:**
    - यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसमें भारत, चीन, रूस और पाकिस्तान सहित 17 देश इसका हिस्सा हैं।
    - यह मुख्य रूप से आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन पर केंद्रित है।

क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर

कुछ राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश ने क्रि-मैक/Cri-MAC (Crime Multi Agency Centre) प्लेटफॉर्म पर एक भी अलर्ट अपलोड नहीं किया है।

- पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मिज़ोरम, मणिपुर, नगालैंड और सिक्किम एवं केंद्रशासित प्रदेश दादरा, नगर हवेली और दमन एवं दीव ने एक भी अलर्ट अपलोड नहीं किया है।
- दिल्ली, असम और हरियाणा ने पोर्टल पर सबसे ज़्यादा अलर्ट अपलोड किये हैं।

क्रि-मैक/Cri-MAC:

- क्रि-मैक को वर्ष 2020 में गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा लॉन्च किया गया था, जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा संचालित किया जाता है।
- इसे विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ अपराध और अपराधियों के बारे में जानकारी साझा करने एवं उनके बीच सूचना के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिये शुरू किया गया था।
- इसका उद्देश्य देश भर में अपराध की घटनाओं का जल्द पता लगाने और रोकथाम में मदद करना है।
- क्रि-मैक वास्तविक समय के आधार पर देश भर में मानव तस्करी सहित महत्त्वपूर्ण अपराधों के बारे में जानकारी के प्रसार की सुविधा प्रदान करता है और अंतर-राज्य समन्वय को सक्षम बनाता है।
- यह अवैध तस्करी के पीड़ितों का पता लगाने और उनकी पहचान करने के साथ-साथ अपराध की रोकथाम, पता लगाने एवं जाँच में भी मदद कर सकता है।

मानव तस्करी:

- **परिचय:**
  - मानव तस्करी के तहत किसी व्यक्ति से बलपूर्वक या दोषपूर्ण तरीके से कोई कार्य करवाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना या बंधक बनाकर रखना जैसे कृत्य आते हैं, इन तरीको में धमकी देना या अन्य प्रकार की जबरदस्ती भी शामिल है।
  - उत्पीडन में शारीरिक या यौन शोषण के अन्य रूप,बलात् श्रम या सेवाएँ,दास बनाना या जबरन शरीर के अंग निकलना आदि शामिल हैं।
- **भारत में प्रासंगिक कानून:**
  - अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम,1956 इस मुद्दे से निपटने के लिये प्रमुख कानून है।
  - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 (शोषण के खिलाफ अधिकार)।
  - आईपीसी में 25 धाराएँ, जैसे- 366A, 366B, 370 और 374।
  - किशोर न्याय अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम तथा बाल श्रम रोकथाम अधिनियम, बंधुआ श्रम (उन्मूलन) अधिनियम आदि।
- **मानव तस्करी से निपटने के भारत के प्रयास:**
  - जुलाई 2021 में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मानव तस्करी विरोधी विधेयक, व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास) विधेयक, 2021 का मसौदा जारी किया।
  - भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध (पलेर्मो कन्वेंशन) पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पुष्टि की है, जिसमें अन्य लोगों के बीच विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने और दंडित करने के लिये एक प्रोटोकॉल है।
  - भारत ने वेश्यावृत्ति के लिये महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने और उनका मुकाबला करने हेतु सार्क अभिसमय की पुष्टि की है।
  - मानव तस्करी के अपराध से निपटने के लिये राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न निर्णयों को संप्रेषित करने और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु गृह मंत्रालय (MHA) में वर्ष 2006 में एंटी-ट्रैफिकिंग नोडल सेल/प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी।
  - न्यायिक संगोष्ठी: निचली अदालत के न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाने के लिये मानव तस्करी पर न्यायिक संगोष्ठी उच्च न्यायालय स्तर पर आयोजित की जाती है।
  - "स्वाधार गृह योजना", "सखी", "महिला हेल्पलाइन का सार्वभौमिकरण" जैसी विभिन्न पहलें हिंसा से प्रभावित महिलाओं की चिंताओं को दूर करने के लिये सहायक संस्थागत ढाँचे और तंत्र प्रदान करती हैं।

स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज़

हाल ही में कनाडा की एक छात्रा एनाबेले एम. रेसन को हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन (Algae Blooms) के उपचार और रोकथाम के तरीके पर उनके शोध के लिये वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज़ प्रदान किया गया।

- हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन (HAB) शैवालों की अनियंत्रित वृद्धि को संदर्भित करता है जिससे जीवों यथा मछली, शीप, समुद्री स्तनधारियों और पक्षियों पर विषाक्त या हानिकारक प्रभाव पैदा होता है।

स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज़:

- **परिचय:**
  - स्टॉकहोम जूनियर वाटर एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है जहाँ 15 से 20 वर्ष की आयु के छात्र प्रमुख जल चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करते हैं।
  - यह वर्ष 1997 से प्रत्येक वर्ष स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा एक अमेरिकी जल प्रौद्योगिकी प्रदाता जाइलम (Xylem) के साथ आयोजित किया जाता है।
  - यह पुरस्कार विश्व जल सप्ताह का लोकप्रिय हिस्सा है।
- **अन्य पुरस्कार:**
  - **उत्कृष्टता का डिप्लोमा:**
    - यह पुरस्कार ब्राज़ील के लौरा नेडेल ड्रेब्स और केमिली परेरा डॉस सैंटोस को पीरियड पावर्टी, सैनिटरी पैड की अनुपलब्धता के मुद्दे को संबोधित करने तथा उनके विकास कार्य के लिये दिया गया था।
  - **पीपुल्स च्वाइस अवार्ड:**
    - पीपुल्स च्वाइस अवार्ड संयुक्त अरब अमीरात के मिशाल फ़राज़ को एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने और जल सुरक्षा को बढ़ावा देने के वाटर बॉटल प्रोजेक्ट के लिये दिया गया।

स्मार्ट समाधान चुनौती और समावेशी शहर पुरस्कार 2022

हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्मार्ट समाधान चुनौती और समावेशी शहर पुरस्कार, 2022 (Smart Solutions Challenge and Inclusive Cities Awards 2022) प्रदान किये गए।

आयोजन की मुख्य विशेषताएँ:

- प्रारंभिक चरण के नवाचारों की श्रेणी में, विजेता एक 'वियरेबल' प्रौद्योगिकी उत्पाद, फिफ्थ सेंस बाय ग्लोवाट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड था।
  - यह उत्पाद सेंसर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके सांकेतिक भाषा के इशारों को भाषण और पाठ में अनुवाद करता है।
- बाज़ार के लिये तैयार समाधानों की दूसरी श्रेणी में 'माउसवेयर बाय डेक्सट्रोवेयर डिवाइसेज प्राइवेट लिमिटेड' विजेता रहा।
  - माउसवेयर एक हेड-वियरेबल डिवाइस है जो कंप्यूटर और स्मार्ट गैजेट्स को हैंड्स-फ्री कंट्रोल करने में सक्षम बनाता है।
- विकलांग लोगों के लिये शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच स्थापित करने हेतु बेलगावी स्मार्ट सिटी प्रणाली को कार्यान्वित समाधानों की श्रेणी में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

पुरस्कारों के बारे में:

- **परिचय:**
  - स्मार्ट समाधान चुनौती भारत में शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान (NIUA) और संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक पहल है।
  - शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान और संयुक्त राष्ट्र भारत में नवीन विचारों, समाधानों, प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और व्यावसायिक समाधानों की तलाश कर रहे हैं जो विकलांग व्यक्तियों, महिलाओं, लड़कियों और बुज़ुर्गों के सामने आने वाली शहरी स्तर पर समावेशन और पहुँच संबंधी चुनौतियों का समाधान करने में मदद कर सकते हैं।
- **महत्त्व:**
  - ये समाधान सार्वभौमिक डिज़ाइन को एकीकृत करने में सहायक होंगे जो वंचित समुदायों के लिये सुरक्षित, समावेशी, सुलभ सार्वजनिक स्थान सुनिश्चित करने के सतत् विकास लक्ष्य 11.7 को प्राप्त करने में मदद करेंगे।

शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान (NIUA):

- NIUA शहरी विकास और प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं सूचना के प्रसार के लिये एक संस्थान है। यह नई दिल्ली, भारत में स्थित है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1976 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी।
- यह संस्थान आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सरकारों, शहरी और क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों तथा शहरी मुद्दों से संबंधित अन्य एजेंसियों द्वारा समर्थित है।

शहरी विकास से संबंधित अन्य पहलें:

- कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन- अमृत मिशन (AMRUT)
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U)
- एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (ICCCs)
- क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0
- इंडिया स्मार्ट सिटीज़ फेलोशिप प्रोग्राम
- ट्यूलिप- द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम

उइगर अधिकारों का हनन

हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, चीन उइगरों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन कर रहा है जो मानवता के खिलाफ अपराध है।

प्रमुख बिंदु

- **उइगरों का उत्पीड़न:**
  - रिपोर्ट में चीन पर अल्पसंख्यक समूहों के दस लाख या उससे अधिक लोगों को हिरासत शिविरों में ले जाने का आरोप लगाया गया है, जहाँ कई लोगों ने कहा है कि उन्हें प्रताड़ित एवं उनका यौन उत्पीड़न किया गया, साथ ही उनकी भाषा और धर्म को छोड़ने के लिये मज़बूर किया गया।
  - **क्रूर अभियान:**
    - शिनजियांग के सुदूर पश्चिमी प्रांत में चीन चरमपंथ के खिलाफ क्रूर अभियान चल रहा है जिसमें कठोर जन्म नियंत्रण नीतियाँ और लोगों के आंदोलन पर सभी तरह के प्रतिबंध भी शामिल हैं।
- **स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय निकाय की स्थापना:**
  - मानवाधिकार समूहों ने आरोपों की जाँच के लिये स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय निकाय स्थापित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिये नए सिरे से आह्वान किया।

उइगर मुस्लिम

- उइगर मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक तुर्क जातीय समूह हैं, जिनकी उत्पत्ति मध्य एवं पूर्वी एशिया से मानी जाती है।
  - उइगर अपनी स्वयं की भाषा बोलते हैं, जो कि काफी हद तक तुर्की भाषा के समान है और उइगर स्वयं को सांस्कृतिक एवं जातीय रूप से मध्य एशियाई देशों के करीब पाते हैं।
- उइगर मुस्लिमों को चीन में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त 55 जातीय अल्पसंख्यक समुदायों में से एक माना जाता है।
- हालाँकि चीन उइगर मुस्लिमों को केवल एक क्षेत्रीय अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता देता है और यह अस्वीकार करता है कि वे स्वदेशी समूह हैं।
- वर्तमान में उइगर जातीय समुदाय की सबसे बड़ी आबादी चीन के शिनजियांग क्षेत्र में रहती है।
  - उइगर मुस्लिमों की एक महत्त्वपूर्ण आबादी पड़ोसी मध्य एशियाई देशों जैसे- उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान और कज़ाखस्तान में भी रहती है।
  - शिनजियांग तकनीकी रूप से चीन के भीतर एक स्वायत्त क्षेत्र है और यह क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है तथा भारत, पाकिस्तान, रूस और अफगानिस्तान सहित आठ देशों के साथ सीमा साझा करता है।

एकीकृत मेट्रो कानून की आवश्यकता

हाल ही में आवास और शहरी मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने देश के सभी मेट्रो रेल नेटवर्कों के लिये एकल और व्यापक कानून की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है और मौजूदा तीन केंद्रीय अधिनियमों का विरोध किया है।

- सभी मेट्रो रेल परियोजनाएँ मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों) अधिनियम, 1978, मेट्रो रेलवे (संचालन और रखरखाव) अधिनियम, 2002 और रेलवे अधिनियम, 1989 के कानूनी ढाँचे के अंतर्गत आती हैं।

पैनल द्वारा उजागर प्रमुख मुद्दे:

- दिल्ली और मुंबई को छोड़कर सभी महानगरों में यात्रियों की संख्या कम है।
- जिससे परियोजनाओं में लाभ अर्जन की स्थिति (Breaking Even Point) प्राप्त करने में देरी हो रही है।
- छह से सात वर्ष के निरंतर संचालन के बाद भी कुछ चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं, जैसे:
  - दोषपूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Faulty Detailed Project Report-DPRs)
  - प्रथम बिंदु से अंतिम बिंदु तक कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु उचित योजना का अभाव,
  - मेट्रो और रेलवे स्टेशनों पर पार्किंग की व्यवस्था,
  - जलग्रहण क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता आदि।

पैनल की सिफारिशें:

- पारंपरिक मेट्रो प्रणालियों के बजाय कम सवारियों वाले छोटे शहरों में अल्प पूंजी-गहन मेट्रोनियो (MetroNeo) और मेट्रोलाइट (MetroLite) नेटवर्क के उपयोग की आवश्यकता है।
  - मेट्रोनियो टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिये निम्न लागत, ऊर्जा कुशल और पर्यावरण के अनुकूल शहरी परिवहन समाधान प्रदान करने वाली एक विशाल रैपिड ट्रांज़िट प्रणाली है।
  - मेट्रोलाइट प्रणाली के साथ सड़क यातायात को पृथक करने के लिये एक समर्पित पथ का निर्माण होगा,
    - सड़क यातायात के साथ पृथक्करण के लिये, पथ के दोनों ओर बाड़ लगाई जा सकती है।
- इसके अलावा कोच्चि जल मेट्रो परियोजना को भारी उद्योग मंत्रालय की फेम-II योजना के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिये क्योंकि यह बैटरी से चलने वाली नावों का उपयोग करके परिवहन क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त करने का एक उचित माध्यम होगा।

लद्दाख में डार्क स्काई रिज़र्व

हाल ही में अपनी तरह की विशिष्ट एवं भारत के पहले डार्क स्काई रिज़र्व की विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा हानले, लद्दाख में स्थापना की घोषणा की है।

डार्क स्काई रिज़र्व

- डार्क स्काई रिज़र्व एक ऐसे स्थान को दिया गया नाम है जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिये नीतियाँ हैं कि किसी भूमि या क्षेत्र के एक पथ में न्यूनतम कृत्रिम प्रकाश बाधाएँ होती है।
- इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन अमेरिका आधारित गैर-लाभकारी संस्था है जो स्थानों को अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई प्लेस पार्क, रिज़र्व और संरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित करती है, जो उनके द्वारा दिये गए मानदंडों पर निर्भर करती है।

लद्दाख में डार्क रिज़र्व की प्रमुख विशेषताएँ:

- **डार्क रिज़र्व की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन:** केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC), लेह और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIA), बेंगलुरु के बीच तीन-तरफा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए, जो दूरबीनों का उपयोग और रखरखाव करता है।
  - इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप के माध्यम से स्थानीय पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करने के लिये गतिविधियाँ होंगी।
- **पर्यटन को बढ़ावा:** एस्ट्रो-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये हानले के आसपास के गाँवों को टेलिस्कोप से लैस होमस्टे को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसका उपयोग आगंतुक रात के आकाश को देखने के लिये कर सकते हैं।
  - ग्रामीणों और निवासियों को खगोलीय अवलोकन के साथ आगंतुकों की मदद करने के लिये भी प्रशिक्षित किया जाएगा।
    - सड़कों पर चित्रांकनकर्त्ता होंगे जैसे बाहरी वेधशालाओं में होता है। पर्यटक आ सकते हैं, पार्क कर सकते हैं, आकाश को देख सकते हैं और होमस्टे में रह सकते हैं।
- **वन्यजीव जागरूकता:** लोगों को न केवल खगोल विज्ञान के बारे में बल्कि आसपास के चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य में वन्यजीवों और पौधों के जीवन के बारे में सूचित करने के लिये सुचना केंद्र भी स्थापित किया जाएगा।

डार्क रिज़र्व की स्थापना हेतु लद्दाख का चयन करने के प्रमुख कारण :

- **विरल जनसंख्या वाला शीत मरुस्थल:** भारतीय खगोलीय वेधशाला, IIA का उच्च-ऊँचाई वाला स्टेशन, पश्चिमी हिमालय के उत्तर में समुद्र तल से 4,500 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है।
  - चांगथांग की हानले घाटी में नीलमखुल मैदान में सरस्वती पर्वत के ऊपर स्थित, यह एक शुष्क एवं शीत रेगिस्तान (Cold Desert है, जहाँ विरल मानव आबादी है और इसके सबसे निकट हानले मठ है।
- **स्वच्छ आकाश:** बादल रहित आकाश और निम्न वायुमंडलीय जल वाष्प इसे ऑप्टिकल, इन्फ्रारेड, सब-मिलीमीटर और मिलीमीटर तरंग दैर्ध्य के लिये यह विश्व के सबसे अनुकूल स्थानों में से एक है।
- **हानले वेधशाला में स्थित अन्य टेलीस्कोप:** हिमालय चंद्र टेलीस्कोप (HCT), हाई एनर्जी गामा रे टेलीस्कोप (HAGAR), मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप (MACE) और ग्रोथ (GROWTH)-इंडिया हानले वेधशाला में स्थित प्रमुख टेलीस्कोप हैं।

हैदराबाद मुक्ति दिवस

तेलंगाना सरकार और केंद्र सरकार 17 सितंबर, 2022 को हैदराबाद की मुक्ति के 75 वर्ष पूर्ण होने का आयोजन मनाएँगे, जो निज़ाम शासन के तहत भारतीय संघ के साथ तत्कालीन हैदराबाद राज्य के विलय को दर्शाता है।

हैदराबाद रियासत के भारत में एकीकरण का इतिहास:

- हैदराबाद भारत के सबसे बड़े मूल निवासी/रियासतों में से एक था। यह निजाम द्वारा शासित था जिन्होंने ब्रिटिश संप्रभु की सर्वोच्चता को स्वीकार किया था।
- जूनागढ़ के नवाब और कश्मीर के शासक की तरह हैदराबाद के निज़ाम भारत को आज़ादी यानी 15 अगस्त, 1947 से पूर्व भारत में शामिल नहीं हुए थे।
- उन्हें पाकिस्तान और मुस्लिम मूल के नेताओं द्वारा एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में अपना अस्तित्व बनाये रखने और एकीकरण का विरोध करने के लिये अपने सशस्त्र बलों में सुधार करने के लिये प्रोत्साहित किया गया था।
- इस सैन्य सुधार के दौरान, हैदराबाद राज्य में आंतरिक अराजकता का उदय हुआ, जिसके कारण 13 सितंबर, 1948 को भारतीय सेना को 'ऑपरेशन पोलो' (हैदराबाद को भारत संघ में मिलाने के लिये सैन्य अभियान) के तहत हैदराबाद भेजा गया था, क्योंकि हैदराबाद में कानून-व्यवस्था की स्थिति ने दक्षिण भारत की शांति के लिये खतरा पैदा कर दिया।
  - सैनिकों को रज़ाकारों (एकीकरण का विरोध करने वाले निजी मिलिशिया) के हल्के-फुल्के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और 13-18 सितंबर के मध्य सेना ने राज्य पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया।

- ऑपरेशन के कारण बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें 27,000-40,000 लोगों की मौत का अनुमान लगाया गया था, जिसमें 200,000 या उससे अधिक के विद्वान थे।
- एकीकरण के बाद निज़ाम को वही दर्जा प्रदान किया गया था, जो भारत के साथ विलय करने वाले अन्य राजाओं को प्राप्त था ।
- पकिस्तान द्वारा इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र में की गई शिकायतों को भी अस्वीकार कर दिया गया और पाकिस्तान के ज़ोरदार विरोध तथा अन्य देशों की कड़ी आलोचना के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस मामले में आगे हस्तक्षेप नहीं किया, अंतत: हैदराबाद का भारत में विलय हो गया।

इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलेरेटर: ISRO

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलेरेटर (Inflatable Aerodynamic Decelerator-IAD) तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो स्पेंट स्टेज रिकवरी में आने वाली लागत को प्रभावी रूप से कम कर सकता है और अन्य ग्रहों पर सुरक्षित रूप से पेलोड लैंडिंग में सहायता कर सकता है।

इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलेरेटर (IAD):

- IAD का ISRO के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (Vikram Sarabhai Space Centre- VSSC) द्वारा डिज़ाइन, विकसित और सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है।
- IAD का थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से रोहिणी-300 (RH300 Mk II) साउंडिंग रॉकेट में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था।
  - रोहिणी साउंडिंग राकेटों का उपयोग ISRO द्वारा विकसित की जा रही नई प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ भारत और विदेशों के वैज्ञानिकों द्वारा उड़ान प्रदर्शन के लिये नियमित रूप से किया जाता है।
- IAD वातावरण के माध्यम से नीचे गिरने वाली वस्तु की गति को धीमा करने का कार्य करता है।
- IAD को शुरू में मोड़कर रॉकेट के 'पेलोड बे' के अंदर रखा गया। लगभग 84 किमी. की ऊँचाई पर IAD में गैस भरी गई और यह एक साउंडिंग रॉकेट के पेलोड भाग के साथ वायुमंडल के माध्यम से नीचे उतरा।
- IAD ने वायुगतिकीय ड्रैग के माध्यम से पेलोड के वेग को व्यवस्थित रूप से कम कर दिया है और अनुमानित प्रक्षेपवक्र का पालन किया है।
  - किसी वस्तु पर लगने वाला बल जो द्रव के माध्यम से अपनी गति का विरोध करता है, ड्रैग कहलाता है। जब द्रव वायु के समान गैस होता है, तो इसे वायुगतिकीय ड्रैग या वायु प्रतिरोध कहा जाता है।
- **महत्त्व:**
  - IAD में विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष अनुप्रयोगों, जैसे- रॉकेट के समाप्त चरणों की रिकवरी, मंगल या शुक्र पर पेलोड लैंडिंग के लिये और मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिये अंतरिक्ष आवास बनाने में भारी संभावनाएँ है।

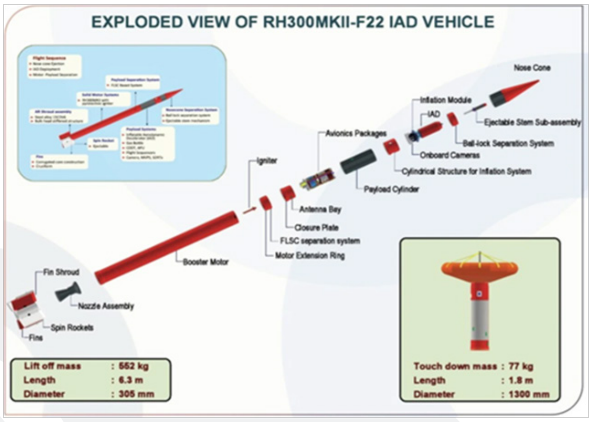

साइबर सुरक्षित भारत

हाल ही में राष्ट्रीय ई-शासन प्रभाग (National e-Governance Division-NeGD) ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (Indian Institute of Public Administration-IIPA), नई दिल्ली में 30वें मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (Chief Information Security Officers-CISO) डीप-डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

साइबर सुरक्षित भारत पहल:

- **परिचय:**
  - साइबर सुरक्षित भारत पहल की संकल्पना साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने और सभी सरकारी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (CISOs) एवं अग्रिम पंक्ति के सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारियों की क्षमता निर्माण के मिशन के साथ की गई थी।
  - इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology-MeitY) द्वारा वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था।
  - CISO प्रशिक्षण सार्वजनिक निजी भागीदारी (Public Private Partnership-PPP) मॉडल के तहत सरकार और उद्योग संघ के मध्य इस प्रकार की प्रथम साझेदारी है।
- **लक्षित प्रतिभागी:**
  - **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों, पुलिस एवं**

सुरक्षा बलों के तकनीकी शाखाओं सहित केंद्र तथा राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों और अधीनस्थ एजेंसियों/सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारी:

- नामित मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (CISOs),
- CTOs और तकनीकी / PMU टीमों के सदस्य, अपने संबंधित संगठन में सूचना प्रौद्योगिक प्रणाली की सुरक्षा का निरीक्षण करने के लिये ज़िम्मेदार अधिकारी।

- **प्रशिक्षण:**
  - NeGD, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक शाखा, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था में सहायता प्रदान करेगी, जबकि उद्योग संघ, प्रशिक्षण के लिये तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
  - उद्योग के प्रशिक्षण भागीदार माइक्रोसॉफ्ट (Micro-soft), आईबीएम (IBM), इंटेल (Intel), पालो (Palo),ऑल्टो नेटवर्क (Alto Networks), ईवाई (E&Y) और Dell-EMC हैं। NIC, CERT-In और CDAC सरकार की ओर से ज्ञान भागीदार हैं।

- **उद्देश्य:**
  - इसका उद्देश्य CISOs को साइबर हमलों को व्यापक रूप से और पूरी तरह से समझने के लिये शिक्षित और सक्षम करना, सुरक्षा की नवीनतम तकनीकों में आवश्यक प्रभावों के बारे जानकारी प्राप्त करना एवं व्यक्तिगत संगठनों और नागरिकों को बड़े पैमाने पर एक लचीली ई-बुनियादी ढाँचे के लाभों का अनुवाद करना है।
  - साइबर खतरों के उभरते परिदृश्य पर जागरूकता का विस्तार करना।
  - संबंधित समाधानों की गहन समझ विकसित करना।
  - साइबर सुरक्षा से संबंधित लागू ढाँचे, दिशानिर्देश और नीतियाँ बनाना।
  - सफलता और असफलताओं से सीखने के लिये सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना।
  - अपने संबंधित कार्यात्मक क्षेत्र में साइबर सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर सूचित निर्णय लेने के लिये महत्त्वपूर्ण इनपुट प्रदान करना।

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की नई शाखाएँ

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) की शाखाओं की आधारशिला रखी।

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC):

- **परिचय**
  - राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (National Centre for Disease Control- NCDC) को पूर्व में राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (National Institute of Communicable Diseases- NICD) के रूप में जाना जाता था। इसकी स्थापना वर्ष 1909 में हिमाचल प्रदेश के कसौली (Kasauli) में केंद्रीय मलेरिया ब्यूरो (Central Malaria Bureau) के रूप में की गई थी।
  - NICD को वर्ष 2009 में पनप चुके एवं फिर से पनप रहे रोगों को नियंत्रित करने के लिये राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में तब्दील कर दिया गया था।
  - NCDC भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक (Director General of Health Services) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
- **कार्य:** यह देश में रोग निगरानी के लिये नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है जिससे संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण में सुविधा होती है।
  - राज्य सरकारों के साथ समन्वय में NCDC के पास रोग निगरानी, प्रकोप जाँच और प्रकोपों को रोकने एवं मुकाबला करने के लिये त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता और योग्यता है।
- **सेवाएँ:** व्यक्तियों, समुदायों, मेडिकल कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों एवं

लीजियोनेयर्स रोग

हाल ही में अर्जेंटीना में एक रहस्यमय निमोनिया के प्रकोप की पहचान लीजियोनेयर्स के रूप में की गई है।

लीजियोनेयर्स:

- **परिचय:**
  - लीजियोनेयर्स एक निमोनिया जैसी बीमारी है जो हल्के बुखार से लेकर गंभीर और कभी-कभी घातक निमोनिया के रूप में गंभीरता में, भिन्न होती है।
  - प्रेरक एजेंट पानी या पॉटिंग मिक्सर से लीजियोनेला बैक्टीरिया हैं।
- **लक्षण:**
  - इसमें बुखार, माँसपेशियों और पेट में दर्द तथा साँस लेने में तकलीफ शामिल है।
- **प्रसार:**
  - यह रोग आमतौर पर दूषित जल से दूषित एरोसोल के साँस लेने

से फैलता है, जो एयर कंडीशनिंग कूलिंग टावर्स, एयर कंडीशनिंग और औद्योगिक कूलिंग से जुड़े वाष्पीकरणीय कंडेनसर, गर्म तथा ठंडे जल की व्यवस्था, ह्यूमिडिफायर और व्हर्लपूल स्पा से बढ़ता है।

- **संवेदनशील जनसंख्या:**
  - जिन लोगों को उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, श्वसन संबंधी समस्याएँ, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ (COPD) जैसी सह-रुग्णताएँ हैं, या जो धूम्रपान जैसी खराब आदतों का पालन करते हैं, उनमें इस स्थिति का खतरा अधिक होता है।
- **उपचार:**
  - लेकिन वर्तमान में लीजियोनेयर्स रोग के लिये उपचार मौजूद हैं लेकिन कोई टीका उपलब्ध नहीं है।
  - लीजियोनेयर्स रोग के रोगियों को निदान के बाद हमेशा एंटीबायोटिक उपचार की आवश्यकता होती है।
  - लीजियोनेलोसिस द्वारा उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को सुरक्षा या जल प्रणाली सुरक्षा के निर्माण के लिये ज़िम्मेदार अधिकारियों द्वारा जल सुरक्षा योजनाओं को लागू करके संबोधित किया जा सकता है।

मानव विकास रिपोर्ट 2021-22

मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार मानव विकास सूचकांक (HDI) में भारत की रैंक वर्ष 2020 के 130 से घटकर वर्ष 2022 में 132 हो गई है, जो कि कोविड -19 महामारी के मद्देनजर HDI स्कोर में वैश्विक गिरावट के अनुरूप है।

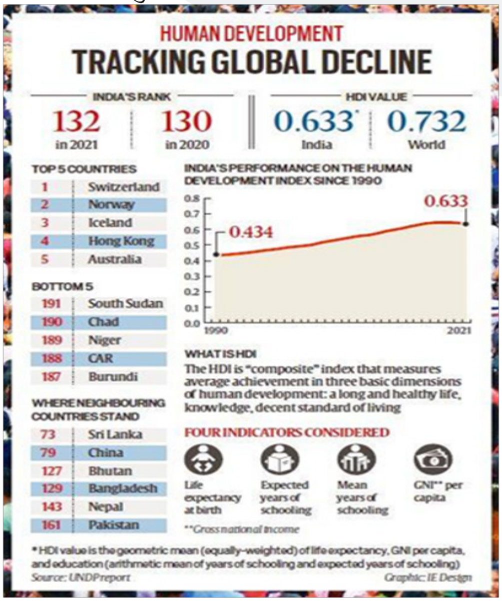

मानव विकास रिपोर्ट:

- **परिचय:**
  - मानव विकास रिपोर्ट (HDR) वर्ष 1990 से जारी की जाती हैं जिसने मानव विकास दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न विषयों का पता लगाया है।
  - यह मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा प्रकाशित की जाती है।
- **लक्ष्य:** इसका लक्ष्य अवसरों, विकल्पों और स्वतंत्रता के विस्तार में योगदान करना है।
- **थीम:** मानव विकास रिपोर्ट, 2021-22 की थीम "अनिश्चित समय, अनसुलझा जीवन: परिवर्तन में एक दुनिया में हमारे भविष्य को आकार देना" (Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping our Future in a World in Transformation) है।

मानव विकास सूचकांक:

- HDI एक समग्र सूचकांक है जो चार संकेतकों को ध्यान में रखते हुए मानव विकास में औसत उपलब्धि को मापता है:
  - जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (सतत् विकास लक्ष्य 3),
  - स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष (सतत् विकास लक्ष्य 4.3),
  - स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष (सतत् विकास लक्ष्य 4.4),
  - सकल राष्ट्रीय आय-GNI) (सतत् विकास लक्ष्य 8.5)।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:

- **वैश्विक:**
  - 90% देशों ने वर्ष 2020 या वर्ष 2021 में अपने मानव विकास सूचकांक मूल्य में कमी दर्ज की है, जो सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति को उलट देता है।
  - **जीवन प्रत्याशा में गिरावट:** मानव विकास सूचकांक की गिरावट में एक बड़ा योगदान जीवन प्रत्याशा में वैश्विक गिरावट है, जो वर्ष 2019 के 72.8 वर्ष से घटकर वर्ष 2021 में 71.4 वर्ष हो गया है।
- **भारतीय परिप्रेक्ष्य:**
  - **मानव विकास सूचकांक:** भारत का HDI मूल्य वर्ष 2021 में 0.633 था, जो विश्व औसत 0.732 से कम था। वर्ष 2020 में भी, भारत ने वर्ष 2019 के पूर्व-कोविड स्तर (0.645) की तुलना में अपने HDI मूल्य (0.642) में गिरावट दर्ज की।
  - **जीवन प्रत्याशा:** वर्ष 2021 में जन्म के समय भारत की जीवन प्रत्याशा 67.2 वर्ष दर्ज की गई थी।
  - **स्कूली शिक्षा:** स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष 11.9 वर्ष; स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष 6.7 वर्ष।

नोट :

- **सकल राष्ट्रीय आय:** प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 6,590 अमेरिकी डॉलर थी।
- **लैंगिक असमानता सूचकांक:** लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 122वें स्थान पर है।

- **अन्य परिप्रेक्ष्य:**
  - **मनुष्य जलवायु परिवर्तन के लिये तैयार नहीं:** इसमें कहा गया है कि हाल के वर्षों में एंथ्रोपोसिन के कारण आग और तूफान और अन्य ग्रह-स्तर के परिवर्तनों जैसे जलवायु संकटों के लिये मानव तैयार नहीं है।
  - **कीड़ों की जनसंख्या में गिरावट:** कीट परागणकों के कमी के कारण मानवों को बड़े पैमाने पर खाद्य और अन्य कृषि उत्पादों के उत्पादन में चुनौती का सामना करना पड़ता है।
    - चूँकि कीट अपनी विविधता, पारिस्थितिक भूमिका और कृषि, मानव स्वास्थ्य एवं प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभाव के कारण महत्त्वपूर्ण हैं।
    - वे सभी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों के लिये जैविक आधार बनाते हैं, आगे, वे पोषक तत्त्वों का चक्रण करते हैं, पौधों को परागित करते हैं, बीजों का प्रसार करते हैं, मृदा की संरचना और उर्वरता को बनाए रखते हैं, अन्य जीवों की आबादी को नियंत्रित करते हैं और अन्य जीवों के लिये प्रमुख खाद्य स्रोत प्रदान करते हैं।
  - **माइक्रोप्लास्टिक खतरा:** प्लास्टिक अब हर जगह- समुद्र में देश के आकार के कूड़े के ढेर में, संरक्षित जंगलों और पहाड़ों में फ़ैल चुका है।

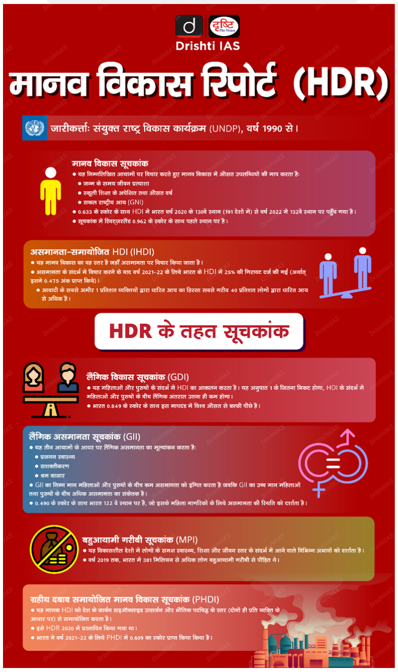

सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली की त्वरित प्रतिक्रिया

हाल ही में भारत ने ओडिशा तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) चाँदीपुर से सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल (QRSAM) प्रणाली के छह सफल उड़ान परीक्षण कि।

- परीक्षण संयुक्त रूप से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया था।

सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल (QRSAM):

- **परिचय:**
  - QRSAM एक कनस्तर आधारित प्रणाली है, जिसका अर्थ है कि इसे विशेष रूप से डिजाइन किये गए डिब्बों से संग्रहीत और संचालित किया जाता है।
    - कनस्तर में, आंतरिक वातावरण नियंत्रण प्रणाली होती है, इस प्रकार इसके परिवहन और भंडारण को आसान बनाने के साथ-साथ हथियारों की शेल्फ लाइफ में भी काफी सुधार होता है।
  - यह प्रणाली चलायमान लक्ष्यों का पता लगाने और उन पर नजर रखने में सक्षम है और छोटे पड़ावों के साथ लक्ष्यों को उलझाती है।
- **रेंज और गतिशीलता:**
  - यह एक कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (SAM) प्रणाली है, जिसे मुख्य रूप से DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है ताकि दुश्मन के हवाई हमलों से सेना के बख्तरबंद क्षेत्रों को सुरक्षा कवच प्रदान किया जा सके।
  - संपूर्ण हथियार प्रणाली को एक मोबाइल और चलने योग्य प्लेटफॉर्म पर कॉन्फ़िगर किया गया है और यह चलते-फिरते वायु रक्षा प्रदान करने में सक्षम है।
  - इसे सेना में शामिल करने के लिये डिजाइन किया गया है और इसकी सीमा 25 से 30 किलोमीटर है।
- **कार्य पद्धति:**
  - QRSAM हथियार के साथ चलायमान अवस्था में कार्य करता है, जिसमें पूरी तरह से स्वचालित कमांड और नियंत्रण प्रणाली शामिल है।
    - इसमें एक लॉन्चर के साथ दो रडार - एक्टिव ऐरे बैटरी सर्विलांस रडार और एक्टिव ऐरे बैटरी मल्टीफंक्शन रडार - भी शामिल हैं।
  - दोनों राडार में "सर्च ऑन मूव" और "ट्रैक ऑन मूव" क्षमताओं के साथ 360-डिग्री कवरेज है।

- यह प्रणाली कॉम्पैक्ट है, जो एकल चरण ठोस चालित मिसाइल का उपयोग करती है तथा इसमें डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित दो-तरफा डेटा लिंक और टर्मिनल सक्रिय साधक के साथ एक मध्य-पाठ्यक्रम जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली है।

यूएस स्टार्ट-अप सेतु

हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी क्षेत्र में रूपांतरण और कौशल संवर्द्धन कार्यक्रम में यूएस स्टार्टअप सेतु सहायक उद्यमियों का शुभारंभ किया।

स्टार्टअप

- **परिचय:**
  - स्टार्टअप शब्द एक कंपनी के संचालन के पहले चरण को संदर्भित करता है। स्टार्टअप एक या एक से अधिक उद्यमियों द्वारा स्थापित किये जाते हैं जो एक ऐसे उत्पाद या सेवा का विकास करना चाहते हैं जिसकी बाज़ार में मांग है।
  - ये कंपनियाँ आमतौर पर उच्च लागत और सीमित राजस्व के साथ शुरू होती हैं, यही वजह है कि वे उद्यम पूंजीपतियों जैसे विभिन्न स्रोतों से पूंजी की मांग करती हैं।
- **भारत में स्टार्टअप्स की वृद्धि :**
  - उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) ने स्टार्टअप को मान्यता दी है जो 56 विविध क्षेत्रों से संबंधित हैं।
    - इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एनालिटिक्स आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित क्षेत्रों में 4,500 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता प्रदान की गई है।
  - इस दिशा में निरंतर सरकारी प्रयासों के परिणामस्वरूप मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या वर्ष 2016 के 471 से बढ़कर वर्ष 2022 में 72,993 हो गई है।

स्टार्टअप सेतु:

- **परिचय:**
  - SETU या परिवर्तन और कौशल में सहायक उद्यमी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत भारत सरकार की पहल है।
  - यह पहल भारत में स्टार्ट-अप को संयुक्त राज्य अमेरिका-आधारित निवेशकों और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के अभिकर्त्ताओं को वित्त पोषण, बाज़ार पहुँच और व्यावसायीकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में परामर्श एवं सहायता के साथ जोड़ेगी।
- **महत्त्व:**
  - भारत में उद्यमिता और सन राइजिंग स्टार्टअप में निवेश करने के इच्छुक अमेरिकी कंपनियों के मध्य भौगोलिक बाधाओं को कम करना।
  - स्टार्टअप इंडिया पहल मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलिएशन और ग्रोथ (Mentorship, Advisory, Assistance, Resilience, and Growth MAARG) कार्यक्रम के तहत मेंटरशिप पोर्टल के माध्यम से इस क्षेत्र का समर्थन किया जाएगा, जो भारत में स्टार्टअप्स के लिये सिंगल-स्टॉप समाधान खोजकर्त्ता है।
    - पोर्टल को इस विचार के साथ विकसित किया गया है कि यह देश के हर कोने से एक संरक्षक से जुड़ने के लिये पहुँच योग्य हो।
- **आवश्यकता:**
  - यह अनुमान है कि लगभग 90% स्टार्ट-अप और आधे से अधिक अच्छी तरह से वित्त पोषित स्टार्टअप अपने शुरुआती दिनों में विफल हो जाते हैं। व्यवसाय को संभालने में अनुभव की कमी एक प्रमुख समस्या है तथा संस्थापकों को निर्णय लेने और नैतिक समर्थन के लिये सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।
  - जैसा कि भारत एक अग्रणी स्टार्ट-अप गंतव्य बन गया है, सही समय पर उचित मार्गदर्शन सर्वोपरि है।
  - इसके अलावा, भारत सरकार एक स्टार्टअप की यात्रा में प्रोत्साहित कर राष्ट्र के विकास में योगदान के लिये दिग्गजों, अनुभवी विशेषज्ञों और उद्योग जगत के लोगों को आमंत्रित करती है।

कर्त्तव्य पथ

हाल ही में प्रधानमंत्री ने ' कर्त्तव्य पथ' का उद्घाटन और इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया।

प्रमुख बिंदु

- कर्त्तव्य पथ सत्ता के प्रतीक के रूप में पूर्ववर्ती राजपथ से सार्वजनिक स्वामित्व और अधिकारिता का उदाहरण होने के कारण कर्त्तव्य पथ में बदलाव का प्रतीक है।
- नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा उसी स्थान पर स्थापित की जाएगी जहाँ पराक्रम दिवस (23 जनवरी 2022) पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था।
  - ग्रेनाइट से बनी यह प्रतिमा स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के अपार योगदान के लिये उपयुक्त श्रद्धांजलि है और उनके प्रति देश के ऋणी होने का प्रतीक होगी।
  - श्री अरुण योगीराज, जो मुख्य मूर्तिकार थे, द्वारा तैयार की गई, 28 फीट ऊँची प्रतिमा को अखंड ग्रेनाइट पत्थर से उकेरा गया है और इसका वजन 65 मीट्रिक टन है।

नोट :

- ये कदम प्रधानमंत्री के दूसरे 'पंच प्राण' के अनुरूप हैं, जो 75 वें स्वतंत्रता दिवस 2022 के दौरान अमृत काल में न्यू इंडिया के लिये प्रतिज्ञा की गई थी कि: 'औपनिवेशिक मानसिकता के किसी भी निशान को मिटा दें'।

राजपथ के कायाकल्प की ज़रूरत:

- वर्षों से राजपथ और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के आसपास के क्षेत्रों में आगंतुकों के बढ़ते यातायात का दबाव देखा जा रहा था, जिससे इसके बुनियादी ढाँचे पर दबाव पड़ रहा था।
    - सेंट्रल विस्टा एवेन्यू सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है।
- इसमें सार्वजनिक शौचालय, पीने के जल, स्ट्रीट फर्नीचर और पर्याप्त पार्किंग स्थान जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव था।
- इसके अलावा अपर्याप्त साइनबोर्ड, जल की सुविधाओं का खराब रख-रखाव और बेतरतीब पार्किंग थी।
- साथ ही गणतंत्र दिवस परेड और अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों को कम व्यवधान तरीके से आयोजित करने की आवश्यकता महसूस की गई, जिसमें सार्वजनिक आंदोलन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो।
- वास्तुशिल्प की अखंडता और निरंतरता को सुनिश्चित करते हुए इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए पुनर्विकास किया गया है।

राजपथ का संक्षिप्त इतिहास :

- ब्रिटिश शासन के दौरान इसे किंग्सवे कहा जाता था जिसे एडविन लुटियंस और नई दिल्ली के आर्किटेक्ट हर्बर्ट बेकर द्वारा सौ वर्ष से भी पूर्व एक औपचारिक मार्ग के रूप में डिज़ाइन किया गया था।
- वर्ष 1911 में राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित की गई और उसके बाद कई वर्षों तक निर्माण कार्य जारी रहा।
- लुटियंस ने एक "औपचारिक धुरी" के आसपास केंद्रित आधुनिक शाही शहर की अवधारणा प्रस्तुत की जिसे भारत के तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम के सम्मान में किंग्सवे नाम दिया गया था, जिन्होंने वर्ष 1911 के दरबार के दौरान दिल्ली का दौरा किया था, जहाँ उन्होंने औपचारिक रूप से राजधानी को स्थानांतरित करने के निर्णय की घोषणा की थी।
    - इसका नामकरण लंदन में स्थित किंग्सवे मार्ग के नाम पर हुआ, जो वर्ष 1905 में बनी एक मुख्य सड़क थी, जिसका नाम जॉर्ज पंचम के पिता किंग एडवर्ड सप्तम के सम्मान में रखा गया था।
- वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के बाद इस मार्ग को हिंदी नाम 'राजपथ' दिया गया, जिस पर के गणतंत्र दिवस परेड होती है।

कर्त्तव्य पथ और उसका महत्व:

- ग्रैंड कैनोपी के नीचे नेताजी की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का पूरा खंड और क्षेत्र कर्त्तव्य पथ के रूप में जाना जाएगा।
- कर्त्तव्य पथ में पूर्ववर्ती "राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन" शामिल हैं।
- कर्त्तव्य पथ में लैंडस्केप, वॉकवे के साथ लॉन, अतिरिक्त हरे भरे स्थान, नवीनीकृत छोटी-छोटी नहरें, एमेनिटी ब्लॉक, बेहतर साइनेज और वेंडिंग कियोस्क प्रदर्शित होंगे।
- इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, उपयोग किए गए जल का पुनर्चक्रण, वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था जैसी कई सुविधाएँ भी शामिल हैं।
- तत्कालीन राजपथ के दोनों किनारों पर पुनर्निर्मित और विस्तारित लॉन बड़ी सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा हैं, जहाँ केंद्रीय सचिवालय और कई अन्य सरकारी कार्यालयों के साथ एक नए त्रिकोणीय संसद भवन का पुनर्निर्माण किया जा रहा है।

सुभाष चंद्र बोस

- **जन्म:**
    - सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी, 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। उनकी माता का नाम प्रभावती दत्त बोस (Prabhavati Dutt Bose) और पिता का नाम जानकीनाथ बोस (Janakinath Bose) था।
        - उनकी जयंती 23 जनवरी को 'पराक्रम दिवस' के रूप में मनाई जाती है।

- **शिक्षा और प्रारंभिक जीवन:**
    - वर्ष 1919 में उन्होंने भारतीय सिविल सेवा (ICS) की परीक्षा पास की थी। हालाँकि बाद में बोस ने इस्तीफा दे दिया।
    - वह विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे।
    - उनके राजनीतिक गुरु चितरंजन दास थे।
        - वर्ष 1921 में बोस ने चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र 'फॉरवर्ड' के संपादन का कार्यभार संभाला।

नोट :

- **कॉन्ग्रेस के साथ संबंध:**
  - उन्होंने बिना शर्त स्वराज (Unqualified Swaraj) अर्थात् स्वतंत्रता का समर्थन किया और मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट (Motilal Nehru Report) का विरोध किया जिसमें भारत के लिये डोमिनियन के दर्जे की बात कही गई थी।
  - उन्होंने वर्ष 1930 के नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया और वर्ष 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन तथा गांधी-इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने का विरोध किया।
  - वर्ष 1930 के दशक में वह जवाहरलाल नेहरू और एम.एन. रॉय के साथ कॉन्ग्रेस की वाम राजनीति में संलग्न रहे।
  - बोस वर्ष 1938 में हरिपुरा में कॉन्ग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।
  - वर्ष 1939 में त्रिपुरी (Tripuri) में उन्होंने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभि सीतारमैय्या (Pattabhi Sitaramayya) के खिलाफ फिर से अध्यक्ष पद का चुनाव जीता।
  - उन्होंने एक नई पार्टी 'फॉरवर्ड ब्लॉक' की स्थापना की। इसका उद्देश्य अपने गृह राज्य बंगाल में राजनीतिक वामपंथ और प्रमुख समर्थन आधार को मज़बूत करना था।
- **भारतीय राष्ट्रीय सेना:**
  - वह जुलाई 1943 में जर्मनी से जापान-नियंत्रित सिंगापुर पहुँचे वहाँ से उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा 'दिल्ली चलो' जारी किया और 21 अक्तूबर, 1943 को आज़ाद हिंद सरकार तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा की।
  - भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन पहली बार मोहन सिंह और जापानी मेजर इविची फुजिवारा (Iwaichi Fujiwara) के नेतृत्व में किया गया था तथा इसमें मलाया (वर्तमान मलेशिया) अभियान के दौरान सिंगापुर में जापान द्वारा कैद किये गए ब्रिटिश-भारतीय सेना के युद्ध बंदियों को शामिल किया गया था।
  - साथ ही इसमें सिंगापुर की जेल में बंद भारतीय कैदी और दक्षिण-पूर्व एशिया के भारतीय नागरिक भी शामिल थे। इसकी सैन्य संख्या बढ़कर 50,000 हो गई थी।
  - INA ने वर्ष 1944 में इम्फाल और बर्मा में भारत की सीमा के भीतर मित्र देशों की सेनाओं का मुकाबला किया।
  - नवंबर 1945 में ब्रिटिश सरकार द्वारा INA के सदस्यों पर मुकदमा चलाए जाने के तुरंत बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए।
- **मृत्यु:**
  - वर्ष 1945 में ताइवान में विमान दुर्घटनाग्रस्त में उनकी मृत्यु हो गई। हालाँकि अभी भी उनकी मृत्यु के संबंध में कई राज छिपे हुए हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशियाई सेनाओं ने इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर वार्षिक संयुक्त युद्ध अभ्यास किया।

- पहली बार हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन द्वारा बढ़ती समुद्री गतिविधि के बीच अन्य भागीदार देशों के प्रतिभागी भी शामिल हुए हैं।

संयुक्त सैन्य अभ्यास:

- वर्ष 2022 के इस अभ्यास में अमेरिका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर के 5,000 से अधिक सैनिकों ने भाग लिया।
- अभ्यास को एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत के समर्थन में अंतर-क्षमता, विश्वास और सहयोग को मज़बूत करने के लिये डिज़ाइन किया गया था।
- यह अभ्यास 14 अगस्त 2022 तक चला, जिसमें सेना, नौसेना, वायु सेना और समुद्री अभ्यास शामिल थे।
- **अमेरिका और इंडोनेशिया के साथ के होने वाले भारत के सैन्य अभ्यास:**
- **संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ होने वाले सैन्य अभ्यास:**
- **भारत और अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास:** यह भारत और अमेरिका के मध्य होने वाला सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग प्रयास है।
- **टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास:** इसका उद्देश्य मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास संचालन के लिये अंतर-क्षमता विकसित करना है।
- **अभ्यास वज्र प्रहार (विशेष बल अभ्यास):** दोनों देशों के विशेष बलों द्वारा संयुक्त अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है।
- **इंडोनेशिया के साथ होने वाले सैन्य अभ्यास:**
- **अभ्यास समुद्र शक्ति:** भारत की एक्ट ईस्ट नीति के अनुसरण में, अभ्यास 'समुद्र शक्ति' की शुरुआत वर्ष 2018 में द्विपक्षीय अभ्यास (IN-IDN) के रूप में की गई थी।
- अभ्यास का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करना और दोनों नौसेनाओं के मध्य समुद्री संचालन में आपसी समझ और अंतर को बढ़ाना है।
- **भारत-इंडोनेशिया कार्पेट (IND-INDO CORPAT) (समुद्री अभ्यास):** भारत-इंडोनेशिया समन्वित गश्ती नौसेनाओं के मध्य समझ और अंतर-संचालन का निर्माण करती है और अवैध गैर-रिपोर्टेड अनियमित (IUU) मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी, समुद्री आतंकवाद, सशस्त्र डकैती और समुद्री डकैती को रोकने और कम करने के उपायों की सुविधा प्रदान करती है।

गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय

गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (SFIO) ने चीनी लिंक वाली शेल कंपनियों की स्थापना और नकली निदेशकों की आपूर्ति से जुड़े एक व्यापक रैकेट के कथित मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है।

- SFIO को सरकार ने ज़िलियन कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और 32 अन्य कंपनियों की जाँच का जिम्मा सौंपा था।

शेल कंपनियाँ

- आमतौर पर शेल कंपनियाँ ऐसी कॉरपोरेट संस्थाएँ होती हैं, जिनके पास उनका अपना न तो कोई सक्रिय व्यवसाय होता है और न ही उनके पास कोई स्थायी संपत्ति होती है।
- यही कारण है कि इस प्रकार की कंपनियाँ सदैव संदेह के दायरे में रहती हैं, क्योंकि इनमें से कुछ कंपनियों का या तो मनी लॉन्ड्रिंग अथवा कर चोरी एवं अन्य अवैध गतिविधियों के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है।

गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (SFIO):

- **परिचय:**
  - भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत यह एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन (Multi-disciplinary organization) हैं जिसके अंतर्गत् वित्तीय क्षेत्र, पूंजी बाजार, लेखा, फॉरेंसिक ऑडिट (Forensic audit), कराधान, कानून, सूचना प्रौद्योगिकी, कंपनी कानून, कस्टम तथा जाँच से संबंधित विशेषज्ञ शामिल हैं।
    - इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
  - SFIO के अधिकारियों को उनकी जाँच में सहायता और सेवा प्रदान करने के लिये कंप्यूटर फोरेंसिक एवं डेटा माइनिंग प्रयोगशाला (CFDML) की स्थापना वर्ष 2013 में की गई थी।
  - SFIO का नेतृत्व भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद पर विभाग के प्रमुख के रूप में एक निदेशक द्वारा किया जाता है।
  - गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (SFIO) शुरू में भारत सरकार द्वारा 2 जुलाई, 2003 को एक प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किया गया था। उस समय SFIO को औपचारिक कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं था।
- **कार्य और भूमिकाएँ:**
  - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 211 ने गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (SFIO) को वैधानिक दर्जा दिया है।
    - SFIO के पास कंपनी कानून के उल्लंघन के लिये लोगों को गिरफ्तार करने का भी अधिकार है।
  - कंपनी के मामलों की जाँच केंद्र सरकार द्वारा शुरू की जा सकती है और निम्नलिखित परिस्थितियों में गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय को सौंपी जा सकती है:
    - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 208 (निरीक्षण पर रिपोर्ट) के तहत रजिस्ट्रार या निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर।
    - एक कंपनी द्वारा पारित एक विशेष प्रस्ताव की सूचना पर कि उसके मामलों की जाँच आवश्यक है।
    - जनहित में।
    - केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग के अनुरोध पर।

प्रोजेक्ट 17A और आईएनएस तारागिरि

हाल ही में मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) जो कि रक्षा मंत्रालय के अधीन है, ने प्रोजेक्ट 17A के तीसरे स्टील्थ फ्रिगेट, तारागिरि को लॉन्च किया।

प्रोजेक्ट 17A:

- **परिचय:**
  - प्रोजेक्ट 17, अल्फा फ्रिगेट्स (P-17A) को भारतीय नौसेना द्वारा वर्ष 2019 में स्टील्थ गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट की एक शृंखला के निर्माण के लिये लॉन्च किया गया था।
  - इनका निर्माण वर्तमान में दो कंपनियों - मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स (MDL) और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) द्वारा किया जा रहा है।
  - इन गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट्स का निर्माण एक विशिष्ट स्टील्थ डिज़ाइन के साथ किया गया है, जिसमें रडार से बचने की तकनीक शामिल है जो इसे दुश्मन की नज़रों से बचाता है।
    - नई तकनीक से जहाज़ के इंफ्रारेड सिग्नल भी कम हो जाते हैं।
  - प्रोजेक्ट 17A के तहत लॉन्च किया गया पहला स्टील्थ शिप नीलगिरि था, जिसे वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था।
  - दूसरे जहाज़ उदयगिरि को मई 2022 में लॉन्च किया गया था जिसे वर्ष 2024 में चालू किया जाएगा।
  - वर्तमान स्थिति: इसके अलावा MDL और GRSE में सात पी17A फ्रिगेट निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।
- **लाभ:**
  - यह भारतीय शिपयार्डों, उनके उप-ठेकेदारों और सहायक उद्योग के लिये आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन जैसे अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है।

- प्रोजेक्ट 17A के लगभग 75% ऑर्डर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों सहित स्वदेशी फर्मों को दिये गए हैं, इस प्रकार आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को भी बल मिलता है।
  - स्टील्थ फ्रिगेट्स जैसे जटिल फ्रंटलाइन जहाज़ के स्वदेशी निर्माण ने देश को जहाज़ निर्माण के क्षेत्र में एक उच्च पायदान पर पहुँचा दिया है।

तारागिरि की मुख्य विशेषताएँ:

- तारागिरि का नाम गढ़वाल में स्थित हिमालय की एक पहाड़ी श्रृंखला के नाम पर रखा गया है।
- जहाज़ को एकीकृत निर्माण पद्धति का उपयोग करके बनाया गया है जिसमें विभिन्न भौगोलिक स्थानों में ब्लॉक निर्माण शामिल है।
- जहाज़ में अत्याधुनिक हथियार, सेंसर, उन्नत कार्रवाई सूचना प्रणाली, एकीकृत मंच प्रबंधन प्रणाली, विश्व स्तरीय मॉड्यूलर, एक परिष्कृत विद्युत वितरण प्रणाली और कई अन्य उन्नत सुविधाएँ होंगी।
- इसे सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली से लैस किया जाएगा।
- जहाज़ की वायु रक्षा क्षमता ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण और लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली के इर्द-गिर्द घूमेगी, जिसे दुश्मन के विमानों और जहाज़-रोधी क्रूज़ मिसाइलों के खतरे का मुकाबला करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

हिंदी दिवस

भारत के प्रधानमंत्री ने हिंदी दिवस के अवसर पर कहा कि हिंदी भाषा ने भारत को विश्व स्तर पर विशेष सम्मान दिलाया है और इसकी सादगी और संवेदनशीलता हमेशा लोगों को आकर्षित करती है।

हिंदी दिवस के पीछे का इतिहास:

- वर्ष 1949 में भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के दिन को चिह्नित करने के लिये भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है।
- भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का उपयोग करने का निर्णय 26 जनवरी, 1950 को भारत के संविधान द्वारा लिया गया था तथा भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था।
- हिंदी भाषा आठवीं अनुसूची में भी शामिल है।
- हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है।
- अनुच्छेद 351 'हिंदी भाषा का प्रचार एवं उत्थान' से संबंधित है।

हिंदी को बढ़ावा देने हेतु सरकार की पहल:

- केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना वर्ष 1960 में भारत सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत हिंदी को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिये की गई थी।
- भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिये विदेशों में विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में 'हिंदी चेयर' की स्थापना की है।
- लीला-राजभाषा (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भारतीय भाषा को सीखना) हिंदी सीखने के लिये एक मल्टीमीडिया आधारित स्व-शिक्षण अनुप्रयोग है।
- ई-सरल हिंदी वाक्य कोश और ई-महाशब्दकोश मोबाइल एप, राजभाषा विभाग की दोनों पहलों का उद्देश्य हिंदी के विकास के लिये सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है।
- राजभाषा गौरव पुरस्कार और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार हिंदी भाषा के विकास में योगदान देने वालों को प्रदान किये जाते हैं।

हिंदी भाषा:

- हिंदी विश्व की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भाषा का नाम फारसी शब्द 'हिंद' से मिला- जिसका अर्थ है 'सिंधु नदी की भूमि'; और संस्कृत के वंशज हैं।
- 11वीं शताब्दी की शुरुआत में तुर्की के आक्रमणकारियों ने सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र की भाषा को हिंदी यानी 'सिंधु नदी की भूमि की भाषा' नाम दिया।
- यह भारत की आधिकारिक भाषा है, जबकि अंग्रेज़ी दूसरी आधिकारिक भाषा है।
- भारत के बाहर कुछ देशों में भी हिंदी बोली जाती है, जैसे मॉरीशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो एवं नेपाल आदि।
- हिंदी अपने वर्तमान स्वरूप में विभिन्न अवस्थाओं के माध्यम से उभरी, जिसके दौरान इसे अन्य नामों से जाना जाता था। पुरानी हिंदी का सबसे प्रारंभिक रूप अपभ्रंश था। 400 ईस्वी में कालिदास ने अपभ्रंश में 'विक्रमोर्वशियम' नामक नाटक लिखा।
- आधुनिक देवनागरी लिपि 11वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई।

समुद्री कछुए का अवैध शिकार

एक नए अध्ययन के अनुसार, 1.1 मिलियन से अधिक समुद्री कछुओं का अवैध रूप से शिकार किया गया है और कुछ मामलों में वर्ष 1990 से 2020 तक तस्करी की गई है।

- 30 साल की अवधि में सबसे अधिक शिकार समुद्री कछुए की प्रजातियाँ ग्रीन (56%) और हॉक्सबिल (39%) का किया गया।

प्रमुख बिंदु

- **अवैध शिकार में कमी:** समुद्री जीवों के अवैध शिकार में 28% की कमी आई है, पिछले एक दशक में सालाना 44,000 से अधिक कछुओं को लक्षित किया गया है।
- **दोहन/शोषण:** विभिन्न संरक्षण कानूनों के बावजूद सरीसृपों को 65 देशों/क्षेत्रों और दुनिया में 44 समुद्री कछुए क्षेत्रीय प्रबंधन इकाइयों (RMU) में दोहन का सामना करना पड़ा।
- **प्रजातियों का अवैध व्यापार:** दक्षिण-पूर्व एशिया और मेडागास्कर अवैध समुद्री कछुओं के व्यापार के लिये विशेष तौर पर गंभीर रूप से लुप्तप्राय हॉक्सबिल के संबंध में प्रमुख आकर्षण के केंद्र थे।
  - अवैध समुद्री कछुओं की तस्करी के लिये वियतनाम प्रमुख केंद्र था, जबकि चीन और जापान लगभग सभी तस्करी वाले समुद्री कछुओं के उत्पादों के लिये गंतव्य के रूप में जाने जाते हैं।
  - उनके अंडे, मांस, त्वचा और खोल के लिये उनका शिकार किया जाता है तथा वे मछली पकड़ने वाली मशीन से आवास विनाश और आकस्मिक रूप से जाल में फँसने या बायकैच का भी सामना करते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:** जलवायु परिवर्तन का कछुओं के घोंसले के स्थलों पर प्रभाव पड़ता है, यह रेत के तापमान को बदल देता है, जो हैचलिंग के लिंग को प्रभावित करता है।
  - चूँकि कछुए के अंडों का ऊष्मायन तापमान जानवर के लिंग को निर्धारित करता है, इसलिये गर्म घोंसले में अधिक मादाएँ होती हैं। जलवायु परिवर्तन से जुड़े क्वींसलैंड के उत्तर (ऑस्ट्रेलिया) में बढ़ते तापमान के कारण वस्तुत: कोई नर ग्रीन सी टर्टल पैदा नहीं हुआ है।
- **पहल:**
  - **वैश्विक:** वर्ष 2017 में पूर्वी इंडोनेशिया के मालुकु प्रांत के निवासियों ने नेस्टिंग बीच (कछुए के घोंसले के समुद्र तट) पर रखे गए लेदरबैक कछुए के अंडे का 75% नष्ट किया।
    - गैर-सरकारी संगठन वर्ल्ड वाइड फंड जैसे संगठनों द्वारा किये गए शिक्षा और सामुदायिक जागरूकता के कार्य ने कछुए के अंडे को नष्ट करने से बचाने में 10% तक कम करने में मदद की है।
  - **भारत:** ओडिशा में 30,000 ओलिव रिडले कछुओं की पहचान करने की योजना है, इससे वैज्ञानिकों को उनका अध्ययन करने और संरक्षण योजनाओं का मसौदा तैयार करने में मदद मिलेगी।

समुद्री कछुए (Sea Turtles):

- **परिचय:**
  - समुद्री कछुए सुव्यवस्थित शरीर और बड़े फ्लिपर्स के साथ समुद्री सरीसृप हैं जो समुद्र में जीवन के लिये अच्छी तरह से अनुकूलित हैं।
  - समुद्री कछुए के परिवार में हॉक्सबिल, लॉगरहेड, लेदरबैक, ग्रीन और ओलिव रिडले कछुए शामिल हैं।
  - ये पाँच प्रजातियाँ दुनिया भर में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जल में पाई जाती हैं।
  - पाँच प्रजातियों के अलावा दो अन्य समुद्री कछुए हैं जिनकी सीमाएँ सीमित हैं।
    - केम्प्स रिडले मुख्य रूप से मैक्सिको की खाड़ी और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी पापुआ न्यू गिनी के आसपास पाए जाते हैं।
- **संरक्षण की स्थिति:**
  - **प्रकृति के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN) की स्थिति:**
    - **फ्लैटबैक टर्टल:** अपर्याप्त आँकड़े
    - **ग्रीन टर्टल:** संकटग्रस्त
    - **हॉक्सबिल टर्टल:** गंभीर रूप से संकटग्रस्त
    - केम्प्स (Kemp's) रिडले: गंभीर रूप से संकटग्रस्त
    - **लॉगरहेड टर्टल:** सुभेद्य
    - **ओलिव रिडले:** सुभेद्य
    - **लेदरबैक टर्टल:** सुभेद्य
  - **वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) की स्थिति:**
    - समुद्री कछुओं की सभी सात प्रजातियों को वर्तमान में CITES के तहत परिशिष्ट- I के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

नौसेना अभ्यास काकाडू

रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास काकाडू में भाग लेने के लिये भारत के INS सतपुड़ा और P-8I समुद्री गश्ती विमान ऑस्ट्रेलिया के डार्विन पहुँच गए हैं।

नौसेना अभ्यास काकाडू:

- **परिचय:**
  - अभ्यास काकाडू एक संयुक्त-सक्षम, द्विवार्षिक अभ्यास है जो रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है तथा यह रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायु सेना द्वारा समर्थित है।
  - काकाडू नौसेना का प्रमुख समुद्री अभ्यास है, जो समुद्री और हवाई क्षेत्रों में राष्ट्रों के बीच अंतर-संचालन क्षमता विकसित करने के साथ ही समुद्री सुरक्षा एवं निगरानी के लिये प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है।
  - इसकी शुरुआत वर्ष 1993 में हुई थी।
- **नौसेना अभ्यास काकाडू-2022:**
  - यह दो सप्ताह तक चलने वाला अभ्यास है, जो बंदरगाह और समुद्र दोनों क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है, जिसमें 14 नौसेनाओं के जहाज़ और समुद्री विमान शामिल होते हैं।
  - **भागीदारी:** इसमें लगभग 19 जहाज़ों, 34 विमानों और 25 देशों के 3000 से अधिक कर्मियों के शामिल होने की संभावना है।
  - **थीम:** साझेदारी, नेतृत्व, दोस्ती।
  - **महत्त्व:** नौसेना की सबसे महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता गतिविधि के रूप में भाग लेने वाले देशों के बीच संबंधों के निर्माण के लिये अभ्यास काकाडू महत्त्वपूर्ण है।
    - यह अभ्यास क्षेत्रीय भागीदारों को संयुक्त रूप से कांस्टेबुलरी ऑपरेशन से लेकर उच्च समुद्री क्षेत्र में युद्ध जैसी बहुराष्ट्रीय समुद्री गतिविधियों को संचालित करने का अवसर प्रदान करता है।

ऑस्ट्रेलिया के साथ अन्य सैन्य अभ्यास

- **बहुपक्षीय अभ्यास:**
  - मालाबार
  - अभ्यास पिच ब्लैक 22
- **द्विपक्षीय अभ्यास:** ऑसइंडेक्स (Ausindex)

रैपिड फायर

अभिजीत सेन

भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और योजना आयोग के पूर्व सदस्य अभिजीत सेन का 29 अगस्त, 2022 को 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अभिजीत सेन का जन्म नई दिल्ली में रहने वाले एक बंगाली परिवार में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज से भौतिकी में स्नातक किया और वर्ष 1981 में उन्होंने कैंब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की, यहाँ वे ट्रिनिटी हॉल के सदस्य भी रहे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिये उन्होंने कई महत्त्वपूर्ण काम किये। वर्ष 1997 में भारत सरकार द्वारा उन्हें 'कृषि लागत और मूल्य आयोग' का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने कृषि वस्तुओं के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की सिफारिश की थी। वर्ष 2014 में उन्हें सरकार ने 'दीर्घकालिक अनाज नीति पर विशेषज्ञों की उच्च-स्तरीय समिति' का अध्यक्ष बनाया। सेन कई वैश्विक अनुसंधान और बहुपक्षीय संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), एशियाई विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO), कृषि विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय कोष और ओईसीडी विकास केंद्र से भी जुड़े रहे हैं। वर्ष 2010 में उन्हें सार्वजनिक सेवा के लिये पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।

'विश्व नारियल दिवस'

नारियल विकास बोर्ड (Coconut Development Board- CDB) 2 सितंबर, 2022 को 24वाँ विश्व नारियल दिवस पर समारोह आयोजित कर रहा है। इस वर्ष का मुख्य विषय है- 'खुशहाल भविष्य और जीवन के लिये नारियल की खेती करें' (Growing Coconut for a Better Future and Life)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री इस समारोह का उद्घाटन जूनागढ़ (गुजरात) में करेंगे। इस दौरान कृषि मंत्री बहुमाली भवन, जूनागढ़ में बोर्ड के 'राज्य स्तरीय केंद्र' का लोकार्पण करेंगे और बोर्ड के राष्ट्रीय पुरस्कारों एवं निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा करेंगे। साथ ही वे किसानों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय में नारियल की अच्छी कृषि पद्धतियाँ और विपणन विषयक तकनीकी सत्र भी आयोजित होंगे। जूनागढ़ के कार्यक्रम में लगभग एक हज़ार नारियल-किसान और विभिन्न समूहों के पदाधिकारी भाग लेंगे। एशिया प्रशांत क्षेत्र के सभी नारियल उत्पादक देश 'अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय' (International Coconut Community- ICC) के स्थापना दिवस अर्थात् 2 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व नारियल दिवस के रूप मनाते हैं। ICC एक अंतर-शासकीय संगठन है। नारियल दिवस मनाने का उद्देश्य नारियल उत्पादन के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उसके महत्त्व को उजागर करना तथा इसके संदर्भ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित करना है।

मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के द्वारा देहरादून में 29 अगस्त, 2022 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत 8 से लेकर 14 वर्ष के उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रतिमाह 1500 रुपए की खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी। छात्रवृत्ति देने के लिये प्रदेश में 3900 प्रतिभावान छात्रों का चयन हुआ है। जिसमें प्रदेश के प्रत्येक ज़िले से 150 बालक एवं 150 बालिकाओं को चयनित करके शामिल किया गया है। अर्थात् इस योजना के तहत सरकार प्रत्येक वर्ष खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिये 1950 बालक एवं 1950 बालिकाओं को खेल छात्रवृत्ति देकर प्रोत्साहित करेगी। इसके अलावा प्रदेश में खेल प्रशिक्षकों की कमी को देखते हुए प्रत्येक ज़िले में आठ खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी। खिलाड़ियों को आर्थिक लाभ देने के लिये मुख्यमंत्री खेल विकास कोष की स्थापना की जाएगी। साथ ही खिलाड़ियों को चोट लगने पर दुर्घटना बीमा या वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी प्रावधान किया गया है। दूसरी तरफ प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु खिलाड़ियों को यात्रा सुविधा प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने नवंबर 2021 में राज्य की नई खेल नीति को पारित किया था। इस नीति के तहत खिलाड़ियों की प्रतिभा को बढ़ावा देने हेतु 5 वर्ष, 10 वर्ष और 15 वर्ष के आधार पर कार्य योजना तैयार करने का प्रावधान है। साथ ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की गई है।

'सीएपीएफ ई-आवास (CAPF eAwas) पोर्टल'

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने 1 सितंबर, 2022 को नई दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Force- CAPF) ई-आवास वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। गृह मंत्रालय (MoHA) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत में सात CAPFs हैं। केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (Central Reserve Police Force-CRPF), यह आंतरिक सुरक्षा और उग्रवाद से निपटने में सहायता करता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (Central Industrial Security Force-CISF), यह महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों (जैसे हवाई अड्डों) और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सुरक्षा करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (National Security Guard-NSG), यह एक विशेष आतंकवाद विरोधी बल है। इसके अतिरिक्त शेष चार बल- सीमा सुरक्षा बल (Border Security Force-BSF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (Indo Tibetan Border Police-ITBP) और सशस्त्र सीमा बल (Sashastra Seema Bal) तथा असम राइफल्स (Assam Rifles) हैं।

नोट :

CAPFs के अन्य कार्य आपातकालीन प्रतिरोधी अभियान, नक्सल-रोधी अभियान, आंतरिक सुरक्षा कार्य, वीआईपी सुरक्षा, इंटेलिजेंस एजेंसी, विदेश में राजनयिक मिशनों की सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र (UN) शांति अभियान, आपदा प्रबंधन, संयुक्त राष्ट्र पुलिस मिशनों के लिये नागरिक कार्रवाई नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना आदि हैं।

असम में राष्ट्रीय पोषण माह

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 01 सितंबर, 2022 को गुवाहाटी में श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में पोषण अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत देश को कुपोषण से मुक्त करने के लिये असम सरकार राज्य में कुपोषण और एनीमिया के उन्मूलन हेतु कई कार्यक्रम लागू कर रही है। राज्य में पोषण अभियान के कार्यान्वयन की निगरानी के लिये राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई गठित की गई है। इस इकाई ने एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS) के अंतर्गत छह सेवाओं की निगरानी की, जिसमें गर्भवती महिलाओं और किशोरियों में एनीमिया, कम वजन और बच्चों में कुपोषण को दूर करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आँगनबाड़ी केंद्रों के स्तर पर ICDS सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये पूरे असम में 'पोषण ट्रैकर' नाम का मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया गया है। इस ऐप के माध्यम से कई ICDS सेवाओं की निगरानी की जाएगी। इस वर्ष पोषण माह के दौरान पूरे राज्य में 'पोषण पंचायत' नामक अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य विभिन्न पौष्टिक खाद्य पदार्थों, एनीमिया से बचाव के तरीकों, मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, जो गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान महिलाओं के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण हैं, के बारे में जागरूकता का विस्तार करना है।

युद्धाभ्यास वोस्तोक-2022

बहुस्तरीय सामरिक और कमान युद्धाभ्यास वोस्तोक-2022, 01 सितम्बर, 2022 को रूस के पूर्वी सैन्य डिस्ट्रिक्ट के प्रशिक्षण संस्थान में शुरू हुआ। यह युद्धाभ्यास 01-07 सितंबर, 2022 तक चलेगा। इसका उद्देश्य दोनों प्रतिभागी सैन्य दलों तथा पर्यवेक्षकों के बीच आदान-प्रदान और समन्वय स्थापित करना है। भारतीय सैन्य दल में 7/8 गोरखा राइफल्स के सैनिक शामिल हैं। भारतीय दल अभ्यास-स्थल पर अगले सात दिनों से अधिक समय तक संयुक्त अभ्यास करेगा। इस अभ्यास में संयुक्त मैदानी प्रशिक्षण अभ्यास, मुठभेड़ की प्रक्रिया पर चर्चा और हथियार चलाने का अभ्यास शामिल है। भारतीय सैन्य दल व्यावहारिक पक्षों को साझा करेगा तथा सैन्य, प्रक्रियाओं और व्यवहारों का अभ्यास करेगा, जिनमें नई प्रौद्योगिकियों को सम्मिलित किया गया है। ये सारी गतिविधियाँ चर्चाओं और सामरिक अभ्यासों के जरिये पूरी की जायेंगी। यह सामरिक गतिविधि 50 हज़ार सैनिकों, युद्ध से जुड़े पाँच हज़ार साजो-सामान व सैन्य उपकरण, 140 विमान, 60 युद्धपोत तथा अन्य जहाजों के साथ होगी। इस सैन्य अभ्यास में भारत के अलावा चीन, लाओस, मंगोलिया, निकारागुआ, सीरिया और पूर्व सोवियत संघ के कई देश हिस्सा ले रहे हैं।

नुआखाई जुहार

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने 'नुआखाई जुहार' (Nuakhai Juhar) के अवसर पर देश के किसानों को शुभकामनाएँ दी। यह एक कृषि उत्सव है जिसे 'नुआखाई पर्व' (Nuakhai Parab) या 'नुआखाई भेटघाट' (Nuakhai Bhetghat) भी कहा जाता है। नुआखाई दो शब्दों (नुआ+खाई) से मिलकर बना है जो नए चावल खाने के महत्त्व को दर्शाता है। यहाँ 'नुआ' का अर्थ है नया और 'खाई' का अर्थ है भोजन। यह बदलते मौसम के साथ नई फसल का स्वागत करने के लिये पश्चिमी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ एवं झारखंड के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाने वाला एक प्राचीन त्योहार है। यह उत्सव गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। इस दिन किसान अन्न की पूजा करते हैं और विशेष भोजन तैयार करते हैं। ओडिशा के संबलपुर ज़िले की प्रसिद्ध 'मातृ देवी' देवी समलेश्वरी (Goddess Samaleswari) को किसान अपनी भूमि से पहली उपज के रूप में कुछ अन्न अर्पित करते हैं। इसे स्थानीय ओडिया भाषा में 'बारा मस्सा रे तेरा पर्व' के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि नुआखाई उत्सव वैदिक काल में आरंभ हुआ था जब ऋषियों ने पंचयज्ञ पर विचार किया, पंचयज्ञ का एक हिस्सा प्रलंबन यज्ञ था जिसमें नई फसलों की कटाई और उन्हें देवी माँ को अर्पित करने का उत्सव मनाया जाता था। नुआखाई महोत्सव का उद्देश्य देश की आर्थिक प्रगति में कृषि की प्रासंगिकता के बारे में समाज को एक महान संदेश देना है। इसी प्रकार का त्योहार तटीय ओडिशा में 'नबन्ना' नाम से मनाया जाता है। ओडिशा में त्योहारों की जीवंत-संस्कृति है।

विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप

भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने मिस्र में आगामी निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप के लिये 48 सदस्यों की भारतीय राइफल और पिस्टल टीम की घोषणा कर दी है। लंदन ओलम्पिक्स में रजत पदक विजेता विजय कुमार चार वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। रैपिड फायर पिस्टल में उनके अलावा अनीश भानवाला और विजयवीर सिद्धू भी भारतीय दल में शामिल हैं। एयर राइफल-3 पोजिशन में विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता और ओलम्पियन अंजुम मुदगिल भाग लेंगे। विश्व चैंपियनशिप 12 से 25 अक्तूबर, 2022 तक काहिरा में होगी। इसमें पुरूष और महिला वर्गों में चार ओलम्पिक कोटा स्थान मिलेंगे। विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप का संचालन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन (ISSF) द्वारा किया जाता है। वर्ष 1896 के सफल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बाद विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप वर्ष 1897 में शुरू हुई। हालाँकि ISSF की स्थापना वर्ष 1907 तक नहीं हुई थी, फिर भी इन शुरुआती प्रतियोगिताओं को संगठन द्वारा चैंपियनशिप की एक सतत् पंक्ति की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। ISSF की सभी शूटिंग स्पर्द्धाओं सहित ये चैंपियनशिप वर्ष 1954 से प्रत्येक चार वर्ष में आयोजित की जाती हैं। केवल शॉटगन स्पर्द्धाओं के लिये विषम संख्या वाले वर्षों में अतिरिक्त विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता होती है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ

(NRAI) को भारत में शूटिंग खेल के विकास और आत्मरक्षा के लिये नागरिकों को प्रशिक्षण देने हेतु स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय राइफल संघ के अंतर्गत 53 राज्य संघ आते हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य, ज़िला और क्लब स्तर पर नियमित तौर पर टूर्नामेंट आयोजित होते हैं।

केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को साठ दिन का विशेष अवकाश

केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को साठ दिन का विशेष अवकाश मिलेगा। यह अवकाश शिशु के जन्म के तुरंत बाद या प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाने के मामलों में दिया जाएगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इस बारे में आदेश जारी किया। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने बताया कि शिशु के जन्म से पूर्व ही या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु की मानसिक पीडा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे मामलों में माता के जीवन पर दूरगामी प्रभाव पडता है। मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि शिशु के जन्म होने के तुरंत बाद या 28 दिन के भीतर मृत्यु हो जाती है तो माता विशेष मातृत्व अवकाश का पात्र होगी। यदि 28 सप्ताह या उसके बाद शिशु की गर्भ में मृत्यु हो जाती है तो भी माता को यह विशेष अवकाश मिलेगा। मंत्रालय के आदेश में यह भी कहा गया है कि विशेष मातृत्व अवकाश केंद्र सरकार की उन्हीं महिला कर्मचारियों को मिलेगा जिनके दो से कम जीवित बच्चे हैं और प्रसव किसी अधिकृत अस्पताल में हुआ हो।

अनुकूलचंद्र ठाकुर

3 सितंबर, 2022 को बांग्लादेश के हेमायेतपुर (पाबना) में आध्यात्मिक गुरु अनुकूलचंद्र ठाकुर की 135वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर पाबना के हेमायेतपुर में उनके जन्म स्थान पर तीन दिवसीय कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक श्री अनुकूलचंद्र ठाकुर का जन्म वर्ष 1888 में हेमायेतपुर, पाबना में हुआ था। उन्होंने एक आध्यात्मिक आंदोलन की शुरूआत की जिसमें सभी धर्मों की एकता पर ज़ोर दिया गया। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये संस्थानों की स्थापना की। स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ महान नेताओं जैसे देशबंधु चित्तरंजन दास ने उन्हें अपना गुरु माना। पाबना के यात्रा के दौरान महात्मा गांधी ने भी उनसे मुलाकात की थी। इस अवसर पर आध्यात्मिक आंदोलन के सदस्यों ने मांग की है कि अनुकूलचंद्र ठाकुर आश्रम की भूमि उनके संगठन को सौंप दी जाए। श्री अनुकूलचंद्र ठाकुर वर्ष 1946 में पाबना छोड़कर भारत आ गए थे और बाद में विभाजन के बाद 'सत्संग आश्रम' की भूमि को पाकिस्तान सरकार ने अपने कब्ज़े में ले लिया और एक मानसिक चिकित्सालय में बदल दिया, जो वर्तमान में भी मौजूद है।

शिक्षक दिवस

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 05 सितंबर, 2022 को नई दिल्ली में 46 शिक्षकों को वर्ष 2022 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। शिक्षा मंत्रालय का स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित करता है। शिक्षकों का चयन तीन चरणों में पारदर्शी और ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का उद्देश्य देश के आदर्श शिक्षकों को सम्मानित करना है। ज्ञात है कि राष्ट्र के योगदान में शिक्षकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति और शिक्षाविद् डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर, 1888 को तमिलनाडु के तिरुट्टनी में हुआ था और वे वर्ष 1962 में भारत के राष्ट्रपति बने थे और वे वर्ष 1967 तक इस पद पर रहे थे। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को एक शिक्षक के साथ-साथ एक प्रसिद्ध दार्शनिक और राजनेता के रूप में भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को साहित्य में नोबेल पुरस्कार के लिये कुल 16 बार और नोबेल शांति पुरस्कार के लिये कुल 11 बार नामांकित किया गया था। 16 अप्रैल, 1975 को चेन्नई में उनकी मृत्यु हो गई। इस अवसर पर विद्यार्थी अपने-अपने तरीके से शिक्षकों के प्रति आदर और सम्मान प्रकट करते हैं। ध्यातव्य है कि विश्व शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 अक्तूबर को मनाया जाता है। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 20वीं सदी के महानतम विचारकों में से एक होने के साथ-साथ भारतीय समाज में पश्चिमी दर्शन को प्रस्तुत करने के लिये भी याद किया जाता है।

नेहरू ट्रॉफी

केरल में 68वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ 04 सितंबर, 2022 को अलाप्पुझा ज़िले के पुन्नमदा झील में आयोजित की जा रही हैं। प्रतियोगिताएँ नौ श्रेणियों में आयोजित की जाती हैं। प्रतिस्पर्द्धा में 20 स्नेक नौकाओं/सर्प नौकाओं सहित 77 नौकाएँ भाग लेंगी। श्रीनगर की डल झील के 24 शिकारा पैडलर्स भी इस बार नौका दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हस्ताक्षर हैं। केरल के पश्चजल/बैकवाटर और नदियाँ प्राचीन काल से वल्लम कली (वल्लम यानी नौका और कली यानी नाटक या खेल) का प्रदर्शन स्थल रहे हैं। केरल में फसल कटाई के त्योहार ओणम के दिनों में इसका आकर्षण चरम पर होता है। केरल की नौका दौड़ नेहरू ट्रॉफी बोट रेस सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो वर्ष 1952 में प्रथम प्रतिस्पर्द्धा नौका दौड़ के मुख्य अतिथि बने थे। इसके बाद से विजेता की ट्रॉफी जवाहर लाल नेहरू ट्रॉफी कहलाने लगी। इस दौड़ का आयोजन प्रत्येक वर्ष अगस्त महीने के दूसरे शनिवार के दिन होता है। इन नौका दौड़ों में शानदार सर्प नौकाओं या चुण्डन शामिल होते हैं। इन विशाल सर्प नौकाओं में एक-साथ लयबद्ध ताल में चप्पुओं का खेना दर्शकों के लिये अविस्मरणीय अनुभव होता है प्रत्येक वर्ष अगस्त महीने के दूसरे शनिवार को आयोजित होने वाली यह नौका दौड़ दुनिया की सभी नौका दौड़ों में सबसे लोकप्रिय है।

लिज़ ट्रस

कंजरवेटिव पार्टी की नेता लिज़ ट्रस 6 सितंबर को ब्रिटेन की 56वीं प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। वह बोरिस जॉनसन का स्थान लेंगी। 6 सितंबर को ही बोरिस जॉनसन महारानी एलिजाबेथ द्वि तीय को त्यागपत्र सौंपेंगे। लिज़ ट्रस को पार्टी के सदस्यों ने 5 सितंबर को ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुना। पूर्व विदेश मंत्री लिज़ ट्रस ने अपने प्रतिद्वंद्वी ऋषि सुनक को 57 प्रतिशत मतों से हराया। लिज़ ट्रस, टेरेजा मे और मार्गरेट थैचर के बाद ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी। टेरेजा मे और मार्गरेट थैचर भी कंजरवेटिव पार्टी की ही नेता थीं। पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि वे लिज ट्रस को पूर्ण समर्थन देंगे। लिज़ ट्रस के सामने अब देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, बढ़ती मँहगाई पर अंकुश लगाने और ऊर्जा संकट से निपटने जैसी चुनौतियाँ होंगी। ऊर्जा संकट से फिलहाल पूरा यूरोपीय महाद्वीप जूझ रहा है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद लिज़ ट्रस ने अर्थव्यवस्था की मज़बूती के लिये करों में कटौती और ब्रिटेन को मंदी से रोकने के लिये परिवर्तनकारी कदम उठाने का वादा किया।

2022 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार

हाल ही में वर्ष 2022 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की घोषणा कर दी गयी है। इस बार यह पुरस्कार चार लोगों को दिया गया। वर्ष 2022 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं में गैरी बेनचेघिब, तदाशी हटोरी, सोथियारा छिम और बर्नाडेट मैड्रिड शामिल है। इसे 'एशिया का नोबेल शांति पुरस्कार' भी माना जाता है। यह पुरस्कार रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स फाउंडेशन (RMAF) द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह पुरस्कार का 64वाँ संस्करण था। सोथियारा छिम कंबोडियाई मनोचिकित्सक और मानसिक स्वास्थ्य अधिवक्ता, जो अपने देशवासियों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधित रोगों का इलाज कर रहे है। वह नोम पेन्ह के स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में चिकित्सा का अध्ययन किया है। गैरी बेनचेघिब फ्राँसीसी है जो बाली, इंडोनेशिया में नदी में समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के मिशन पर है। वह "मेक ए चेंज वर्ल्ड" नामक एक संगठन चलाते है, जो प्लास्टिक प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण पर कार्य करता है। तदाशी हटोरी जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ और समाजसेवी है जिन्होंने वियतनाम में मुफ्त नेत्र शल्य चिकित्सा प्रदान करने में अपना समय और संसाधन लगाया। बर्नाडेट जे. मैड्रिड फिलिपिनो बाल रोग विशेषज्ञ हैं, जो बाल संरक्षण के अधिकार के लिये कार्य कर रही है। उन्होंने वर्ष 1997 से मनीला के पहले बाल संरक्षण केंद्र फिलीपीन जनरल अस्पताल का नेतृत्व कर रही है। इस केंद्र के माध्यम से उन्होंने वर्ष 2021 तक 27,000 से अधिक बच्चों की सेवा की है। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) केंद्रीय समिति की सदस्य के.के. शैलजा ने रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के वर्ष 2022 के पुरस्कार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। शैलजा को केरल में निपाह वायरस और COVID-19 महामारी के दौरान सार्वजनिक सेवा और सामुदायिक नेतृत्व के लिये उन्हें सम्मानित करना चाहता था। लेकिन उन्होंने इसे एक सामूहिक प्रयास बताकर, व्यक्तिगत रूप से इस पुरस्कार को लेने से मना कर दिया।

'इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम'

लद्दाख में सेना की फायर एण्ड फ्यूरी कॉर्प्स ने कारगिल में भी विद्यार्थियों को चिकित्सा और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिये 'इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम' की शुरूआत की है। पिछले वर्ष लेह में इस योजना की सफलतापूर्वक शुरूआत की गई थी। इसका उद्देश्य लद्दाख के युवाओं को समग्र शैक्षणिक प्रशिक्षण मुहैया कराना है। विशेष रूप से कारगिल में रहने वाली लड़कियों को पूर्णकालिक आवासीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिये हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा राष्ट्रीय एकता और शैक्षणिक विकास संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इस संयुक्त अभियान के अंतर्गत कारगिल की लड़कियों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) के लिये पूर्ण और निशुल्क आवासीय कोचिंग मुहैया कराई जाएगी। कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये ज़रूरी है कि अभ्यर्थी लद्दाख का मूल निवासी हो, उसे बारहवीं कक्षा में 70 प्रतिशत अंक मिला हो या इस वर्ष परीक्षा की तैयारी कर रहा हो। साथ ही उसकी वार्षिक पारिवारिक आय साढ़े तीन लाख रुपए से कम होनी चाहिये। कानपुर स्थित गैर सरकारी संगठन राष्ट्रीय एकता और शैक्षणिक विकास संगठन इस कार्यक्रम को लागू करेगा, जबकि सेना इसमें प्रशासनिक सहयोग प्रदान करेगी। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसके लिये वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस

07 अगस्त, 2021 को देश भर में 8वाँ 'राष्ट्रीय हथकरघा दिवस' आयोजित किया गया। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य आम जनता के बीच हथकरघा उद्योग के बारे में जागरूकता पैदा करना और सामाजिक-आर्थिक विकास में इसके योगदान को रेखांकित करना है। इसके अलावा यह दिवस भारत की हथकरघा विरासत की रक्षा करने व हथकरघा बुनकरों एवं श्रमिकों को अधिक अवसर प्रदान करने पर भी ज़ोर देता है। इस दिन को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में इसलिये चुना गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा किये जा रहे बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिये वर्ष 1905 में इसी दिन कलकत्ता टाऊन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया था और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर भारतीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने की घोषणा की गई थी। तकरीबन एक सदी तक इस दिवस के महत्त्व को देखते हुए वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा पहले 'राष्ट्रीय हथकरघा दिवस' का उद्घाटन किया गया। ज्ञात हो कि भारत का हथकरघा क्षेत्र देश की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। भारत की सॉफ्ट पावर को लंबे समय से हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र द्वारा समर्थन दिया गया है। 'खादी डिप्लोमेसी' इसी का एक उदाहरण है। भारत में कपड़ा और हथकरघा क्षेत्र कृषि के बाद लोगों के लिये रोज़गार व आजीविका का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। हथकरघा उद्योग भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 2.3%, औद्योगिक उत्पादन का 7%, भारत की निर्यात आय में 12% और कुल रोज़गार में 21% से अधिक का योगदान देता है।

नोट :

36वें राष्ट्रीय खेल

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने अहमदाबाद में ट्रांसस्टेडिया के ईकेए एरिना में 36वें राष्ट्रीय खेलों के गीत और शुभंकर का अनावरण किया। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात में आयोजित किये जायेंगे। यह 27 सितंबर, 2022 से 10 अक्तूबर, 2022 तक आयोजित होगा। इसमें सभी 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश भाग लेंगे। कुल मिलाकर 36 खेलों का आयोजन किया जाएगा, जो "एकता के लिये खेल" टैगलाइन के अनुरूप होंगे। इस वर्ष योगासन और मल्लखंभ को खेलों की सूची में जोड़ा गया है। इस प्रकार यह भारत में स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देगा। इसका उद्घाटन समारोह नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया जाएगा। 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों के अनुमानित 7,000 एथलीटों के 36 खेलों में भाग लेने की उम्मीद है, जिनमें अधिकांश पारंपरिक ओलंपिक खेल शामिल हैं। राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात के 6 शहरों, गांधीनगर, सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा और भावनगर में आयोजित किये जाएँगे। शुभंकर का नाम सावज है जिसका गुजराती में अर्थ शावक होता है। यह शुभंकर भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही तेज़ी से बढ़ते भारत की एक झलक भी देता है कि भारत फिर से विश्व नेता बनने के लिये तैयार है। राष्ट्रीय खेलों का अंतिम संस्करण वर्ष 2015 में केरल में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय खेलों का 2022 संस्करण सात वर्ष के अंतराल के बाद आयोजित किया जाएगा।

भूपेन हजारिका

08 सितंबर, 2022 को गूगल ने महान गायक भूपेन हज़ारिका के 96वें जन्म दिवस पर उनके सम्मान में एक डूडल बनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की।। भूपेन हजारिका को एक महान गायक, गीतकार, संगीतकार, कवि और फिल्मकार के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा वे असम की संस्कृति तथा संगीत के भी काफी अच्छे जानकार थे। भूपेन हजारिका का जन्म वर्ष 1926 में असम के तिनसुकिया (Tinsukia) ज़िले के छोटे शहर सादिया (Sadiya) में हुआ था। वर्ष 1942 में गुवाहाटी से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद भूपेन हजारिका वाराणसी चले गए और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। भूपेन हजारिका आदिवासी संगीत से काफी ज़्यादा प्रभावित थे। वर्ष 1939 में ही मात्र 12 वर्ष की उम्र में भूपेन हजारिका ने असमिया फिल्म इंद्रमालती के लिये पहला गीत गाया था। भूपेन हजारिका केवल असमिया संगीत तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने कई बंगाली और हिंदी फिल्मों के लिये भी रचना, लेखन और गायन का कार्य किया। भूपेन हजारिका को वर्ष 1976 में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि उन्हें वर्ष 1977 में पद्मश्री और वर्ष 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने वर्ष 1999-2004 तक संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष के तौर पर भी कार्य किया। भूपेन हजारिका को वर्ष 2019 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था।

विश्व आदिवासी दिवस

प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस (World Tribal Day) या विश्व के देशज लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (International Day of the World's Indigenous Peoples) मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया की देशज लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है तथा उन योगदानों को स्वीकार करना है जो देशज लोग वैश्विक मुद्दों जैसे पर्यावरण संरक्षण हेतु करते हैं। वर्ष 2022 में देशज लोगों के इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय "पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका" है। 9 अगस्त, 1982 को जेनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में देशज आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह (United Nations Working Group on Indigenous Populations) की पहली बैठक आयोजित की गई थी। जिसके परिप्रेक्ष्य में प्रति वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार, वर्ष 1994 से प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। देशज लोग अद्वितीय संस्कृतियों, लोगों और पर्यावरण समर्थित परंपराओं के उत्तराधिकारी व अभ्यासी हैं। उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विशेषताओं को बरकरार रखा है जो उन प्रमुख समाजों से अलग हैं जिनमें वे रहते हैं। दुनिया भर के 90 देशों में 476 मिलियन से अधिक स्वदेशी लोग रहते हैं, जो वैश्विक आबादी का 6.2% हिस्सा है।

दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 'मंथन'

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने 8 सितंबर, 2022 को बंगलुरु में दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 'मंथन' का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के भारत को आत्मनिर्भर बनाने की परिकल्पना पर बल दिया तथा कहा कि इन चार क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास से पाँच ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। विदर्भ में अमृत सरोवर कार्यक्रम के कार्यान्वयन से राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के साथ-साथ जल संरक्षण, बेहतर भूजल, सतत् कृषि और किसानों की आय में वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार के गति-शक्ति योजना से बंदरगाह संपर्क में सुधार होगा और माल परिवहन के लिये सड़कों पर निर्भरता कम होगी। इससे परिवहन की लागत कम होगी और निर्यात में भी सहायता मिलेगी। इस अवसर पर उन्होंने हैकाथॉन के 10 विजेताओं की घोषणा की। सड़क परिवहन क्षेत्र को बदलने वाले ऐप्स के विकास के लिये प्रत्येक विजेता को 10 लाख रुपए मिलेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई वर्ष 2008 में 91 हज़ार किलोमीटर से बढ़कर वर्तमान में 1 लाख 41 हज़ार किलोमीटर हो गई है तथा इसके निर्माण की गति 12 किलोमीटर प्रतिदिन से बढ़ कर अब 37 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है।

नोट :

महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय का निधन

हाल ही में ब्रिटेन की महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे 70 वर्षों से भी अधिक समय तक ब्रिटेन की महारानी रहीं। अब उनके पुत्र चार्ल्स तृतीय को ब्रिटेन का राजा बनाया जाएगा। एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर ब्रिटेन में सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिये गए हैं और राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया गया है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 25 वर्ष की थीं, जब ब्रिटेन की गद्दी पर उनकी ताजपोशी हुई थी। तब से लेकर अब तक करीब 7 दशक से वे इस गद्दी पर काबिज थीं। वह ब्रिटेन की सत्ता संभालने वाली सबसे उम्रदराज महिला थीं। इसके अलावा विश्व के भी सबसे बुजुर्ग शासकों में महारानी एलिज़ाबेथ का नाम आता था। वह वर्ष 1952 में ब्रिटेन की महारानी बनी थीं, जिनके शासनकाल के 70 साल पूरे होने के खास मौके पर देश भर में चार दिवसीय प्लैटिनम जुबली समारोह का आयोजन किया गया था। ब्रिटेन की महारानी के पास पासपोर्ट नहीं था, क्योंकि देश के नागरिकों को वही पासपोर्ट जारी करती थीं। ग्लोबल गुडविल टूर में चंद्रमा पर जाने वाले पहले शख्स नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कोलिंस ने 14 अक्तूबर, 1969 को बकिंघम पैलेस में महारानी एलिजाबेथ II से मुलाकात की थी।

विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस

प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस (World Suicide Prevention Day) मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में मानसिक स्वास्थ के प्रति जागरुकता फैलाना और आत्महत्या के बढ़ते मामलों को रोकना है। इसकी शुरुआत इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन (IASP) द्वारा वर्ष 2003 में की गई थी। इस दिन को वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस को मनाने का पहला वर्ष सफल होने के बाद वर्ष 2004 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) औपचारिक रूप से इस आयोजन को फिर से को-स्पॉन्सर करने के लिये तैयार हुआ जिससे यह दिन एक वार्षिक मान्यता प्राप्त दिन (Annually Recognized Day) बन गया। वर्ष 2022 के लिये विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की थीम 'Creating hope through action' यानी "लोगों में अपने काम के जरिये उम्मीद पैदा करना" निर्धारित की गयी है।इस दिन आयोजित होने वाले कार्यक्रम इसी थीम पर आधारित होंगे, इस थीम के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन यह संदेश देना चाहता है कि आत्महत्या करने की सोच रखने वालों को किसी भी तरह से अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिये।

'पश्चिमी क्षेत्रीय परामर्श बैठक '

महिला विकास प्रकोष्ठ और आंतरिक शिकायत समिति, गुजरात विश्वविद्यालय के सहयोग से 'राष्ट्रीय महिला आयोग' (National Women Commission-NCW) ने विभिन्न हितधारकों जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव के महिला आयोगों तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रतिनिधि एवं स्वाधार गृह, उज्ज्वला और वन स्टॉप सेंटर्स का प्रतिनिधित्त्व करने वाले गैर सरकारी संगठन शामिल हैं, के साथ एक दिवसीय पश्चिमी क्षेत्रीय परामर्श बैठक का आयोजन किया। इस परामर्श बैठक में इन संगठनों के समक्ष आने वाली विभिन्न समस्याओं और उनके कारणों तथा महिला कल्याण, आश्रय, सशक्तिकरण एवं अधिकारों की सुरक्षा जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। NCW की अध्यक्षा सुश्री रेखा शर्मा ने इस परामर्श बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। भारत में महिलाओं की स्थिति पर गठित समिति ने लगभग पाँच दशक पहले शिकायतों के निवारण की सुविधा एवं महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास में तीव्रता लाने हेतु निगरानी कार्यों को पूरा करने के लिये 'राष्ट्रीय महिला आयोग' की स्थापना की सिफारिश की थी। महिलाओं के लिये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (1988-2000) सहित अन्य सभी समितियों और आयोगों ने महिलाओं के लिये एक शीर्ष निकाय के गठन की सिफारिश की। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को 'जयंती पटनायक' की अध्यक्षता में किया गया था। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और पाँच अन्य सदस्य होते हैं। NCW के अध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है।

ज्यूरिख डायमंड लीग

हाल ही में टोक्यो ओलिम्पिक में स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी/ज्वैलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा स्विट्ज़रलैंड में ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग में 88.44 मीटर भाला फेंककर डायमंड लीग ट्रॉफी जीत ली। उल्लेखनीय है कि डायमंड लीग को ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप के बाद ट्रैक एंड फील्ड की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता माना जाता है। वर्ष 2010 में शुरू हुए इस लीग के 13वें संस्करण का आयोजन स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख में किया गया। नीरज ने इससे पहले वर्ष 2017 और 2018 में भी फाइनल के लिये क्वालिफाई किया था, जहाँ वह क्रमश: सातवें एवं चौथे स्थान पर रहे थे, नीरज चोपड़ा ने अपने शानदार प्रदर्शन से भारतीय खेलों को नई ऊँचाई पर पहुँचाया है। वर्ष 2022 की शुरुआत में स्टॉकहोम डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा 94 मीटर दूर व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ भाला फेंककर दूसरे स्थान पर रहे थे। गौरतलब है कि हाल ही में नीरज ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल मैच में 88.13 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता था। वह अंजू बॉबी जॉर्ज (2003) के बाद ऐसा करने वाले दूसरे एथलीट हैं।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिये अंतर्राष्ट्रीय दिवस

प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिये अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस विकासशील देशों के बीच सहयोग हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा किये गए प्रयासों पर प्रकाश डालता है। यह दक्षिणी क्षेत्र में स्थित देशों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिये एक पहल है। मूलत: दक्षिण-दक्षिण सहयोग वैश्विक दक्षिण (Global South) में विकासशील देशों के बीच "तकनीकी सहयोग" को संदर्भित करता है। दक्षिण-दक्षिण सहयोग विकासशील देशों को ज्ञान, विशेषज्ञता, कौशल और संसाधनों को साझा करने में मदद करता है ताकि उनके विकास लक्ष्यों को ठोस प्रयासों से पूरा किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिये यह पहल स्पष्ट रूप से दक्षिण के लोगों और देशों के बीच एकजुटता को दर्शाती है। यह लोगों की राष्ट्रीय और सामूहिक आत्मनिर्भरता एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ-साथ सतत् विकास के लिये वर्ष 2030 एजेंडा को भी दर्शाता है। यह दिन "ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन (BAPA)" को अपनाने की याद दिलाता है। 138 सदस्य देशों द्वारा विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने और लागू करने के लिये वर्ष 1978 में BAPA को अपनाया गया था। दक्षिण-दक्षिण सहयोग निम्नलिखित उद्देश्य से शुरू किया गया था: विकासशील देशों के बीच आत्मनिर्भरता बढ़ाना तथा उनकी विकास संबंधी समस्याओं के लिये रचनात्मक समाधान खोजना। अनुभवों का आदान-प्रदान करके आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।

इगा स्वियाटेक

वर्ष के अंतिम ग्रैंड स्लैम अमेरिकी ओपन टेनिस में विश्व की नंबर एक खिलाड़ी पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में ट्यूनिशिया की ऑंस जब्योर को लगातार सेटों में 6-2, 7-6 से हराया। स्वियाटेक पोलैंड की पहली महिला खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है। उन्होंने अपने कॅरियर में अब तक तीन ग्रैंड स्लैम सहित दस खिताब जीते हैं। मिक्स्ड डबल्स में ऑस्ट्रेलिया की स्टॉर्म सैंडर्स और जॉन पीयर्स की जोड़ी ने क्रिस्टेन फ्लिपकेंस एवं एडवर्ड रोजर-वैस्सेलिन की जोड़ी को 4-6, 6-4, 10-7 से हराकर उन्होंने खिताब जीता। पिछले 21 वर्षों में किसी ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने पहली बार अमेरिकी ओपन में मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीता है। यह यूएस ओपन टेनिस 2022 का 142वाँ संस्करण था और साल का चौथा एवं अंतिम टेनिस ग्रैंड स्लैम इवेंट था। यह न्यूयॉर्क शहर में बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर में आउटडोर हार्ड कोर्ट में आयोजित किया गया। यह टूर्नामेंट यूनाइटेड स्टेट्स टेनिस एसोसिएशन (USTA) द्वारा आयोजित किया गया, जिसका विनियमन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ (ITF) द्वारा किया जाता है। टूर्नामेंट में पुरुष और महिला एकल एवं युगल दोनों शामिल थे।

आयुर्वेद दिवस 2022

12 सितंबर, 2022 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम की शुरूआत की है। छह सप्ताह का यह कार्यक्रम 23 अक्तूबर, 2022 तक चलेगा। आयुष मंत्रालय ने इस वर्ष आयुर्वेद दिवस के लिये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान को नोडल एजेंसी बनाया है। इसका विषय "हर दिन हर घर आयुर्वेद" है। आयुष मंत्रालय प्रत्येक वर्ष धनवंतरी जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है। वर्ष 2022 में यह दिवस 23 अक्तूबर को मनाया जाएगा। केंद्रीय आयुष मंत्री ने कहा है कि हर दिन हर घर आयुर्वेद का विषय प्रत्येक घर में समग्र स्वास्थ्य के लिये आयुर्वेद के बारे में जागरूकता पर बल देने के लिये चुना गया है । आयुर्वेद प्राचीन भारतीय प्राकृतिक और समग्र वैद्य-शास्त्र चिकित्सा पद्धति है। संस्कृत भाषा में आयुर्वेद का अर्थ है 'जीवन का विज्ञान' (संस्कृत मे मूल शब्द आयुर का अर्थ होता है 'दीर्घ आयु' या आयु और वेद का अर्थ हैं 'विज्ञान। आयुर्वेद के अनुसार व्यक्ति के शरीर में वात, पित्त और कफ जैसे तीनों मूल तत्त्वों के संतुलन से कोई भी बीमारी नहीं हो सकती, परंतु यदि इनका संतुलन बिगड़ता है, तो बीमारी शरीर पर हावी होने लगती है। अत: आयुर्वेद में इन्हीं तीनों तत्त्वों के मध्य संतुलन स्थापित किया जाता है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने पर भी बल दिया जाता है, ताकि व्यक्ति सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो।

कार्लोस अलकराज़

स्पेन के कार्लोस अलकराज़ ने कैस्पर रुड को हराकर अमेरिकी ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में 11 सितंबर, 2022 को हुए चार सेटों के मुकाबले में अलकराज़ ने रुड को मात दी और अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। 19 वर्षीय अलकराज़, राफेल नडाल के बाद अब तक के सबसे कम उम्र के ग्रैंड स्लैम विजेता हैं। राफेल नडाल ने वर्ष 2005 में सबसे कम उम्र में फ्रेंच ओपन जीता था। अमेरिकी ओपन में जीत के साथ ही कार्लोस अलकराज़ पुरुष एकल जीतने वाले दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी भी बन गए हैं। वे यूएस ओपन के इतिहास में 32 वर्ष बाद सबसे युवा चैंपियन बने हैं। कार्लोस ने यूएस ओपन के फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रुड को 6-4, 2-6, 7-6 (1), 6-3 से पराजित किया। यह यूएस ओपन टेनिस 2022 का 142वाँ संस्करण था और साल का चौथा एवं अंतिम टेनिस ग्रैंड स्लैम इवेंट था। यह न्यूयॉर्क शहर में बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर में आउटडोर हार्ड कोर्ट में आयोजित किया गया। यह टूर्नामेंट यूनाइटेड स्टेट्स टेनिस एसोसिएशन (USTA) द्वारा आयोजित किया गया, जिसका विनियमन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ (ITF) द्वारा किया जाता है। टूर्नामेंट में पुरुष और महिला एकल एवं युगल दोनों शामिल थे।

'अहेली खादी '

युवा दर्शकों और वैश्विक बाज़ार तक पहुँचने के उद्देश्य से और खादी को एक कपड़े के रूप में लोकप्रिय बनाने तथा पारंपरिक एवं समकालीन फैशन में इसके उपयोग को प्रदर्शित करने के लिये 'अहेली

खादी' फैशन शो का आयोजन खादी इंडिया द्वारा रविवार को राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (National Institute of Fashion Technology-NIFT), गांधीनगर के टाना रीरी ऑडिटोरियम में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (Khadi and Village Industries Commission-KVIC) के अध्यक्ष मनोज गोयल भी उपस्थित रहे। खादी स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक है और इसको एक ऐसे कपड़े के रूप में स्थापित करने में अग्रणी रहा है जो सही मायनों में मज़बूत और आधुनिक है। यही कारण है कि खादी को युवा पीढ़ी का भरपूर समर्थन मिला है, क्योंकि यह सिर्फ कपड़ा नहीं है, बल्कि पारंपरिक और समकालीन फैशन के रूप में भी इसके कई उपयोग हैं। "अहेली" खादी का अर्थ है शुद्ध खादी और फैशन शो के दौरान इसी का प्रदर्शन किया गया। योग के लिये परिधान "स्वाधा" जिसे अब संचार के एक प्रभावी माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है और जिसे NIFT के डिज़ाइनर द्वारा तैयार किया गया है, इस फैशन शो का प्रमुख आकर्षण था।

'बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकाडू-2022'

भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस सतपुड़ा और P-8I समुद्री गश्ती विमान 12 सितंबर, 2022 को रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी द्वारा आयोजित 'बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकाडू-2022' में भाग लेने के लिये ऑस्ट्रेलिया के डार्विन पहुँचे। बंदरगाह और समुद्र, दोनों में दो सप्ताह तक चलने वाले इस अभ्यास में 14 नौसेनाओं के जहाज़ एवं समुद्री विमान शामिल होंगे। इस अभ्यास के बंदरगाह चरण के दौरान इस पोत के चालक दल भाग लेने वाली नौसेनाओं के साथ परिचालन संबंधी योजना के बारे में संवाद और खेल गतिविधियों में संलग्न होंगे। आईएनएस सतपुड़ा एक स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित 6000 टन निर्देशित मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है जो हवा, सतह और पानी के नीचे विरोधी को तलाशने और नष्ट करने में सक्षम है। P-8I भारतीय नौसेना के लिये बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित एक लंबी दूरी की बहु-मिशन समुद्री गश्ती पोत है। इसे भारत के समुद्र तट और क्षेत्रीय जल की रक्षा हेतु डिज़ाइन किया गया था। यह पनडुब्बी-रोधी युद्ध (ASW), सतह-रोधी युद्ध (AsuW), खुफिया, समुद्री गश्ती और निगरानी व सैनिक परीक्षण का संचालन कर सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस

केंद्र सरकार 17 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस पर एक बड़ा अभियान शुरू कर रही है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री के अनुसार, 75 दिन के तटीय सफाई अभियान "स्वच्छ सागर-सुरक्षित सागर" को काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। कई राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, चर्चित हस्तियाँ और विभिन्न समूह इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। देश भर के 75 समुद्री तटों पर सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसमें प्रति किलोमीटर के लिये 75 स्वयंसेवकों को शामिल किया जाएगा। समुद्र तटों से 1500 टन कचरा, मुख्य रूप से सिंगल यूज़ प्लास्टिक हटाने के लिये लोगों से मदद ली जाएगी। विश्व स्तर पर "अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस" प्रत्येक वर्ष सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस का उद्देश्य महासागरों, समुद्र तटों पर कूड़े के संचय तथा इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर अभियान दुनिया में अपनी तरह का पहला और सबसे लंबे समय तक चलने वाला तटीय सफाई अभियान है, जिसमें सबसे अधिक संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। इस अभियान के माध्यम से लोगों के बीच बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन का उद्देश्य इस बारे में जागरूकता बढ़ाना है कि कैसे प्लास्टिक का उपयोग समुद्री जीवन को नष्ट कर रहा है। इस अभियान के बारे में जागरूकता फैलाने और समुद्र तट की सफाई गतिविधियों में स्वैच्छिक भागीदारी हेतु आम लोगों का पंजीकरण करने हेतु एक मोबाइल एप "इको मित्रम" लॉन्च किया गया है।

'अभियंता दिवस'

देश में प्रतिवर्ष 15 सितंबर को 'अभियंता दिवस' के रूप में मनाया जाता है। अभियंता दिवस भारत के सुविख्यात इंजीनियर डॉ. मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें आधुनिक भारत के 'विश्वकर्मा' के रूप में जाना जाता है। इस वर्ष उनकी 161वीं जयंती मनाई जा रही है। एम. विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर, 1861 को मैसूर (कर्नाटक) के 'मुद्देनाहल्ली' नामक स्थान पर हुआ था। भारत सरकार ने वर्ष 1968 में उनकी जन्म तिथि को 'अभियंता दिवस' घोषित किया था। डॉ. मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को बाँध डिज़ाइन के मास्टर के रूप में भी जाना जाता है। कृष्णा राजा सागर झील और बाँध उनकी सबसे उल्लेखनीय परियोजनाओं में से एक है, जो कर्नाटक में स्थित है। उस समय वह भारत में सबसे बड़ा जलाशय था। वे मैसूर के दीवान भी रहे। वर्ष 1955 में उनकी अभूतपूर्व तथा जनहितकारी उपलब्धियों के लिये उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाज़ा गया। जब वह 100 वर्ष के हुए तो भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया। उन्हें ब्रिटिश नाइटहुड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था।

'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार'

सूरत (गुजरात) में आयोजित राष्ट्रीय हिंदी दिवस समारोह में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (Rashtriya Ispat Nigam Limited-RINL), विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र को देश के सर्वोत्कृष्ट राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। RINL को लगातार चौथी बार 'ग' श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। सूरत में आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में गृह और सहकारिता मंत्री की उपस्थिति में राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक अतुल भट्ट को यह पुरस्कार प्रदान किया। हिंदी गृहपत्रिका श्रेणी में भी हिंदी पत्रिका 'सुगंध' को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसी समारोह में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), विशाखापत्तनम को भी 'ग' श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

नोट :

'बायो-इथेनॉल परियोजना'

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने 14 सितंबर को गुजरात के सूरत में कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड की बायो-इथेनॉल परियोजना, कृभको हज़ीरा का शिलान्यास किया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री और रेल राज्यमंत्री सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कृभको की जैव-इथेनॉल परियोजना, सहकारी क्षेत्र, पर्यावरण सुधार, किसानों की आय को दोगुना करने, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने व ग्लोबल वॉर्मिंग की चुनौती का सामना करने के बहुआयामी अभियान की दिशा में एक सार्थक कदम है। इस परियोजना से हज़ीरा में 2,50,000 लीटर की दैनिक क्षमता वाला बायो-इथेनॉल संयंत्र स्थापित होगा जो 8.25 करोड़ लीटर जैव-ईंधन का उत्पादन करेगा, इससे 2.5 लाख मीट्रिक टन मक्का या अन्य उपजों के लिये अच्छा बाज़ार भी मिलेगा। गुजरात के लगभग 9 ज़िलों में मक्का मुख्य उपज है और इसके अलावा राज्य के 10 ज़िलों में मक्का की पैदावार हो सकती है और इस संयंत्र के माध्यम से किसानों को बहुत लाभ हो सकता है। साथ ही इससे ख़राब मक्के से भी बायो ईंधन बनाकर देश के अर्थतंत्र और विदेशी मुद्रा भंडार को लाभ होगा तथा यह संयंत्र किसानों के जीवन में एक नई आशा का संचार करेगा।

नोट :